



Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

मई भाग-1

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था	4	■ महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के आह्वान पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	45
■ राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023	4		
■ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	6		
■ राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान	9		
■ राजद्रोह कानून	10		
■ भारत में ऑनलाइन जुआ	12		
■ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनियमन	13		
■ राजनीति का अपराधीकरण	15		
■ मैतेई द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग	17		
■ गैर-संचारी रोगों हेतु सरकारी कार्यक्रम का नया नाम	21		
■ ड्रग रिकॉल	22		
■ भ्रामक खाद्य विज्ञापनों को कम करना	24		
■ जन सुरक्षा योजनाओं के आठ वर्ष	26		
■ अपशिष्ट तेल पर ड्राफ्ट EPR अधिसूचना	27		
■ पोषण भी, पढ़ाई भी	29		
■ प्रवर्तन निदेशालय	30		
■ हरित सागर: हरित पत्तन दिशा-निर्देश 2023	32		
■ डिफॉल्ट जमानत	34		
भारतीय राजनीति	36		
■ आदर्श आचार संहिता	36		
■ 'विवाह का असाध्य रूप से टूटना' तलाक का आधार: सर्वोच्च न्यायालय	37		
■ दया याचिका	40		
■ भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम में किया बदलाव	42		
■ दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन	43		
		भारतीय अर्थव्यवस्था	47
		■ सामान्य रिपोर्टिंग मानक: OECD	47
		■ धार्मिक स्वतंत्रता	48
		■ केंद्रीय प्रतिपक्ष	49
		■ मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2022-23	50
		■ बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा-रोधी अभ्यास	51
		■ US फेडरल रिजर्व दर में वृद्धि	53
		■ असम में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क	54
		■ सलाहकार समिति का डीजल 4-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव	55
		■ RBI का स्वर्ण भंडार	57
		■ भारत में गन्ना उत्पादन	59
		■ वर्ष 2030 में भारत का विद्युत क्षेत्र: नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण और कोयले के उपयोग में गिरावट	61
		■ ई-चालान और कर चोरी पर अंकुश	63
		अंतर्राष्ट्रीय संबंध	65
		■ भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA का एक वर्ष	65
		■ WTO को कृषि सब्सिडी पर पुनः विचार करने की आवश्यकता	66
		■ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023	69
		■ भारत-इजरायल संबंध	71
		■ CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार	72
		■ अरब लीग	74

■ भारत, अमेरिका, UAE और सऊदी अरब बुनियादी ढाँचा पहल पर चर्चा	76	सामाजिक न्याय	112
■ व्यापार और निवेश पर छठी भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता	77	■ गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994	112
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	79	■ हू इज टिपिंग द स्केल रिपोर्ट: IPES	113
■ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल	79	■ नौकरियों में स्थानीय आरक्षण	116
■ टी फोर्टिफिकेशन	80	■ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट	117
■ साइकेडेलिक पदार्थ	82	■ मानवाधिकार रक्षकों और अनुचित व्यावसायिक अभ्यास पर रिपोर्ट	119
■ इस्पात विनिर्माण का डीकार्बोनाइजेशन	83	■ भारत में बहुविवाह	121
जैव विविधता और पर्यावरण	86	प्रिलिम्स फैक्ट्स	124
■ जलवायु परिवर्तन से निपटने में पेरिस समझौते की विफलता	86	■ कदन्न अनुभव केंद्र	124
■ लुधियाना गैस रिसाव त्रासदी	86	■ अप्रोकिन स्वाइन फीवर और पिग्मी हॉग	125
■ नागरिक विमानन क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा भारत	88	■ ब्लैक टाइगर	126
■ डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप	89	■ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023	128
■ रिवर-सिटीज एलायंस वैश्विक संगोष्ठी	90	■ पशुपालन व डेयरी किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड राष्ट्रव्यापी अभियान	130
■ प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय	92	■ अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस	131
■ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023	94	■ BizAmp-पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यवसायों का संबर्द्धन	132
■ गोवा में वनाग्नि	95	■ बृहस्पति के आकार के ग्रह को निगलने वाला तारा	133
■ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र	98	■ सीमा सड़क संगठन का 64वाँ स्थापना दिवस	134
■ स्लज प्रबंधन	100	■ 36वाँ मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम	135
■ एशिया-प्रशांत देशों में जलवायु परिवर्तन लचीलापन घाटा	102	■ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवाार्ड्स 2023	136
■ वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को समाप्त करना	103	■ ऑरोरा	137
■ वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम	105	■ वीरता पुरस्कार	138
भूगोल	107	■ भारत में उपचुनाव	139
■ भारत का जलवायु और मौसम प्रतिरूप	107	■ सक्षम- LMIS	140
कृषि	109	■ Mpox अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं: WHO	140
■ भारत का नवीनतम कृषि निर्यात डेटा	109	■ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम	141
		■ इरेटमोपेटरा मर्फा	142
		■ Y20 परामर्श कार्यक्रम	142
		रैपिड फायर	144

शासन व्यवस्था

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण (NMD) नीति, 2023 को मंजूरी दी है।

- यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये एक रोडमैप निर्धारित करती है ताकि निम्नलिखित मिशनों, एक्सेस एवं सार्वभौमिकता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, रोगी केंद्रित तथा गुणवत्तापूर्ण देखभाल, निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य, सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार एवं कुशल जनशक्ति को प्राप्त किया जा सके।

CABINET DECISIONS
26 April 2023

Policy for the Medical Devices Sector

- Cabinet approves the Policy for the Medical Devices Sector.
- Six Strategies planned to tap the potential of the Sector, with the Implementation Action Plan.
- Medical Devices Sector is expected to grow from present \$11 Bn to \$50 Bn in next five years.
- The policy is expected to meet the public health objectives of access, affordability, quality and innovation.

NMD नीति, 2023 की प्रमुख विशेषताएँ:

- **नियामक संचालन:** रोगी सुरक्षा और उत्पाद नवाचार को संतुलित करते हुए अनुसंधान तथा व्यवसाय को आसान बनाने के लिये चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस हेतु "सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम" बनाया जाएगा।
- ◆ इस प्रणाली में सभी प्रासंगिक विभाग और संगठन शामिल होंगे, जैसे- MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तथा DAHD (पशुपालन और डेयरी विभाग)।
- **अवसरचना को सक्षम बनाना:** आर्थिक क्षेत्रों के पास विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किये जाएंगे।

- ◆ यह कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम और प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2021 के तहत प्रधानमंत्री गति शक्ति के दायरे में तथा चिकित्सा उपकरण उद्योग के साथ अभिसरण एवं एकीकरण में सुधार के लिये राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से किया जाएगा।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेष को सुगम बनाना:** नीति का उद्देश्य भारत में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है, जो फार्मा-मेडिकेट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेष पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति का पूरक है।
 - ◆ इसका उद्देश्य अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों, नवोन्मेष केंद्रों, 'प्लग एंड प्ले' बुनियादी ढाँचे में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना तथा स्टार्ट-अप को समर्थन देना है।
- **निवेश बढ़ाना:** यह नीति मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, हील-इन-इंडिया और स्टार्ट-अप मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं के पूरक के लिये निजी निवेश एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करती है।
 - ◆ मानव संसाधन विकास: नीति का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और अपस्किंग कार्यक्रम प्रदान करके चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में एक कुशल कार्यबल सुनिश्चित करना है।
 - ◆ यह भविष्य की प्रौद्योगिकियों, विनिर्माण और अनुसंधान के लिये कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के लिये समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का भी समर्थन करेगा।
- **ब्रांड पोझिशनिंग और जागरूकता निर्माण:** नीति विभाग के तहत क्षेत्र के लिये एक समर्पित निर्यात संबद्ध परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है जो विभिन्न बाजार पहुँच से जुड़े मुद्दों से निपटने में सक्षम होगी।

नीति का महत्त्व:

- इस नीति से चिकित्सा उपकरण उद्योग को एक प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर, सशक्त और अभिनव उद्योग के रूप में मजबूत करने के लिये आवश्यक समर्थन एवं दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने की उम्मीद है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।
- इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकास के त्वरित पथ पर लाना है।
- इसका लक्ष्य रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ त्वरित विकास पथ और अगले 25 वर्षों में बढ़ते वैश्विक बाजार में 10-12 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करके चिकित्सा उपकरणों के निर्माण एवं नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरना है।

- ◆ नई नीति के साथ केंद्र का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में भारत की आयात निर्भरता को लगभग 30% तक कम करना और शीर्ष पाँच वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनना है।
- इस नीति से वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का परिदृश्य:

- **परिचय:**
 - ◆ भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक उभरता क्षेत्र है और स्वास्थ्य सेवा उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है जो तेजी से बढ़ रहा है।
 - ◆ कोविड-19 महामारी के दौरान यह क्षेत्र काफी तीव्र गति से विकसित हुआ जब भारत ने बड़े पैमाने पर चिकित्सा उपकरणों और वेंटिलेटर, RT-PCR किट तथा PPE किट जैसे नैदानिक किट का वृहत स्तर पर उत्पादन किया था।
 - ◆ यह एक बहु-उत्पाद क्षेत्र है, इसका व्यापक वर्गीकरण इस प्रकार है:
 - इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
 - प्रत्यारोपण
 - उपभोग्य और डिस्पोजेबल
 - इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स (IVD) अभिकर्मक
 - सर्जिकल उपकरण
 - ◆ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation- CDS-CO) द्वारा चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 तैयार किये जाने तक यानी वर्ष 2017 तक यह क्षेत्र काफी हद तक अनियमित रहा।
- **स्थिति:**
 - ◆ जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशियाई चिकित्सा उपकरणों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है तथा वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में से है।
 - ◆ चिकित्सा उपकरण श्रेणी में वैश्विक स्तर पर भारत की वर्तमान बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2020 में 1.5% के रूप में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी 90,000 करोड़ रुपए) है।
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 40%, जो कि सबसे अधिक है, इसके बाद यूरोप और जापान की हिस्सेदारी क्रमशः 25% और 15% है।
- **सरकारी पहलें:**
 - ◆ चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked

Incentive- PLI) योजना कार्यरत है। NMDP 2023 मौजूदा PLI योजनाओं के अतिरिक्त है।

- भारत सरकार ने पहले ही चिकित्सा उपकरणों के लिये PLI योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और चार चिकित्सा उपकरण पार्कों, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक की स्थापना में योगदान दिया है।
- चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।
- जून 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India- QCI) और चिकित्सा उपकरणों के भारतीय निर्माताओं के संघ (AiMeD) ने चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता का सत्यापन करने के लिये चिकित्सा उपकरणों के भारतीय प्रमाणन (Indian Certification of Medical Devices- ICMED) हेतु 13485 प्लस योजना शुरू की है।

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र संबंधी चुनौतियाँ:

- **असंगत विनियम:**
 - ◆ जटिल विनियामक वातावरण चिकित्सा उपकरण उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है।
 - ◆ निर्माताओं को असंगत नियमों का पालन करना पड़ता है जो अलग-अलग मानकों और शब्दों का उपयोग करते हैं, जिससे आवश्यकताओं को समझना एवं उनका पालन करना मुश्किल हो जाता है।
- **अनुसंधान और विकास संबंधी चुनौतियाँ:**
 - ◆ भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग अभी भी सीमित है।
 - ◆ इन तकनीकों को अपनाने से कंपनियों को अनुसंधान और विकास, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।
- **आयात निर्भरता:**
 - ◆ भारत चिकित्सा उपकरणों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे उच्च आयात लागत और स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है। आयात निर्भरता को कम करने के लिये भारत को चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

पूँजी तक सीमित पहुँच:

- ◆ भारत में चिकित्सा उपकरण स्टार्ट-अप्स हेतु वित्त की उपलब्धता गंभीर चुनौती है क्योंकि निवेशक प्रायः दीर्घकालिक और नियामक अनिश्चितताओं वाले क्षेत्र में निवेश करने से हिचकिचाते हैं।

आगे की राह

- भारत में नीति निर्माताओं को चिकित्सा उपकरणों/प्रौद्योगिकी आयात पर देश की निर्भरता को कम करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- भारत को अपनी चिकित्सा उपकरण कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों हेतु विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिये, स्वदेशी विनिर्माण के साथ संयोजन में भारत-आधारित नवाचार करना चाहिये, मेक इन इंडिया एवं इनोवेट इन इंडिया योजनाओं में सहयोग करना चाहिये, साथ ही छोटे घरेलू बाजारों को प्रोत्साहित करने के लिये निम्न से मध्यम प्रौद्योगिकी उत्पादों का उत्पादन करना चाहिये।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

- श्रीनगर में आवारा कुत्तों के हमलों की एक हालिया घटना ने स्ट्रीट डॉग्स के हमलों और खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बीच संबंध को उजागर किया है।
- खराब अपशिष्ट प्रबंधन और स्ट्रीट डॉग्स द्वारा बढ़ते हमलों में संबंध:
- भारतीय घरों ने औसतन 2019 में प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न किया, जो भूख-पीड़ित, खुले में घूमने वाले कुत्तों के लिये भोजन के स्रोत के रूप में काम करता है जिससे वे शहरों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं।
 - ◆ यह भोजन अक्सर शहरी क्षेत्रों में भूख से पीड़ित आवारा कुत्तों के लिये भोजन का स्रोत बन जाता है, जो भोजन की तलाश में लैंडफिल या अपशिष्ट डंप जैसे कचरा डंपिंग साइटों के आसपास घूम रहे होते हैं।
 - जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है किंतु नगर निगम के कचरे और इसके कुप्रबंधन ने सीधे तौर पर कुत्तों के काटने, सुस्त पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों और अपर्याप्त बचाव केंद्रों के साथ-साथ खराब अपशिष्ट प्रबंधन में वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप भारत में सड़क पर रहने वाले जानवरों का प्रसार हुआ और जिसके कारण हमले हुए।

भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ क्या समस्या है ?

● परिदृश्य:

- ◆ ठोस अपशिष्ट में ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट जैसे सैनिटरी वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, खानपान और बाजार का अपशिष्ट और अन्य गैर-आवासीय वेस्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से निकाली गई गाद, बागवानी वेस्ट, कृषि और डेयरी वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित बायोमैडिकल अपशिष्ट, बायो-मैडिकल वेस्ट तथा ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट, रेडियो-एक्टिव वेस्ट आदि शामिल हैं।
- ◆ भारत में विश्व की आबादी का लगभग 18% और वैश्विक नगरपालिका अपशिष्ट उत्पादन में 12% का योगदान है।
 - भारत प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पादन करता है। इनमें से लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्र किया जाता है, जिसमें से लगभग 12 मिलियन टन को उपचारित किया जाता है तथा 31 मिलियन टन लैंडफिल साइट्स में फेंक दिया जाता है।
- ◆ खपत के बदलते पैटर्न और तेजी से आर्थिक विकास के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 में शहरी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन बढ़कर 165 मिलियन टन हो जाएगा।

● मुद्दा:

- ◆ नियमों का खराब क्रियान्वयन:
 - वर्ष 2020 के एक शोध पत्र में कहा गया है कि अधिकांश मेट्रो शहरों में अपशिष्ट को संग्रह करने वाले डिब्बे या तो पुराने हैं या क्षतिग्रस्त हैं या ठोस अपशिष्ट को रखने के लिये अपर्याप्त हैं।
 - अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत नियमों को लागू करने और बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे- घर-घर जाकर अलग-अलग प्रकार के अपशिष्ट का संग्रह करना।
 - नियमों के तहत कचरा संग्रह स्थल निर्धारित हैं, लेकिन नियमों के कार्यान्वयन और जागरूकता की कमी है।
 - इसके कारण इधर-उधर बिखरा अपशिष्ट देखा जाता है।
- ◆ मलिन बस्तियों के साथ डंपिंग साइट्स की निकटता:
 - अधिकांश लैंडफिल और डंपिंग साइट शहरों की परिधि में, झुग्गी बस्तियों और बस्ती कॉलोनियों के बगल में स्थित हैं।
 - मुंबई में सबसे सस्ते आवास देवनार के पास पाए जा सकते हैं जो 256 झुग्गियों और 13 पुनर्वास कॉलोनियों के निकट स्थित हैं।
 - शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में कुत्ते के काटने के मामले बेहिसाब आते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष

2021 में पुणे के शिवनेरी नगर झुग्गी में रहने वाले 300 लोगों ने इलाके में आवारा कुत्तों के काटने की शिकायत की थी।

◆ डेटा संग्रह तंत्र का अभाव:

- भारत में ठोस अथवा तरल अपशिष्ट के संबंध में समयबद्ध डेटा अथवा पैनल डेटा की कमी है, जिससे निजी संस्थाओं के लिये अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों की लागत और लाभों के बीच संबंध को समझना मुश्किल हो जाता है।

अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पहल:

● ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016:

- ◆ ये कानून, जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) कानून, 2000 को प्रतिस्थापित करते हैं, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, सैनिटरी और पैकेजिंग अपशिष्ट के निपटान हेतु निर्माता की जिम्मेदारी एवं बल्क जनरेटर से संग्रह, निपटान तथा प्रसंस्करण के लिये उपयोगकर्ता शुल्क पर जोर देते हैं।

● वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल:

- ◆ इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है।

● अपशिष्ट से ऊर्जा:

- ◆ अपशिष्ट-से-ऊर्जा या ऊर्जा-से-अपशिष्ट संयंत्र औद्योगिक प्रसंस्करण के लिये नगरपालिका एवं औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को विद्युत और/या ऊष्मा में परिवर्तित करता है।

● प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016:

- ◆ यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर जोर देता है।
- ◆ फरवरी 2022 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया था।

● प्रोजेक्ट रिप्लान (REPLAN):

- ◆ इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में कपास के रेशों के साथ प्रसंस्कृत एवं उपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट को मिलाकर कैरी बैग बनाना है।

● प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022:

- ◆ नियम विभिन्न हितधारकों जैसे- निर्माताओं, आयातकों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इन सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभानी है कि प्लास्टिक अपशिष्ट का उचित प्रबंधन किया जाए एवं इससे पर्यावरण प्रदूषित न हो।

स्मार्ट सिटीज मिशन

के बारे में

- आरंभ: 2015
- प्रकार: केंद्र द्वारा प्रायोजित
- मोडर्न मंत्रालय: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- कार्यान्वयन: शहर स्तर पर एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से।
- मिशन की समय सीमा: जून 2023 तक विस्तारित
- कवरेज: 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना

छह मूलभूत सिद्धांत

- मूल में नागरिक (Citizen at the core)
- कम-से-अधिक (More from Less)
- सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative and competitive federalism)
- एकीकरण, नवाचार, संवहन्यता (Integration, innovation, sustainability)
- प्रौद्योगिकी साधन के रूप में न कि लक्ष्य के रूप में (Technology as means, not the goal)
- अभिसरण (Convergence)

स्मार्ट समाधान

ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाएँ

- जन सूचना, शिकायत निवारण
- इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण
- नागरिक भागीदारी
- नागरिक - शहर की आँखें और कान
- वीडियो अपराध निवारण



ऊर्जा प्रबंधन

- स्मार्ट मीटर और प्रबंधन
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत
- ऊर्जा कुशल और हरित भवन



अपशिष्ट प्रबंधन

- अपशिष्ट से ऊर्जा एवं ईंधन
- अपशिष्ट से खाद
- अपशिष्ट जल का उपचार
- निर्माण और विध्वंस (C&D) अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और कमी



शहरी आवागमन

- स्मार्ट पार्किंग
- कुशल यातायात प्रबंधन
- एकीकृत मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट



जल प्रबंधन

- स्मार्ट मीटर और प्रबंधन
- लीकेज की पहचान, निवारक प्रबंध
- जल गुणवत्ता की जाँच



अन्य

- टेली-मेडिसिन तथा टेली एजुकेशन
- इन्स्यूबेशन/व्यापार सुगमता केंद्र
- कौशल विकास केंद्र



■ अब तक 60 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं ■

चुनौतियाँ

- वित्त प्रबंधन: वित्त जुटाने, उन्हें SPV में स्थानांतरित करने तथा उनके कुशल उपयोग में कठिनाई
- शहरी समस्याएँ: जैसे वायु प्रदूषण, सड़क पर भीड़भाड़ और सार्वजनिक परिवहन में कमी
- नीतिगत मुद्दे: जैसे पर्यावरण अनापत्ति (Environment Clearances) प्राप्त करने में बाधा
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
- केंद्र-राज्य समन्वय का अभाव

आगे की राह

- विकेंद्रीकरण: बेहतर कार्यान्वयन के लिये नगरपालिका और राज्य स्तर पर नियोजन
- नीतिगत मुद्दे: लालफीताशाही (अत्यधिक नियमों एवं नियंत्रण के कारण अनावश्यक विलंब) की तरह, पर्यावरण मंजूरी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है
- PPP मॉडल: बेहतर प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमताओं के लिये
- समन्वित पुष्टिकरण: परिवहन, ऊर्जा, आवास के समग्र विकास हेतु
- नागरिक भागीदारी को बढ़ावा



आगे की राह

- सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और बेकरियों के आसपास भोजन को विनियमित करने से पर्यावरण की वहन क्षमता कम हो सकती है।
- ऐसी घटनाओं को कम करने हेतु अपशिष्ट निपटान सुविधाओं में सुधार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल कुत्तों की नसबंदी और टीकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा।
- सामुदायिक स्तर पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ शुरू की जा सकती हैं ताकि एक केंद्रीकृत स्थान पर बड़ी मात्रा में नगर निगम के कचरे को संभालने का बोझ कम किया जा सके। अनौपचारिक श्रमिकों के लिये नौकरी के अवसर प्रदान किये जा सकें और परिवहन एवं भंडारण लागत को कम किया जा सके।
- अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय और स्कूल स्तर पर अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी-संचालित रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के लिये 7वाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts- NHA) अनुमान (2019-20) जारी किया है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार किया गया है।
- NHA अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा प्रदान किये गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 के आधार पर लेखांकन ढाँचे का उपयोग कर तैयार किये जाते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र:

- इसकी स्थापना वर्ष 2006-07 में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission- NRHM) के तहत तकनीकी सहायता हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी।
- इसका जनादेश नीति एवं रणनीति तैयार करने, राज्यों हेतु तकनीकी सहायता जुटाने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) हेतु क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान का समर्थन करना है।

प्रमुख बिंदु

स्वास्थ्य संकेतक	परिभाषा	विकसित रुझानों के आँकड़े
पॉकेट व्यय (OOPE) से बाहर	OOPE, स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त करने के बिंदुओं पर परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाने वाला धन है। यह तब होता है जब न तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जाती हैं, न ही व्यक्ति को किसी सार्वजनिक या निजी बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है।	कुल स्वास्थ्य व्यय में OOPE की भागीदारी वर्ष 2014-15 के 62.6% से घटकर 2019-20 में 47.1% हो गई है।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE)	जब धन को सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकार की निम्नतम स्वास्थ्य प्रणाली के लिये दिया जाता है तब GHE केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा वित्तपोषित एवं प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत खर्च करता है, जिसमें अर्द्ध-सरकारी संगठन और दानकर्ता शामिल हैं।	देश की कुल GDP में GHE की भागीदारी 1.13% (2014-15) से बढ़कर 1.35% (2019-20) हो गई।
सामान्य सरकारी व्यय (GGE)	यह सरकारी हिस्से का अनुपात है।	
यह सामान्य सरकारी व्यय में स्वास्थ्य देखभाल के लिये व्यय और स्वास्थ्य देखभाल के प्रति सरकार की प्राथमिकता को इंगित करता है।	IGGE में वर्ष 2014-15 और वर्ष 2019-20 के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय का भाग लगातार 3.94% से बढ़कर 5.02% हो गया है।	
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE)	वर्तमान पूंजी का गठन करता है	
बाहरी निधियों सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किये गए व्यय।	I वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच देश के कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) में GHE की हिस्सेदारी 29% से बढ़कर 41.4% हो गई है।	
सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE)	सस्वास्थ्य पर एसएसई की हिस्सेदारी, जिसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा, सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शामिल हैं।	स्वास्थ्य पर एसएसई की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 5.7% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 9.3% हो गई है।

निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय (PHIE)	PHIE स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के माध्यम से खर्च करता है, जहाँ परिवार या नियोजित एक विशिष्ट स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किये जाने के लिये प्रीमियम का भुगतान करते हैं।	कुल स्वास्थ्य व्यय में से निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय वर्ष 2013-14 के 3.4% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 7% हो गया है।
स्वास्थ्य के लिये बाहरी/दाता अनुदान	यह दाताओं की सहायता से देश के लिये उपलब्ध सभी निधियों को संघटित करता है।	यह वर्ष 2013-14 के 0.3% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 0.5% हो गया है।

आगे की राह

- राज्य सरकारों को स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को बढ़ाकर अपने कुल बजट का लगभग 8% प्रतिशत तक करना चाहिये, वर्तमान में कई राज्यों के लिये यह आँकड़ा 4-5% है और "यह खर्च नागरिकों की सहायता के समग्र लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिये"।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च के पैटर्न को बनाए रखना आवश्यक है ताकि प्राथमिक एवं पूर्ण स्वास्थ्य के लिये निवारक और प्रचारात्मक उपायों पर ध्यान दिया जा सके।
- पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक जीडीपी के प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करने की नीतिगत सिफारिश की गई है।
 - ◆ वर्तमान में 20% आबादी के पास सामाजिक और निजी स्वास्थ्य बीमा है, जबकि शेष 30%, जिन्हें "मिसिंग मिडिल" के रूप में जाना जाता है, के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

हेल्थकेयर से संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- आयुष्मान भारत।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)।

राजद्रोह कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि सरकार ने

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह) की "पुनः परीक्षा की प्रक्रिया" शुरू कर दी है और इस संबंध में परामर्श अपने "अंतिम चरण" में हैं।

- मई 2022 में न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में देश भर में धारा 124A के तहत लंबित आपराधिक मुकदमों और न्यायालयी कार्यवाही को रोकते हुए धारा 124A के उपयोग को निलंबित कर दिया था।

राजद्रोह कानून:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- ◆ राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था, उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।

- इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।

- ◆ धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किये गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जब उन्होंने अपराध से निपटने के लिये एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की थी।

- वर्तमान में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।

वर्तमान में राजद्रोह कानून:

- ◆ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A:

- यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा अथवा अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।

- ◆ विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।

- ◆ बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि भाषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तविक इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

● दंड:

- ◆ राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- ◆ इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
 - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना जरूरी है।

राजद्रोह कानून का महत्त्व:

● उचित प्रतिबंध

- ◆ भारत का संविधान अपने नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
 - हालाँकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिस्थितियों में इसे प्रतिबंधित कर सकती है ताकि इसका दुरुपयोग न हो।
- ◆ इन प्रतिबंधों को उचित माना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित किया गया है।

● एकता और अखंडता बनाए रखना:

- ◆ राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद करता है।

● राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:

- ◆ यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है।
- ◆ कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

संबंधित मुद्दे:

● औपनिवेशिक युग का अवशेष:

- ◆ औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया।
 - लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।

● संविधान सभा का मत:

- ◆ संविधान सभा संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी क्योंकि सदस्यों को लगा कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देगा।

- ◆ उन्होंने तर्क दिया कि राजद्रोह कानून को विरोध करने के लोगों के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये एक हथियार में बदल दिया जा सकता है।

● लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन:

- ◆ मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण भारत को एक निर्वाचित निरंकुशता के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

देशद्रोह के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के विगत निर्णय:

- वर्ष 1950 की शुरुआत में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "सरकार की आलोचना उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजित करती है, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना एक न्यायोचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिये जैसे कि सुरक्षा को कमजोर करना या राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना।"
- इसके बाद दो उच्च न्यायालयों- तारा सिंह गोपीचंद बनाम राज्य (1951) मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा राम नंदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने IPC की धारा 124A घोषित की जो मुख्य रूप से देश में असंतोष को दबाने के लिये औपनिवेशिक आकाओं के लिये एक उपकरण था एवं प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) मामले में देशद्रोह पर फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के पहले के फैसलों को खारिज कर दिया और IPC की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालाँकि न्यायालय ने इसके दुरुपयोग की गुंजाइश को सीमित करने का प्रयास किया।

हाल के विकास:

- फरवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक नेता और छह वरिष्ठ पत्रकारों को कथित रूप से ट्वीट करने एवं असत्यापित समाचार साझा करने हेतु उनके खिलाफ दर्ज कई राजद्रोह FIR से सुरक्षित किया।
- जून 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगू (भाषा) समाचार चैनलों को जबरदस्ती की कार्रवाई से बचाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करने पर जोर दिया।
- जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें राजद्रोह कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक कानून जो 'सरकार के प्रति असंतोष' जैसे शब्दों की अस्पष्ट और असंवैधानिक परिभाषाओं के आधार पर अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करता है, वह अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध नहीं है।

- इस तरह का कानून अभिव्यक्ति पर एक द्रुतशीतन प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसका अर्थ है कि लोग सरकार द्वारा दंडित किये जाने के डर से स्वयं को सेंसर या सीमित करेंगे अथवा अपनी राय व्यक्त करने से परहेज करेंगे।

आगे की राह

- न्यायालय का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह प्रावधान को रद्द कर देता है, तो उसे केदार नाथ के फैसले को रद्द करना होगा एवं पहले के फैसलों को बरकरार रखना होगा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उदार थे।
- ◆ यदि सरकार भाषा को कमजोर करके या इसे निरस्त करके कानून की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, तो प्रावधान को एक अलग रूप में फिर से बहाल किया जा सकता है।
- उच्च न्यायपालिका को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति मजिस्ट्रेट और पुलिस को संवेदनशील बनाने हेतु अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग करना चाहिये।
- भारत की क्षेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने हेतु राजद्रोह की परिभाषा को संक्षिप्त किया जाना चाहिये।

भारत में ऑनलाइन जुआ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ मंचों को बढ़ावा देने वाले बाह्य विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

- सरकार ने पहले जून 2022 में मीडिया को एक दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसमें उन्हें जनहित में ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था।

सरकार का पक्ष:

- सरकार ने पाया है कि कुछ सट्टेबाजी और जुआ मंच बाह्य मीडिया जैसे- होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर एवं ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग का उपयोग अपनी वेबसाइट्स/एप्स को बढ़ावा देने हेतु कर रहे हैं।
- ऐसे विज्ञापन भ्रामक पाए गए और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुरूप नहीं पाए गए।
- इसके अलावा चूँकि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है, वे उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं एवं बच्चों हेतु वित्तीय तथा सामाजिक आर्थिक जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- सरकार ने विशिष्ट सट्टेबाजी मंच के प्रचार पर आपत्ति जताई है, जिसने लोगों को कॉपीराइट अधिनियम के प्रथम दृष्टया उल्लंघन में अपनी वेबसाइट पर खेल लीग देखने हेतु प्रोत्साहित किया।

ऑनलाइन जुआ:

- ऑनलाइन जुए में पैसे या पुरस्कार जीतने के लिये खेल और घटनाओं पर दाँव लगाकर इंटरनेट के माध्यम से जुआ गतिविधियों में भाग लेना शामिल है। इसे विभिन्न उपकरणों पर चलाया जा सकता है और इसमें नकदी के बजाय वर्चुअल चिप या डिजिटल मुद्राओं का उपयोग शामिल है।
- वर्ष 2022 में वैश्विक ऑनलाइन जुआ बाजार का मूल्य 63.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसके वर्ष 2023 से वर्ष 2030 तक 11.7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र सबसे बड़ा बाजार है।
- ऑनलाइन जुए के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें स्लॉट, ब्लैकजैक और रूलेट, खेल सट्टेबाजी, पोकер एवं लॉटरी जैसे कैसीनो गेम शामिल हैं। ये भारत सहित अधिकांश देशों में प्रतिबंधों तथा कानूनों की अलग-अलग स्तर के साथ विनियमित हैं।

ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जुए में अंतर:

- कानून के तहत गेमिंग और जुए के बीच का अंतर इसमें शामिल कौशल के तत्त्व पर निर्भर करता है। यदि किसी ऑनलाइन गतिविधि में कौशल की आवश्यकता नहीं है, तो इसे जुआ खेलने के बजाय जुआ माना जाएगा।
- इसलिये कानून के अनुसार, अनुमत गेमिंग गतिविधियों के लिये कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि जुआ गतिविधियाँ अवसर पर निर्भर करती हैं।

ऑनलाइन जुए से संबंधित चिंताएँ:

- **वित्तीय और सामाजिक परेशानी:**
 - ◆ ऑनलाइन जुआ अत्यधिक व्यसनी हो सकता है, जिससे गंभीर वित्तीय और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। चूँकि यह आसानी से सुलभ है, खिलाड़ी अपने द्वारा खर्च किये जा रहे समय और धन की मात्रा को महसूस किये बिना गेम खेलने में घंटों बिता सकते हैं।
- **अनियमित:**
 - ◆ ऑनलाइन जुआ सामान्यतः अनियमित होता है, जिससे धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम देना सरल हो जाता है। इससे खिलाड़ियों को अपना पैसा गँवाना पड़ सकता है या उनकी निजी जानकारी से समझौता किया जा सकता है।
 - ◆ जुए को लेकर भारत में जटिल कानून हैं और अधिकांश राज्यों में उपलब्ध नहीं हैं। जुए पर प्रत्येक राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग का साधन:**
 - ◆ ऑनलाइन जुए का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के साधन के रूप में

किया जा सकता है, जहाँ खिलाड़ी बड़ी मात्रा में नकदी ऑनलाइन खातों में जमा कर सकते हैं और फिर वैध रूप में धन की निकासी कर सकते हैं।

● साइबर-हमलों के लिये प्रवण:

- ◆ ऑनलाइन जुआ साइट्स साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं, जिससे खिलाड़ियों की संवेदनशील व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की चोरी हो सकती है।

● सामाजिक अलगाव:

- ◆ ऑनलाइन जुआ सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है क्योंकि खिलाड़ी ऑनलाइन गेम खेलने में घंटों बिता सकते हैं, जिससे परिवार और दोस्तों के साथ सामाजिक संपर्क में कमी आती है।

ऑनलाइन जुए के लाभ:

- **सुविधा:** ऑनलाइन जुआ अपने घर या कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ सरलता से एक्सेस किया जा सकता है, जो इसे पारंपरिक जुए के तरीकों की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनाता है।
- **अभिगम्यता:** ऑनलाइन जुआ अकसर विकलांग लोगों या उन लोगों के लिये अधिक सुलभ होता है जिन्हें अपने घरों को छोड़ने में कठिनाई होती है। ऑनलाइन जुए के कारण उन्हें जुआ गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत मिलती है जो अन्यथा उनके लिये मुश्किल या असंभव है।
- **राजस्व सृजन:** ऑनलाइन जुए में कराधान और विनियमन के माध्यम से भारत सरकार के लिये महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन जुआ उद्योग भारतीय उद्यमियों के लिये नौकरी के अवसर पैदा कर सकता है, जो अपने स्वयं के ऑनलाइन जुआ मंचों को विकसित और संचालित कर सकते हैं।

ऑनलाइन जुए पर भारतीय कानून:

● सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867:

- ◆ वर्तमान में सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 जुआ और इसके सभी रूपों में नियंत्रित करने के लिये भारत में केवल एक केंद्रीय कानून है। यह एक पुराना कानून है, जो डिजिटल कैसीनो, ऑनलाइन जुआ और गेमिंग की चुनौतियों से निपटने के लिये अभिकल्पित नहीं है।

● संविधान की सातवीं अनुसूची:

- ◆ भारत में जुआ काफी हद तक राज्य का विषय है। इसका मतलब यह है कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में जुए को विनियमित करने के लिये अपने स्वयं के कानून बनाएँ।

● विभिन्न राज्यों में कानून:

- ◆ दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कुछ संशोधनों के साथ सार्वजनिक जुआ अधिनियम को अपनाया है।
- ◆ गोवा, सिक्किम, दमन, मेघालय और नगालैंड जैसे अन्य क्षेत्रों ने अपने अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक जुए को विनियमित करने के लिये विशिष्ट कानूनों का मसौदा तैयार किया है।

आगे की राह

- ऑनलाइन जुए के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को नियामकों और नीति निर्माताओं द्वारा निष्पक्ष एवं ज़िम्मेदार जुआ सुनिश्चित करने के लिये इनके निपटान करने की आवश्यकता है।
- भारत में कानूनी परिदृश्य जटिल है और विभिन्न राज्यों में भिन्न भी है, इसलिये व्यक्तियों को अपने राज्य के कानूनों के बारे में पता होना चाहिये और केवल लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन जुआ गतिविधियों में भाग लेना चाहिये।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनियमन

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संसद कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम के एक नए मसौदे पर प्रारंभिक समझौते पर पहुँच गई है, जिसका उद्देश्य OpenAI के ChatGPT जैसी प्रणालियों को विनियमित करना है।

- वर्ष 2021 में AI में पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही तथा यूरोपीय संघ की सुरक्षा, स्वास्थ्य, मौलिक अधिकारों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के जोखिमों को कम करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कानून का मसौदा तैयार किया गया था।

EU का कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम:

● परिचय:

- ◆ यह AI को सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित करता है जो सामग्री, पूर्व-सूचनाएँ, सिफारिशों या निर्णयों जैसे आउटपुट उत्पन्न करता है।
- ◆ यह उच्चतम जोखिम वाली श्रेणी में AI तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर रियल-टाइम फेशियल और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, नागरिकों का सामाजिक स्कोरिंग, व्यवहार को प्रभावित करने वाले तकनीक और कमजोर लोगों का शोषण करने वाली तकनीक शामिल है।

● केंद्र बिंदु:

- ◆ यह AI सिस्टम पर केंद्रित है जिसमें लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुँचाने की क्षमता है।
 - इनमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोज़गार, कानून प्रवर्तन और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में AI शामिल हैं।

- ◆ इससे पहले कि उच्च जोखिम वाले AI सिस्टम को बेचा जाए, ये पारदर्शी, व्याख्या करने योग्य और मानव निरीक्षण की अनुमति देने के लिये सख्त परीक्षण से गुजरेंगे।
- ◆ कम जोखिम वाले AI सिस्टम की आवश्यकताएँ कम हैं जैसे स्पैम फिल्टर या वीडियो गेम।

● उद्देश्य:

- ◆ इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर वित्त तथा ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक प्रश्नों एवं कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना है।
- ◆ कानून "प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित नुकसान को कम करने या रोकने और AI की व्यापकता को बढ़ावा देने" के बीच संतुलन बनाना चाहता है।
 - यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR), 2018 ने वैश्विक डेटा संरक्षण शासन में इसे उद्योग के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। AI कानून का उद्देश्य "प्रयोगशाला से बाजार तक AI में उत्कृष्टता के वैश्विक केंद्र के रूप में यूरोप की स्थिति को मजबूत करना" और यह सुनिश्चित करना कि यूरोप में AI 27 देशों के ब्लॉक के मूल्यों और नियमों का सम्मान करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को विनियमित करने की आवश्यकता:

● शामिल जोखिमों को लेकर अनिश्चितता:

- ◆ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग बढ़ रहा है और जैसे-जैसे तकनीक अधिक उन्नत होती जा रही है वैसे-वैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कार चलाने, कैंसर का पता लगाने आदि जैसे विभिन्न कार्यों में सक्षम हो रही है, जिसके कारण इससे जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं।

● ब्लैक बॉक्स:

- ◆ कुछ AI उपकरण इतने जटिल हैं कि वे "ब्लैक बॉक्स" की तरह हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें बनाने वाले भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि वे कैसे काम करते हैं और कुछ निश्चित उत्तरों या निर्णयों के साथ कैसे प्रस्तुत होते हैं।
- ◆ यह एक गुप्त बॉक्स की तरह है जो एक आउटपुट उत्पन्न करता है, लेकिन इसकी कार्यात्मक प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

● अशुद्ध और पूर्वाग्रही:

- ◆ AI उपकरण पहले से ही फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के कारण गलत व्यक्ति की गिरफ्तारी, AI प्रणाली में निर्मित पूर्वाग्रहों के कारण अनुचित व्यवहार और हाल ही में GPT-3

एवं 4 जैसे बड़े भाषा मॉडल पर आधारित चैटबॉट के साथ गलत कंटेंट का उत्पादन जैसी समस्याएँ उत्पन्न कर चुके हैं।

- ◆ ये चैटबॉट उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री/कंटेंट का उत्पादन करने में सक्षम हैं, इनमें और मानव द्वारा लिखित सामग्री में भिन्नता बता पाना मुश्किल है परंतु यह हमेशा सटीक अथवा कानूनी रूप से अनुमत नहीं हो सकता है।

● भविष्य में इसके बर्ताव को लेकर संशय:

- ◆ AI कई अनूठी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि पारंपरिक इंजीनियरिंग प्रणालियों के विपरीत, डिजाइनर यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि AI प्रणाली किस प्रकार व्यवहार करेगी। उदाहरण के लिये जब किसी कारखाने से एक पारंपरिक ऑटोमोबाइल को बाहर भेजा जाता है तो इंजीनियरों को पता होता है कि यह किस प्रकार काम करेगा। परंतु सेल्फ-ड्राइविंग कारों के साथ इंजीनियर यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि नई स्थितियों में यह कैसा प्रदर्शन करेगी।

वैश्विक स्तर पर AI का विनियमन:

● भारत:

- ◆ नीति आयोग ने AI के लिये राष्ट्रीय रणनीति और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किये हैं।
- ◆ भारत सामाजिक और आर्थिक समावेशन, नवाचार और भरोसे को प्रोत्साहित करता है।

● ब्रिटेन:

- ◆ ब्रिटेन ने AI के लिये मौजूदा नियमों को लागू करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में नियामकों से जानकारी एकत्रित करने के लिये सरल दृष्टिकोण को अपनाया है।
- ◆ कंपनियों द्वारा पालन किये जाने वाले पाँच सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया गया जिसमें सुरक्षा और मजबूती; पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता; निष्पक्षता; जवाबदेही तथा शासन; प्रतिस्पर्धात्मकता एवं निवारण की व्याख्या की गई है।

● संयुक्त राज्य अमेरिका:

- ◆ अमेरिका ने AI बिल ऑफ राइट्स (AIBOR) हेतु एक ब्लूप्रिंट जारी किया, जिसमें आर्थिक एवं नागरिक अधिकारों के लिये AI के नकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया गया है तथा इन प्रभावों को कम करने हेतु पाँच सिद्धांत दिये गए हैं।
- ◆ यह ब्लूप्रिंट स्वास्थ्य, श्रम और शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों हेतु नीतिगत हस्तक्षेप के साथ यूरोपीय संघ की तरह क्षेत्रीय रणनीति के बजाय AI शासन के लिये क्षेत्रीय विशेष दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिससे क्षेत्रीय संघीय एजेंसियों को अपनी योजनाओं को तैयार करने की अनुमति मिलती है।

● चीन:

- ◆ वर्ष 2022 में चीन ने विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और AI को लक्षित करने वाले दुनिया के कुछ पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियम बनाए हैं।
- ◆ इसने अनुशंसा एल्गोरिदम को विनियमित करने हेतु कानून बनाया, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि वे सूचना का प्रसार कैसे करते हैं।

आगे की राह

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक सरल नियामक ढाँचे का निर्माण शामिल है जो AI की क्षमताओं को परिभाषित करता है एवं दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील लोगों की पहचान करता है।
- व्यवसायों की डेटा तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए सरकार को डेटा गोपनीयता, अखंडता और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- ब्लैक-बॉक्स के दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिये एक अनिवार्य स्पष्टीकरण लागू किया जाना चाहिये, जो व्यवसाय हेतु लिये गए प्रत्येक निर्णय के पीछे के तर्क को समझने में मदद करेगा।
- इसके प्रभावी नियमों को तैयार करने के लिये नीति निर्माताओं को विनियमन के दायरे और इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिये, उन्हें उद्योग के विशेषज्ञों एवं व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट लेना चाहिये।

राजनीति का अपराधीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकतांत्रिक सुधार संघ (Association for Democratic Reforms- ADR) ने खुलासा किया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे को उजागर करता है।

- ADR ने चुनाव लड़ने के संबंध में गंभीर अपराधों के दोषी उम्मीदवारों की स्थायी अयोग्यता की सिफारिश की है। हालाँकि ऐसी अयोग्यताओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

राजनीति का अपराधीकरण:

● परिचय:

- ◆ राजनीति के अपराधीकरण को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब अपराधी सरकार में बने रहने के लिये राजनीति में भाग लेते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं और संसद एवं राज्य विधानसभाओं हेतु चुने जाते हैं।

- ◆ यह बढ़ता हुआ खतरा समाज हेतु एक बड़ी समस्या बन गया है, जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को प्रभावित कर रहा है, जैसे चुनावों में निष्पक्षता, कानून का पालन एवं जवाबदेह होना।

● वर्तमान स्थिति:

- ◆ ADR के आँकड़ों के अनुसार, भारत में संसद हेतु चुने गए आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2004 से बढ़ती जा रही है।
- ◆ वर्ष 2004 में 24% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 43% हो गए।
- ◆ फरवरी 2023 में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि वर्ष 2009 से घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 159 सांसदों ने अपने उपर गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की थी, जिनमें बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं।

राजनीति के अपराधीकरण का कारण:

● वोट बैंक:

- ◆ उम्मीदवार और राजनीतिक दल अक्सर वोट खरीदने और अन्य गैर-कानूनी प्रथाओं तथा ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं, जिन्हें आमतौर पर "गुंडा" कहा जाता है।
- ◆ राजनेताओं और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो व्यक्तिगत लाभ के लिये सत्ता और संसाधनों के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करता है तथा भ्रष्टाचार एवं आपराधिक गतिविधियों को जन्म देता है। राजनीतिक अपराध की इस संस्कृति को अक्सर इन संबंधों के कारण बल मिलता है।

● भ्रष्टाचार:

- ◆ चुनाव लड़ने वाले अधिकांश उम्मीदवारों को धन, निधि और दान की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना उचित है कि भ्रष्टाचार सीधे तौर पर कानून की अवमानना को जन्म देता है।
- ◆ कानून की अवमानना और राजनीति के अपराधीकरण के बीच सीधा संबंध है। जब कानून की अवमानना राजनीति के अपराधीकरण के साथ जुड़ जाती है, तो यह भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

● निहित स्वार्थ:

- ◆ लोग आमतौर पर सामुदायिक हितों के एक संकीर्ण पूर्वाग्रही दृष्टिकोण के तहत मतदान करते हैं और राजनेताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि की अनदेखी कर देते हैं।

◆ इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को केवल इसलिये चुना जाता है क्योंकि वे अपने कार्यों हेतु जवाबदेह होने के बजाय किसी विशेष समुदाय के हितों के साथ सरिखत होते हैं।

● बाहुबल:

◆ राजनेता चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार और बाहुबल को खत्म करने के वादे करते हैं परंतु शायद ही कभी पूरा करते हैं।

◆ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) प्रणाली सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार का पक्ष लेती है। बाहुबल का उपयोग करने के पीछे विचारधारा यह है कि भय और हिंसा दलों को जीतने में मदद कर सकती है यद्यपि वे विश्वास हासिल नहीं कर सकते हैं।

■ FPTP प्रणाली को साधारण बहुमत प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इस मतदान पद्धति में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।

◆ यह राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच एक गंभीर गठजोड़ बनाता है।

● धन बल:

◆ काला धन और माफिया द्वारा दिया जाने वाला फंड राजनीति के अपराधीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन के इन अवैध स्रोतों का उपयोग वोट खरीदने और चुनाव जीतने के लिये किया जाता है, जिससे राजनीति के अपराधीकरण में वृद्धि होती है।

● अकुशल शासन:

◆ देश का अकुशल शासन भी राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने हेतु उचित कानूनों और नियमों का अभाव होता है।

■ केवल आदर्श आचार संहिता है, जिसे किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया जाता है।

राजनीति के अपराधीकरण के निहितार्थ:

● **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ:** यह एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने हेतु मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है।

◆ यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जो लोकतंत्र का आधार है।

● **सुशासन को प्रभावित करना:** प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जाते हैं, यह सुशासन प्रदान करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।

◆ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियाँ भारत की सरकारी संस्थाओं की प्रकृति और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती है।

● **लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करना:** काले धन के प्रचलन से राजनेताओं के लिये वोट खरीदना और अपने पदों को सुरक्षित करना आसान हो जाता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहाँ भ्रष्ट आचरण सामान्यतः राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं।

◆ सामाजिक वैमनस्य का कारण: यह समाज में हिंसा की संस्कृति का परिचय देता है और युवाओं के अनुसरण के लिये एक अनुपयुक्त मिसाल कायम करता है तथा शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कम करता है।

आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता के विधायी पहलू:

● इस संबंध में भारतीय संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि संसद, विधानसभा या किसी अन्य विधानमंडल के लिये चुनाव लड़ने से किसी व्यक्ति को किन आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है ?

● जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंड का उल्लेख है।

◆ अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिये दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने हेतु अयोग्यता प्रदान करती है, जिसके अनुसार दो वर्ष से अधिक सजायाफ्ता व्यक्ति कारावास की अवधि समाप्त होने के बाद छह वर्ष तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है।

◆ हालाँकि कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, इसलिये आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता इन मामलों में उनकी सजा पर निर्भर करती है।

राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ पहल/सिफारिशें:

● वर्ष 1983 में राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति का गठन राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ की सीमा की पहचान करने और राजनीति के अपराधीकरण से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों की सिफारिश करने के उद्देश्य से किया गया था।

● विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत 244वीं रिपोर्ट (2014) में विधायिका में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिये गंभीर परिणाम पैदा करने वाले आपराधिक राजनेताओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

- ◆ विधि आयोग ने उन लोगों की अयोग्यता की सिफारिश की जिनके खिलाफ पाँच वर्ष या उससे अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध के लिये नामांकन की जाँच की तारीख से कम-से-कम एक वर्ष पहले आरोप तय किये गए हैं।
- वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के मुकदमे को तेजी से ट्रैक करने हेतु एक वर्ष के लिये 12 विशेष अदालतें स्थापित करने की योजना शुरू की।
- ◆ शीघ्र अदालत ने तब से कई निर्देश जारी किये हैं, जिसमें केंद्र से इन मामलों में जाँच में देरी के कारणों की जाँच के लिये एक निगरानी समिति गठित करने को कहा है।

राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2002):**
 - ◆ वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता के साथ उसे अपने आपराधिक और वित्तीय रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी।
- **रमेश दलाल बनाम भारत संघ (2005):**
 - ◆ वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि दोषी ठहराए जाने पर मौजूदा सांसद या विधायक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कानून की अदालत द्वारा दो साल या उससे अधिक के लिये कारावास की सजा सुनाई जाएगी।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):**
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य जो किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया जाता है और दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा काटता है, उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- **मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014):**
 - ◆ दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल इसलिये चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उस पर आपराधिक आरोप लगाया गया है।
 - ◆ हालाँकि अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारना चाहिये।
- **पब्लिक इंटरिस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019):**
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है।

- ◆ अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को यह सुनिश्चित करने के लिये एक ढाँचा तैयार करने का भी निर्देश दिया ताकि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सके।

आगे की राह

- **ECI को अधिक शक्ति:** चुनाव सुधारों पर समितियों ने चुनावों के राज्य वित्तपोषण और काले धन पर अंकुश लगाने तथा राजनीति के अपराधीकरण को सीमित करने के लिये निर्वाचन आयोग को मजबूत करने की सिफारिश की है।
- **मतदाताओं का कर्तव्य:** मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन के दुरुपयोग को लेकर भी सतर्क रहना चाहिये। न्यायपालिका को गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करके एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये।
- **शीघ्र न्यायिक प्रक्रियाएँ:** न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने से राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टता को रोकने के अतिरिक्त आपराधिक तत्त्वों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। एक समयबद्ध न्याय वितरण प्रणाली ECI द्वारा उठाए गए कड़े कदम और प्रासंगिक कानूनों को उचित रूप से मजबूत करती है।
- **RPA में संशोधन:** राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के लिये RPA 1951 में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिनके खिलाफ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध लंबित है।

मैतेई द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑल-ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (ATSUM) ने मैतेई समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजातियों (ST) की सूची में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिये एकजुटता मार्च निकाला है।

- यह मार्च मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद हिंसक झड़पों में बदल गया, जिसमें राज्य को गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी सिफारिश को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

मैतेई समुदाय को ST दर्जा क्यों चाहता है ?

- मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति (STDCM) के नेतृत्व में मैतेई समुदाय वर्ष 2012 से ST स्थिति की मांग कर रहा है, उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित करने हेतु संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये कह रहा है।

- मैतेई का तर्क है कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी पहचान समाप्त हो गई।
- अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर रहने के परिणामस्वरूप, मैतेई समुदाय बिना किसी संवैधानिक संरक्षण के स्वयं को हाशिए पर महसूस करता है।
 - ◆ STDCM के अनुसार मैतेई/मीतेई धीरे-धीरे अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही हाशिये पर आ गए हैं।
 - ◆ उनकी जनसंख्या, जो वर्ष 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% थी, अब 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार घटकर 44% रह गई है।
- उनका मानना है कि ST का दर्जा देने से उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में मदद मिलेगी और बाहरी लोगों से उनकी रक्षा होगी।

ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- ST की सूची में एक समुदाय को शामिल करने की प्रक्रिया वर्ष 1999 में स्थापित तौर-तरीकों के एक सेट का अनुसरण करती है।
- संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार को समावेशन के प्रस्ताव को शुरू करना चाहिये, जो तब केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय और बाद में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (ORGI) के कार्यालय में जाता है।
- यदि ORGI समावेशन को मंजूरी देता है, तो प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है, और यदि वे सहमत होते हैं, तो प्रस्ताव संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिये कैबिनेट को भेजा जाता है।
- सितंबर 2022 में, सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने की मंजूरी दी। इसमें शामिल है:
 - ◆ छत्तीसगढ़ में बिंझिअ
 - ◆ तमिलनाडु में नारिकोरावण एंड कुरीविककारन
 - ◆ कर्नाटक में 'बेट्टा-कुरुबा'
 - ◆ हिमाचल प्रदेश से हत्ती
 - ◆ उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय

मणिपुर में अन्य जनजातीय समूह मैतेई की मांग का विरोध:

- **मैतेई पहले से ही बहुमत में:** इसका एक कारण यह है कि जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में मैतेई समुदाय पहले से ही प्रभावी है, क्योंकि अधिकांश विधानसभा क्षेत्र घाटी में हैं जहाँ मैतेई रहते हैं।
 - ◆ अनुसूचित जनजाति समुदायों को डर है कि मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से उन्हें नौकरी के अवसर और अनुसूचित जनजातियों के लिये अन्य सकारात्मक कार्यों से हाथ धोना पड़ेगा।

- **मैतेई संस्कृति की मान्यता है:** मैतेई भाषा पहले से ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, और मैतेई समुदाय के कुछ वर्गों को पहले से ही अनुसूचित जाति (SC) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो उन्हें कुछ अवसरों तक पहुँच प्रदान करता है।
- **अधिक राजनीतिक प्रभाव:** वे यह भी सोचते हैं कि अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग घाटी क्षेत्र के प्रमुख मैतेई समुदाय हेतु कुकी एवं नगा जैसे अन्य आदिवासी समूहों की राजनीतिक मांगों से ध्यान हटाकर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभाव तथा नियंत्रण हासिल करने का एक तरीका है।
 - ◆ कुकी एक जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिज़ोरम और असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियाँ शामिल हैं; बर्मा (अब म्याँमार) के कुछ हिस्से और सिलहट ज़िला एवं बांग्लादेश के चटगाँव पहाड़ी इलाके।
 - ◆ इन क्षेत्रों में व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास में कुकी एवं नगाओं ने अक्सर हिंसक गतिरोध में भाग लिया, जिसमें गाँवों को आग लगा दी गई, नागरिकों को मार दिया गया, साथ ही ऐसी अन्य घटनाएँ हुईं।
- **जनजातीय समूहों का निष्कासन:** अगस्त 2022 से राज्य सरकार की चेतावनियों में कहा गया है कि चूराचंदपुर-खोंपुम संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गाँव "अवैध बस्तियाँ" हैं एवं इसमें रहने वाले "अतिक्रमणकारी" हैं, जो अशांति के अन्य कारणों में से एक है।
 - ◆ इसके बाद सरकार ने एक बेदखली अभियान शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप झड़पें हुईं।
 - ◆ कुकी समूहों ने दावा किया है कि सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है, जो मणिपुर के आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है।

मणिपुर की जातीय संरचना:

- **परिचय:**
 - ◆ मैतेई मणिपुर में सबसे बड़ा समुदाय है और वहाँ 34 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं जिन्हें प्रमुख रूप से 'एनी कुकी ट्राइब्स' और 'एनी नगा ट्राइब्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - ◆ मैतेई और मैतेई पंगल, जो राज्य की आबादी का लगभग 64.6% हैं, मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जो मणिपुर के भूभाग के लगभग 10% हिस्से पर पाए जाते हैं।
 - राज्य के शेष 90% भौगोलिक क्षेत्र में घाटी के आसपास की पहाड़ियाँ शामिल हैं जो चिह्नित जनजातियों का आवास है, ये जनजातियाँ राज्य की आबादी का लगभग 35.4% हैं।

- ◆ अधिकांश मैतेई हिंदू हैं, इनके बाद मुस्लिम (8%) हैं, 33 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं, बड़े पैमाने पर ईसाईयों को 'अन्य नगा जनजाति' और 'अन्य कुकी जनजाति' में वर्गीकृत किया गया है।
- ◆ नगालैंड के दीमापुर जिले के साथ मणिपुर को दिसंबर 2019 में ILP प्रणाली के दायरे में लाया गया था। ILP एक विशेष परमिट है जो देश के अन्य क्षेत्रों से "बाहरी लोगों" द्वारा अधिसूचित राज्यों में प्रवेश करने के लिये अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
- **मैतेई समुदाय से संबंधित प्रमुख बिंदु:**
 - ◆ मैतेई लोगों को मणिपुरी लोग भी कहा जाता है।
 - ◆ उनकी प्राथमिक भाषा मैतेई है, जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है और मणिपुर की एकमात्र आधिकारिक भाषा है।
 - ◆ वे मुख्य रूप से इंफाल घाटी में बसे हुए हैं, हालाँकि एक बड़ी आबादी अन्य भारतीय राज्यों, जैसे- असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय और मिज़ोरम में निवास करती है।
 - ◆ म्याँमार और बांग्लादेश के पड़ोसी देशों में भी पर्याप्त मैतेई निवास करते हैं।
 - ◆ मैतेई लोग गोत्रों में विभाजित हैं, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं।



अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान:

- संविधान का अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर के छह राज्यों (त्रिपुरा और मेघालय को छोड़कर) सहित 11 राज्यों के लिये "विशेष प्रावधान" प्रदान करता है।
 - ◆ अनुच्छेद 369-392 (कुछ हटाए गए अनुच्छेद सहित) संविधान के भाग XXI में है, जिसका शीर्षक 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान' है।
 - ◆ अनुच्छेद 370 'जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान' से संबंधित है;

- अनुच्छेद 371 और 371A-371J दूसरे राज्य (या राज्यों) के संबंध में विशेष प्रावधानों को परिभाषित करते हैं।
 - ◆ अनुच्छेद 371I गोवा से संबंधित है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है जिसे 'विशेष' माना जा सके।

अनुच्छेद (संशोधन)	संबंधित राज्य	प्रावधान
अनुच्छेद 371	महाराष्ट्र और गुजरात	राज्यपाल के पास "विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र" तथा गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिये "अलग विकास बोर्ड" स्थापित करने की "विशेष ज़िम्मेदारी" है।
अनुच्छेद 371A (तेरहवाँ संशोधन अधिनियम, 1962)	नगालैंड	नगा धर्म या सामाजिक प्रथाओं, नगा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया, नगा प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामलों में संसद कानून नहीं बना सकती है।
अनुच्छेद 371B (22वाँ संशोधन अधिनियम, 1969)	असम	इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से या ऐसे सदस्यों से जिन्हें वह उचित समझता है, एक समिति का गठन कर सकता है।
अनुच्छेद 371C (27वाँ संशोधन अधिनियम, 1971)	मणिपुर	राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिये चुने गए सदस्यों से एक समिति का गठन कर सकता है एवं इस समिति का उचित संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंप सकता है।
अनुच्छेद 371D (32वाँ संशोधन अधिनियम, 1973; आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित)	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	राष्ट्रपति को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिये शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे।

		<p>राष्ट्रपति को राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय काडर के लिये लोक सेवाओं को संगठित किया जा सके तथा किसी भी स्थानीय काडर में आवश्यकतानुसार सीधी भर्ती की जा सके।</p> <p>किसी भी शैक्षिक संस्थान में राज्य के किस भाग के छात्रों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी, यह निर्धारित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है।</p> <p>राष्ट्रपति, राज्य में सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की शिकायतों एवं विवादों के निपटान हेतु विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। यह अधिकरण लोक सेवाओं में भर्ती, आवंटन, पदोन्नति आदि से संबंधित शिकायतों एवं विवादों की सुनवाई करेगा।</p> <p>अनुच्छेद 371E संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है लेकिन वास्तव में यह संविधान के इस भाग में अन्य उपबंधों के अर्थ में एक 'विशेष उपबंध' नहीं है।</p>			<p>राज्य के राज्यपाल का विशेष दायित्व है कि वह सिक्किम में शांति स्थापित करने की व्यवस्था करे तथा राज्य की जनसंख्या के समान सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये संसाधनों एवं अवसरों का उचित आवंटन सुनिश्चित करे।</p> <p>पूर्व के सभी कानून जिनसे सिक्किम का गठन हुआ, जो जारी रहेंगे और किसी भी अदालत में किसी भी रूपांतरण या संशोधन के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।</p>
			अनुच्छेद 371G (53वाँ संशोधन अधिनियम, 1986)	मिज़ोरम	<p>इस प्रावधान के अनुसार, संसद 'मिज़ो', मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया, धार्मिक एवं सामाजिक न्याय के कानून, मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामलों में भूमि के स्वामित्व एवं हस्तांतरण संबंधी मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा करने हेतु प्रस्ताव न दे।</p>
			अनुच्छेद 371H (55वाँ संशोधन अधिनियम, 1986)	अरुणाचल प्रदेश	<p>अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य में कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है। अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद से परामर्श कर व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है तथा उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा और इसके प्रति वह जवाबदेह नहीं होगा।</p>
अनुच्छेद 371F (36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975)	सिक्किम	<p>सिक्किम विधानसभा के सदस्य लोकसभा में सिक्किम के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। सिक्किम की जनसंख्या के विभिन्न अनुभागों के अधिकार एवं हितों की रक्षा के लिये संसद को यह अधिकार दिया गया है कि सिक्किम विधानसभा में कुछ सीटें इन्हीं अनुभागों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएँ, ऐसा प्रावधान कर सके।</p>			
			अनुच्छेद 371J (98वाँ संशोधन अधिनियम, 2012)	कर्नाटक	<p>हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु पृथक् विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसकी कार्यप्रणाली से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।</p>

उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय हेतु समान मात्रा में धन आवंटित किया जाएगा और सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में इस क्षेत्र के लोगों को समान अवसर तथा सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में नौकरियों और शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य सरकार के संगठनों में संबंधित व्यक्तियों के लिये जो जन्म या मूल-निवास के संदर्भ में उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, आनुपातिक आधार पर सीटें आरक्षित करने हेतु एक आदेश दिया जा सकता है।

गैर-संचारी रोगों हेतु सरकारी कार्यक्रम का नया नाम

चर्चा में क्यों ?

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke- NPCDCS) का मौजूदा नाम बदलकर गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention & Control of Non-Communicable Diseases- NP-NCD) कर दिया गया है।

- नाम में यह बदलाव सभी प्रकार के गैर-संचारी रोगों को समाहित करने के लिये किया गया है।
- इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गैर-संचारी रोगों की जाँच एवं प्रबंधन के लिये व्यापक आबादी को कवर करने हेतु व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गैर-संचारी रोग (Comprehensive Primary Healthcare Non-Communicable Disease- CPHC NCD IT) प्रणाली का नाम बदलकर राष्ट्रीय NCD पोर्टल कर दिया है।

NPCDCS/NP-NCD:

- **परिचय:**
 - ◆ NPCDCS को पूरे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लागू किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- ◆ इसे वर्ष 2010 में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्द्धन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और रेफरल प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।

प्रबंधन:

- ◆ NPCDCS के तहत कार्यक्रम प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर NCD इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं तथा जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Centres- CHC) स्तर पर NCD क्लीनिक स्थापित किये जा रहे हैं ताकि शुरुआती निदान, उपचार और फॉलो-अप के लिये सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

उपलब्धि:

- ◆ NPCDCS के तहत 677 NCD जिला-स्तरीय क्लीनिक, 187 जिला कार्डियक केयर यूनिट, 266 जिला डे केयर सेंटर और 5,392 NCD सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र-स्तरीय क्लीनिक स्थापित किये गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर शुरू किया गया था।
- मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) तथा संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के लिये स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। NHM न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की परिकल्पना करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित संकेतकों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है:
 - ◆ मातृ मृत्यु दर (MMR) को 1/1000 के स्तर पर लाना।
 - ◆ शिशु मृत्यु दर (IMR) को 25/1000 के स्तर पर लाना।
 - ◆ कुल प्रजनन दर (TFR) को कम करके 2.1 पर लाना।
 - ◆ 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं नियंत्रण।
 - ◆ संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों, चोटों तथा उभरते रोगों से होने वाली मौतों को नियंत्रित करना।
 - ◆ कुल स्वास्थ्य देखभाल खर्च में व्यक्तिगत आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में कमी लाना।
 - ◆ क्षय रोग के वार्षिक मामलों एवं मृत्यु दर को घटाकर आधा करना।

- ◆ कुष्ठ रोग की व्यापकता को <math><1/10000</math> के स्तर पर लाना और सभी जिलों में नए मामलों को भी शून्य तक लाना।
- ◆ मलेरिया के वार्षिक मामलों को <math><1/1000</math> के स्तर पर लाना।
- ◆ माइक्रोफाइलेरिया (Microfilaria) के प्रसार को सभी जिलों में 1 प्रतिशत से कम करना।
- ◆ वर्ष 2015 तक कालाजार (Kala-azar) का उन्मूलन, सभी प्रखंडों में प्रति 10000 जनसंख्या पर कालाजार के मामलों को 1 से भी कम करना।

गैर-संचारी रोग:

परिचय:

- ◆ गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Diseases- NCD) लंबी अवधि तक व्याप्त रहते हैं, जिसे पुरानी बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है और आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण तथा व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।
- ◆ NCD में प्रमुख रूप से हृदय रोग (जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक), कैंसर, पुराने श्वसन रोग (जैसे प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग एवं अस्थमा) तथा मधुमेह शामिल हैं।

कारण:


- ◆ तंबाकू का उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शराब का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता और वायु प्रदूषण जैसी स्थितियाँ जोखिम में योगदान देने वाले मुख्य कारक हैं।

भारत की पहल:

- ◆ केंद्र सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य कैंसर संस्थानों (SCI) और तृतीयक देखभाल केंद्रों (TCCC) की स्थापना का समर्थन करने के लिये तृतीयक देखभाल कैंसर सुविधा योजना को सुदृढ़ कर रही है।
- ◆ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत नए AIIMS और कई उन्नत संस्थानों के मामले में ऑन्कोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ◆ उपचार के लिये सस्ती दवाएँ और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (AMRIT) हेतु दीनदयाल आउटलेट 159 संस्थानों/ अस्पतालों में खोले गए हैं, जिसका उद्देश्य कैंसर और हृदय रोग की दवाएँ तथा प्रत्यारोपण रोगियों को रियायती कीमतों पर उपचार उपलब्ध कराना है।
- ◆ फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा कम कीमतों पर जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि स्टोर स्थापित किये गए हैं।

वैश्विक:

- ◆ सतत विकास हेतु एजेंडा: राज्य एवं सरकार के प्रमुख सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 (SDG लक्ष्य 3.4) के हिस्से के रूप में रोकथाम और उपचार के माध्यम से NCDs के कारण समय-पूर्व होने वाली मृत्यु दर को एक-तिहाई तक कम करने तथा वर्ष 2030 तक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
- WHO, NCD के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के समन्वय और प्रचार में एक प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है।
- ◆ वैश्विक कार्ययोजना: वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिये WHO की वैश्विक कार्ययोजना को वर्ष 2013-2020 की अवधि से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया है और NCD की रोकथाम एवं नियंत्रित करने की प्रगति में तेजी लाने के लिये कार्यान्वयन रोडमैप वर्ष 2023 से 2030 के विकास का आह्वान किया।
- यह NCD की रोकथाम और प्रबंधन की दिशा में सबसे अधिक प्रभाव वाले नौ वैश्विक लक्ष्यों के समूह को प्राप्त करने हेतु कार्यों का समर्थन करता है।



ड्रग रि कॉल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अनजाने में दवाओं के गलत लेबल वाले बैच को बाजार में उतार दिया, जो कि अस्वीकृत दवाओं की बिक्री की समस्या एवं भारत में ड्रग रि कॉल कानून की आवश्यकता को उजागर करता है।

- जबकि इस तरह के रिकॉल अमेरिका में नियमित रूप से होते हैं, जिसमें भारतीय कंपनियाँ भी शामिल हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं देखा जाता है।

ड्रग रिकॉल:

- ड्रग रिकॉल तब होता है जब प्रेस्क्रिप्शन या ओवर-द-काउंटर दवा को उसके हानिकारक या साइड इफेक्ट के कारण बाजार से हटा दिया जाता है।
- ड्रग रिकॉल एक विपणन किये गए दवा उत्पाद को हटाने या सही करने की प्रक्रिया है जो किसी दवा की सुरक्षा, प्रभावकारिता या गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियमों का उल्लंघन करती है।
- ड्रग रिकॉल सामान्यतः तब जारी किया जाता है जब कोई उत्पाद दोषपूर्ण, दूषित, गलत लेबल वाला पाया जाता है या रोगियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु जोखिम उत्पन्न करता है।
- ड्रग रिकॉल का लक्ष्य प्रभावित उत्पाद को बाजार से हटाकर जनता को नुकसान से बचाना है और उन उपभोक्ताओं हेतु उपाय या धन वापसी की सुविधा प्रदान करना है जिन्होंने पहले ही उत्पाद खरीद लिया है।

भारत में ड्रग रिकॉल कानून की आवश्यकता:

- भारत को यह सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ड्रग रिकॉल कानून होना आवश्यक है कि एक बार दवा का मानक गुणवत्ता विहीन (Not of Standard Quality- NSQ) होने का पता चलने पर पूरे बैच को बाजार से हटा दिया जाना चाहिये।
 - ◆ वर्तमान में, बाजार से घटिया दवाओं के पूरे बैच को वापस लेने के लिये भारत में कोई कानून नहीं है।
- राज्य दवा नियामक ऐसी स्थिति में अधिक-से-अधिक अपने राज्य से दवाओं के किसी विशेष बैच को वापस लेने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन यह देखते हुए कि भारत एक साझा बाजार है, यह संभव है कि दवाओं का एक ही बैच कई राज्यों में वितरित हो।
- ऐसे मामले में एक केंद्रीय दवा नियामक का होना काफी आवश्यक है जो राष्ट्रीय रिकॉल को क्रियान्वित और समन्वित कर सके।
- वर्ष 1976 में इसे एक प्रमुख मुद्दे के रूप में चिह्नित करने के बावजूद भारत में अभी भी दवाओं को वापस लेने के संबंध में एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है।
 - ◆ नतीजतन, सरकारी विश्लेषकों द्वारा दवाओं को NSQ घोषित करने के बाद भी पूरे भारत से इस प्रकार की दवाओं को वापस लेने की कोई वास्तविक व्यवस्था नहीं है।

भारत में घटिया दवाओं के लिये नियामक ढाँचे की कमी का कारण:

- **स्थिति के प्रति उदासीनता और विशेषज्ञता की कमी:**
 - ◆ जटिल औषधि नियमन मुद्दों से निपटने के मामले में सरकार का औषधि नियामक निकाय वैसा नहीं है जैसी उसे होना चाहिये। स्थिति के प्रति उदासीनता, क्षेत्र में विशेषज्ञता की कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की तुलना में दवा उद्योग के विकास को सक्षम करने में अधिक रुचि आदि इसके विभिन्न प्रमुख कारणों में से हैं।
 - **खंडित नियामक संरचना:**
 - ◆ भारत में नियामक संरचना अत्यधिक खंडित है, प्रत्येक राज्य का अपना दवा नियामक है।
 - ◆ लेकिन विखंडन के बावजूद एक राज्य में निर्मित दवाएँ देश भर के सभी राज्यों में बेची जा सकती हैं।
 - **केंद्रीकृत नियामक का विरोध:**
 - ◆ दवा उद्योग और राज्य दवा नियामकों दोनों ने नियामक शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण का विरोध किया है।
 - ◆ एक राज्य में नियामक की अक्षमता दूसरे राज्यों के रोगियों के लिये प्रतिकूल हो सकती है, जहाँ नागरिकों के पास अक्षम नियामक को जवाबदेह ठहराने की शक्ति अथवा चयन क्षमता की कमी होती है।
 - **सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं:**
 - ◆ ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और सुधार के लिये नागरिक समाज की ओर से कोई निरंतर मांग भी नहीं की जाती है।
 - ◆ सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के बजाय दवा उद्योग के विकास में अधिक निवेश करती है। संभवतः ऐसी धारणा है कि सख्त विनियमन दवा उद्योग के विकास को धीमा कर सकता है।
- ### ऐसे किसी भी कानून को बनाने में देरी के निहितार्थ:
- यदि गैर-मानकीकृत दवाओं को बाजार से तुरंत हटाया नहीं गया तो इसका उपभोक्ताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें बीमार पड़ना और मौत हो जाना भी शामिल है। हालाँकि भारत में ड्रग रिकॉल की प्रक्रिया अक्सर धीमी और अप्रभावी होती है, जिससे जनता के लिये खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है।
 - अगर सरकार घटिया दवाओं को वापस लेने की त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, तो यह लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जवाबदेही और ज़िम्मेदारी में कमी का संकेत है।
 - इसके अतिरिक्त इन दवाओं को वापस लेने में देरी करने से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और सरकार में जनता का विश्वास कम हो सकता है।

भारत में ड्रग विनियमन:

● औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम:

- ◆ केंद्रीय और राज्य नियामकों को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा नियम 1945 के तहत औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के नियमन की जिम्मेदारी दी गई है।
- ◆ यह आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी दवाओं के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

● केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation- CDS-CO)

- ◆ यह देश में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, निदान और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न मानक तथा उपाय निर्धारित करता है।
- ◆ नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों के मानकों के बाजार प्राधिकरण को नियंत्रित करता है।

● भारत का औषधि महानियंत्रक (DCGI):

- ◆ DCGI भारत सरकार के CDSCO के विभाग का प्रमुख है, जो भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके एवं सीरम (Sera) जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिये जिम्मेदार है।
- ◆ DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिये भी मानक तय करता है।

आगे की राह

- यदि स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं कि नशीली दवाओं के नियमन में कोई समस्या है और प्रणालीगत सुधार के लिये कहते हैं, तो वे सुधार की मांग करने वाली आवाजों में शामिल हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में दवा की गुणवत्ता के साथ समस्या को स्वीकार करने में भी अनिच्छा प्रकट होती है।
- एक प्रभावी रिकॉल तंत्र बनाने के लिये दवाओं को वापस लेने की जिम्मेदारी को केंद्रीकृत करना होगा, एक प्राधिकरण के पास देश भर से विफल दवाओं को वापस लेने तथा कंपनियों को उत्तरदायी ठहराने की कानूनी शक्ति हो। इसके अतिरिक्त विफल दवा बैचों को खोजने और जप्त करने की भी शक्ति हो।

भ्रामक खाद्य विज्ञापनों को कम करना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स (FBO) को खाद्य सुरक्षा तथा मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के उल्लंघन में लिप्त पाया है तथा उन्हें भ्रामक दावों को कम करने लिये कहा है।

- वर्ष 2022 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये थे।

चिंताएँ:

- FSSAI ने पता लगाया है कि न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों, परिष्कृत तेल, दालों, आटा, बाजरा उत्पादों और घी बेचने वाली कुछ कंपनियाँ अपने उत्पादों के बारे में झूठे दावे कर रही हैं। ये दावे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
- ◆ इन मामलों को FSSAI ने लाइसेंसिंग अधिकारियों को संदर्भित किया है, जो अपने भ्रामक दावों को वापस लेने या संशोधित करने के लिये कंपनियों को नोटिस जारी करेंगे।
- ◆ अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उनके लाइसेंस के दंड, निलंबन या रद्दीकरण हो सकते हैं, क्योंकि झूठे दावे या विज्ञापन करना खाद्य सुरक्षा और मानकों (FSS) अधिनियम, 2006 की धारा -53 के तहत एक दंडनीय अपराध है।
- भ्रामक खाद्य विज्ञापनों से संबंधित चिंताएँ मुख्य रूप से किसी उत्पाद के पोषण, लाभ और संघटक मिश्रण के बारे में किये गए झूठे या निराधार दावों के इर्द-गिर्द घूमती हैं।
- यह समस्या विभिन्न खाद्य श्रेणियों में व्यापक है और उल्लंघनकारी खाद्य विज्ञापनों की एक महत्वपूर्ण संख्या रही है।
- इसके अतिरिक्त खाद्य को प्रभावित करने वालों द्वारा गैर-प्रकटीकरण भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को भ्रम हो सकता है और यदि वे झूठे दावों के आधार पर गलत भोजन विकल्प चुनते हैं तो उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है।

उपभोक्ता संरक्षण और भ्रामक विज्ञापनों से निपटने हेतु पहलें:

- **खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018:** यह विशेष रूप से भोजन (और संबंधित उत्पादों) से संबंधित है, जबकि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के नियम माल, उत्पादों और सेवाओं को कवर करते हैं।
- **केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994:** यह निर्धारित करता है कि विज्ञापनों को लेकर यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि इसमें "कुछ विशेष या चमत्कारी या अलौकिक संपत्ति या गुणवत्ता है, जिसे साबित करना मुश्किल है।
- **FSS अधिनियम 2006:** किसी बीमारी, विकार या विशेष मनोवैज्ञानिक स्थिति की रोकथाम, उपशमन, उपचार या इलाज हेतु उपयुक्तता का सुझाव देने वाले उत्पाद के दावे निषिद्ध हैं, जब तक कि FSS अधिनियम, 2006 के नियमों के तहत विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है।

- **उपभोक्ता कल्याण कोष:** इसे उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने हेतु केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (Central Goods and Services Tax- CGST) अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया था।
 - ◆ कुछ उदाहरण: उपभोक्ता संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता कानून पीठों/उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण। उपभोक्ता साक्षरता एवं जागरूकता बढ़ाने के लिये परियोजनाएँ।
 - **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद:** इसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की निगरानी और उन्हें लागू करके उपभोक्ता शिक्षा की सुविधा प्रदान करके एवं उपभोक्ता निवारण तंत्र प्रदान करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा परिषद उपभोक्ता-हितैषी नीतियों तथा पहलों को भी बढ़ावा देती है।
 - **उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021:** यह नियम उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। नियमों ने उपभोक्ता शिकायतों पर विचार करने हेतु आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित किया।
 - **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020:** ये नियम बाध्यकारी हैं, न कि सलाहकारी। विक्रेता सामान वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने या धन वापसी से इनकार नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे सामान या सेवाएँ दोषपूर्ण, कम, देर से वितरित की जाती हैं या यदि वे प्लेटफॉर्म पर दिये गए विवरण को पूरा नहीं करती हैं।
- पैकेज्ड फूड को दिये जाने वाले टैग:**
- **प्राकृतिक:**
 - ◆ खाद्य उत्पाद को 'प्राकृतिक' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है यदि यह किसी मान्यता प्राप्त प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एकल खाद्य है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है।
 - ◆ इसे केवल मानव उपभोग हेतु उपयुक्त बनाने के लिये संसाधित किया जाना चाहिये। पैकेजिंग भी रसायनों एवं परिरक्षकों के बिना की जानी चाहिये।
 - समग्र खाद्य पदार्थ पौधे और प्रसंस्कृत घटकों के मिश्रण को 'प्राकृतिक' नहीं कहा जा सकता है, इसके बजाय वे 'प्राकृतिक अवयवों से बने' कहे जाएंगे।
 - **ताज़ा:**
 - ◆ खाद्य पदार्थ जिन्हें बिना किसी अन्य प्रसंस्करण के केवल धोया, छीला, प्रशीतित, छँटनी या काटा गया है, जो उनकी मूलभूत विशेषताओं को संशोधित करता है, उन्हें केवल "ताज़ा" कहा जा सकता है।
 - ◆ यदि खाद्य पदार्थ को किसी भी तरह से उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिये संसाधित किया जाता है, तो उसे "ताज़ा" के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।
 - ◆ खाद्य किरणन (irradiation) एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो अंकुरण, पकने में देरी जैसे प्रभावों को प्राप्त करने के लिये और कीड़ों, परजीवियों एवं सूक्ष्मजीवों को मारने में विकिरण ऊर्जा का उपयोग करती है।
 - ◆ यदि कोई उत्पाद तैयार होने के तुरंत बाद जम जाता है, तो इसे "ताज़े जमे हुए (freshly frozen)" "जमे हुए ताज़े (fresh frozen)" के रूप में लेबल किया जा सकता है।
 - हालाँकि अगर इसमें एडिटिव्स हैं या ये किसी अन्य आपूर्ति शृंखला प्रक्रिया से गुजरे हैं, तो इसे "ताज़ा" के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।
 - **शुद्ध:**
 - ◆ शुद्ध का उपयोग एकल-घटक खाद्य पदार्थों के लिये किया जाना चाहिये जिसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं जोड़ा गया है और जो सभी परिहार्य संदूषण से रहित है।
 - यौगिक खाद्य पदार्थों को 'शुद्ध' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि वे उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें 'शुद्ध सामग्री से बना' कहा जा सकता है।
 - **असली:**
 - ◆ असली/ओरिजिनल का उपयोग एक फॉर्मूलेशन से बने खाद्य उत्पादों का वर्णन करने के लिये किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति के विषय में पता लगाया जा सकता है जिसमें समय के साथ कोई बदलाव नहीं आता है।
 - ◆ उनमें किसी भी प्रमुख सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इसी तरह इसका उपयोग एक विशिष्ट प्रक्रिया का वर्णन करने के लिये किया जा सकता है जो समय के साथ अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित है, हालाँकि उस उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।
 - **पोषण संबंधी दावे:**
 - ◆ खाद्य विज्ञापनों में पोषण संबंधी दावे किसी उत्पाद की विशिष्ट सामग्री अथवा किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ तुलना के बारे में हो सकते हैं। एक खाद्य पदार्थ में तुलनीय खाद्य पदार्थ के समान पोषण मूल्य होना चाहिये यदि यह दावा करता है कि इसमें किसी अन्य खाद्य पदार्थ के समान पोषक तत्व की मात्रा है।
 - ◆ पोषण संबंधी दावे या तो किसी उत्पाद की विशिष्ट सामग्री अथवा किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ तुलना के बारे में हो सकते हैं।
- आगे की राह**
- कंपनियों को अपने दावों का समर्थन करने के लिये तकनीकी और

नैदानिक सबूत देने की आवश्यकता है। विज्ञापनों को भी इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये ताकि उपभोक्ता उनकी सही व्याख्या कर सकें।

- FSSAI और राज्य खाद्य प्राधिकरणों को FBO के व्यापक और विश्वसनीय आँकड़ों को सुनिश्चित करने और FSS अधिनियम के बेहतर प्रवर्तन और प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिये अपने अधिकार क्षेत्र के तहत खाद्य व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वेक्षण करना चाहिये।
- चोट या मृत्यु के मामलों में मुआवजे और जुर्माने की सीमा बढ़ाने तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।

जन सुरक्षा योजनाओं के आठ वर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तीन सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के 8 वर्ष पूरे किये।

- PMJJBY और PMSBY को यह सुनिश्चित करने के लिये लॉन्च किया गया था कि देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित हों, जबकि APY को वृद्धावस्था में अत्यावश्यकताओं को कवर करने के लिये पेश किया गया था।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):

- **परिचय:**
 - ◆ यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिये कवरेज की पेशकश करते हुए प्रति वर्ष नवीकरणीय एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है।
- **कार्यान्वयन:**
 - ◆ सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGIC) या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी द्वारा बैंकों/डाकघरों की साझेदारी में प्रशासित।
- **पात्रता:**
 - ◆ बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति नामांकन के हकदार हैं।
- **लाभ:**
 - ◆ दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता हेतु 20 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम के बदले 2 लाख रुपए का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर (आंशिक विकलांगता के मामले में एक लाख रुपए)।

उपलब्धियाँ:

- ◆ इस योजना के तहत अप्रैल 2023 तक संचयी नामांकन 34.18 करोड़ से अधिक रहा है और 1,15,951 दावों हेतु 2,302.26 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):

परिचय:

- ◆ यह एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हेतु कवरेज प्रदान करती है, यह वार्षिक आधार पर नवीकरणीय है।

कार्यान्वयन:

- ◆ इसे LIC या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी द्वारा बैंकों/डाकघर की साझेदारी में प्रशासित किया जाता है।

पात्रता:

- ◆ बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं।

लाभ:

- ◆ किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 436/- रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम के बदले 2 लाख रुपए का जीवन बीमा।

उपलब्धियाँ:

- ◆ योजना के तहत अप्रैल 2023 तक संचयी नामांकन 16.19 करोड़ से अधिक रहा है और 6,64,520 दावों हेतु 13,290.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

अटल पेंशन योजना (APY):

परिचय:

- ◆ इसे सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिये शुरू किया गया था।

- ◆ यह असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार की एक पहल है।

कार्यान्वयन:

- ◆ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।

पात्रता:

- ◆ 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारक (चयनित पेंशन राशि के आधार पर किये जाने वाले योगदान में भिन्नता)।

लाभ:

- ◆ इस योजना से जुड़ने के बाद किये गए योगदान के आधार

अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर गारंटीकृत न्यूनतम 1000 से लेकर 5000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

- **भुगतान आवृत्ति:**
 - ◆ अभिदाता मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर अटल पेंशन योजना में योगदान कर सकते हैं।
- **निकासी प्रक्रिया:**
 - ◆ सरकारी सह-योगदान और उस पर वापसी/ब्याज की कटौती के बाद अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना से संबद्धता खत्म कर सकते हैं।
- **उपलब्धियाँ:**
 - ◆ अप्रैल 2023 तक 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने APY की सदस्यता ली है।

इन योजनाओं का महत्त्व:

- ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नागरिकों के कल्याण के लिये समर्पित हैं जो मानव जीवन को अप्रत्याशित जोखिमों/हानि और वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षित करने की आवश्यकताओं को चिह्नित करती हैं।
- PMJJBY और PMSBY लोगों को कम लागत वाले जीवन/दुर्घटना बीमा कवर तक पहुँच प्रदान करते हैं, APY वृद्धावस्था में नियमित पेंशन पाने के लिये वर्तमान में बचत करने का अवसर प्रदान करता है।
- पिछले सात वर्षों में इन योजनाओं में नामांकित और लाभान्वित होने वालों की संख्या इन योजनाओं की सफलता का प्रमाण है।
- न्यूनतम लागत वाली बीमा योजनाएँ और गारंटीड पेंशन योजनाएँ यह सुनिश्चित कर रही हैं कि वित्तीय सुरक्षा, जो पहले कुछ चुनिंदा लोगों को उपलब्ध थी, अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) (वृद्धावस्था संरक्षण)
- व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जननी सुरक्षा योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजना
- PM किसान

अपशिष्ट तेल पर ड्राफ्ट EPR अधिसूचना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अपशिष्ट तेल पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पर एक ड्राफ्ट अधिसूचना पेश की।

- भारत का केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24 सतत् विकास और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य मूल्यवान अपशिष्ट पदार्थों के साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के प्रतिस्थापन को एक रैखिक मॉडल से चक्रीय मॉडल में स्थानांतरित करना है।

EPR:

- यह उत्पादकों को उनके जीवन चक्र के दौरान उनके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों के लिये जिम्मेदार बनाता है।
- EPR का उद्देश्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और नगरपालिकाओं पर बोझ कम करना है।
- यह पर्यावरण की लागत को उत्पाद की कीमतों में एकीकृत करता है और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे उत्पादों के डिजाइन को प्रोत्साहित करता है।
- EPR विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पर लागू होता है, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट शामिल हैं।
- ई-वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 के तहत भारत में पहली बार EPR की अवधारणा प्रस्तुत की गई।

अपशिष्ट तेल पर ड्राफ्ट EPR अधिसूचना:

- **परिचय:**
 - ◆ अपशिष्ट तेल पर EPR से तात्पर्य अपशिष्ट तेल प्रबंधन की चक्रीयता में सुधार करना है। अपशिष्ट तेल एक संदूषक है जिसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मीठे पानी और मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं।
 - अपशिष्ट तेल एक संदूषक के रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि इसमें बेंजीन, जिंक, कैडमियम और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं जो मीठे पानी को प्रदूषित करने की क्षमता रखती हैं।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ प्रदूषण को रोकना तथा अपशिष्ट तेल संग्रह एवं पुनर्चक्रण को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाना।
- **अनुशांसा:**
 - ◆ यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ऑनलाइन पोर्टल पर उत्पादकों, संग्रह एजेंटों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और

अपशिष्ट तेल आयातकों सहित हितधारकों के पंजीकरण की सिफारिश करता है।

● प्रयोज्यता:

- ◆ EPR अपशिष्ट तेल संबंधी उत्पादक और बड़े उत्पादकों (जैसे उद्योग, रेलवे, परिवहन कंपनियों, विद्युत पारेषण कंपनियों आदि) पर लागू होता है।

● EPR लक्ष्य:

- ◆ वर्ष 2024-25 से अपशिष्ट तेल पुनर्चक्रण लक्ष्यों में धीरे-धीरे वृद्धि करना।
- ◆ आधार वर्ष लक्ष्य 10% निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2029 तक सालाना 10% बढ़ रहा है।
- ◆ वार्षिक बेचे जाने वाले या आयात किये जाने वाले लूब्रिकेंट तेल की मात्रा के आधार पर भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करना।

● प्रावधान और उत्तरदायित्व:

- ◆ EPR प्रमाणपत्र बनाना, उपलब्ध मात्रा की गणना और लेन-देन विवरण साझा करना।
- ◆ उत्पादकों, आयातकों, एजेंटों, पुनर्चक्रणकर्ताओं आदि के लिये उत्तरदायित्वों का स्पष्ट सीमांकन करना।
- ◆ पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और उत्पादित या उत्पन्न तेल का पता लगाने के लिये ऑनलाइन पोर्टल।
- ◆ भारतीय मानक ब्यूरो को रि-रिफाइंड तेल के लिये आवश्यक मानक स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

● चुनौतियाँ:

- ◆ निगरानी, सत्यापन और लेखापरीक्षा तंत्र की आवश्यकता।
- ◆ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) पर अत्यधिक बोझ के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।
- ◆ अपशिष्ट तेल परिसंचरण में सुधार और ताजा तेल खपत को कम करने पर ध्यान देना।
- ◆ अनुपालन, तृतीय-पक्ष ऑडिट और निगरानी निरीक्षण पर प्रश्न उठाना।

● विशेषज्ञ राय:

- ◆ अपशिष्ट तेल पर EPR के लिये गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा सकारात्मक विचार रखना।
- ◆ चूककर्ताओं के लिये कार्यान्वयन, निगरानी, और दंड पर चिंता व्यक्त करना।

सर्कुलर इकॉनमी की दिशा में भारत की प्रगति:

- अपशिष्ट प्रबंधन के लिये विभिन्न नियमों एवं नीतियों को अधिसूचित करना, जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022; ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022; बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 आदि।

- कृषि, गतिशीलता, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों में रैखिक से चक्रीय अर्थव्यवस्था में संक्रमण हेतु व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के लिये संबंधित मंत्रालयों के नेतृत्व में 11 समितियों का गठन करना।

- नीति आयोग ने 'राष्ट्रीय पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया।

- संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान का आदान-प्रदान करने हेतु यूरोपीय संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करना।

- अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान विकसित करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय नवप्रवर्तकों का समर्थन करना, जैसे कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी।

- व्यवसायों और उद्योगों को उनकी उत्पादन प्रणालियों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों तथा प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

- चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की प्रगति अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जागरूकता का आभाव, डेटा अंतराल, नियामक बाधाएँ, ढाँचागत बाधाएँ तथा व्यवहारिक जड़ता।

- ◆ हालाँकि सभी हितधारकों और निरंतर सीखने एवं नवाचार के मजबूत प्रयासों के साथ भारत लचीली तथा समावेशी चक्रीय अर्थव्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था:

● परिचय:


- ◆ चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिये अधिकल्पित किया जाता है एवं इस प्रकार लगभग प्रत्येक चीज का पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण व कच्चे माल के रूप में पुनर्चक्रण किया जाता है अथवा ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।

- ◆ इसमें 6 R की अवधारणा शामिल है- Reduce (सामग्री के उपयोग को कम करना), Reuse (पुनः उपयोग), Recycle (पुनर्चक्रण), Refurbishment (पुनर्निर्माण), Recover (पुनरुद्धार) और Repairing (मरम्मत)।

● चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता:

- ◆ चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्ट को न्यूनतम और उपयोगिता को अधिकतम करने पर केंद्रित है तथा एक ऐसे उत्पादन मॉडल का आह्वान करती है जो अधिकतम मूल्य/महत्त्व को बनाए रखने पर लक्षित हो ताकि एक ऐसे तंत्र का निर्माण हो सके जो संवहनीय, दीर्घ जीवन, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती हो।

- ◆ यद्यपि भारत में हमेशा से पुनर्चक्रण एवं पुनःउपयोग की संस्कृति रही है, तीव्र आर्थिक वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के परिदृश्य में इसके लिये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना अब अधिक अनिवार्य हो गया है।
- ◆ चक्रीय अर्थव्यवस्था अधिक संवहनीय उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न के उभार की ओर ले जा सकती है और इस प्रकार विकासशील तथा विकसित देशों को सतत् विकास के एजेंडा 2030 के अनुरूप आर्थिक विकास व समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास (Inclusive and Sustainable Industrial Development- ISID) प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर सकती है।



पोषण भी, पढ़ाई भी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'पोषण भी, पढ़ाई भी' की शुरुआत की, जो देश भर के आँगनवाड़ियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE) पर केंद्रित होगा।

- ECCE मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) का महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय ने ECCE को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Workers- AWW) के प्रशिक्षण के लिये 600 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (National Institute of Public Cooperation and Child Development- NIP-CCD) आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- कार्यक्रम का उद्देश्य आँगनवाड़ी केंद्रों को न केवल पोषण केंद्रों बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों में बदलना है।
- ◆ ECCE कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देगा।
- "पोषण भी, पढ़ाई भी" ECCE नीति द्वारा प्रस्तुत किये गए परिवर्तनों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम-से-कम दो घंटे उच्च-गुणवत्ता वाली प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी।

आँगनवाड़ी:

- परिचय::

- ◆ आँगनवाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services- ICDS) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था।
- ◆ छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्रदान करने में आँगनवाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- "आँगनवाड़ी" शब्द का अनुवाद "आँगन आश्रय" के रूप में किया गया है।

- स्थिति:

- ◆ देश भर में करीब 13.9 लाख आँगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं जिनमें 6 वर्ष से कम उम्र के लगभग 8 करोड़ लाभार्थी बच्चों को पूरक पोषण और प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा प्रदान की जा रही है, यह विश्व में इस तरह की सेवाओं का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रावधान बन गया है।
- आँगनवाड़ी सेविकाओं की भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ:
- ◆ 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी में गैर-औपचारिक पूर्व-विद्यालय गतिविधियों का आयोजन करना और आँगनवाड़ी में उपयोग के लिये स्वदेशी मूल के खिलौनों तथा खेल उपकरणों के डिजाइन एवं निर्माण में सहायता करना।
- ◆ वे बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिये घर ले जा सकने वाले राशन अथवा गर्म पके हुए भोजन जैसे पूरक पोषण के वितरण के केंद्र के रूप में काम करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य कुपोषण को रोकना और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना है।

- ◆ स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा माताओं को स्तनपान/शिशु और युवा आहार प्रथाओं के बारे में परामर्श देना।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्थानीय लोगों से जुड़े होने के कारण उनकी अपेक्षा की जाती है, वे विवाहित महिलाओं को परिवार नियोजन/जन्म नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
- ◆ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक महीने में हुए जन्मों से संबंधित जानकारी को पंचायत सचिव/ग्राम सभा सेवा के साथ साझा करेंगे, जिन्हें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- ◆ ICDS योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण और रिकॉर्ड के रखरखाव में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संलग्न मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA) का मार्गदर्शन करना।
- ◆ अपने घर के दौरे के दौरान बच्चों में विकलांगता की पहचान करना और मामले को तुरंत निकटतम PHC या जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र के पास भेजना।
- ◆ पल्स पोलियो प्रतिरक्षण (PPI) ड्राइव के आयोजन में सहयोग करना।
 - मुद्दे:
- ◆ अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: कई आँगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय, साफ पानी और बच्चों के सीखने एवं खेलने के लिये पर्याप्त जगह जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित उचित बुनियादी ढाँचे का अभाव है।
- साथ ही कई आँगनवाड़ी केंद्रों में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं समेत प्रशिक्षित स्टाफ की भी कमी है।
 - ◆ कम पारिश्रमिक: आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अक्सर उनके काम के लिये अपर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। कम पारिश्रमिक से पदावनति हो सकती है और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यह कुशल कर्मियों की भर्ती तथा प्रतिधारण को भी बाधित करता है।
 - ◆ सीमित आउटरीच: कुछ मामलों में आँगनवाड़ी सबसे हाशिये पर और दूरदराज के समुदायों तक पहुँचने में विफल रहती हैं, जिससे कमजोर बच्चों को महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच नहीं मिलती है। अपर्याप्त परिवहन सुविधाएँ और आँगनवाड़ी के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी इस मुद्दे में योगदान करती है।
 - ◆ निगरानी और मूल्यांकन: आँगनवाड़ी सेवाओं के प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र अपर्याप्त या कम उपयोग किये गए हैं।

- मजबूत निगरानी की कमी सुधार के लिये क्षेत्रों की पहचान और जरूरतों के आधार पर संसाधनों के आवंटन में बाधा बन सकती है।

आगे की राह

- **समुदाय आधारित शिक्षा:** संवादात्मक शिक्षण सत्र आयोजित करने के लिये स्थानीय विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और स्वयंसेवकों को संगठित करके समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
 - ◆ इसमें कहानी, कला एवं शिल्प कार्यशालाओं तथा व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को बच्चों के साथ साझा करना चाहिये।
- **पोषाहार उद्यानिकी:** आँगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे-छोटे वनस्पति उद्यानों की स्थापना को बढ़ावा देने से बच्चे बागवानी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, पोषण के बारे में सीख सकते हैं और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले उत्पादों के महत्व को जान सकते हैं।
 - ◆ बच्चों के लिये पौष्टिक आहार बनाने में ताजी सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है।
- **पोषण-केंद्रित खाना पकाने का प्रदर्शन:** माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिये नियमित रूप से खाना पकाने का प्रदर्शन आयोजित करना, इसके लिये स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने हेतु पौष्टिक और ताजे व्यंजनों का उपयोग किया जाना चाहिये।
 - ◆ यह घर पर पौष्टिक खाना पकाने की प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार पोषण एवं समग्र विकास के बीच की कड़ी को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

प्रवर्तन निदेशालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख का कार्यकाल नवंबर 2023 से आगे जारी नहीं रहेगा।

मुद्दा:

- नवंबर 2021 में भारत के राष्ट्रपति ने दो अध्यादेश जारी किये थे जिसमें ED के निदेशक के कार्यकाल को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने की अनुमति दी गई थी और बताया गया था कि इसमें एक वर्ष में तीन बार कार्य अवधि के विस्तार की भी संभावना है।
- ED प्रमुख के कार्य अवधि विस्तार की अनुमति के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है परंतु केवल दुर्लभ एवं असाधारण मामलों में और वह भी कम अवधि के लिये।

- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि से आगे के लिये ED को नियुक्त करने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 (D) में वाक्यांश "दो वर्ष से कम नहीं" का अर्थ "दो वर्ष से अधिक नहीं" के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये।
- ◆ न्यायालय ने कहा, "दो वर्ष की अवधि से अधिक की अवधि के लिये प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करने में केंद्र सरकार की शक्ति पर कोई बंधन नहीं है"।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल द्वारा लंबित समीक्षा के लिये सरकार के कार्यकाल के हालिया विस्तार को एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है।
- सरकार द्वारा हाल ही में कार्य अवधि के विस्तार के कारण वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) के आसन्न मूल्यांकन में देरी हो रही है।
- ◆ केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि ED के निदेशक के कार्यकाल में विस्तार प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक था, जिसमें संगठन के प्रमुख के कार्यकाल की निरंतरता कई महत्वपूर्ण मामलों के लिये आवश्यक है। ये ऐसे मामले हैं जिनके पर्यवेक्षण के लिये मामले की पृष्ठभूमि और ऐतिहासिकता की जानकारी की आवश्यकता होती है।
- ◆ एक नवनियुक्त निदेशक को नए कार्यालय और ED के कामकाज का जायजा लेने और अभ्यस्त होने में काफी समय लगेगा और दक्षता के इष्टतम स्तर पर काम करना मुश्किल हो सकता है।
- न्यायालय द्वारा पूर्व में उचित समझे गए कार्यकाल से परे कार्यकाल का विस्तार करने की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय को लेकर एक नई अपील की गई है। मामला फिलहाल विचाराधीन है।
- प्रवर्तन निदेशालय:
- **परिचय:**
 - ◆ प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध करना) के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है।
 - यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है।
 - ◆ भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में ED भारत के संविधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य करता है।
- **संरचना:**
 - ◆ मुख्यालय: प्रवर्तन निदेशालय (ED) का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करता है।
 - प्रवर्तन के विशेष निदेशकों की अध्यक्षता में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
 - ◆ भर्ती: अधिकारियों की भर्ती सीधे और अन्य जाँच एजेंसियों के अधिकारियों में से की जाती है।
 - इसमें IRS (भारतीय राजस्व सेवा), IPS (भारतीय पुलिस सेवा) और IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) के अधिकारी शामिल हैं जैसे- आयकर अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी और पुलिस।
 - ◆ कार्यकाल: दो वर्ष, लेकिन तीन वर्ष का विस्तार देकर निदेशकों के कार्यकाल को दो से पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
 - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment- DSPE Act), 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम, 2003 में संशोधन किया गया है ताकि सरकार को दो प्रमुखों को उनके शुरुआती दो वर्ष के शासनादेश के बाद एक अतिरिक्त वर्ष के लिये अपने पदों पर बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया जा सके।
 - **कार्य:**
 - ◆ COFEPOSA: विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत इस निदेशालय को FEMA के उल्लंघन के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है।
 - ◆ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा): यह विदेशी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिये लागू किया गया एक नागरिक कानून है।
 - ED को विदेशी मुद्रा कानूनों और नियमों के उल्लंघनों की जाँच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर निर्णय लेने तथा उन पर जुर्माना लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
 - ◆ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA): FATF इंडिया की सिफारिशों के बाद PMLA को अधिनियमित किया गया था।
 - ED को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने के लिये जाँच कर संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने तथा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने के लिये PMLA के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 - ◆ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): हाल ही में विदेशों में आश्रय लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत सरकार ने भगोड़ा

आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) पेश किया और ED को इसके प्रवर्तन का जिम्मा सौंपा गया है।

- यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिये बनाया गया था।
- इस कानून के तहत ED को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करना अनिवार्य है जो गिरफ्तारी का वारंट लेकर भारत से भाग गए हैं और केंद्र सरकार को उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है।

ED से संबंधित मुद्दे:

शक्ति का दुरुपयोग:

- ◆ ED के पास मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जाँच करने की शक्ति और विवेकाधिकार है तथा उन्हें राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- ◆ हालाँकि इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि मामूली अपराधों को भी PMLA के दायरे में लाया जाने लगा है, जबकि इसका मूल उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करि से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था।
- **पारदर्शिता की कमी:**
 - ◆ ED जाँच के लिये मामलों का चयन कैसे करता है, इस संबंध में भी पारदर्शिता की कमी है और अक्सर इसे विपक्षी दलों को लक्षित करने के लिये जाना जाता है।
 - ◆ ED द्वारा दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है, लेकिन मीडिया ट्रायल के चलते अभियुक्त की प्रतिष्ठा दोष सिद्ध होने पहले ही खराब हो जाती है।
- वर्ष 2005 से 2013-14 के बीच दोषसिद्धि की दर शून्य थी और वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2021-22 के बीच ED द्वारा दर्ज किये गए कुल 888 मामलों में से केवल 23 मामलों में ही दोषसिद्धि हो सकी।
- **राजनीतिक पक्षपात:**
 - ◆ कुछ मामलों में ऐसे आरोप भी सामने आए हैं कि सत्ताधारी दल में सम्मिलित हो जाने वाले राजनीतिक व्यक्तियों के साथ ED ने अनुकूल व्यवहार किया। कुछ मामलों में इन व्यक्तियों को कथित तौर पर या तो "क्लीन चिट" दे दी गई या ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों में अपनी जाँच प्रक्रिया को काफी धीमा कर दिया।
 - ◆ इन आरोपों ने ED की कार्यवाहियों में संभावित राजनीतिक पक्षपात और स्वतंत्रता की कमी जैसी चिंताओं को उजागर किया है।

आगे की राह

- प्रवर्तन निदेशक के पास PMLA के तहत व्यापक शक्तियाँ हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर इनका इस्तेमाल अव्यावहारिक रूप से नहीं किया जाना चाहिये। जाँच को सजा के रूप में प्रदर्शित नहीं करना चाहिये, साथ ही मामलों को तेजी से सुलझाया जाना चाहिये ताकि त्वरित परीक्षण एवं दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सके।
- भ्रष्टाचार का सामना करने हेतु जाँच में सुधार और न्यायिक प्रक्रिया में न्याय एवं पारदर्शिता की गारंटी आवश्यक है। प्रवर्तन निदेशक का उद्देश्य समीचीनता तथा नैतिकता के बीच संतुलन बनाना है। इसका समाधान सख्त कार्रवाइयों के बजाय प्रणालीगत समायोजन में समाहित है।
- भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम करने हेतु सरकारी एजेंसियों के काम करने के तरीके को बदलना आवश्यक है।

हरित सागर: हरित पत्तन दिशा-निर्देश 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 'हरित सागर' हरित पत्तन दिशा-निर्देश 2023 लॉन्च किया है।

- विभिन्न परिचालन मापदंडों में असाधारण उपलब्धियों के लिये प्रमुख पत्तनों को सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

हरित सागर दिशा-निर्देश 2023:

- **परिचय:**
 - ◆ हरित सागर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है "हरित महासागर"। यह भारत के पत्तनों को पर्यावरण के अधिक अनुकूल और टिकाऊ बनाने के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
 - ◆ यह पत्तनों से संबंधित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के पहलुओं, हरित हाइड्रोजन सुविधा के विकास, LNG बंकरिंग और अपतटीय पवन ऊर्जा सहित अन्य पहलुओं को भी कवर करता है।
 - ◆ ये दिशा-निर्देश वैश्विक ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) मानक को अपनाने का प्रावधान भी प्रदान करते हैं।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, जैवविविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन जैसे हरित पत्तन विकास और संचालन के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
 - ◆ पत्तन संचालन द्वारा शून्य अपशिष्ट निर्वहन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु रिड्यूस, रियूज, रिपरपोज और रिसाईकल के माध्यम से कचरे को कम करना।

◆ विभिन्न संकेतकों और मापदंडों के आधार पर पत्तनों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन और बेंचमार्किंग निर्धारित करने के लिये एक रेटिंग प्रणाली स्थापित करना।

◆ पर्यावरणीय उत्कृष्टता और स्थिरता के उच्च मानकों को प्राप्त करने वाले पत्तनों को प्रोत्साहित करना और पहचानना।

◆ पत्तन के बुनियादी ढाँचे और सेवाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव में हरित पत्तन सिद्धांतों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करना।

● महत्त्व:

◆ यह पेरिस समझौते एवं सतत् विकास लक्ष्यों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय नीतियों तथा पहलों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

◆ इसके तहत एक जिम्मेदार समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की छवि एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है जो अपने पर्यावरण और लोगों की परवाह करता है।

◆ इससे पत्तन क्षेत्र में नवाचार, निवेश, रोजगार और सहयोग के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

● लाभ:

◆ दक्षता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर पत्तनों की प्रतिस्पर्धात्मकता और आकर्षण को बढ़ाना।

◆ संसाधनों के इष्टतम उपयोग और अपशिष्ट को कम करके परिचालन लागत को कम करना तथा पत्तनों की राजस्व अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि करना।

◆ पर्यावरण अनुपालन में सुधार।

◆ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और समुद्री अपशिष्ट को कम करके पर्यावरणीय प्रभावों एवं बंदरगाहों के जोखिम को कम करना।

◆ कम कार्बन और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy- CE) में परिवर्तन का समर्थन करके सतत् विकास एवं जलवायु कार्रवाई के राष्ट्रीय तथा वैश्विक लक्ष्यों में योगदान देना।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और बाधाएँ:

- बंदरगाह हितधारकों के बीच जागरूकता और क्षमता की कमी।
- विभिन्न एजेंसियों और क्षेत्रों के बीच समन्वय एवं सहयोग का अभाव।
- बंदरगाहों के पर्यावरणीय पहलुओं पर अपर्याप्त डेटा और जानकारी।
- पर्यावरण अनुपालन के लिये कमजोर प्रवर्तन और निगरानी तंत्र।

हरित पत्तन के विकास हेतु भारत के प्रयास:

● पहल:

◆ हरित पत्तन पुरस्कार, हरित बंदरगाह पॉलिसी और सागरमाला कार्यक्रम।

● लक्ष्य निर्धारित करना:

◆ बंदरगाहों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना, प्रति टन कार्गो के संचालन में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और बंदरगाह संचालन के लिये हरित ईंधन एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

● पायलट देश के रूप में चयन:

◆ ग्रीन शिपिंग से संबंधित एक पायलट परियोजना का संचालन करने के लिये भारत को IMO ग्रीन वॉयज 2050 (Green Voyage 2050) परियोजना के तहत पहले देश के रूप में चुना गया।

सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार:

● भारत में प्रमुख बंदरगाहों को विभिन्न परिचालन मापदंडों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

● यह पुरस्कार उन बंदरगाहों को मान्यता देता है जो पर्यावरणीय उत्कृष्टता और स्थिरता के उच्च मानकों को प्रदर्शित करते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिये पुरस्कार:



निष्कर्ष:

● हरित सागर दिशा-निर्देश एक दूरदर्शी पहल है जो भारतीय बंदरगाह

क्षेत्र को बदल देगा और इसे बदलती जलवायु और बाजार की स्थितियों के मुकाबले अधिक टिकाऊ और लचीला बना देगा।

- दिशा-निर्देशों से न केवल बंदरगाहों बल्कि पर्यावरण और समाज को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा।
- ◆ वे एक जिम्मेदार समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की छवि और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे जो अपने पर्यावरण और लोगों की परवाह करता है। हरित सागर दिशा-निर्देश का एक उदाहरण यह है कि भारत किस तरह हरित बंदरगाह विकास और संचालन में अग्रणी है।

डिफॉल्ट जमानत

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को आपराधिक मामलों में डिफॉल्ट जमानत याचिका पर उस स्थिति में विचार करने का निर्देश दिया है, जब चार्जशीट 60 या 90 दिनों के अंदर दायर नहीं की जाती है, जिससे उन्हें रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ (26 अप्रैल, 2023) मामले में अपने निर्णय पर विश्वास कर स्वतंत्र रूप से डिफॉल्ट जमानत देने की अनुमति मिलती है।

- रितु छाबड़िया के निर्णय को वापस लेने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणियाँ कीं।
- रितु छाबड़िया के निर्णय में कहा गया है कि "दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार" केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में आरोपी व्यक्तियों की रक्षा के लिये "राज्य की अबाध और मनमानी शक्ति" में मिलता है"।

डिफॉल्ट जमानत:

- **परिचय:**
 - ◆ यह जमानत का अधिकार है जो पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के अंदर जाँच पूरी करने में विफल होने पर प्राप्त होता है।
 - इसे वैधानिक जमानत के रूप में भी जाना जाता है।
 - ◆ यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 (2) में निहित है।
- **CrPC की धारा 167(2):**
 - ◆ यदि पुलिस एक निर्दिष्ट अवधि के अंदर जाँच पूरी करने में असमर्थ रहता है, तो न्यायिक हिरासत में व्यक्ति को जमानत मांगने का अधिकार है।

◆ जब पुलिस 24 घंटे के अंदर जाँच पूरी नहीं कर पाती है, तो वह संदिग्ध को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, जो यह तय करता है कि संदिग्ध को पुलिस हिरासत में रखा जाना चाहिये या न्यायिक हिरासत में।

◆ CrPC की धारा 167 (2) के अनुसार, मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। अधिक समय की आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है, जिसका अर्थ है जेल। हालाँकि अभियुक्त को निम्न समय-सीमा से अधिक नहीं रखा जा सकता है:

- 90 दिन: अगर जाँच अधिकारी एक ऐसे अपराध की जाँच कर रहा है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम-से-कम दस वर्ष के कारावास से दंडनीय है।
- 60 दिन: अगर जाँच अधिकारी किसी अन्य अपराध की जाँच कर रहा है।

● विशेष स्थितियाँ:

- ◆ कुछ विशेष कानून जैसे- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, जाँच की समय अवधि अलग हो सकती है, जैसे 180 दिन।
- ◆ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 में डिफॉल्ट सीमा केवल 90 दिनों की है, जिसे और 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
 - यह विस्तार केवल लोक अभियोजक की एक रिपोर्ट पर दिया जा सकता है जिसमें जाँच में हुई प्रगति का संकेत दिया गया हो एवं आरोपी को निरंतर हिरासत में रखने के कारण बताए गए हों।
- ◆ इन प्रावधानों से पता चलता है कि समय का विस्तार स्वतः नहीं होता है बल्कि इसके लिये न्यायिक आदेश की आवश्यकता होती है।

डिफॉल्ट बेल से संबंधित पूर्व निर्णय:

● CBI बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992):

- ◆ सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाया कि एक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 15 दिनों तक पुलिस हिरासत को अधिकृत कर सकता है। इस अवधि के बाद किसी भी अतिरिक्त हिरासत को न्यायिक हिरासत में होना चाहिये, जब तक कि वही अभियुक्त किसी विशिष्ट घटना या लेन-देन से उत्पन्न नए मामले में शामिल न हो। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट एक बार फिर पुलिस हिरासत को अधिकृत करने पर विचार कर सकता है।

● **उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001):**

- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने संजय दत्त बनाम राज्य के आधार पर कहा कि अभियुक्त द्वारा डिफॉल्ट जमानत के अपने अधिकार का उपयोग तब माना जाएगा जब उसने इसके लिये आवेदन दायर किया हो, न कि तब जब वह डिफॉल्ट जमानत पर रिहा हुआ हो है।
- ◆ यदि अभियुक्त के पक्ष में डिफॉल्ट जमानत का आदेश पारित किया जाता है, लेकिन वह जमानत देने में विफल रहता है और इस बीच आरोप पत्र दायर कर दिया जाता है तो डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

- ◆ दूसरी ओर, निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में लेने से है।
- अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।

दंडात्मक निरोध के तहत दिये गए अधिकार	निवारक निरोध के तहत दिये गए अधिकार
● गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार।	● किसी व्यक्ति की नज़रबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी हेतु पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं करता है। बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
● एक कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार।	● नज़रबंदी के आधारों के बारे में नज़रबंद व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिये। तथापि जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
● यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।	● बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिये।
● 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत के लिये अधिकृत नहीं करता।	
● ये सुरक्षा उपाय किसी विदेशी शत्रु के लिये उपलब्ध नहीं हैं।	● यह सुरक्षा नागरिकों के साथ-साथ बाह्य व्यक्ति दोनों के लिये उपलब्ध है।

भारत में जमानत के अन्य प्रकार:

- **नियमित जमानत:** यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा दिया गया एक निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्ति को रिहा करने हेतु उपलब्ध है। ऐसी जमानत के लिये व्यक्ति CrPC की धारा 437 तथा 439 के तहत आवेदन कर सकता है।
- **अंतरिम जमानत:** न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि हेतु जमानत दी जाती है, यह जमानत तब तक दी जा सकती है जब तक कि नियमित या अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं होता है।
- **अग्रिम जमानत या पूर्व-गिरफ्तारी जमानत:** यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में किया गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है।
 - ◆ इस प्रकार की जमानत के लिये कोई व्यक्ति CrPC की धारा 438 के तहत एक आवेदन दायर कर सकता है। यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 22 गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। नज़रबंदी के प्रकार हैं- दंडात्मक और निवारक।
 - ◆ दंडात्मक निरोध के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किये गए अपराध हेतु उसे न्यायालय में जाँच के बाद दंडित किया जाता है।

भारतीय राजनीति

आदर्श आचार संहिता

चर्चा में क्यों ?

जैसे-जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दल एक-दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगा रहे हैं।

- आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन को लेकर पार्टियों ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से शिकायत की है।

आदर्श आचार संहिता (MCC):

- **परिचय:**
 - ◆ यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है।
 - ◆ यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग (EC) को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है।
 - ◆ आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है।
- **विकास:**
 - ◆ आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिये एक 'आचार संहिता' तैयार की थी।
 - ◆ इसके पश्चात् वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग (EC) ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिये आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।
 - ◆ वर्ष 1991 में चुनाव के नियमों के बार-बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने MCC को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया।
- **राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों हेतु MCC:**
 - ◆ प्रतिबंधित:
 - राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित होनी चाहिये।

- जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने, असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करने, मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने और किसी के विचारों का विरोध करते हुए उसके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने जैसी गतिविधियाँ पूर्णतः निषिद्ध हैं।

◆ बैठकें:

- पार्टियों को किसी भी बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करना चाहिये ताकि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके।

◆ जुलूस:

- यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं, तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर्क कर लेना करना चाहिये ताकि जुलूस में आपसी टकराव न हो।
- राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है।

◆ चुनाव के दिन:

- केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति होती है।
- मतदान केंद्रों पर सभी अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैज अथवा पहचान पत्र दिया जाना चाहिये।
- उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उसमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम अथवा पार्टी का नाम नहीं होगा।

◆ प्रेक्षक:

- कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को कर सकता है।

◆ सत्ताधारी पार्टी:

- MCC ने सत्ताधारी पार्टी के आचरण को विनियमित करते हुए वर्ष 1979 में कुछ प्रतिबंधों को शामिल किया। मंत्रियों की आधिकारिक यात्राएँ और चुनाव कार्य पृथक होने चाहिये अथवा चुनाव कार्य के लिये आधिकारिक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये।
- पार्टी को सरकारी संसाधनों की कीमत पर विज्ञापन देने अथवा चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये उपलब्धियों के प्रचार हेतु आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिये।

- आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा किये जाने के समय से मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिये, सड़कों के निर्माण, पीने के जल की व्यवस्था आदि का वादा नहीं करना चाहिये। अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों तथा विश्रामगृहों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये और इन पर सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिये।

◆ चुनावी घोषणापत्र:

- भारतीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी चुनाव (संसद/राज्य विधानमंडल) के लिये चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है:
- इस चुनाव घोषणापत्र में संविधान में निहित आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा।
- राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिये जिनसे चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता धूमिल होने या मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने की संभावना हो।
- घोषणापत्र में वादों के औचित्य को प्रतिबिंबित करना चाहिये और इसके लिये वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों एवं साधनों को व्यापक रूप से इंगित करना चाहिये।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत एकल या बहु-चरणीय चुनावों के लिये निर्धारित प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान घोषणापत्र जारी नहीं किया जाएगा।

MCC में कुछ हालिया परिवर्द्धन:

- ECI द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का विनियमन।
- मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर प्रतिबंध जब तक कि विषय-वस्तु स्क्रीनिंग समितियों द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो।
- चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों की विशेषता वाले सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध।

MCC कानूनी रूप से लागू करने योग्य:

- हालाँकि MCC के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा इसके सख्त प्रवर्तन के कारण पिछले एक दशक में इसने शक्ति हासिल की है।
- ◆ MCC के कुछ प्रावधानों को IPC 1860, CrPC 1973 और RPA 1951 जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है।

- वर्ष 2013 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने MCC को कानूनी रूप से बाध्यकारी तथा RPA 1951 का हिस्सा बनाने की सिफारिश की।
- हालाँकि ECI इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के खिलाफ है। इसके अनुसार, चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय या 45 दिनों के करीब पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि न्यायिक कार्यवाही में सामान्यतः अधिक समय लगता है, इसलिये इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाना संभव नहीं है।

MCC की आलोचनाएँ:

● कदाचार पर अंकुश लगाने में अप्रभावी:

- ◆ MCC हेतु स्पीच, फेक न्यूज़, धन बल, बूथ कैम्पेयरिंग, मतदाताओं को डराने-धमकाने और हिंसा जैसी चुनावी कदाचारों को रोकने में विफल रही है।
- ◆ ECI को नई प्रौद्योगिकियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा भी चुनौती दी जाती है जो गलत सूचना को तीव्र रूप से फैलाने तथा उसका व्यापक रूप से प्रसार करते हैं।

● कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव:

- ◆ MCC, वैधानिक रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ नहीं है, वह अनुपालन के लिये केवल नैतिक अनुनय और जनमत पर निर्भर करती है।
- शासन के साथ हस्तक्षेप:
 - ◆ MCC नीतिगत निर्णयों, सार्वजनिक व्यय, कल्याणकारी योजनाओं, स्थानांतरण और नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है।
 - ◆ MCC को बहुत जल्दी या बहुत देर से लागू करने, विकास गतिविधियों और सार्वजनिक हित को प्रभावित करने के लिये ECI की अक्सर आलोचना की जाती है।

● जागरूकता और अनुपालन की कमी:

- ◆ इसे व्यापक रूप से मतदाताओं, उम्मीदवारों, पार्टियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं समझा जाता है।

'विवाह का असाध्य रूप से टूटना' तलाक का आधार: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 द्वारा प्राप्त 'पूर्ण न्याय' करने की अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए फैसला सुनाया कि न्यायालय किसी दंपति के बीच सुलह की बिलकुल भी गुंजाइश न रहने की स्थिति में विवाह को भंग कर सकता है। दूसरी ओर, संबद्ध पक्षकारों को पारिवारिक न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक के आदेश के लिये 6-18 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ऐसे में इस प्रक्रिया की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया से त्वरित निर्णय की संभावना है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

● फैसले:

- ◆ शिल्पा सैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि न्यायालय के पास दंपति के बीच सुलह की बिलकुल भी गुंजाइश न रहने की स्थिति के आधार पर विवाह को भंग करने की शक्ति है।
 - मूल मामला वर्ष 2014 में दायर किया गया था, जिसका शीर्षक शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन था, जहाँ पक्षकारों ने अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की मांग रखी थी।
- ◆ न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955 के तहत तलाक के लिये अनिवार्य छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को खत्म कर सकता है और एक पक्ष के इच्छुक न होने पर भी सुलह की गुंजाइश न रहने के आधार पर विवाह को भंग करने की अनुमति दे सकता है।

● शर्त:

Larger public, personal interest

'IRRETRIEVABLE BREAKDOWN OF MARRIAGE'

"Court should be fully convinced... the marriage is totally unworkable, emotionally dead and beyond salvation and, thus, dissolution of marriage is... the only way forward. That the marriage has irretrievably broken down is to be factually determined and firmly established."

FACTORS TO ESTABLISH BREAKDOWN

1 Time the parties lived together after marriage	4 Orders passed in legal proceedings
2 When the parties last cohabited	5 Attempts made to settle disputes by court intervention, mediation
3 Allegations made by parties against each other, their families	6 The separation period should be above six years



- यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) 1955 के तहत दंपति में सुलह की स्थिति नहीं होने पर तलाक का आधार नहीं है।
 - ◆ विवाह विच्छेद के लिये अभी भी कोई संहिताबद्ध विधान नहीं है। हालाँकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, धारा 13 में विवाह विच्छेद के लिये कुछ आधारों की पहचान करता है।
- **निर्णय के निहितार्थ:**
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि लोग तुरंत तलाक के लिये सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।
 - दंपति में सुलह न होने की स्थिति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तलाक देना "अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि विवेकाधिकार है जिसे बहुत सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करने की आवश्यकता है"।

- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 (या अनुच्छेद 226) के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकता है और सीधे दंपति में सुलह की स्थिति नहीं होने के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग नहीं कर सकता है।

● त्रुटिपूर्ण सिद्धांत का त्याग:

- ◆ 5-न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) के तहत "त्रुटि सिद्धांत" और "तलाक के अभियोगात्मक सिद्धांत" को त्यागने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें पति-पत्नी में से किसी एक को क्रूरता, व्यभिचार या परित्याग जैसे कुछ कुकर्मों के लिये दोषी ठहराया जा सकता है।
- ◆ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 तलाक के उद्देश्य से 'दोष' या 'वैवाहिक अपराध' सिद्धांत पर आधारित हैं।
 - यदि दूसरा पक्ष वैवाहिक अपराध करता है तो यह निर्दोष पक्ष को तलाक प्राप्त करने की अनुमति देता है।
 - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के लिये 7 दोष आधार हैं: व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्मांतरण, पागलपन, कुष्ठ रोग, यौन रोग और संन्यास।
- ◆ चार आधार हैं जिन पर पत्नी अकेले मुकदमा दायर कर सकती है: बलात्कार, समलैंगिकता, व्यभिचार, भरण-पोषण के आदेश के बाद फिर से सहवास न करना और भरण-पोषण के लिये डिफ्री।
 - बचाव पक्ष को यह साबित करना होगा कि इस सिद्धांत के तहत दिये जाने वाले तलाक के लिये वे निर्दोष हैं।

● नोट:

- भारत के विधि आयोग ने 1978 और 2009 में अपनी रिपोर्ट में तलाक के अतिरिक्त आधार के रूप में इरिटिबल ब्रेकडाउन को जोड़ने की सिफारिश की थी।
- ◆ विधि आयोग ने अपनी 71वीं रिपोर्ट (1978) में विवाह के विवाह का असाध्य रूप से टूटना की अवधारणा पर विचार किया।
- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1920 तक न्यूजीलैंड राष्ट्रमंडल देशों में पहला था जिसने यह प्रावधान पेश किया कि तलाक के लिये न्यायालयों में याचिका दायर करने हेतु तीन वर्ष या उससे अधिक का अलगाव समझौता आधार था।
- ◆ विवाह कानून में वैवाहिक संबंध टूटने की अवधारणा को कई मौकों पर इस तरह व्यक्त किया गया है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:

- **परिचय:**
 - ◆ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जो हिंदुओं और अन्य लोगों के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध एवं संशोधित करता है।
 - ◆ यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों और उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं।
- **HMA के तहत तलाक की वर्तमान प्रक्रिया:**
 - ◆ HMA की धारा 13 B में "आपसी सहमति से तलाक" का प्रावधान है, जिसके तहत विवाह के दोनों पक्षों को एक साथ जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी।
 - यह इस आधार पर किया जाएगा कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग-अलग रह रहे हैं तथा एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि उनके वैवाहिक रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिये।
 - ◆ दोनों पक्षों को पहली याचिका की प्रस्तुति की तारीख के कम-से-कम 6 महीने बाद और उक्त तिथि के पश्चात् 18 महीने के बाद अदालत के समक्ष दूसरा प्रस्ताव पेश करना चाहिये (बशर्ते, याचिका इस बीच वापस नहीं ली जाती है)।
 - छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा का उद्देश्य पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने का समय देना है।
 - ◆ आपसी सहमति से तलाक की याचिका शादी के एक वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है।
- HMA की धारा 14 में कहा गया है, " प्रतिवादी की ओर से अत्यधिक दुष्टता या याचिकाकर्ता को हो रही असाधारण कठिनाई" की स्थिति में तलाक की याचिका तुरंत दायर की जा सकती है।
- पारिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में धारा 13 B (2) के तहत छह महीने की प्रतीक्षा अवधि की छूट की मांग की जा सकती है।

तलाक से संबंधित अन्य निर्णय:

- अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल (2021): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "जहाँ सुलह की संभावना हो, भले ही मामूली हो, तलाक की याचिका दायर करने की तारीख से छह महीने अलग रहने की अवधि लागू की जानी चाहिये। हालाँकि यदि सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो विवाह के पक्षकारों की पीड़ा को लंबा खींचना व्यर्थ होगा।
- भागवत पीतांबर बोरसे बनाम अनुसयाबाई भागवत बोरसे (2018): बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी का सात साल से अधिक समय तक बिना किसी उचित कारण के वापस न लौटने का इरादा तलाक के लिये एक वैध आधार है।

- जून 2016 में दो न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षकारों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना तलाक देने के लिये अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में मामले को 5 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को संदर्भित किया।
 - ◆ शीर्ष न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा लिये गए परस्पर विरोधी निर्णयों का हवाला देते हुए इसने सहमति देने वाले पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिये अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिये व्यापक मापदंडों पर स्पष्टता मांगी है।
 - ◆ छोटी बेंच ने वर्ष 2016 में वरिष्ठ अधिवक्ताओं इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत दवे, वी गिरि और मीनाक्षी अरोड़ा को संविधान पीठ की सहायता के लिये एमिकस क्यूरी (अदालत के मित्र) के रूप में नियुक्त किया था।

संविधान का अनुच्छेद 142 (1):

- अनुच्छेद 142 (1) सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की डिक्ली पारित करने या किसी भी कारण या मामले में 'पूर्ण न्याय' करने हेतु आवश्यक आदेश देने के लिये व्यापक शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 142(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय "मौलिक रूप से सामान्य और विशिष्ट सार्वजनिक नीति पर आधारित" होना चाहिये।
 - ◆ सार्वजनिक नीति की मूलभूत सामान्य शर्तें मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और संविधान की अन्य बुनियादी विशेषताओं को संदर्भित करती हैं; विशिष्ट सार्वजनिक नीति को न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया था जिसका अर्थ है "किसी भी मूल कानून में कुछ पूर्व-प्रतिष्ठित निषेध, न कि किसी विशेष वैधानिक योजना के लिये शर्तें और आवश्यकताएँ"।

भारत में वैवाहिक समानता की स्थिति:

- **भारत में तलाक दर और उनके रुझान:**
 - ◆ वर्ष 2018 के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 160,000 परिवारों के 93% विवाहित भारतीयों का 'व्यवस्था विवाह' (Arrange Marriage) हुआ था, जबकि वैश्विक औसत लगभग 55% था।
 - भारत में प्रति 1,000 लोगों पर 1.1 की न्यूनतम वार्षिक तलाक दर है, प्रत्येक 1,000 में से केवल 13 विवाहों में तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें सामान्यतः पुरुष आरंभकर्ता होते हैं।
 - प्रचलित सामाजिक मानदंड महिलाओं को तलाक लेने से हतोत्साहित करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें कानूनी बाधाओं एवं सामाजिक-आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, विशेषकर अगर वे अपने जीवनसाथी पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं।

● महिलाओं की आर्थिक निर्भरता:

- ◆ भारतीय महिलाओं की कम श्रम-शक्ति भागीदारी दर वित्तीय निर्भरता के कारण उन्हें कटुतापूर्ण विवाह संबंधों के साथ 'समझौता' करने हेतु मजबूर होना पड़ता है।

● तलाक के बाद महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ:

- ◆ वैवाहिक संबंध का विघटन असमान रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है, जिसमें घरेलू आय में अनुपातहीन नुकसान, गृह स्वामित्व खोने का उच्च जोखिम, पुनः साझेदारी के कम अवसर और एकल पालन-पोषण का भारी बोझ शामिल है।

दया याचिका

चर्चा में क्यों ?

हाल के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को कम करने के लिये सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया है, इसके बजाय इसने सरकार को आवश्यकता पड़ने पर दया याचिका पर निर्णय लेने की अनुमति दी है।

- बलवंत सिंह राजोआना को वर्ष 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूँकि राज्य और भारत संघ 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित दया याचिका पर निर्णय नहीं ले पाए हैं, इसलिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिये।

न्यायालय का अवलोकन:

- न्यायालय ने गृह मंत्रालय के इस निष्कर्ष का हवाला दिया कि अब दया याचिका पर फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा।
- न्यायालय ने कहा है कि दया याचिका पर फैसला टालने के मंत्रालय के फैसले की "जाँच" करना न्यायालय के ऊपर नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि दया याचिका पर फैसला टालने का मंत्रालय का आह्वान वास्तव में याचिका को फिलहाल के लिये खारिज करने जैसा है।

दया याचिका:

● परिचय:

- ◆ दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध है, यह अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे मृत्युदंड या कारावास की सजा दी गई हो, द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल से दया की मांग करते हुए किया जाता है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और भारत जैसे कई देशों में दया याचिका के विचार का पालन किया जाता है।

- सभी को जीने का मूल अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी वर्णित किया गया है।

● संवैधानिक ढाँचा:

- ◆ भारत में संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, दया याचिका के लिये राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतिम संवैधानिक सहारा है। जब एक दोषी को कानून की अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है तो दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका पेश कर सकता है।
- ◆ इसी प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपालों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है।

● अनुच्छेद 72:

- ◆ राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसे रोकने, विराम देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, परिहार करने की शक्ति होगी।
 - उन सभी मामलों में जहाँ सजा या सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो;
 - उन सभी मामलों में जहाँ सजा या किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिये है, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है;
 - सभी मामलों में जहाँ मौत की सजा दी गई है।

● अनुच्छेद 161:

- ◆ इसके तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत देने, विराम या छूट देने या निलंबित करने, परिहार करने या कम करने की शक्ति होगी जिससे राज्य की शक्ति का विस्तार होता है।
 - वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड की सजा वाले कैदियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 साल की जेल की सजा काट चुका हो।

● दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया:

- ◆ दया याचिकाओं से निपटने के लिये कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में कानून की अदालत में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से उसका रिश्तेदार राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएँ प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों के लिये भेज दिया जाता है।

● दया याचिका दायर करने का आधार:

- ◆ दया का कार्य कैदी का अधिकार नहीं है। वह इसका दावा नहीं कर सकता।
- ◆ दया या क्षमादान उसके स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, उसकी पारिवारिक वित्तीय स्थितियों के आधार पर दी जाती है क्योंकि वह रोजी रोटी का एकमात्र अर्जक है या नहीं।

● न्यायिक समीक्षा:

- ◆ एपुरु सुधाकर और आंध्र प्रदेश सरकार (2006) एवं अन्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- ◆ न्यायालय ने कुछ आधार निर्धारित किये जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा है:
 - यदि आदेश बेबुनियादी तरीके से पारित किया जाता है।
 - यदि पारित आदेश दुर्भावनापूर्ण है।
 - यदि आदेश पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों के प्रभाव में पारित किया गया है।
 - अगर आदेश में मनमानी की भावना व्याप्त है।

दया याचिका से जुड़े कुछ अहम फैसले:

- मारू राम बनाम भारत संघ (1981): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाना चाहिये।
- धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा।
- केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के दायरे की विस्तार पूर्वक जाँच की थी।
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात् दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है।

क्षमादान की शक्ति से संबंधित कुछ कीवर्ड:

- **क्षमा (Pardon)**: इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा को दंड, दंडादेशों एवं निरहंताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
- **लघुकरण (Commutation)**: इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है, उदाहरण के लिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।

- **परिहार (Remission)**: इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है, उदाहरण के लिये दो वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना।

- **विराम (Respite)**: इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिये महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना।

- **प्रविलंबन (Reprieve)**: इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिये किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिये समय देना है।

अन्य देशों के प्रावधान:

● संयुक्त राज्य अमेरिका:

- ◆ अमेरिका का संविधान महाभियोग के मामलों को छोड़कर राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत अपराधों के लिये प्रविलंबन अथवा क्षमादान करने की समान शक्तियाँ प्रदान करता है। हालाँकि राज्य कानून के उल्लंघन के मामलों में यह शक्ति राज्य के संबंधित राज्यपाल को दी गई है।

● यूनाइटेड किंगडम:

- ◆ यूनाइटेड किंगडम में संवैधानिक राजा मंत्रिस्तरीय की सलाह द्वारा अपराधों हेतु क्षमा या दंडविराम कर सकता है।

● कनाडा:

- ◆ आपराधिक रिकॉर्ड अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पैरोल बोर्ड ऐसी राहत देने हेतु अधिकृत है।

निष्कर्ष:

- दया याचिका एक दोषी तलवार के रूप में कार्य करती है जो स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर वरदान या अभिशाप दोनों हो सकती है। दया याचिका को मंजूरी देने में अनावश्यक बाधाएँ एवं देरी से दोषियों तथा पीड़ितों दोनों को गंभीर असुविधा हो सकती है।
- यह अनजाने/अनायास न्याय में देरी कर सकता है जिससे पीड़ितों को कभी भी उचित एवं निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता है।
- यह पीड़ित के दर्द और पीड़ा को और बढ़ाएगा। भारतीय न्यायपालिका की उचित सुविधा एवं सुचारु कामकाज हेतु दया याचिका दायर करने तथा क्षमा देने में अनावश्यक देरी को रोकने के लिये उचित सीमा अवधि व उचित नीतियों की आवश्यकता है।

भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम में किया बदलाव

चर्चा में क्यों ?

भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) के तहत वर्ष 2023 में प्रस्तावित आकलन से पहले खामियों को दूर करने के लिये विभिन्न परिवर्तनों के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आने वाले धन शोधन कानून में बदलाव किये हैं।

PMLA के तहत बदलाव:

- वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग कंपनियों अथवा मध्यस्थों जैसी रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी संगठनों का अधिक प्रकटीकरण।
- "राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों" को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करना, जिन्हें किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिये नो योर कस्टमर (Know Your Customer- KYC) मानदंडों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 2008 के परिपत्र के साथ एकरूपता लाना।
- अपने ग्राहकों की ओर से वित्तीय लेन-देन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों और लागत तथा कार्य लेखाकारों को पेश करने के कार्य को धन शोधन कानून के दायरे में लाना।
 - ◆ वित्तीय लेन-देन में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - किसी अचल संपत्ति का क्रय-विक्रय।
 - ग्राहक के पैसे, प्रतिभूतियों अथवा अन्य संपत्तियों का प्रबंधन करना।
 - बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन।
 - कंपनियों के निर्माण, संचालन अथवा प्रबंधन के लिये योगदान संबंधी संगठन।
 - कंपनियों का निर्माण, संचालन या प्रबंधन, सीमित देयता भागीदारी या ट्रस्ट।
 - व्यापारिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री।
- सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम के लिये गैर-बैंकिंग रिपोर्टिंग संस्थाओं की सूची बनाई है। जो आधार के माध्यम से अपने ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करेंगी, जिसमें अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और IIFL फाइनेंस लिमिटेड जैसी 22 वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं।

परिवर्तन से संबंधित मामले:

- परिवर्तन में रिपोर्टिंग संस्थाओं को सभी लेन-देन के रिकॉर्ड बनाए रखने और प्रत्येक निर्दिष्ट लेन-देन से पहले KYC कराने की

आवश्यकता होती है। अनुपालन में विफल रहने पर दंड एवं जाँच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

- PMLA के अधीन न्यूनतम दोषसिद्धि दर, लेकिन एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया से गुजरना।
- PMLA के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की नई परिभाषा में वकीलों और वैधानिक पेशेवरों को बाहर करने की कुछ पेशेवरों द्वारा आलोचना की गई है।
- कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि इन नए निगमित पेशेवरों को पूर्व से ही संसद के विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित पेशेवर निकायों द्वारा विनियमित किया जाता है, जिससे ये उपाय अनावश्यक हो जाते हैं।

PMLA, 2002:

- **पृष्ठभूमि:**
 - ◆ धन शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में PMLA अधिनियमित किया गया था। इसमें शामिल हैं:
 - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988
 - सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 1989
 - मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सिफारिशें, 1990
 - वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम
- **परिचय:**
 - ◆ यह एक आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।
 - ◆ यह मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाना) से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
 - ◆ इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से शोधित, उत्पन्न या अर्जित किये गए अपराध की आय को जब्त और अधिग्रहण करना।
 - ◆ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम के लिये एक कानूनी ढाँचा स्थापित करना।
 - ◆ मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जाँच और अभियोजन के लिये तंत्र को सुदृढ़ और बेहतर बनाना।

- ◆ मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

● नियामक प्राधिकरण:

- ◆ प्रवर्तन निदेशालय (ED): प्रवर्तन निदेशालय PMLA के प्रावधानों को लागू करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जाँच करने के लिये जिम्मेदार है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

● परिचय:

- ◆ FATF वर्ष 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- ◆ यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु एक वैश्विक मानक निर्धारक है।
- ◆ FATF एक नीति-निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है जो वित्तीय अपराधों से निपटने के लिये कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है।

● उद्देश्य:

- ◆ FATF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करना और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से निपटने के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

● गठन:

- ◆ मनी लॉन्ड्रिंग और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में G7 देशों की पहल पर FATF का गठन किया गया था।
- ◆ इसने शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये सिफारिशों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
 - वर्षों से आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने और नए उभरते खतरों को संबोधित करने के लिये इसके जनादेश का विस्तार हुआ।

● ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट:

- ◆ FATF की दो प्रमुख सूचियाँ हैं: "ग्रे लिस्ट" और "ब्लैक लिस्ट"।
- ◆ ग्रे लिस्ट में ऐसे क्षेत्राधिकार शामिल हैं जिनके धन शोधन रोधी एवं आतंकवाद रोधी वित्तपोषण ढाँचे में रणनीतिक कमियाँ हैं।
 - ग्रे लिस्ट में रखा जाना सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है, साथ ही यह FATF द्वारा निगरानी बढ़ाने के अधिकार क्षेत्र को विषय बनाता है।

- ◆ ब्लैक लिस्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर "कार्रवाई हेतु आह्वान (Call for Action)" के रूप में जाना जाता है, में ऐसे देश शामिल हैं जिनके धन शोधन और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण प्रयासों में गंभीर कमियाँ हैं।

- ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से अंतर्राष्ट्रीय रोक एवं प्रतिबंध लग सकते हैं।

● सदस्य देश:

- ◆ वर्तमान में FATF के 39 सदस्य हैं: 37 क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन (खाड़ी सहयोग परिषद एवं यूरोपीय आयोग)।
- ◆ वित्तीय अपराधों से निपटने में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने हेतु FATF संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है।

● भारत और FATF:

- ◆ भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना था।

दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। इस निर्णय में कहा कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियाँ शामिल हैं।

मुद्दा:

- इस मामले में मुद्दा यह है कि क्या NCT (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दिल्ली की सरकार के पास भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II और प्रविष्टि 41 के तहत 'सेवाओं' के संबंध में विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ शामिल हैं और क्या अधिकारी वर्ग की IAS, IPS, DANICS और DANIPS जैसी विभिन्न 'सेवाएँ', जिन्हें भारत संघ द्वारा दिल्ली को आवंटित किया गया है, दिल्ली सरकार के NCT के प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं।
- दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्ति विभाजन का मुद्दा पहली बार वर्ष 2019 में उठाया गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस मामले को एक बड़ी पीठ के विचार के लिये छोड़ दिया था कि प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा।
- दिल्ली सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) बिल, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में संदर्भित "सरकार" शब्द का अर्थ उपराज्यपाल (L-G) होगा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के निर्णय का पालन करेगा।
 - केंद्र के प्रति असहमति प्रकट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क देते हुए कहा कि संविधान एक संघीय संविधान है, जहाँ तक संघ शासित प्रदेश का संबंध है, वह एकात्मक नहीं है।
 - ◆ साथ ही यह भी कहा कि "लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताएँ हैं, जो कि मूल ढाँचे का हिस्सा हैं"।
 - संघवाद "स्वायत्तता के साथ-साथ समानता के भाव के एकीकरण और बहुलतावादी समाज में विविध आवश्यकताओं को समायोजित करने का एक साधन है"।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 239AA दिल्ली के NCT के लिये एक विधानसभा की स्थापना करता है क्योंकि इसकी विधानसभा के सदस्य दिल्ली के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।
 - यदि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जाती है, तो उत्तरदायित्व की त्रिपक्षीय शृंखला का सिद्धांत व्यर्थ हो जाएगा।
 - सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अधिकारियों के उत्तरदायित्व तक विस्तृत है, जो बदले में मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं। यदि अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक ज़िम्मेदारी का संपूर्ण सिद्धांत प्रभावित होता है।
 - दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह सरकार के प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करती है अतः संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा।
- संविधान का अनुच्छेद 239AA:
- संविधान (69वाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA शामिल किया गया था ताकि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके।
 - इसमें कहा गया है कि दिल्ली के NCT में प्रशासक और विधानसभा होगी।
 - कानून प्रवर्तन, लोक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर विधानसभा को "राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से हेतु कानून बनाने की शक्ति होगी, जहाँ तक ऐसा कोई मामला संविधान के प्रावधानों के अधीन केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होता है।"

- इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 239AA में यह भी बताया गया है कि उपराज्यपाल को या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा या वह राष्ट्रपति द्वारा लिये गए निर्णय को लागू करने के लिये बाध्य है।
- इसके अतिरिक्त यदि मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल "किसी भी मामले" पर असहमत हों, तब अनुच्छेद 239AA उपराज्यपाल को राष्ट्रपति से परामर्श करने का अधिकार देता है।
- इस प्रकार उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच यह दोहरा नियंत्रण एक शक्ति संघर्ष में परिणत हो सकता है।

भारत में केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन:

- परिचय:
 - ◆ संविधान का भाग VIII (अनुच्छेद 239 से 241) केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है।
 - ◆ भारत में केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। यह प्रशासक निर्वाचित नहीं बल्कि राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है।
- कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में, जैसे कि दिल्ली और पुद्दुचेरी में प्रशासक के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं जिसमें केंद्रशासित प्रदेश (UT) के लिये कानून और नियम बनाने की शक्ति भी शामिल है।
- लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली जैसे अन्य केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासक की शक्तियाँ चुनी हुई सरकार को सलाह देने तक सीमित हैं।
 - ◆ संघ शासित प्रदेशों में न्यायपालिका भी संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से शासित होती है। हालाँकि कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में, जैसे कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास अन्य केंद्रशासित प्रदेशों, जैसे- लक्षद्वीप की तुलना में व्यापक शक्तियाँ हैं।
 - दिल्ली और पुद्दुचेरी के लिये विशेष प्रावधान:
 - ◆ पुद्दुचेरी (1963 में), दिल्ली (1992 में) और वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर (अब तक गठित) केंद्रशासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान है।
- केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी की विधानसभा संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II या सूची III में वर्णित मामलों के संबंध में कानून बना सकती है, जहाँ तक ये मामले केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में लागू होते हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के पास भी ये शक्तियाँ हैं, इस अपवाद के साथ कि सूची II की प्रविष्टियाँ 1, 2 और 18 विधानसभा की विधायी क्षमता के भीतर नहीं हैं।

महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के आह्वान पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल द्वारा सदन में बहुमत साबित करने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने का निर्णय उचित नहीं था। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय पूर्व सरकार को बहाल नहीं कर सकता क्योंकि उसने फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं लिया था।

फ्लोर टेस्ट:

- यह बहुमत के परीक्षण के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिये कहा जा सकता है।
- ◆ गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत पेश करने और बहुमत हासिल करने के लिये कहा जा सकता है।
- ◆ स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिये एक से अधिक व्यक्तिगत हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल यह जानने के लिये एक विशेष सत्र बुला सकता है कि सरकार बनाने के लिये किसके पास बहुमत है।
- ◆ कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान करने से इनकार कर सकते हैं। अर्थात् आँकड़ों की गणना केवल उन विधायकों के आधार पर की जाती है जो मतदान में उपस्थित हों।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया गया और उसकी जगह दूसरी सरकार ने ले ली, जिसमें शिवसेना का एक गुट शामिल था। शिवसेना से अलग हुए गुट के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने।
- इसके बाद ठाकरे समूह द्वारा तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल के इस्तीफे से पहले विश्वास मत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- **फ्लोर टेस्ट पर:**
 - ◆ राजनीतिक दल के भीतर समस्याओं को हल करने के लिये फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये और पार्टी की असहमति को पार्टी के संविधान या अन्य तरीकों के अनुसार हल किया जाना चाहिये।
- **सचेतक (Whip) की नियुक्ति:**
 - ◆ अध्यक्ष को केवल पार्टी संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में राजनीतिक दल को सचेतक (Whip) के रूप में मान्यता

देनी चाहिये। सचेतक (Whip) और सदन में दल का नेता दोनों की नियुक्ति केवल राजनीतिक दल द्वारा की जानी चाहिये, न कि विधायक दल द्वारा।

- संसदीय बोलचाल की भाषा में सचेतक (Whip) सदन में एक पार्टी के सदस्यों को एक निश्चित अनुदेशों का पालन करने हेतु एक लिखित आदेश और पार्टी के एक नामित अधिकारी को संदर्भित कर सकता है जो इस तरह के निर्देश जारी करने का अधिकार रखता है।
- सचेतक (Whip) की अवधारणा औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली थी।
- दल-बदल के आधार पर अयोग्यता:
 - ◆ संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार है।
 - ◆ सामान्यतः न्यायालय 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधित याचिकाओं पर निर्णय नहीं दे सकता है।
- महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 40 बागी विधायकों के विरुद्ध नोटिस जारी किये गए थे, जो कि दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित थे।

संविधान की 10वीं अनुसूची:

- **दलबदल विरोधी कानून:** दसवीं अनुसूची को आमतौर पर 'दलबदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) के रूप में जाना जाता है। संसद ने इसे वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में शामिल किया था।
 - ◆ यह दल-बदल के आधार पर संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता/अयोग्यता से संबंधित प्रावधान करता है।
 - ◆ यह निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन के बाद दल परिवर्तन से रोककर राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक स्थिरता और अनुशासन को बढ़ावा देना चाहता है।
- **निरर्हता:** इसके अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल का एक सदस्य तब अयोग्य हो जाता/जाती है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ था/हुई थी, अथवा यदि वह राजनीतिक दल के निर्देशों के खिलाफ सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता/रहती है।
 - ◆ हाँलाकि एक सदस्य को अयोग्य नहीं माना जाएगा यदि वह दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के विलय के कारण दल छोड़ देता/देती है या यदि दल स्वयं किसी अन्य दल में विलय कर लेता है।

- ◆ 52वें संशोधन के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना जाता था।
- लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया और अब किसी पार्टी के कम-से-कम 2/3 सदस्यों को "विलय" के पक्ष में होना चाहिये ताकि कानून की नज़र में इसकी वैधता हो।
- 52 वें संशोधन के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक- तिहाई को 'दल बदल' को 'विलय' माना जाता था।
- लेकिन 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया और अब किसी पार्टी के कम-से-कम 2/3 सदस्य "विलय" के पक्ष में होने चाहिये ताकि कानून की नज़र में वैध हो।

फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की राज्यपाल की शक्तियाँ:

- **परिचय:**
 - ◆ संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानसभा बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है।
 - ◆ अनुच्छेद 175(2) के अनुसार, सरकार के पास संख्या बल है या नहीं यह साबित करने के लिये राज्यपाल सदन को फ्लोर टेस्ट के लिये बुला सकता है।
- हालाँकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उपरोक्त का प्रयोग कर सकता है जो कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है (जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो)।
- हालाँकि जब सदन सत्र में होता है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिये बुला सकता है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति:

- ◆ अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह होगा जो राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में सहायता और सलाह देगा। हालाँकि राज्यपाल का निर्णय किसी भी मामले में अंतिम होगा जहाँ उसे संविधान के अनुसार अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है।
- संविधान यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और उसकी किसी भी बात की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उसे अपने विवेकाधिकार से काम करना चाहिये था अथवा नहीं।
- ◆ राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो और उसकी शक्ति चर्चा योग्य हो।
- ◆ विपक्ष और राज्यपाल अक्सर तब फ्लोर टेस्ट की एक साथ मांग कर सकते हैं जब उन्हें इस बात का संदेह हो कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है।

राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट की मांग संबंधी पूर्ववर्ती फैसले:

- नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष मामला (2016): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सदन को बुलाने की शक्ति पूरी तरह से राज्यपाल में निहित नहीं है और इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से किया जाना चाहिये, न कि स्वयं।
- शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम अध्यक्ष (2020): इस प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की स्पीकर की शक्ति को बरकरार रखा, यदि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

सामान्य रिपोर्टिंग मानक: OECD

चर्चा में क्यों ?

भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD) देशों के बीच सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (Automatic Exchange of Information- AEIO) के तहत अचल संपत्तियों जैसे गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को शामिल करने के लिये G20 समूह में सामान्य रिपोर्टिंग मानक (Common Reporting Standard- CRS) के दायरे को बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

- भारत में वर्तमान में स्वचालित रूप से सूचना भेजने के लिये 78 अधिकार क्षेत्र और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने हेतु AEIO के साथ 108 अधिकार क्षेत्र हैं।
- AEIO अनिवासी बैंक खातों की जानकारी को खाताधारक के गृह देश में कर अधिकारियों के साथ साझा करने में सक्षम बनाता है। यह कर चोरी की संभावना को कम करता है।

सामान्य रिपोर्टिंग मानक:

- **परिचय:**
 - ◆ G20 देशों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए CRS को विकसित किया गया था और 15 जुलाई, 2014 को OECD परिषद द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था।
 - ◆ यह क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अपने वित्तीय संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने और वार्षिक आधार पर अन्य क्षेत्राधिकारों के साथ स्वचालित रूप से उस जानकारी का आदान-प्रदान का प्रावधान करता है।
 - ◆ इसमें वित्तीय खाते की जानकारी साझा करना, रिपोर्टिंग किये जाने योग्य वित्तीय संस्थान, कवर किये गए खातों और करदाताओं के प्रकार, साथ ही वित्तीय संस्थानों के लिये एहतियाती मानक तरीके, इन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है।
- **वर्तमान रूपरेखा:**
 - ◆ वर्तमान में OECD की स्वचालित सूचना आदान-प्रदान (AEIO) रूपरेखा कर चोरी संबंधी जाँच के उद्देश्य से हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच वित्तीय खाता विवरण साझा करने में सहायता प्रदान करती है।

- कर संबंधी सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगस्त 2022 में OECD ने क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) को भी मंजूरी दी जो क्रिप्टो-एसेट्स में लेन-देन संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग को एक मानकीकृत स्वरूप प्रदान करता है।

AEIO के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता:

- AEIO के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि सूचना का उपयोग न केवल कर चोरी की जाँच के लिये किया जा सके, बल्कि अन्य गैर-कर कानून लागू करने के उद्देश्यों हेतु भी किया जा सके।
- जोखिम न केवल वित्तीय संपत्तियों पर है, बल्कि गैर-वित्तीय संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट तथा अन्य संपत्तियों को लेकर भी कर चोरी का जोखिम है, इसलिये वित्तीय से अन्य गैर-वित्तीय खातों में CRS का विस्तार किया जाना आवश्यक है।
 - ◆ OECD की टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान भू-राजनीतिक और ऋण संकट के बीच, विशेष रूप से उन एशियाई देशों द्वारा की गई कर चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह की जाँच किये जाने की आवश्यकता है, जिन्हें वर्ष 2016 में राजस्व में 25 बिलियन यूरो का नुकसान होने का अनुमान है।
 - ◆ एक अध्ययन अनुसार, OECD की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि एशिया की 1.2 ट्रिलियन यूरो की वित्तीय संपत्ति का 4% ऑफशोर आयोजित किया गया था, जिससे वर्ष 2016 में इस क्षेत्र को 25 बिलियन यूरो का संभावित वार्षिक राजस्व का नुकसान हुआ।

कर चोरी को प्रबंधित करने के प्रयास:

- **वैश्विक प्रयास:**
 - ◆ आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS)
 - ◆ OECD का समावेशी ढाँचा वक्तव्य
 - ◆ दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA)
- **भारतीय प्रयास:**
 - ◆ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
 - ◆ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015
 - ◆ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

आगे की राह

- वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान का विस्तार, कर

संग्रह एवं गैर-कर कानून प्रवर्तन प्रयासों के लिये महत्वपूर्ण हो सकता है।

- इन पहलों को प्राथमिकता देने की G20 की प्रतिबद्धता से वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकती है, जिससे अंततः सभी को लाभ होगा।
- सूचना साझाकरण तंत्र को बेहतर बनाने और किसी भी संभावित गोपनीयता चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये सीमाओं के पार सहयोगपूर्ण कार्य जारी रखना आवश्यक है। ऐसा करके हम एक निष्पक्ष तथा अधिक स्थायी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जो सभी व्यक्तियों और राष्ट्रों को लाभान्वित करेगी।

धार्मिक स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के प्रत्युत्तर में कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।

- याचिकाकर्ता ने याचिका में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर तमिलनाडु में जबरन धर्मांतरण करने की घटनाओं के बारे में शिकायत की थी।

मामला:

- याचिकाकर्ता ने NIA (राष्ट्रीय जाँच एजेंसी)/CBI (केंद्रीय जाँच ब्यूरो) द्वारा तमिलनाडु में एक 17 वर्षीय लड़की की मृत्यु के "मूल कारण" की जाँच करने की मांग की, याचिकाकर्ता का आरोप है कि लड़की को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिये मजबूर किया गया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि जबरन या धोखे से धर्मांतरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- तमिलनाडु सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि मिशनरियों (प्रचारकों) द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार करने को अवैध रूप से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि संविधान प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।
 - ◆ यदि उनका अपने धर्म के प्रसार का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के विपरीत है और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के खिलाफ है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिये।

धर्म की स्वतंत्रता:

- **परिचय:**
 - ◆ प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह अपनी पसंद के धर्म का प्रचार-प्रसार, अभ्यास करने के लिये स्वतंत्र है।

- यह सरकार के हस्तक्षेप के भय के बिना सभी को अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का अवसर प्रदान करता है।
- लेकिन साथ ही राज्य द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका अभ्यास करे।

● आवश्यकता:

- ◆ भारत विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है। प्यू रिसर्च सेंटर के वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार, 4,641,403 लोग ऐसे हैं जो छह प्रमुख धर्मों- हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों का पालन करते हैं।
- ◆ इसलिये इतनी विविधतापूर्ण आबादी के साथ विभिन्न धर्मों और विश्वासों का पालन करते हुए प्रत्येक धर्म की आस्था के संबंध में अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित करना आवश्यक हो जाता है।

● धर्मनिरपेक्षता:

- ◆ 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते इसका कोई राज्य धर्म नहीं है जिसका अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है।
 - अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1975) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक। यह सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के मामलों में ईश्वर की अवधारणा को समाप्त करते हुए धर्म के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जाए।

● धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधान:

- ◆ अनुच्छेद 25: यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है।
- ◆ अनुच्छेद 26: यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।
- ◆ अनुच्छेद 27: यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिये करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है।
- ◆ अनुच्छेद 28: यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता देता है।

धर्मनिरपेक्षता, भारत बनाम संयुक्त राष्ट्र:

- भारत धर्म के प्रति 'तटस्थता' और 'सकारात्मक भूमिका' की अवधारणा का अनुसरण करता है। राज्य धार्मिक सुधार लागू कर

सकता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकता है तथा धार्मिक मामलों पर नीतियों का निर्माण कर सकता है।

- अमेरिका धर्म के मामलों में 'अहस्तक्षेप' के सिद्धांत का पालन करता है। राज्य धार्मिक मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।

धर्म की स्वतंत्रता पर प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ:

- **बिजोय इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य (1986):**
 - ◆ इस मामले में यहोवा के साक्षी संप्रदाय के तीन बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने यह दावा करते हुए राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया कि यह उनके विश्वास के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह निष्कासन मौलिक अधिकारों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
- **आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता (1983):**
 - ◆ न्यायालय के निर्णय के अनुसार, आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय है और सार्वजनिक सड़कों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक आवश्यक अभ्यास नहीं है।
- **एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994):**
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मस्जिद इस्लाम की एक आवश्यक प्रथा नहीं है, अतः एक मुसलमान खुले स्थान पर कहीं भी नमाज (प्राथना) कर सकता है।
- **राजा बिराकिशोर बनाम उड़ीसा राज्य (1964):**
 - ◆ इसमें जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954 की वैधता को चुनौती दी गई थी क्योंकि इसने पुरी मंदिर के मामलों के प्रबंधन के प्रावधानों को इस आधार पर अधिनियमित किया था कि यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन था। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम केवल सेवा पूजा के धर्मनिरपेक्ष पहलू को विनियमित करता है, अतः यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है।

नोट:

- कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किये हैं।
- मार्च 2022 में हरियाणा राज्य विधानसभा ने प्रलोभन, जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ हरियाणा धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक, 2022 पारित किया।
- अगस्त 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 भी पारित किया, जिसमें बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को अपराध बनाने की मांग की गई थी।

केंद्रीय प्रतिपक्ष

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संघ के वित्तीय बाजार नियामक, यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA) ने यूरोपीय बाजार अवसंरचना विनियमन (EMIR) के अनुसार, 30 अप्रैल, 2023 से छह भारतीय केंद्रीय प्रतिपक्षों (CCP) की मान्यता रद्द कर दी है।

- ये छह CCPs भारतीय समाशोधन निगम (Clearing Corporation of India- CCIL), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (Indian Clearing Corporation Ltd- ICCL), NSE समाशोधन लिमिटेड (NSE Clearing Ltd- NSCCL), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग (MCX CCL), इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (India International Clearing Corporation-IFSC) लिमिटेड (IICC) और NSE IFSC समाशोधन निगम लिमिटेड (NSE IFSC Clearing Corporation Ltd- NICCL) हैं।

भारतीय केंद्रीय प्रतिपक्ष (CCP):

- **परिचय:**
 - ◆ CCP एक वित्तीय संस्थान है जो विभिन्न डेरिवेटिव और इक्विटी बाजारों में खरीदारों एवं विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। CCPs ऐसी संरचनाएँ हैं जो वित्तीय बाजारों में समाशोधन और निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सहायता करती हैं।
 - ◆ CCP का प्राथमिक लक्ष्य वित्तीय बाजारों में दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना है।
 - ◆ CCP प्रतिपक्ष, परिचालन, निपटान, बाजार, कानूनी और डिफॉल्ट मुद्दों से जुड़े जोखिमों को कम करता है।
 - ◆ CCP एक व्यापार में खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है, इसमें शामिल प्रत्येक पक्ष से धन एकत्र करता है और व्यापार की शर्तों की गारंटी देता है।
- **कार्यप्रणाली:**
 - ◆ समाशोधन और निपटान CCP के दो मुख्य कार्य हैं।
 - समाशोधन में व्यापार के विवरण को मान्य करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि लेन-देन को पूरा करने के लिये दोनों पक्षों के पास पर्याप्त धन है।
 - निपटान में विक्रेता से खरीदार को व्यापार में सम्मिलित परिसंपत्ति या प्रतिभूति के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है।

- **भारत में विनियामक:**
 - ◆ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)।
 - CCP को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में संचालन के लिये RBI द्वारा अधिकृत किया गया है।
 - ◆ CCPs समाशोधन प्रतिभूतियों और कमोडिटी डेरिवेटिव के लिये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)।

ESMA द्वारा भारतीय CCP की मान्यता समाप्त:

- **कारण:**
 - ◆ ESMA ने सभी EMIR आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण भारतीय CCP की मान्यता समाप्त कर दी।
 - ◆ ESMA और भारतीय नियामकों- RBI, SEBI और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) के बीच 'किसी प्रकार की सहयोग संबंधी व्यवस्था की अनुपलब्धता' के कारण यह निर्णय लिया गया।
 - ESMA इन छह CCPs की निगरानी करना चाहता है, भारतीय नियामकों का मानना है कि चूंकि ये घरेलू CCPs भारत में कार्यरत हैं, यूरोपीय संघ में नहीं, इसलिये इन संस्थाओं को ESMA नियमों के अधीन नहीं लाया जा सकता है। भारतीय नियामकों को लगता है कि इन छह CCP के पास ठोस जोखिम प्रबंधन व्यवस्था है, इसलिये किसी विदेशी नियामक को उनका निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **प्रभाव:**
 - ◆ निकासी के निर्णयों के लागू होने की तिथि के अनुसार, ये CCPs अब यूरोपीय संघ में स्थापित समाशोधन सदस्यों और व्यापारिक केंद्रों को सेवाएँ प्रदान नहीं करेंगे।
 - ◆ इस निर्णय का भारत में यूरोपीय बैंकों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारतीय केंद्रीय प्रतिपक्षों से जुड़े लेन-देन के लिये या तो उन्हें अपनी पूंजी आवश्यकताओं को 50 गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी या उन्हें अगले 6 से 9 महीने के दौरान उन प्रतिपक्षों के साथ अपनी होल्डिंग को समाप्त करना होगा।

यूरोपीय प्रतिभूति और बाज़ार प्राधिकरण (ESMA):

- ESMA स्वतंत्र यूरोपीय संघ प्राधिकरण है।
- ESMA निवेशकों की सुरक्षा और स्थिर एवं व्यवस्थित वित्तीय बाजारों को बढ़ावा देता है।

- ESMA विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं जैसे- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिभूतिकरण रिपॉज़िटरी एवं ट्रेड रिपॉज़िटरी का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक है।

यूरोपीय बाज़ार अवसंरचना विनियमन (EMIR):

- EMIR अगस्त 2012 में अपनाया गया एक यूरोपीय संघ विनियमन है।
- इसका उद्देश्य OTC डेरिवेटिव बाज़ार में प्रणालीगत, प्रतिपक्ष और परिचालन जोखिम को कम करना है।
- यह CCPs और ट्रेड रिपॉज़िटरी हेतु उच्च विवेकपूर्ण मानक निर्धारित करता है।
- EMIR गैर-निकासी डेरिवेटिव जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों में सुधार करता है।
- यह तीसरे देश के CCP की पहचान और पर्यवेक्षण हेतु एक ढाँचा स्थापित करता है।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2022-23

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रा एवं वित्त पर अपनी रिपोर्ट 2022-23 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन हेतु भारत के अनुकूलन के लिये कुल संचयी व्यय वर्ष 2030 तक 85.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट:

- **परिचय:**
 - ◆ यह RBI का वार्षिक प्रकाशन है।
 - ◆ रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
- **थीम:**
 - ◆ मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 का विषय 'टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया' है।
 - यह भारत के लिये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और अवसरों एवं कम कार्बन तथा जलवायु-लचीले विकास पथ को प्राप्त करने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर केंद्रित है।
- **लक्ष्य:**
 - ◆ इसका उद्देश्य भारत में व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास तथा उनके नीतिगत प्रभावों पर विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- **आकलन:**
 - ◆ रिपोर्ट में भारत में टिकाऊ उच्च विकास के लिये भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने हेतु जलवायु परिवर्तन के चार

प्रमुख आयाम- जलवायु परिवर्तन के अभूतपूर्व पैमाने और गति, इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता के निहितार्थ एवं जलवायु जोखिमों को कम करने के लिये नीतिगत विकल्प शामिल हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- **अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:**
 - ◆ भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट का सुझाव है कि वर्ष 2070-71 तक भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी 80 प्रतिशत तक होनी चाहिये।
 - ◆ इसके लिये ऊर्जा उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 5 प्रतिशत सालाना की त्वरित कमी की आवश्यकता होगी।
- **हरित वित्तपोषण की आवश्यकता:**
 - ◆ जलवायु घटनाओं के कारण होने वाले बुनियादी ढाँचे के अंतर को दूर करने के लिये भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2030 तक हरित वित्तपोषण आवश्यकता हेतु सालाना कम-से-कम 2.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।
 - वित्तीय प्रणाली को भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिये पर्याप्त संसाधन जुटाने और मौजूदा संसाधनों को पुनः आवंटित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **नीतिगत हस्तक्षेप:**
 - ◆ इस रिपोर्ट में सभी नीति लीवर्स (सार्वजनिक सेवाओं में परिवर्तनों को निर्देशित, प्रबंधित करने और आकार देने के लिये सरकार एवं उसके अभिकरणों द्वारा उपयोग में लाया जाना वाला उपकरण) में प्रगति सुनिश्चित करने के लिये एक संतुलित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है जो भारत को वर्ष 2030 तक अपने हरित संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- **जलवायु परिवर्तन के कारण वित्तीय जोखिम:**
 - ◆ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
- **नीति उपकरण:**
 - ◆ केंद्रीय बैंकों के पास निवेश के निर्णयों को प्रभावित करने और स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये संसाधनों एवं ऋण के आवंटन के लिये कई नीतिगत साधन हैं।

- ◆ इसमें विभिन्न नियमों के माध्यम से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जलवायु एवं पर्यावरणीय जोखिमों पर विचार करना शामिल है।

बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा-रोधी अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

कुछ स्टार्ट-अप ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) पर छोटी कंपनियों की तुलना में बिग टेक कंपनियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है, जो बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा-रोधी अभ्यास के मुद्दे पर प्रकाश डालती है।

- IAMAI सोसायटी अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी औद्योगिक निकाय है। इसका जनादेश ऑनलाइन और मोबाइल मूल्यवर्द्धित सेवा क्षेत्र का विस्तार एवं वृद्धि करना है।

बिग टेक (Big Tech):

- 'बिग टेक' शब्द का उपयोग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा प्रौद्योगिकी कंपनियों, जैसे- गूगल, फेसबुक, अमेज़न, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के लिये किया जाता है।
- कंपनियों के एक स्थिर समुच्चय के बजाय बिग टेक को एक अवधारणा के रूप में बेहतर समझा जाता है। नई कंपनियाँ इस श्रेणी में उसी तरह प्रवेश कर सकती हैं जैसे मौजूदा कंपनियाँ इससे बाहर हो सकती हैं।

पृष्ठभूमि

- वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा-रोधी अभ्यास को रोकने के लिये नए नियमों को प्रस्तावित किया।
 - ◆ इनमें पूर्व नियम शामिल थे जिसमें कंपनियों को कुछ अभ्यासों में संलग्न होने और बिग टेक कंपनियों को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थों (SIDI) के रूप में नामित करने से पहले अभ्यास के कुछ मानकों का पालन करने की आवश्यकता होती है।
 - ◆ SIDI अपने राजस्व, बाजार पूंजीकरण और सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्द्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता वाली अग्रणी संस्था होगी।
- हालाँकि IAMAI ने तर्क दिया कि ये नियम नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को रोक सकते हैं।
 - ◆ इसके सदस्यों में मेटा, एप्पल, अमेज़न, ट्विटर और गूगल जैसी अन्य बिग टेक कंपनियों ने भी इसी तरह की टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं।

- इस कदम ने कुछ भारतीय स्टार्ट-अप की आलोचना की है, जिन्होंने IMAI पर विदेशी बड़ी टेक कंपनियों के पक्ष में विचारों को बढ़ावा देने और डिजिटल इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धी आचरण को प्रभावित करने का आरोप लगाया है।

भारत के डिजिटल स्पेस में बिग टेक की भूमिका:

- **राजस्व स्रोत:** वे फिनटेक बाजार में, जो राजस्व का एक आकर्षक स्रोत है (विशेष रूप से भारत में प्रति उपयोगकर्ता विज्ञापन राजस्व कम होने के कारण), एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
- **साक्षरता से जुड़ी बाधाओं को दूर करना:** बिग टेक कंपनियों द्वारा नए उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बनाने और साक्षरता से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिये वॉइस-बेस्ड और क्षेत्रीय भाषा इंटरफेस की पेशकश की जा रही है।
- **अवसंरचनात्मक और रोज़गार अंतराल को दूर करना:** नए कारोबार के कार्यक्षेत्र वेयरहाउसिंग, वितरण सुविधाएँ और रोज़गार अवसर प्रदान करने के रूप में मौजूदा अवसंरचनात्मक एवं रोज़गार अंतराल को दूर करते हुए भारत को अपने घरेलू बाजारों की बेहतर सेवा करने में मदद कर रहे हैं।
- **सामाजिक और राजनीतिक प्रगति:** अधिकांश भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता सूचनाओं तक पहुँच बनाने, संवाद करने और राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में भागीदारी करने के लिये एक या एक से अधिक बिग टेक प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं।
 - ◆ यह मुक्त भाषण के संवैधानिक अधिकार के प्रयोग का भी लोकतंत्रीकरण कर रहा है।

बिग टेक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धात्मक आचरण का प्रभाव:

- **अधिग्रहण और विलय:**
 - ◆ विलय नियंत्रण नियमों के अधीन हुए बिना अत्यधिक मूल्यवान स्टार्ट-अप खरीदने वाली बड़ी फर्मों डिजिटल बाजारों में एक समस्या है।
 - ◆ इस समिति ने कहा कि CCI (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) कुछ विलय और अधिग्रहण पर कब्ज़ा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह संयोजन के लिये आवश्यक संपत्ति एवं टर्नओवर की सीमा को पूरा नहीं करता है।
- **स्व-अधिमान:**
 - ◆ स्व-अधिमान तब होता है जब कोई कंपनी अपनी सेवाओं या अपनी सहायक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देती है, जबकि उसी प्लेटफॉर्म पर अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा भी करती है।

- उदाहरण के लिये कोई कंपनी किसी एप स्टोर में अपने स्वयं के एप्लीकेशन को रैंकिंग में प्राथमिकता दे सकती है। तटस्थता की यह कमी अन्य व्यवसायों को नुकसान पहुँचा सकती है और उनके लाभ को कम कर सकती है।

● प्रयुक्त आँकड़े:

- ◆ डिजिटल कंपनियाँ ग्राहकों के ऐसे आँकड़ों को एकत्र करती हैं जो उन्हें लाभ प्रदान करते हैं, जिससे नई कंपनियों के लिये प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है।
- ◆ हालाँकि ग्राहकों को ट्रैक करने के लिये इन आँकड़ों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।

● तृतीय-पक्ष को प्रतिबंधित करना:

- ◆ कुछ कंपनियाँ अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन के उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं, जो उपयोगकर्ता की पसंद को सीमित कर सकती हैं।
 - उदाहरण के लिये एक ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी एप्लीकेशन की सेवाओं का उपयोग करने से रोक सकता है, जैसे कि Apple किसी भी तृतीय-पक्ष एप्लीकेशन को आई-फोन पर स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है।

● संलग्नता:

- ◆ डिजिटल फर्म कभी-कभी ग्राहकों को उनके मुख्य उत्पाद से संबंधित अतिरिक्त सेवाओं को क्रय करने के लिये मजबूर करती हैं, जो प्रतिस्पर्धा को न्यूनतम रखने के साथ साथ मूल्य निर्धारण विषमता उत्पन्न करती है।

● एंटी-स्टीयरिंग:

- ◆ व्यापार उपयोगकर्ताओं को अन्य विकल्पों का उपयोग करने से रोकने के लिये संस्थाओं द्वारा एंटी-स्टीयरिंग प्रावधानों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी आती है।
 - उदाहरण के लिये एप्लीकेशन स्टोर अपने स्वयं के भुगतान सिस्टम के उपयोग को अनिवार्य करते हैं। इन क्रियाओं का परिणाम प्रतिस्पर्धा-विरोधी बहिष्करण जैसी क्रियाओं के रूप में होता है।

बिग टेक को विनियमित करने हेतु भारत का वर्तमान दृष्टिकोण:

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: भारत में अविश्वास संबंधी मुद्दे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा शासित होते हैं, जबकि CCI एकाधिकार प्रथाओं पर जाँच करता है।
- ◆ वर्ष 2022 में CCI ने 'प्रतिस्पर्धात्मक विरोधी प्रथाओं' हेतु कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिये Google पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

- प्रतिस्पर्द्धा संशोधन विधेयक, 2022: सरकार ने प्रतिस्पर्द्धा संशोधन विधेयक, 2022 में प्रतिस्पर्द्धा कानून में संशोधन प्रस्तावित किया है। विधेयक को अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- ◆ CCI यह आकलन करने हेतु आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिये विनियम तैयार करेगा कि क्या किसी उद्यम का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन है।
- ◆ यह आयोग की मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करेगा, विशेष रूप से डिजिटल और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में जहाँ अधिकांश मामलों का पहले खुलासा नहीं किया गया था क्योंकि संपत्ति या टर्नओवर राशि मूल्य क्षेत्राधिकार सीमा आवश्यकताओं से कम हो गई थी।
- घरेलू बाजारों के लचीले बने रहने की संभावना है और अगर अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा।
- यह भी उम्मीद है कि रुपए की मजबूती और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा जारी खरीदारी से बाजार को मजबूती मिलेगी।
- ◆ FII ने पहले ही भारत में निवेश करना शुरू कर दिया है, अप्रैल 2023 में प्रवाह बढ़कर 13,545 करोड़ रुपए और मई में अब तक 8,243 करोड़ रुपए हो गया है।
- इसके अलावा इस वृद्धि को वर्ष 2023 के लिये अंतिम वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है और फेडरल रिज़र्व वर्ष 2023 की दूसरी छमाही से दरों में कटौती करना शुरू कर देगा।
- यदि फेडरल रिज़र्व वर्ष के अंत में कटौती का विकल्प चुनता है, तो पूंजी प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।
- ◆ यदि फेडरल रिज़र्व जुलाई 2023 से दरों में कटौती करना शुरू करता है, तो बाजारों में तेज़ी से वृद्धि होने की उम्मीद है।

आगे की राह

- वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति बिना टर्नओवर वाले डिजिटल मार्केटप्लेस की विशेषताओं को समायोजित करने के लिये सौदे के मूल्य पर आधारित एक प्रणाली का सुझाव देती है।
- वह यह भी अनुशांसा करती है कि डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने वाली अथवा डेटा एकत्र करने वाली संस्थाओं से संबंधित किसी भी संकेंद्रण को कार्यान्वयन से पहले CCI को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे वह अधिसूचना के निर्दिष्ट सीमा के अनुरूप हो अथवा न हो।
- सरकार को इंटरनेट जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे किसी भी लेन-देन से पहले वेबसाइटों की प्रामाणिकता की जाँच करना और अनधिकृत अनुप्रयोगों तक पहुँच प्रदान न करना।

US फेडरल रिज़र्व दर में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये आक्रामक रूप से ब्याज दरों को बढ़ाने के बाद अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने एक बार फिर अपने मानक ओवरनाइट ब्याज दर को एक-चौथाई प्रतिशत बढ़ाकर 5.00%-5.25% के बीच कर दिया है।

- ओवरनाइट दरें वे हैं जिन पर विभिन्न बैंक एक दिन के लिये ओवरनाइट बाजार में एक-दूसरे को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- कई देशों में ओवरनाइट दर वह ब्याज दर है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति (भारत में रेपो दर) को लक्षित करने के लिये निर्धारित किया जाता है।

भारत पर इस वृद्धि का प्रभाव:

- अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि फेडरल की ताज़ा बढ़ोतरी का भारत पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि RBI ने बढ़ोतरी को रोक दिया है और कच्चे तेल की कीमतों में भी कमी की है।

केंद्रीय बैंकों को दर वृद्धि का सहारा:

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है।
- यह उधार लेने हेतु उपलब्ध धन की मात्रा को कम करने के लिये किया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को धीमा करने और कीमतों को तेज़ी से बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है।
- उच्च उधार लागत के कारण लोग और कंपनियाँ उधार लेने के लिये कम इच्छुक हो सकती हैं, जो आर्थिक गतिविधि एवं विकास को धीमा कर सकती है।
- ◆ इसके कारण व्यवसाय कम ऋण ले सकते हैं, कम लोगों को नियुक्त कर सकते हैं और उधार लेने की बढ़ी हुई लागत की वजह से उत्पादन कम कर सकते हैं।

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व दर वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- **पूंजी प्रवाह:** US फेडरल रिज़र्व दर में वृद्धि से अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है, जो अन्य देशों से पूंजी प्रवाह को आकर्षित कर सकती है। इससे भारत में विदेशी निवेश में कमी आ सकती है, साथ ही यह आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।
- **रुपए का मूल्यहास:** इससे रुपए का मूल्यहास भी हो सकता है, जिसका प्रभाव भारत के व्यापार संतुलन और चालू खाता घाटे पर पड़ सकता है।
- ◆ भारतीय रुपए के मूल्यहास के परिणामस्वरूप कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं का आयात महँगा हो सकता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में आयातित मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

- **घरेलू उधार लागत:** इससे भारत में उधार लेने की लागत में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि निवेशक भारतीय प्रतिभूतियों के बजाय अमेरिकी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। इससे घरेलू निवेश में कमी और व्यवसायों एवं व्यक्तियों के लिये उच्च उधार लागत हो सकती है।
- **शेयर बाजार:** इसका असर भारत के शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। उच्च अमेरिकी ब्याज दरों से इक्विटी जैसी जोखिम भरी संपत्तियों की मांग में कमी आ सकती है, जिससे भारत में स्टॉक की कीमतों में गिरावट आ सकती है।
- **बाह्य ऋण:** भारत का बाह्य ऋण ज़्यादातर अमेरिकी डॉलर में दर्शाया गया है, US फेडरल रिज़र्व दर में वृद्धि से उस ऋण सेवा की लागत बढ़ सकती है, क्योंकि रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिर सकता है। इससे भारत के बाह्य ऋण के बोझ में वृद्धि हो सकती है एवं अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **बैंक:** बैंकिंग उद्योग को ब्याज दरों में वृद्धि से लाभ होता है, क्योंकि बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो को अपनी जमा दरों की तुलना में बहुत तेज़ी से पुनर्मूल्यांकित करते हैं, जिससे उन्हें अपना शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलती है।

फेडरल रिज़र्व दर वृद्धि का मुकाबला करने हेतु भारत के पास उपलब्ध विकल्प:

- **घरेलू ब्याज दरों को समायोजित करना:** RBI, विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजारों में निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिये US फेडरल रिज़र्व दर में वृद्धि के जवाब में ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे भारतीय मुद्रा की मांग बढ़ेगी एवं इसके मूल्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालाँकि यह घरेलू आर्थिक विकास को भी धीमा कर सकता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार का विविधीकरण:** भारत अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और US फेडरल रिज़र्व दर में वृद्धि के प्रभाव को कम करने हेतु अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ला सकता है। उदाहरण के लिये भारत अन्य प्रमुख मुद्राओं जैसे- यूरो, येन और चीनी युआन पर अपनी निर्भरता बढ़ा सकता है।
- **अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाना:** भारत अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और US फेडरल रिज़र्व दर में वृद्धि के प्रभाव को कम करने हेतु अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसमें नए निर्यात बाजारों की खोज, विदेशी निवेश को आकर्षित करना एवं द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ाना शामिल हो सकता है।
- **घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना:** यदि फेडरल रिज़र्व की दर में बढ़ोतरी से भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, तो सरकार आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये कर कटौती,

सब्सिडी अथवा सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमों जैसे उपायों के माध्यम से घरेलू खपत को बढ़ावा दे सकती है।

- **कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना:** अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण भारत पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों में से एक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है, जिस कारण वस्तुओं की कीमतों में समग्र वृद्धि देखने को मिलती है। इससे निपटने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा और इथेनॉल जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

असम में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) के निर्माण स्थल का दौरा किया, ताकि अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके।

- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

इस परियोजना का दायरा:

- पार्क को सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
- यह पार्क नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा बनाया जा रहा है।
- पार्क को सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग से जोड़ा जाएगा।
- इसे ब्रह्मपुत्र के साथ 317 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है।
- इस परियोजना से भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिये बड़ी संभावनाओं की उम्मीद है।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP):

- **परिचय:**
 - ◆ MMLP एक परिवहन हब है जो रसद आपूर्ति का कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिये परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करता है।
 - ◆ ये लॉजिस्टिक्स पार्क सामान्यतः प्रमुख परिवहन नोड्स, जैसे- बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों के पास स्थित होते हैं।
 - ◆ यह भंडारण, वितरण और मूल्यवर्द्धित सेवाओं जैसे- पैकेजिंग और लेबलिंग की सुविधाओं के साथ रसद आपूर्ति की एक बड़ी मात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।

सलाहकार समिति का डीज़ल 4-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि भारत को वर्ष 2027 तक डीज़ल संचालित 4-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिये एवं उत्सर्जन को कम करने हेतु दस लाख से अधिक आबादी वाले तथा प्रदूषित शहरों में इलेक्ट्रिक व गैस-ईंधन चालित वाहनों को अपनाना चाहिये।

- पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्ष 2035 तक आंतरिक दहन इंजन वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर और तिपहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का भी सुझाव दिया।

समिति की सिफारिशें:

● नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना:

- ◆ भारत विश्व स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है, अतः इसे अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य 2070 को प्राप्त करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 40% विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना चाहिये।

- इसके अनुरूप पैनल की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक सिटी बसों को जोड़ा जाना चाहिये, डीज़ल सिटी बसों को वर्ष 2024 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिये।

- ◆ इसने प्रत्येक श्रेणी में लगभग 50% हिस्सेदारी के साथ आंशिक रूप से इलेक्ट्रिक और आंशिक रूप से इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के उपयोग का आह्वान किया।

● EV उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन:

- ◆ देश में इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle- EV) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु रिपोर्ट फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्कीम (FAME) के तहत प्रोत्साहन के लक्षित विस्तार की मांग करती है।

● गैस चालित ट्रकों और रेलवे में संक्रमण:

- ◆ पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि वस्तुओं की आवाजाही हेतु रेलवे और गैस चालित ट्रकों के अधिक उपयोग के साथ वर्ष 2024 से केवल विद्युत चालित शहर के डिलीवरी वाहनों को नए पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिये।
- ◆ रेलवे नेटवर्क के दो से तीन वर्ष के भीतर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने की उम्मीद है। पैनल के अनुसार, भारत में लंबी दूरी की

● लाभ:

- ◆ बेहतर आपूर्ति शृंखला दक्षता:
 - परिवहन के अनेक तरीकों को एकीकृत कर MMLP विभिन्न स्थानों के बीच सामान ले जाने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। ये आपूर्ति शृंखला को सुव्यवस्थित करने और समग्र दक्षता में सुधार लाने में सहायक हैं।
- ◆ कम लॉजिस्टिक लागत:
 - MMLP भंडारण और परिवहन हेतु साझा सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा प्रदान करके रसद आपूर्ति लागत को कम कर सकते हैं, जिसका उपयोग कई कंपनियों द्वारा किया जा सकता है। ये परिचालन लागत को कम करने और लाभप्रदता में सुधार करने में सहायता करते हैं।
- ◆ उन्नत सुरक्षा व संरक्षा:
 - वस्तु और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु MMLP में अक्सर उन्नत सुरक्षा प्रणालियाँ एवं प्रोटोकॉल होते हैं। ये चोरी, क्षति तथा अन्य सुरक्षा मुद्दों को रोकने में मदद करते हैं जो आपूर्ति शृंखला को प्रभावित कर सकते हैं।
- ◆ पर्यावरणीय लाभ:
 - वस्तु के परिवहन आवृत्ति की संख्या को कम करके MMLP कार्बन उत्सर्जन और परिवहन से जुड़े अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- **भारत में MMLP की स्थिति:**
 - ◆ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) ने भारतमाला परियोजना के तहत 35 MMLP विकसित करने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways- MoRTH) को अधिकृत किया है।
 - MMLP को बंगलूरु, चेन्नई, गुवाहाटी और नागपुर लागू किया जा रहा है।
 - ◆ MMLP को सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) के तहत डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT) मोड पर विकसित किया जाना है।
 - ◆ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways and Logistics Management- NHAI) के पूर्ण स्वामित्व वाला विशेष उद्देश्य वाहन (Special Purpose Vehicle- SPV) राष्ट्रीय राजमार्ग और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन (National Highways and Logistics Management- NHLML) प्रस्तावित MMLP के अधिकांश हिस्से को PPP मोड में बनाने की योजना बना रहा है।

बसों को दीर्घकाल तक विद्युत से संचालित किया जाना चाहिये, जिसमें पेट्रोल अगले 10-15 वर्षों में संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में काम करेगा।

● ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी में वृद्धि:


- ◆ भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.2% से बढ़ाकर 15% करना है।
 - इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु 'पैनल ने दो महीने की मांग के बराबर भूमिगत गैस भंडारण का निर्माण करने का सुझाव दिया है।
- ◆ पैनल विदेशी गैस उत्पादक कंपनियों की भागीदारी के साथ गैस भंडारण के निर्माण हेतु घटते तेल एवं गैस क्षेत्रों, नमक की गुफाओं तथा एक्वीफर्स के उपयोग की भी सिफारिश करता है।

भारत में डीज़ल की खपत:

● खपत पैटर्न:

- ◆ वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में डीज़ल की हिस्सेदारी लगभग 40% है, जिसका 80% परिवहन क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।
- ◆ भारत में पेट्रोल और डीज़ल की मांग वर्ष 2040 में चरम पर पहुँचने और उसके बाद के समय में वाहनों के विद्युतीकरण के कारण इसकी मांग में गिरावट आने की उम्मीद है।

Sector-wise Diesel Consumption (2021)



● डीज़ल की उच्च प्राथमिकता का कारण:

- ◆ पेट्रोल चालित परिवहन साधनों की तुलना में डीज़ल इंजनों की उच्च ईंधन बचत इसकी प्राथमिकता का एक कारक है। यह प्रति लीटर डीज़ल की अधिक ऊर्जा क्षमता और डीज़ल इंजन की अंतर्निहित दक्षता के कारण है।
- ◆ डीज़ल इंजन में उच्च-वोल्टेज स्पार्क इग्निशन (स्पार्क प्लग) का उपयोग नहीं किया जाता है और इस प्रकार प्रति किलोमीटर कम ईंधन का उपयोग होता है क्योंकि डीज़ल ईंधन में उच्च संपीड़न अनुपात होता है जिससे यह भारी वाहनों के लिये काफी उपयोगी ईंधन बन जाता है।

- ◆ इसके अलावा डीज़ल इंजन अधिक टॉर्क (घूर्णन बल अथवा टर्निंग फोर्स) प्रदान करते हैं और इन इंजनों के बंद होने की संभावना कम होती है क्योंकि वे एक यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचालक द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कि दुलाई के लिये बेहतर साबित होते हैं।

● डीज़ल चालित वाहनों का प्रभाव:

◆ वायु प्रदूषण:

- डीज़ल इंजन उच्च स्तर के पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जो वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं एवं मनुष्यों तथा वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

◆ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:

- चूँकि डीज़ल इंजन में ईंधन की खपत कम होती है, वे उच्च स्तर के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी करते हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।

◆ ध्वनि प्रदूषण:

- डीज़ल इंजन आमतौर पर गैसोलीन इंजनों की तुलना में अधिक आवाज उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है और यह शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

◆ पर्यावरणीय क्षति:

- डीज़ल के रिसाव से गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो सकती है, विशेषकर यदि जब रिसाव जल स्रोतों या संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र के निकट होता है।

डीज़ल आधारित वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध के कारण चुनौतियाँ:

● व्यावहारिकता और कार्यान्वयन:

- ◆ मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की तुलना में प्रस्तावित डीज़ल प्रतिबंध की व्यावहारिकता को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
- ◆ इसके परिणामस्वरूप रसद आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

● परिवहन क्षेत्र में डीज़ल का दबदबा:

- ◆ लंबी दूरी के परिवहन और शहरी बस सेवाओं के लिये डीज़ल पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है।
- ◆ परिवहन क्षेत्र में डीज़ल की खपत लगभग 87 प्रतिशत है, जबकि ट्रकों एवं बसों में डीज़ल की खपत लगभग 68 प्रतिशत है।

● रूपांतरण चुनौतियाँ:

- ◆ डीजल चालित ट्रकों को संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) में परिवर्तित करने की सीमाएँ हैं।
 - CNG का उपयोग मुख्य रूप से छोटी दूरी के लिये अनुकूल है और इसकी टन भार वहन क्षमता कम है।

● वर्तमान उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन:

- ◆ वाहन निर्माताओं का तर्क है कि डीजल वाहन मौजूदा उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हैं।
- ◆ डीजल बेड़े को BS-VI उत्सर्जन मानदंडों में बदलने के लिये कार निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण निवेश किये गए हैं और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से उनका समय, पैसा और प्रयास व्यर्थ चला जाएगा।

● इथेनॉल सम्मिश्रण:

- ◆ इसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाना शामिल है।
- ◆ भारत में पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण का स्तर 9.99 प्रतिशत तक पहुँच गया है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण (जिसे E20 भी कहा जाता है) का लक्ष्य वर्ष 2030 से 2025 कर दिया गया है।

● PLI योजना के तहत प्रोत्साहन:

- ◆ इसे ऑटोमोबाइल और ऑटो-कंपोनेंट उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों के लिये लागू किया गया है।
- ◆ एडवांस सेल केमिकल बैटरी स्टोरेज निर्माण के विकास के लिये लगभग 18,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए।
- ◆ इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि उनकी अग्रिम लागत को कम किया जा सके।

● SATAT योजना:

- ◆ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) पहल का उद्देश्य वैकल्पिक, हरित परिवहन ईंधन के रूप में कंप्रेसड बायो-गैस (CBG) को बढ़ावा देना है।

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परिवहन क्षेत्र हेतु भारत की पहल:

● FAME योजना:

- ◆ यह EV निर्माण और इसे अपनाते के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- ◆ वर्ष 2030 तक विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक करने का लक्ष्य।
- ◆ यह शहरी केंद्रों में चार्जिंग तकनीक और स्टेशनों की तैनाती का समर्थन करती है।

● परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन:

- ◆ इसका उद्देश्य हवा की गुणवत्ता में सुधार करना, तेल आयात पर निर्भरता को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण समाधानों को बढ़ाना है।
- ◆ इलेक्ट्रिक वाहनों, इसके कल-पूजों, और बैटरी के साथ-साथ क्रांतिकारी परिवहन के लिये पहल पहल चरणबद्ध निर्माण योजनाओं को बढ़ावा देना।

● लिथियम-आयन सेल बैटरियों के लिये सीमा शुल्क छूट:

- ◆ सरकार ने लिथियम-आयन सेल बैटरियों के आयात को सीमा शुल्क से छूट दी है ताकि भारत में उनकी लागत कम की जा सके और उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके।

● राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:

- ◆ इस मिशन का उद्देश्य उद्योग, परिवहन और बिजली जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन को विकसित करना है।
 - इसमें हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना, भंडारण और वितरण अवसंरचना तथा अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों की परिकल्पना की गई है।

RBI का स्वर्ण भंडार

चर्चा में क्यों ?

विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 में RBI का स्वर्ण भंडार 794.64 मीट्रिक टन तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2021-22 (760.42 मीट्रिक टन) से लगभग 5% अधिक है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित अंश (Reserve Tranche) और विशेष आहरण अधिकार एवं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के साथ स्वर्ण भंडार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करते हैं।

RBI द्वारा स्वर्ण की खरीद:

● कुल भंडार:

- ◆ RBI के अनुसार, लगभग 437.22 टन स्वर्ण विदेशों में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के पास भंडारित है तथा लगभग 301.10 टन स्वर्ण का भंडार घरेलू स्तर पर किया गया है।

- ◆ 31 मार्च, 2023 तक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 578.449 बिलियन डॉलर था और स्वर्ण भंडार 45.2 बिलियन डॉलर आँका गया था।
 - मूल्य के संदर्भ में (अमेरिकी डॉलर में) मार्च 2023 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 7.81% हो गई।
- ◆ RBI ने वित्त वर्ष 2023 में 34.22 टन स्वर्ण (वित्त वर्ष 2022 में 65.11 टन स्वर्ण) खरीदा।
 - वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2021 के मध्य RBI का स्वर्ण भंडार लगभग 228.41 टन था।
- ◆ विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council) के क्षेत्रीय CEO (भारत) के अनुसार, RBI उन शीर्ष पाँच केंद्रीय बैंकों में शामिल है जिनके द्वारा स्वर्ण की खरीद की जा रही है।

अन्य बैंकों द्वारा स्वर्ण की खरीद:

- विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council- WGC) के अनुसार, मुख्य रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा स्वर्ण की खरीद की जा रही है।
- ◆ WGC की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने सितंबर 2019 के बाद से अपने स्वर्ण भंडार में पहली वृद्धि दर्ज की।
- ◆ चीन ऐतिहासिक रूप से स्वर्ण का एक बड़ा खरीदार रहा है।
- वर्ष 2022 के दौरान मिस्र, कतर, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान सहित मध्य-पूर्व के केंद्रीय बैंकों ने अपने स्वर्ण भंडार में काफी वृद्धि की है।
- वर्ष 2022 के अंत तक उज्बेकिस्तान का केंद्रीय बैंक स्वर्ण का खरीदार बन गया, जिसके स्वर्ण भंडार में 34 टन की वृद्धि हुई।
- जनवरी-मार्च 2023 में सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण अपने स्वर्ण भंडार में 69 टन की वृद्धि के बाद स्वर्ण की सबसे बड़ी एकल खरीदार संस्था बन गया।

RBI द्वारा स्वर्ण की जमाखोरी का कारण:

- **नकारात्मक ब्याज दर के खिलाफ प्रतिरोधी रणनीति:**
 - ◆ जब RBI के पास अपने भंडार में विदेशी मुद्रा (USD) होती है, तो वह अमेरिकी सरकार के बॉण्ड्स, जिस पर यह ब्याज अर्जित करता है, को खरीदने के लिये इन डॉलर्स का निवेश करता है।
 - ◆ हालाँकि अमेरिका में मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण इन बॉण्ड्स पर वास्तविक ब्याज नकारात्मक हो गया है।

- ◆ वास्तविक ब्याज दर वह ब्याज दर है जो निवेशक, बचतकर्ता या ऋणदाता को मुद्रास्फीति (वास्तविक ब्याज = मामूली ब्याज - मुद्रास्फीति दर) के समायोजन के बाद प्राप्त (या प्राप्त करने की अपेक्षा) होती है।
- ◆ इस प्रकार की मुद्रास्फीति के समय स्वर्ण की मांग बढ़ जाती है और इसका धारक होने के कारण RBI तनावग्रस्त आर्थिक परिस्थितियों में भी लाभांश प्राप्त कर सकता है।
- **भू-राजनीतिक अनिश्चितता में सतर्कता:** रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-चीन के मध्य तनाव के चलते उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारण रूस एवं चीन जैसे कुछ प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा डॉलर की स्वीकृति में गिरावट देखी गई है।
 - ◆ यदि RBI के पास डॉलर है और अन्य मुद्राओं की तुलना में इसका मूल्य कम होता है, तो यह RBI के लिये घाटा है।
 - ◆ हाँलाकि स्वर्ण के आंतरिक मूल्य और इसकी सीमित आपूर्ति के कारण मुद्रा के अन्य रूपों की तुलना में स्वर्ण अपने मूल्य को अधिक समय तक बनाए रखने में सक्षम है।
 - ◆ विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता: स्वर्ण एक मजबूत, सुरक्षित, तरल संपत्ति है और संकट के समय एवं मूल्य के दीर्घकालिक भंडार के रूप में यह बेहतर प्रदर्शन करता है।
 - ◆ स्वर्ण की एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत है जो पारदर्शी होती है और इसका कभी भी कारोबार किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था में स्वर्ण का महत्त्व:

- **आरक्षित मुद्रा के रूप में सोना:** 20वीं सदी के अधिकांश समय के लिये सोने का प्रयोग विश्व की आरक्षित मुद्रा के रूप में किया जाता था। वर्ष 1971 तक अमेरिका ने सोने को मानक के रूप में प्रयोग किया था, जहाँ कागजी मुद्रा का समर्थन करने के लिये सोने का समतुल्य भंडार होना आवश्यक था।
 - ◆ अमेरिकी डॉलर और अन्य मुद्राओं की अस्थिरता के कारण कुछ अर्थशास्त्री सोने के मानक पर लौटने की वकालत करते हैं क्योंकि इसके प्रयोग को बंद कर दिया गया है।
- **आंतरिक मूल्य:** इसके अंतर्निहित मूल्य और सीमित आपूर्ति के कारण मुद्रास्फीति की अवधि में सोने की मांग में वृद्धि देखी जाती है। मुद्रा के अन्य रूपों की तुलना में सोना अपने मूल्य को अधिक समय तक बनाए रखने में सक्षम है क्योंकि इसे घटाया नहीं जा सकता है।
- **मुद्रा की कीमत में वृद्धि के लिये सोना:** किसी देश की मुद्रा की कीमत तब कम होने लगती है जब उसका आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। एक देश जो शुद्ध निर्यातक है, उसकी मुद्रा की कीमत में वृद्धि देखी जाएगी।

- ◆ जैसा कि यह देश के कुल निर्यात की कीमत बढ़ाता है, एक देश जो स्वर्ण का निर्यात करता है या स्वर्ण के भंडार तक पहुँच रखता है, स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि होने पर उसकी मुद्रा की मजबूती में वृद्धि देखी जाएगी।
- **जी-सेक के विकल्प के रूप में सोना:** किसी देश का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा (FDI के मामले में) के प्रभाव से बाजार को निष्फल करने के लिये एक माध्यम के रूप में स्वर्ण का उपयोग कर सकता है या खुले बाजार परिचालन (OMO) के लिये एक माध्यम के रूप में उपयोग कर सकता है।
- ◆ इन दोनों कार्यों में जी-सेक (G-Sec) के स्थान पर स्वर्ण का उपयोग किया जा सकता है।

नोट:

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 मुद्राओं, लिखतों, जारीकर्ताओं और प्रतिपक्षों के व्यापक मापदंडों के भीतर विभिन्न विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं स्वर्ण भंडार का उपयोग करने के लिये व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

भारत में गन्ना उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) उचित बाजार मूल्य नहीं है, इसमें कहा गया है कि सीमांत किसान अपनी आजीविका तभी चला सकते हैं जब राज्य सरकारें उन्हें बहुत अधिक राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) का भुगतान करती हैं।

गन्ने का मूल्य कैसे तय होते हैं ?

- गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर तय करती हैं।
- **केंद्र सरकार: उचित और लाभकारी मूल्य (FRP):**
 - ◆ केंद्र सरकार FRP की घोषणा करती है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होती है, जिसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा घोषित किया जाता है।
 - CCEA की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है।
 - ◆ FRP, गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- **राज्य सरकार: राज्य परामर्शित मूल्य (SAP):**
 - ◆ SAP की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा की जाती है।
 - ◆ SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।

- मूल्य की गणना विशेषज्ञों द्वारा की जाती है, जो इनपुट लागत के माध्यम से फसल के संपूर्ण आर्थिक गणना करते हैं और फिर सरकार को सुझाव देते हैं।

चीनी उत्पादन बढ़ाने से लाभ:

- चीनी उत्पादन से कई उप-उत्पाद उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गुड़, खोई और प्रेस मड, जिनका उपयोग इथेनॉल, कागज और जैविक-उर्वरक जैसे अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिये किया जा सकता है।
 - चीनी मिलें अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल में बदल सकती हैं, जो पेट्रोल के साथ मिश्रित होता है, जो न केवल हरित ईंधन के रूप में काम करता है बल्कि कच्चे तेल के आयात के कारण विदेशी मुद्रा की बचत भी करता है।
 - ◆ भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन कोटि के इथेनॉल के 10% सम्मिश्रण और वर्ष 2025 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
 - भारत ने नवंबर, 2022 की लक्षित समय-सीमा से पाँच माह पूर्व देश भर में औसतन 10% सम्मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।
 - गन्ने की खेती करने से किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों में विविधता लाने और आय बढ़ाने का अवसर मिलता है।
 - फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये गन्ने की खेती को अन्य फसलों जैसे- सब्जियों, फलों और मसालों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इससे मृदा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, कीट एवं रोगों का दबाव कम हो सकता है, साथ ही फसल की पैदावार में भी सुधार होने की संभावना रहती है।
- ### गन्ने की पैदावार से संबंधित चुनौतियाँ:
- **फसल की लंबी अवधि:**
 - ◆ गन्ने को बढ़ने और कटाई के लिये तैयार होने में लंबा समय लगता है (लगभग 10 से 12 महीने)। गन्ना उगाना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें किसान को गन्ने की कटाई करने से पहले दो और फसलें लगाने और काटने की ज़रूरत होती है।
 - ◆ इसका मतलब है कि गन्ना उगाने में लगभग तीन साल की अवधि में बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
 - **उच्च निवेश:**
 - ◆ गन्ना उगाने के लिये किसानों को अधिक धन निवेश करने की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें बोने से पहले खेतों को ठीक से तैयार करना होता है। इसमें मिट्टी को अधिक गहराई तक जोतना, उसके बाद गन्ने के लिये मिट्टी को उपयुक्त बनाने हेतु हैरो चलाना और समतल करना शामिल है।

- ◆ इसके अतिरिक्त गन्ने की पौध खरीदना महंगा है और रोपण से पहले किसानों को मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाने की जरूरत होती है, जिसकी कीमत भी अधिक होती है।
 - **उच्च श्रम लागत:**
 - ◆ गन्ना काटने के लिये श्रम की लागत बहुत अधिक होती है और यदि कटाई का मौसम बारिश के बिना सूखा होता है, तो यह गन्ने के कुल वजन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और अगर बारिश होती है, तो रास्ते में कीचड़ के परिणामस्वरूप लॉरी/ट्रक गन्ने के खेत के पास नहीं आ पाएंगे।
 - ◆ गन्ने को खेत से मुख्य सड़क तक मजदूर लगाकर ले जाने में किसानों को काफी खर्च करना पड़ता है।
 - **अव्यवहार्य चीनी निर्यात:**
 - ◆ भारत को चीनी का निर्यात करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि मुख्य रूप से गन्ने की उच्च लागत के कारण इसकी उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की तुलना में अधिक है।
 - ◆ इस अंतर को पाटने में सहायता के लिये सरकार निर्यात सब्सिडी प्रदान कर रही है, लेकिन अन्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के समक्ष आपत्तियाँ उठाई हैं।
 - ◆ हालाँकि भारत को वर्तमान में दिसंबर 2023 तक इन सब्सिडी को जारी रखने की अनुमति है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इस बारे में अनिश्चितता है।
 - **भारत के इथेनॉल कार्यक्रम के साथ समस्या:**
 - ◆ ऑटो ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल का सम्मिश्रण की घोषणा पहली बार वर्ष 2003 में की गई थी, लेकिन कई चुनौतियों के कारण यह पहल बहुत सफल नहीं रही। सम्मिश्रण के लिये आपूर्ति किये गए इथेनॉल की कम कीमत प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
 - ◆ चूँकि इथेनॉल की कीमत अक्सर पेट्रोल की कीमत से अधिक होती है, इसलिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल का सम्मिश्रण आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य हो जाता है। यह इथेनॉल उत्पादकों को सम्मिश्रण के लिये इथेनॉल की आपूर्ति करने से हतोत्साहित कर सकता है।
- भारत में गन्ना क्षेत्र की स्थिति:**
- **परिचय:**
 - ◆ चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है।
 - भारत में कपास के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है।
 - **गन्ने की वृद्धि के लिये भौगोलिक स्थितियाँ:**
 - ◆ तापमान: गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 °C के मध्य।
 - ◆ वर्षा: लगभग 75-100 सेमी।
 - ◆ मृदा का प्रकार: गहरी समृद्ध दोमट मृदा।
 - ◆ शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र> उत्तर प्रदेश> कर्नाटक।
 - **गन्ना क्षेत्र की स्थिति:**
 - ◆ भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता तथा विश्व के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है।
 - ◆ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के अनुसार, वर्ष 2022 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारत का चीनी उत्पादन 3.69% बढ़कर 12.07 मिलियन टन हो गया।
 - पिछले साल इसी अवधि में यह 11.64 मिलियन टन था।
 - ◆ इथेनॉल निर्माण हेतु डायवर्जन के बाद कुल चीनी उत्पादन जनवरी 2023 तक बढ़कर 193.5 लाख टन हो गया, जो एक वर्ष पहले की अवधि में 187.1 लाख टन था।
 - **योजना:**
 - ◆ चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना (Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings- SEFA-SU)
 - ◆ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति
 - ◆ पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol Blending with Petrol- EBP) कार्यक्रम
- आगे की राह**
- चीनी मिलों न केवल चीनी बनाने और बेचने पर निर्भर रहें बल्कि अन्य उत्पाद भी बनाने पर जोर दिया जाना चाहिये।
 - चीनी मिलों को लाभदायक बनाना होगा ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य और मिलों को लाभ मिल सके, अतः इसके लिये सह-उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करके विद्युत का उत्पादन करना बहुत आवश्यक है, इथेनॉल, जो एक नवीकरणीय जैव ईंधन है, मिलों के समीप संयंत्र स्थापित किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके लिये कच्चा माल उपलब्ध है।
 - रंगराजन समिति ने चीनी और अन्य उप-उत्पादों की कीमत में फ्लैक्टिंग करके गन्ने की कीमत तय करने हेतु रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला सुझाया है।
 - ◆ इसके अलावा यदि गन्ने की कीमत, फार्मूले द्वारा निकाली गई व सरकार द्वारा उचित भुगतान के रूप में समझी जाने वाली राशि से कम हो जाती है, तो यह इस उद्देश्य हेतु बनाए गए समर्पित फंड से अंतर को समाप्त कर सकता है, साथ ही फंड बनाने के लिये उपकर लगाया जा सकता है।

वर्ष 2030 में भारत का विद्युत क्षेत्र: नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण और कोयले के उपयोग में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority- CEA) ने ऑप्टिमल जेनरेशन मिक्स 2030 वर्जन 2.0 शीर्षक से एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है।

- यह वर्ष 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट का अद्यतन संस्करण है जिसका शीर्षक वर्ष 2029-30 के लिये इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण पर रिपोर्ट है।
- इस रिपोर्ट में कोयले की हिस्सेदारी में गिरावट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि के साथ भारत के ऊर्जा मिश्रण में अपेक्षित परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है।
- इससे पहले, CEA ने वर्ष 2022-27 के लिये राष्ट्रीय विद्युत योजना (National Electricity Plan- NEP) का नवीनतम मसौदा जारी किया था।

प्रमुख बिंदु

- **ऊर्जा उत्पादन स्रोतों में कोयले की हिस्सेदारी:**
 - ◆ ऊर्जा उत्पादन स्रोतों में कोयले की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 के 73% से घटकर वर्ष 2030 तक 55% होने का अनुमान है।
 - ◆ कोयले के उपयोग पर प्रभाव:
 - हालाँकि विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी कम होना तय है, लेकिन वर्ष 2023 और 2030 के बीच कोयला जनित विद्युत क्षमता और उत्पादन में वृद्धि होगी।
 - कोयले की क्षमता में 19% की वृद्धि का अनुमान है, और इस अवधि के दौरान उत्पादन में 13% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **सौर ऊर्जा योगदान:**
 - ◆ विद्युत उर्जा के संदर्भ में सौर ऊर्जा द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
 - अनुमान वर्ष 2030 तक 109 GW से 392 GW तक सौर क्षमता को चौगुना करने का संकेत देते हैं।
 - इसी अवधि में सौर उत्पादन 173 BU से बढ़कर 761 BU होने की उम्मीद है।

नोट:

- विद्युत क्षमता उत्पादन से भिन्न होती है। क्षमता वह अधिकतम शक्ति है जो एक संयंत्र उत्पन्न कर सकता है और इसे वाट (या गीगावाट या मेगावाट) में व्यक्त किया जाता है।
- उत्पादन एक घंटे में उत्पादित विद्युत की वास्तविक मात्रा है, जिसे वाट-घंटे या बिलियन यूनिट (BU) में व्यक्त किया जाता है।

● अन्य RE स्रोतों का योगदान:

- ◆ भावी विद्युत उर्जा हेतु बड़े जलविद्युत और पवन ऊर्जा के अनुमान सीमित बने हुए हैं।
- वर्ष 2030 तक बड़े पनविद्युत उत्पादन 8% से बढ़कर 9% होने की उम्मीद है।
- दूसरी ओर पवन उत्पादन, अद्यतन संस्करण (पिछली रिपोर्ट में 12%) में 9% तक घटने का अनुमान है।
 - ◆ इसमें वर्तमान के 12% की तुलना में वर्ष 2030 में छोटी पनविद्युत योजना, पंप-भंडारण पनविद्युत परियोजना, सौर, पवन और बायोमास सहित नवीकरणीय स्रोतों में विद्युत मिश्रण का 31% हिस्सा होने की उम्मीद है।
- **विद्युत उत्पादन मिश्रण में प्राकृतिक गैस की भूमिका:**
 - ◆ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने की आकांक्षा के बावजूद विद्युत उत्पादन में इसका योगदान कम है।
 - ◆ रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक 2,121.5 मेगावाट कोयला संयंत्रों को बंद किये जाने की संभावना है, जिसमें 304 मेगावाट कोयला संयंत्रों को वर्ष 2022-23 के दौरान बंद करना निर्धारित है।
- **ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन:**
 - ◆ भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का योगदान लगभग 40% है।
 - ◆ विद्युत क्षेत्र के उत्सर्जन में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो वर्ष 2030 में कार्बन डाइ ऑक्साइड (CO₂) 1.114 गीगा टन तक पहुँच जाएगा, यह वैश्विक विद्युत क्षेत्र के उत्सर्जन का 10% है।
- **जलवायु प्रतिबद्धताएँ:**
 - ◆ जलवायु प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में CEA के अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने के लिये पेरिस समझौते के वादे को पूरा करने की संभावना रखता है।

- ◆ रिपोर्ट के अनुसार, गैर-जीवाश्म स्रोतों के साथ भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 62% होगी। यदि परमाणु ऊर्जा पर विचार किया जाता है तो यह हिस्सेदारी 64% होगी।

भारत का अक्षय ऊर्जा विद्युत उत्पादन लक्ष्य:

- **भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:**
 - ◆ वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:
 - 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से।
 - 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से।
 - 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से।
 - 5 गीगावाट जलविद्युत से।
 - ◆ वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा:
 - इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 शिखर सम्मेलन में की गई है।
 - ◆ वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% विद्युत ऊर्जा:
 - पेरिस समझौते के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions- NDC) पर प्रतिबद्धता।
 - **भारत की वैश्विक रैंकिंग:**
 - ◆ यह विश्व में सौर और पवन ऊर्जा की चौथी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता वाला देश है।
 - ◆ यह विश्व में चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है।

CEA:

- **परिचय:**
 - ◆ CEA एक वैधानिक संगठन है जो भारत सरकार को नीतिगत मामलों पर सलाह देता है और देश में विद्युत व्यवस्था के विकास हेतु योजना तैयार करता है।
 - ◆ यह वर्ष 1951 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित किया गया था, जिसे अब विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा हटा दिया गया है।
- **कार्य:**
 - ◆ नीति निर्माण:
 - राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति तैयार करना।
 - राष्ट्रीय विद्युत नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलविद्युत विकास आदि से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना।

तकनीकी मानक:

- विद्युत संयंत्रों तथा विद्युत लाइनों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिये तकनीकी मानक निर्दिष्ट करना।
- पारेषण लाइनों के संचालन और रख-रखाव के लिये ग्रिड मानक तथा सुरक्षा आवश्यकताएँ निर्दिष्ट करना।
- ◆ डेटा संग्रह और अनुसंधान:
 - विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं उपयोग पर डेटा संग्रह करना तथा रिकॉर्ड रखना और विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
 - ◆ कार्यान्वयन निगरानी और समन्वय:
 - विद्युत परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
 - विद्युत संबंधी मामलों पर राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, क्षेत्रीय विद्युत समितियों आदि के साथ समन्वय करना।

RE स्रोतों से विद्युत उत्पादन की भारत की पहल:

- ◆ सौर ऊर्जा:
 - राष्ट्रीय सौर मिशन
 - अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
 - पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)
- ◆ पवन ऊर्जा:
 - राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति
 - राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति
- ◆ पनविद्युत:
 - राष्ट्रीय जलविद्युत नीति
 - अक्षय ऊर्जा की स्थिति: सरकार ने बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (>25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया है जो उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी, जैसे कि अंतर-राज्य पारेषण शुल्क, नवीकरणीय खरीद दायित्व, हरित ऊर्जा प्रमाणपत्र आदि।
- ◆ हाइड्रोजन:
 - राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन
 - राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में चुनौतियाँ:

- **अंतराल और परिवर्तनशीलता:**
 - ◆ मौसम की स्थिति के कारण RE स्रोत अंतराल और परिवर्तनशील हैं।

- ◆ मांग के साथ ऊर्जा आपूर्ति का मिलान करना और ग्रिड की स्थिरता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **ग्रिड एकीकरण:**
 - ◆ बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को मौजूदा पावर ग्रिड में एकीकृत करना जटिल हो सकता है।
 - ◆ विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और संतुलन तंत्र का उन्नयन जरूरी है।
- **भूमि और संसाधन उपलब्धता:**
 - ◆ भूमि और संसाधन की उपलब्धता, नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक होती है।
 - ◆ उपयुक्त स्थानों की पहचान करना, भूमि का अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **कोयला निर्भर अर्थव्यवस्था से संक्रमण:**
 - ◆ भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कोयले का वर्चस्व है क्योंकि विद्युत उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 70% हिस्सा है।
 - ◆ साथ ही भारत में कोयला क्षेत्र से लगभग 1.2 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार और 20 मिलियन तक अप्रत्यक्ष एवं निर्भर रोजगार के सृजन का अनुमान है।
- इसमें परिवर्तन से कोयला क्षेत्र में रोजगार में कमी आ सकती जिसके चलते प्रभावित समुदायों के लिये एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

ई-चालान और कर चोरी पर अंकुश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने कर चोरी पर अंकुश लगाने और वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) व्यवस्था के तहत अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से व्यवसाय-से-व्यवसाय (Business-to-Business- B2B) लेन-देन हेतु ई-चालान बनाने की सीमा को 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है।

- सरकार ने केंद्रीय कर अधिकारियों हेतु बैकएंड एप्लीकेशन में GST रिटर्न के लिये ऑटोमेटेड रिटर्न स्कूटनी मॉड्यूल (ARSM) भी शुरू किया है।

ऑटोमेटेड रिटर्न स्कूटनी मॉड्यूल:

- ARSM केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर स्वचालन (Automation of Central Excise and Service Tax- ACES- GST) बैकएंड एप्लीकेशन का एक हिस्सा है जो GST रिटर्न में जोखिमों एवं विसंगतियों की पहचान करने हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है।

- यह कर अधिकारियों को केंद्र प्रशासित करदाताओं के GST रिटर्न की जाँच करने में मदद करता है, जिन्हें तंत्र द्वारा पहचाने गए जोखिमों के आधार पर चुना जाता है।
- किसी भी गैर-अनुपालन का पता चलने पर मॉड्यूल अलर्ट भी करता है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु GST रिटर्न की जाँच के साथ ऑटोमेटेड रिटर्न स्कूटनी मॉड्यूल पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें कर अधिकारियों के पास पहले से ही अपेक्षित डेटा है।

GST के तहत ई-चालान:

- **परिचय:**
 - ◆ ई-चालान एक ऐसी प्रणाली है जहाँ GST पोर्टल पर आगे उपयोग हेतु B2B चालान और कुछ अन्य दस्तावेजों को वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (Goods and Service Tax Network- GSTN) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित किया जाता है।
 - ◆ ई-चालान में एक आम ई-चालान पोर्टल पर पहले से ही उत्पन्न मानक चालान जमा करना, चालान विवरण के एक बार के इनपुट के साथ रिपोर्टिंग को स्वचालित करना शामिल है।
 - ◆ चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) द्वारा प्रत्येक चालान पर एक पहचान संख्या जारी की जाती है, जो वास्तविक समय में चालान की जानकारी को GST पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल में स्थानांतरित करती है।
 - ◆ ई-वे बिल एक अनुपालन प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं की आवाजाही शुरू करने वाली पार्टी माल की आवाजाही शुरू होने से पहले आवश्यक डेटा अपलोड करती है और GST पोर्टल पर ई-वे बिल तैयार करती है जिससे वस्तुओं की तेज आवाजाही की सुविधा प्राप्त होती है।
 - ◆ इसके तहत रिटर्न दाखिल करते समय और ई-वे बिल बनाते समय मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ GST परिषद ने सितंबर 2019 में अपनी 37वीं बैठक में ई-चालान के मानक को मंजूरी दी थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पूरे GST पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर-संचालनीयता को सक्षम करना था।
- **महत्त्व:**
 - ◆ एक समान चालान प्रणाली के साथ कर अधिकारी रिटर्न संबंधी समग्र सूचना प्रदान करने और समाधान संबंधित मुद्दों में कमी लाने में सक्षम होते हैं।

- ◆ फर्जी चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की एक बड़ी संख्या को देखते हुए GST अधिकारियों ने इस ई-चालान प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया है जिससे कर चोरी पर अंकुश लगाने और कर के रूप में धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसमें अधिकारियों के पास वास्तविक समय में डेटा तक पहुँच की भी सुविधा होगी।

ई-चालान की सीमा को कम करने के लाभ:

- ई-चालान की सीमा को कम करना आवश्यक है क्योंकि यह अधिक व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिये अनुपालन जनादेश का विस्तार करता है तथा GST राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- इससे कर चोरी पर अंकुश लगाने, GST कर आधार को व्यापक बनाने और बेहतर अनुपालन के लिये कर अधिकारियों को अधिक डेटा प्रदान करने की भी उम्मीद है।
- ई-चालान अपनाने के लिये अधिक व्यवसायों की आवश्यकता का सरकार का उद्देश्य नकली चालानों की उत्पत्ति से जुड़ी बेमेल त्रुटियों और धोखाधड़ी गतिविधियों को कम करना है।

फैसले से जुड़े प्रसंग:

- ई-चालान की सीमा कम करने से व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) की चिंताएँ बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें नई आवश्यकताओं को अपनाने और ई-चालान मानदंडों का पालन करने हेतु आवश्यक तकनीक में निवेश करने को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनकी अनुपालन लागत बढ़ सकती है और उनके नकदी प्रवाह पर बोझ पड़ सकता है।
- इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में करदाताओं द्वारा उत्पन्न ई-चालान के बढ़ते भार को संभालने के लिये GST नेटवर्क (GSTN) की

क्षमता और तैयारी के संदर्भ में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसका कारण तकनीकी खामियाँ हो सकती हैं और चालान बनाने में देरी हो सकती है, जो व्यवसायों के सुचारु कामकाज को प्रभावित कर सकता है।

- चालान में अधिक धोखाधड़ी B2C (बिजनेस टू कंज्यूमर) होती है क्योंकि इसमें कोई ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) शामिल नहीं है। अभी तक ई-चालान B2C लेन-देन पर लागू नहीं है।

कर चोरी को रोकने के अन्य उपाय:

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

आगे की राह

- सरकार छोटे और मध्यम उद्यमों को नई प्रणाली अपनाने में सहायता प्रदान कर सकती है, जिसमें व्यवसायों को नए नियमों का पालन करने में मदद के लिये प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान करना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिये कदम उठाए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय वास्तविक समय में अपने डेटा को साझा करने में सहज महसूस करें।
- ई-चालान केवल B2B चालानों पर लागू होता है। इस प्रकार डिलीवरी चालान, आपूर्ति बिल, जॉब वर्क और अन्य समान लेन-देन के लिये एक अलग कार्यप्रणाली होनी चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA का एक वर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के कार्यान्वयन का एक वर्ष पूरा हो गया है।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):

- यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार करता है।
- साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।
- CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात CEPA:

- **परिचय:**
 - ◆ भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में व्यापार शामिल है।
 - ◆ CEPA 1 मई, 2022 को लागू हुआ और उम्मीद है कि पाँच वर्षों के भीतर वस्तुओं के मामले में द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक और सेवाओं में व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा।
 - ◆ CEPA पिछले एक दशक में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला सुदृढ़ और पूर्ण FTA है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
 - ◆ व्यापार में सम्मिलित वस्तु:
 - CEPA भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किये जाने वाले व्यापार से 80 प्रतिशत अधिक उत्पादों के लिये अधिमान्य बाजार पहुँच प्रदान करता है।

- भारत को विशेष रूप से रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खेल का सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि तथा लकड़ी के उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों तथा ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात को अपने निर्यात पर टैरिफ में कमी करने या उन्मूलन से लाभ होगा।

◆ व्यापार में सम्मिलित सेवाएँ:

- CEPA में 11 व्यापक सेवा क्षेत्र और 100 से अधिक उप-क्षेत्र शामिल हैं, जैसे- व्यवसाय सेवाएँ, संचार सेवाएँ, निर्माण और इंजीनियरिंग संबंधित सेवाएँ, वितरण सेवाएँ, शैक्षिक सेवाएँ, पर्यावरण सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएँ, पर्यटन एवं यात्रा संबंधित सेवाएँ, मनोरंजक सांस्कृतिक तथा खेल सेवाएँ और परिवहन सेवाएँ।
- दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में एक-दूसरे के सेवा प्रदाताओं के लिये बाजार तक बेहतर पहुँच की पेशकश की है।

◆ निवेश:

- CEPA भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार निवेश के लिये एक उदार और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवस्था प्रदान करता है।
- इसमें विवाद निपटान और निवेश सुविधा पर सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं।

◆ सहयोग के कुछ अन्य क्षेत्र:

- निवेश का संरक्षण और संवर्द्धन
- व्यापार तकनीकी बाधाएँ (TBT)
- स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक (SPS) उपाय
- विवाद निपटान
- पर्यावरणीय आंदोलन
- दवा उत्पाद
- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
- डिजिटल व्यापार

भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापार संबंध:



● व्यापार :

- ◆ संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (अमेरिका, चीन के बाद) है। वर्ष 2021 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 68.4 अरब अमेरिकी डॉलर का था।

● प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):

- ◆ संयुक्त अरब अमीरात अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक 15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी FDI प्रवाह के साथ भारत में 7वाँ सबसे बड़ा निवेशक है।

● निर्यात:

- ◆ संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले प्रमुख भारतीय निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, मशीनरी एवं उपकरण, रसायन, लोहा तथा इस्पात, कपड़ा व वस्त्र, अनाज, मांस और मांस उत्पाद आदि शामिल हैं।

● आयात:

- ◆ संयुक्त अरब अमीरात से होने वाले प्रमुख भारतीय आयात में कच्चा तेल, सोना, मोती और कीमती पत्थर, धातु अयस्क एवं धातु स्क्रेप, रसायन, विद्युत मशीनरी आदि शामिल हैं।

● व्यापार संबंधों पर भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA का प्रभाव:

- ◆ द्विपक्षीय व्यापार:
 - वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वाणिज्य में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल की गई है, यह

वित्त वर्ष 2022 के 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि 16% की वृद्धि है।

◆ संयुक्त अरब अमीरात को भारत से निर्यात:

- भारतीय निर्यात 28 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया (उपर्युक्त समान अवधि में); प्रतिशत के संदर्भ में 11.8%की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि।
- इसी अवधि के दौरान भारत के वैश्विक निर्यात में 5.3% की वृद्धि हुई थी, यदि संयुक्त अरब अमीरात को छोड़ दिया जाए तो भारत का वैश्विक निर्यात 4.8% की दर से बढ़ा है।

◆ वे क्षेत्र जिनमें निर्यात में काफी वृद्धि हुई, इस प्रकार हैं:

- खनिज ईंधन
- विद्युत मशीनरी (विशेष रूप से टेलीफोन उपकरण)
- रत्न और आभूषण
- ऑटोमोबाइल (परिवहन वाहन)
- आवश्यक तेल/इत्र/प्रसाधन सामग्री (सौंदर्य/त्वचा देखभाल उत्पाद)
- अन्य मशीनरी
- अनाज (चावल)
- कॉफी/चाय/मसाले
- रासायनिक उत्पाद

WTO को कृषि सब्सिडी पर पुनः विचार करने की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

भारत के वित्त मंत्री ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) से कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है क्योंकि यह कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रभावित कर रही है।

- वित्त मंत्री ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के गवर्नर्स द्वारा आयोजित संगोष्ठी 'एशिया को समर्थन देने वाली नीतियाँ' विषय पर यह बात कही।

नोट:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) के गवर्नर्स की संगोष्ठी एक वार्षिक कार्यक्रम है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये ADB के सदस्य देशों के सभी गवर्नर, प्रमुख नीति निर्माता, विकास विशेषज्ञ आदि को एक साथ लाती है।

- ◆ इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में स्थित है। ADB एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ADB का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से एक प्रतिनिधि शामिल होता है।

WTO के तहत सब्सिडी

- **एम्बर बॉक्स:**
 - ◆ एम्बर बॉक्स सब्सिडी वह है जो अन्य देशों की तुलना में किसी देश के उत्पादों को सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है।
 - उदाहरण: खाद, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसे इनपुट के लिये सब्सिडी।
 - ◆ विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, कृषि के एम्बर बॉक्स का उपयोग उन सभी घरेलू समर्थन उपायों के लिये किया जाता है जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले माने जाते हैं।
 - परिणामस्वरूप व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स में आने वाले व्यापार-विकृत घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है।
 - ◆ सदस्य जो इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के अंदर अपना एम्बर बॉक्स समर्थन रखना चाहिये। (डि मिनिमस क्लॉज)
 - विकासशील देशों के लिये 10%
 - विकसित देशों के लिये 5%
- **ब्लू बॉक्स:**
 - ◆ यह "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स" है जो विकृति को कम करने के लिये डिज़ाइन की गई स्थितियाँ हैं।
 - ◆ कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में मौजूद होता है, उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है, यद्यपि इसके लिये किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है।
 - इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन सीमा निर्धारित कर अथवा किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा आरक्षित करने के लिये बाध्य कर उत्पादन को सीमित करना है।
 - ◆ वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है।

● ग्रीन बॉक्स:

- ◆ घरेलू सहायता के वे उपाय जो व्यापार को न के बराबर अथवा न्यूनतम रूप से बाधित करते हैं, उन्हें ग्रीन बॉक्स कहा जाता है।
- ◆ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के लिये सरकारी वित्त का उपयोग किया जाता है; फसलों हेतु कोई मूल्य समर्थन नहीं होता है।
 - इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।
- ◆ इसलिये "ग्रीन बॉक्स" सब्सिडी की अनुमति बिना किसी सीमा के दी जाती है (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर)।

सब्सिडी मानदंडों पर फिर से विचार करने के प्रमुख कारण:

● ग्लोबल साउथ के लिये असमान अवसर:

- ◆ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से कृषि वस्तुओं के निर्यात के संबंध में सामान्य तौर पर एक शिकायत रही है कि वैश्विक दक्षिण/ग्लोबल साउथ और उभरते बाजारों के दृष्टिकोण को व्यापार चर्चाओं में विकसित देशों के समान महत्त्व नहीं दिया गया है।
- ◆ 'ग्लोबल साउथ' व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को संदर्भित करता है।

- **खाद्य सब्सिडी सीमा के मुद्दे:** विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों का खाद्य सब्सिडी बिल वर्ष 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये, यह सीमा निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमों के तहत अपनाए गए संदर्भ मूल्य के लिये एक समस्या है।

- ◆ विकासशील देशों में कृषि और गरीब किसानों के लिये सब्सिडी की गणना नहीं की जाती थी तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा सब्सिडी पर रोक लगा दी जाती थी।

- ◆ व्यापार समझौतों की असंतुलित प्रकृति के कारण विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में खाद्य सुरक्षा दृढ़ है।

- **बढ़ती खाद्य असुरक्षा:** कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य सुरक्षा के लिये उत्पन्न चुनौतियों की वजह से सब्सिडी मानदंडों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो गया है क्योंकि खाद्य और उर्वरक सुरक्षा अब अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

- **भारत की मांग:** स्थायी समाधान के तहत भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के फार्मूले में संशोधन और वर्ष 2013 के बाद लागू कार्यक्रमों को 'पीस क्लॉज' के दायरे में शामिल करने की मांग की है।

WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की एक संधि जिस पर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के उरुग्वे दौर के दौरान कातपीत शुरु हुई। औपचारिक रूप से 1994 में पारित, मोरक्को में इसकी पुष्टि की गई। वर्ष 1995 में यह संधि प्रभावी हुई।

विशेषताएं

- बाजार पहुँच (व्यापार बाधाओं को कम करके कृषि उत्पादों के लिये बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देना)
- घरेलू सहायता (सब्सिडी बॉक्स को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है)
- निर्यात सब्सिडी (निर्यात सब्सिडी जो व्यापार को विकृत कर सकती है, के उपयोग को कम करना)

सब्सिडी बॉक्स

एम्बर बॉक्स सब्सिडी

- किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है
- उदाहरण: खाद, बीज, विद्युत, सिंचाई जैसी निविष्टियों के लिये सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
- एम्बर बॉक्स का उपयोग घरेलू समर्थन के उन सभी उपायों के लिये किया जाता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे उत्पादन एवं व्यापार को विकृत कर सकते हैं
- परिणामस्वरूप, हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आने वाले घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होना आवश्यक होता है
- जो सदस्य इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपना एम्बर बॉक्स समर्थन अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के भीतर रखना चाहिये। (डि मिनिमस क्लॉज)
- विकासशील देशों के लिये 10%
- विकसित देशों के लिये 5%
- भारत का MSP कार्यक्रम जाँच के दायरे में है, क्योंकि यह 10% की सीमा से अधिक है

ब्लू बॉक्स सब्सिडी

- "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स" - विकृति को कम करने के लिये अभिकल्पित
- ऐसा कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है लेकिन उसके लिये किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है
- इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा आरोपित करके अथवा किसानों के लिये अपनी भूमि का एक हिस्सा खाली छोड़ना अनिवार्य करके उत्पादन को सीमित करना है
- वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है

ग्रीन बॉक्स सब्सिडी

- घरेलू समर्थन के उपाय जो व्यापार विकृति का कारण नहीं बनते हैं या कम-से-कम विकृति का कारण बनते हैं
- ये सब्सिडी फसलों पर बिना किसी मूल्य समर्थन के सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं
- इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं
- बिना किसी सीमा के अनुमत (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर)



विश्व व्यापार संगठन का शांति समझौता:

- एक अंतरिम उपाय के रूप में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने दिसंबर 2013 में 'पीस क्लॉज/शांति समझौता' नामक एक तंत्र पर सहमति जताई और स्थायी समाधान के लिये बातचीत करने का संकल्प लिया।
- शांति उपबंध के तहत विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान फोरम में विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्धारित सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने पर सहमति व्यक्त की।
- यह उपबंध तब तक बना रहेगा जब तक कि खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO)

परिचय:

- विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित एवं बढ़ावा देने का कार्य करता है।

- इसे वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में 164 देश (यूरोपीय संघ सहित) इसके सदस्य हैं।
- यह सदस्य देशों को संवाद करने और व्यापार समझौतों को लागू करने, विवादों को सुलझाने एवं आर्थिक विकास तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति:**
 - WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के स्थान पर अपनाया गया।
 - WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि GATT के उरुग्वे दौर (वर्ष 1986-94) की वार्ता में तैयार हुई।
 - विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी, 1995 को परिचालन शुरू किया।

- ◆ जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे "मराकेश समझौते" के रूप में जाना जाता है। इस पर वर्ष 1994 में मोरक्को के मराकेश में हस्ताक्षर किये गए।
- भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना।
- ◆ GATT और WTO में मुख्य अंतर यह है कि GATT जहाँ ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं WTO और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं एवं अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे- व्यापार चिह्न, डिजाइन व आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (US Commission on International Religious Freedom- USCIRF) की 2023 रिपोर्ट की सिफारिशों को पक्षपाती और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है।

USCIRF

- USCIRF एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है, जो विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिये समर्पित है।
- यह अमेरिकी प्रशासन के लिये एक सलाहकार निकाय है।
- USCIRF's की वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अमेरिकी सरकार के प्रचार को बढ़ाने के लिये सिफारिशें प्रदान करती है।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA), 1998 की निष्क्रियता के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा स्थापित USCIRF की सिफारिशें राज्य विभाग पर गैर-बाध्यकारी हैं।
- ◆ परंपरागत रूप से भारत USCIRF के दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता है।

भारत की चिंताएँ:

- कुछ कानूनों और नीतियों के बारे में चिंता: रिपोर्ट देश में कुछ कानूनों और नीतियों के बारे में चिंता पर प्रकाश डालती है जिनकी धर्म के आधार पर भेदभाव करने की उनकी क्षमता के कारण आलोचना की गई है।
- ◆ इनमें धर्मांतरण, अंतर-धार्मिक संबंध, हिजाब और गोहत्या से संबंधित कानून, साथ ही नागरिकता (संशोधन) अधिनियम,

2019 तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) शामिल हैं, इन सभी ने अल्पसंख्यकों को अनुकूल तरीके से प्रभावित नहीं किया है।

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले उपाय:** यह उन तथाकथित उपायों के विषय में चिंता जताता है जो महत्वपूर्ण आवाजों, विशेष रूप से जो धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, को प्रभावित कर सकते हैं।
- ◆ इनमें विधि विरुद्ध गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत निगरानी, उत्पीड़न, परिसंपत्ति विध्वंस और हिरासत शामिल हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGO) भी विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत जाँच के अधीन हैं।
- **CPC के रूप में भारत:** इसने भारत को विशेष चिंता वाले देशों (CPC) के रूप में नामित नहीं करने के लिये अमेरिकी विदेश विभाग की आलोचना की है तथा भारतीय सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है।
- ◆ USCIRF वर्ष 2020 से भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने की सिफारिश कर रहा है, लेकिन इसे अभी तक अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- वर्ष 2022 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के आधार पर USCIRF वर्ष 2023 के लिये अनुशंसा करता है कि राज्य विभाग:
- ◆ CPC के रूप में पुनः नामित: बर्मा, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान।
 - अतिरिक्त सीपीसी के रूप में नामित: अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम।
- ◆ विशेष निगरानी सूची (SWL) पर बनाए रखना: अल्जीरिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर)।
 - SWL में शामिल करना: अज़रबैजान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाखस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, तुर्की और उज़्बेकिस्तान।
- ◆ विशेष चिंता (EPCs) की संस्थाओं के रूप में नया स्वरूप: अल-शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल-शाम (HTS), हौथिस, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा (ISGS), इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISIS-पश्चिम अफ्रीका के रूप में संदर्भित ISWAP भी) और जमात नस्र अल-इस्लाम वाल मुस्लिमिन (JNIM)।

विभिन्न श्रेणियों में देशों के पदनाम के लिये मानदंड:

- CPCs: जब देशों की सरकार IRFA 1998 के तहत धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के "व्यवस्थित, अविरत और गंभीर उल्लंघन" में शामिल होती है या सहन करती है।
- SWL: यह धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के प्रति सरकारों के अपराध या सहनशीलता पर आधारित है।
- EPC: व्यवस्थित, गतिमान एवं गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन हेतु।



भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति:

- भारत में धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है।
- अनुच्छेद 25 (अंतःकरण की स्वतंत्रता और आचरण का अधिकार, अभ्यास और धर्म का प्रचार करने का अधिकार)।
- अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 27 (धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय से स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 28 (धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता)।
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित हैं।

नोट :

भारत-इजरायल संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) तथा इजरायल के रक्षा अनुसंधान और विकास (DDR&D) ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।



समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएँ:

- इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम और सेमीकंडक्टर, सिंथेटिक बायोलॉजी, सतत् ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करना है। वे पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- सहयोग में एयरोस्पेस, रसायन और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र शामिल होंगे।
- पारस्परिक रूप से लाभकारी औद्योगिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिये CSIR एवं DDR&D के प्रमुखों के नेतृत्व वाली एक संयुक्त संचालन समिति द्वारा समझौता ज्ञापन की निगरानी की जाएगी।

भारत-इजरायल संबंध:

● कूटनीतिक:

- ◆ हालाँकि भारत ने वर्ष 1950 में इजरायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी, 1992 को स्थापित हुए।
- ◆ दिसंबर 2020 तक भारत संयुक्त राष्ट्र (UN) के 164 सदस्य देशों में से एक था, उसके इजरायल के साथ राजनयिक संबंध थे।

● आर्थिक और वाणिज्यिक:

- ◆ भारत और इजरायल के बीच व्यापार कोविड-19 महामारी से पहले के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023 जनवरी तक लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
 - हीरे का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है।
- ◆ भारत एशिया में इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
 - इजरायली कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- ◆ भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिये इजरायल के साथ भी बातचीत कर रहा है।

● रक्षा:

- ◆ भारत, इजरायल से हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जो इसके वार्षिक हथियारों के निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है।
- ◆ भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है, जिसमें फाल्कन AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स), हेरॉन, सर्चर- II, हारोप ड्रोन से लेकर बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली और स्पाइडर क्विक-रिएक्शन विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
 - द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर 15वें संयुक्त कार्य समूह (JWG 2021) की बैठक में देशों ने सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक व्यापक दस-वर्षीय रोडमैप तैयार करने के लिये टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की।

● कृषि:

- ◆ मई 2021 में कृषि सहयोग में विकास के लिये "तीन वर्ष के कार्य कार्यक्रम समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए।

- ◆ कार्यक्रम का उद्देश्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, CoE की मूल्य शृंखला में वृद्धि करना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा उनके सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

● विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

- ◆ हाल के वर्षों में इजरायल के स्टार्ट-अप नेशनल सेंटरल तथा iCreate और TiE (टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स) जैसे भारतीय उद्यमिता केंद्रों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- ◆ वर्ष 2022 में दोनों देशों ने भारत-इजरायल औद्योगिक R&D और नवाचार निवेश (I4F) के दायरे को बढ़ाया, जिसमें अक्षय ऊर्जा तथा ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) जैसे क्षेत्रों के शिक्षा तथा व्यावसायिक संस्थाओं की भागीदारी में वृद्धि शामिल है।
 - I4F नामित "लक्षित क्षेत्र (Focus Sectors)" में समस्याओं का समाधान करने के लिये इजरायल एवं भारतीय उद्यमों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास पहल को प्रोत्साहित करने, सुविधा प्रदान करने व समर्थन देने हेतु दोनों देशों के बीच साझेदारी है।

● अन्य:

- ◆ इजरायल भी भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) में शामिल हो रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में अपने सहयोग को बढ़ाने एवं स्वच्छ ऊर्जा में भागीदार बनाने के दोनों देशों के उद्देश्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है।

आगे की राह

- भारतीय इजरायल के प्रति सहानुभूति रखते हैं, साथ ही सरकार अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित के आधार पर अपनी पश्चिम एशिया नीति को संतुलित एवं पुनर्गठित कर रही है।
- भारत और इजरायल को अपने धार्मिक चरमपंथी पड़ोसियों की भेद्यता को दूर करने एवं जलवायु परिवर्तन, जल संकट, जनसंख्या विस्फोट तथा खाद्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर उत्पादक रूप से काम करने की आवश्यकता है।

- भारत को अब्राहम समझौते द्वारा किये गए भू-राजनीतिक पुनर्गठन के लाभ उठाने हेतु अधिक मुखर और सक्रिय मध्य पूर्वी नीति की आवश्यकता है।

CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्री-स्तरीय पाकिस्तान-चीन सामरिक वार्ता के चौथे दौर का आयोजन किया, जिसमें दोनों चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमत हुए।

- साथ ही 5वीं चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की वार्ता भी आयोजित की गई जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- वर्ष 2021 में चीन ने अफगानिस्तान में CPEC के विस्तार हेतु पेशावर-काबुल मोटरमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

- CPEC चीन के उत्तर-पश्चिम झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
- यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक एवं अन्य बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे तथा पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- यह चीन के लिये ग्वादर बंदरगाह से मध्य-पूर्व और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन को हिंद महासागर तक पहुँचने में मदद मिलेगी तथा बदले में चीन पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिये पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा।
- CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है।
 - ◆ वर्ष 2013 में लॉन्च किये गए BRI का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि

एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।



पाकिस्तान और चीन दोनों के लिये महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान:

- दुर्लभ खनिजों तक पहुँच: अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में दुर्लभ पृथ्वी खनिज (1.4 मिलियन टन) हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य उपकरण बनाने हेतु महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, देश आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है क्योंकि विदेशी सहायता वापस ले ली गई है।
- ऊर्जा और अन्य संसाधन: CPEC में अफगान भागीदारी इस्लामाबाद और बीजिंग को ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देगी, साथ ही ताँबा, सोना, यूरेनियम तथा लिथियम से लेकर अफगानिस्तान के अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की विशाल संपत्ति तक पहुँच प्राप्त होगी, जो विभिन्न उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों व उच्च तकनीक मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों हेतु महत्वपूर्ण घटक हैं।

CPEC का अफगानिस्तान में विस्तार से भारत पर प्रभाव:

- मध्य एशिया में भारत के प्रभाव को सीमित करना:
 - CPEC में अफगानिस्तान की भागीदारी ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश को सीमित कर सकती है।

भारत की योजना ईरान और अफगानिस्तान एवं मध्य एशियाई देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार अवसरों के प्रवेश द्वार के रूप में बंदरगाह को बढ़ावा देना है।

- पाकिस्तान भी मध्य एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने की उम्मीद कर रहा है और CPEC इसके लिये सही मंच प्रदान कर सकता है।
- विकास सहायता में भारत की तुलना में चीन अग्रणी :
 - विकास सहायता के संदर्भ में भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ऋणदाता रहा है, जिसने परियोजनाओं हेतु 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है जैसे-
 - सड़क निर्माण, विद्युत संयंत्र निर्माण, बाँध निर्माण, संसद भवन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा आदि।
 - CPEC के विस्तार के साथ चीन द्वारा भारत को विस्थापित करने और अफगानिस्तान के विकास क्षेत्र में नेतृत्व करने का अनुमान है।
- सुरक्षा चिंताएँ:
 - अफगानिस्तान के बगराम एयरफोर्स बेस पर चीन का नियंत्रण हो सकता है।

- बगराम हवाई अड्डा सबसे बड़ा और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत हवाई अड्डा है क्योंकि अमेरिकी सेना ने काबुल हवाई अड्डे के बजाय इसका इस्तेमाल वहाँ से वापस लौटने तक किया।

● भारत की संप्रभुता पर प्रभाव:

- CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता को कमजोर करता है। भारत ने इस मुद्दे पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन को लेकर बार-बार चिंता जताई है।
- CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करके चीन और पाकिस्तान अपने आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं जिसे भारत अपनी सुरक्षा तथा क्षेत्रीय हितों के लिये एक खतरे के रूप में देखता है।

● आतंकवाद और सामरिक चिंताएँ:

- अगर अफगानिस्तान CPEC का हिस्सा बन जाता है, तो इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को इस क्षेत्र में रणनीतिक लाभ भी मिल सकता है, जो भारत के हितों के लिये खतरा हो सकता है।
- ऐसे स्थिति में पाकिस्तान, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।

● दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का दोहन:

- दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों और उच्च तकनीक मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिये प्रमुख घटक हैं।

आगे की राह

- CPEC में चीन के पक्ष में इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता है, जो भारत को काफी हद तक प्रभावित करता है। अगर इससे ठीक से नहीं निपटा गया तो यह क्षेत्र की रणनीतिक गतिशीलता और दीर्घ काल में PoK पर भारत के दावे की विश्वसनीयता को बदल सकता है।
- भारत को देश के बुनियादी ढाँचे और विकास में निवेश कर अफगानिस्तान के साथ अपने आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहिये। इससे न केवल अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि भारत को CPEC के प्रभाव का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी।

अरब लीग

चर्चा में क्यों ?

एक दशक से अधिक के निलंबन के बाद हाल ही में अरब लीग ने सीरिया को फिर से संगठन में शामिल कर लिया है।

सीरिया को अरब लीग में क्यों शामिल किया गया है ?

● निलंबन:

- ◆ सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद वर्ष 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था।
- ◆ अरब लीग ने सीरिया पर शांति योजना का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, जिसमें सैन्य बलों की वापसी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और विपक्षी समूहों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया था।
- ◆ शांति वार्ता और युद्धविराम समझौते के प्रयासों के बावजूद, हिंसा जारी रही, जिसके चलते अंततः सीरिया को संगठन से निलंबित कर दिया गया।
- ◆ इस निलंबन से सीरिया को आर्थिक एवं कूटनीतिक परिणामों को सामना करना पड़ा।

● पुनः शामिल किया जाना:

- ◆ यह कदम सीरिया तथा अन्य अरब देशों की सरकारों के बीच संबंधों में नरमी का प्रतीक है और इसे सीरिया में जारी संकट के समाधान हेतु एक क्रमिक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
- सीरिया संकट के परिणामस्वरूप 21 मिलियन की युद्ध-पूर्व आबादी के लगभग आधे हिस्से का विस्थापन हुआ है और 300,000 से अधिक नागरिकों की मृत्यु हुई है।
- ◆ सीरिया को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिये एक समिति की स्थापना की जाएगी जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन और इराक शामिल होंगे।
- लेकिन इस निर्णय का मतलब अरब राज्यों और सीरिया के बीच संबंधों की बहाली नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक देश पर निर्भर करता है कि वह इसे व्यक्तिगत रूप से तय करे।
- ◆ यह सीरिया में जारी गृहयुद्ध से उत्पन्न संकट के समाधान का आह्वान करता है, जिसमें शरणार्थियों के पड़ोसी देशों में प्रवास करने और पूरे क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी शामिल है।

अरब लीग क्या है ?

● परिचय:

- ◆ अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स (LAS) भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर-सरकारी समग्र-अरब संगठन (pan-Arab organisation) है।
- ◆ वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च, 1945 को काहिरा, मिस्र में इसका गठन किया गया था।

● सदस्य:

- ◆ वर्तमान में इसमें 22 अरब देश शामिल हैं: अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।



● उद्देश्य:

- ◆ इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करना तथा उन्हें समन्वित करना और उनके बीच या उनके एवं तीसरे पक्ष के बीच विवादों की मध्यस्थता करना है।

- 13 अप्रैल, 1950 को संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर ने भी सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को सैन्य रक्षा उपायों के समन्वय के लिये प्रतिबद्ध किया।

● चिंताएँ:

- ◆ अरब लीग की उन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थता के चलते आलोचना की गई है जिन्हें संभालने के लिये इसका गठन किया गया था। इस संस्थान तथा इसके उद्देश्य वाक्य "एक अरब राष्ट्र एक शाश्वत मिशन के साथ" (one Arab nation with an eternal mission) जिसे अब अप्रचलित माना जा रहा है, की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
- इससे ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहाँ नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को स्थगित या रद्द कर दिया गया है।

- ◆ निर्णयों को लागू करने और अपने सदस्यों के बीच संघर्षों का समाधान करने में प्रभावशीलता की कमी के चलते लीग की आलोचना भी की गई है। इस पर एकजुटता भंग करने, खराब प्रशासन और अरब लोगों एक बजाय निरंकुश शासन का अधिक प्रतिनिधि होने का आरोप भी लगाया गया है।

भारत के लिये मध्य पूर्व/उत्तरी अफ्रीका (MENA) का महत्त्व

● मध्य पूर्व:

- ◆ ईरान जैसे देशों के साथ सदियों से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, जबकि छोटा सा गैस समृद्ध देश कतर इस क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है।
- ◆ खाड़ी के अधिकांश देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं।
- ◆ इन संबंधों के दो सबसे महत्वपूर्ण कारण तेल एवं गैस तथा व्यापार हैं।
- ◆ दो अन्य कारण खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की भारी संख्या और उनके द्वारा देश में भेजे जाने वाले प्रेषण हैं।

● उत्तरी अफ्रीका:

- ◆ मोरक्को और अल्जीरिया जैसे उत्तर अफ्रीकी देश भारत के लिये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अफ्रीका के अन्य हिस्सों हेतु प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। भारत की फ्रेंकोफोन अफ्रीका (फ्रेंच भाषी अफ्रीकी राष्ट्र) में प्रवेश की इच्छा को देखते हुए यह क्षेत्र भारत के लिये अधिक प्रासंगिक हो जाता है।
- ◆ स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपनी क्षमता के कारण उत्तरी अफ्रीका भारत के लिये महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सौर एवं पवन संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जा सकता है।
 - भारत ने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किये हैं और उत्तरी अफ्रीका भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- ◆ इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका की रणनीतिक अवस्थिति इसे व्यापार एवं वाणिज्य के लिये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है।
- ◆ उत्तरी अफ्रीका स्वेज नहर के माध्यम से होने वाले वैश्विक व्यापार के परस्पर प्रतिच्छेद मार्ग पर है। वर्ष 2022 में 22000 से अधिक जहाज पारगमन के साथ, यह नहर विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है।

भारत, अमेरिका, UAE और सऊदी अरब बुनियादी ढाँचा पहल पर चर्चा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) की एक विशेष बैठक की मेजबानी की।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- चर्चा का उद्देश्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है ताकि क्षेत्र के विकास और स्थिरता में वृद्धि हो।
- यह बैठक बुनियादी ढाँचे को लेकर क्षेत्रीय पहल पर केंद्रित थी।
- बैठक में भारत और दुनिया से जुड़ाव के साथ एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध मध्य-पूर्व क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की मांग की गई।
- परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान खाड़ी देशों को रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने और क्षेत्र को "दो बंदरगाहों" से शिपिंग लेन द्वारा भारत से जोड़ने की योजना पर प्रकाश डाला गया है।
 - ◆ यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल तथा क्षेत्र में अन्य अतिक्रमणों के खिलाफ स्थिरता प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
- इस पहल का विचार I2U2 द्वारा पिछले 18 महीनों में आयोजित वार्ता के दौरान सामने आया।

- ◆ I2U2 क्वाड, "दक्षिण एशिया को मध्य-पूर्व से संयुक्त राज्य अमेरिका तक जोड़ने का काम करता है जो आर्थिक प्रौद्योगिकी और कूटनीति को बढ़ावा देता है"।

I2U2 क्वाड:

● परिचय:

- ◆ I2U2 भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है।
- ◆ इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है।

● उद्देश्य:

- ◆ यह मध्य-पूर्व और एशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है।
- ◆ इस ढाँचे का उद्देश्य अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा हेतु समर्थन एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।

● I2U2 का गठन:

- ◆ I2U2 की शुरुआत अब्राहम समझौते के बाद अक्टूबर 2021 में हुई थी।
 - अब्राहम समझौते ने इजरायल और कई अरब खाड़ी देशों के बीच संबंधों को सामान्य किया है।

● I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन:

- ◆ I2U2 का पहला आभासी शिखर सम्मेलन 14 जुलाई, 2022 को हुआ।
- ◆ यह शिखर सम्मेलन यूक्रेन में संघर्ष के परिणामस्वरूप वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट पर केंद्रित था।

भारत हेतु I2U2 का महत्त्व:

● अब्राहम समझौते से लाभ:

- ◆ भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब राज्यों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इजरायल के साथ संबंधों को मजबूत करने हेतु अब्राहम समझौते का लाभ मिलेगा।

● बाज़ार का लाभ:

- ◆ भारत एक विशाल उपभोक्ता बाज़ार है। यह हाई-टेक और अत्यधिक मांग वाले सामानों का एक विशाल उत्पादक है। इस समूह से भारत को लाभ होगा।

● गठबंधन:

- ◆ यह भारत को राजनीतिक गठबंधन, सामाजिक गठबंधन बनाने में मदद करेगा।

व्यापार और निवेश पर छठी भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता



चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कनाडा के ओटावा में व्यापार और निवेश पर छठी भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु:

● भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन:

- ◆ कनाडा के मंत्री ने G20 अध्यक्ष के रूप में भारत और G20 व्यापार तथा निवेश कार्य समूह में इसकी प्राथमिकताओं पर अपना समर्थन व्यक्त किया।
 - उन्होंने अगस्त 2023 में भारत में होने वाली आगामी G20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने की इच्छा जाहिर की।

● सहयोग में वृद्धि:

- ◆ मंत्रियों ने बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, महत्वपूर्ण खनिजों, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा/हाइड्रोजन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।

● महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला सुनम्यता:

- ◆ मंत्रियों ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला सुनम्यता को बढ़ावा देने के लिये सरकारों के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया।
 - उन्होंने आपसी हितों पर चर्चा करने के लिये टोरंटो में प्रॉस्पेक्टर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस (PDAC) के दौरान आधिकारिक स्तर पर एक वार्षिक संवाद के लिये प्रतिबद्धता जताई।

● कनाडा-भारत CEO फोरम:

- ◆ मंत्रियों ने नए उद्देश्य और प्राथमिकताओं के साथ कनाडा-भारत CEO फोरम को पुनर्व्यवस्थित और फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।
 - CEO फोरम व्यवसायों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिये एक मंच के रूप में काम करेगा और इसकी घोषणा सर्वसहमत-निर्धारित तिथि पर की जा सकती है।

● व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमंडल:

- ◆ कनाडा के मंत्री ने अक्टूबर 2023 में भारत में टीम कनाडा व्यापार मिशन के अपने नेतृत्व की घोषणा की।
 - इस मिशन का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है।

भारत और कनाडा के बीच सहयोग के क्षेत्र:

● परिचय:

- ◆ भारत ने वर्ष 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये। भारत और कनाडा के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, दो समाजों की बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय एवं बहु-धार्मिक प्रकृति तथा लोगों के बीच संपर्क पर आधारित लंबे समय से मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं।

● राजनीतिक:

- ◆ भारत और कनाडा संसदीय संरचना और प्रक्रियाओं में समानताएँ साझा करते हैं।
- ◆ भारत में कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है।
 - कनाडा में बंगलूरू, चंडीगढ़ और मुंबई में महावाणिज्य दूतावास के साथ-साथ अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता में व्यापार कार्यालय भी हैं।

● व्यापार:

- ◆ वस्तुओं में भारत-कनाडा द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में लगभग 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो वर्ष 2021 की तुलना में 25% की वृद्धि दर्शाता है।
 - वर्ष 2022 में लगभग 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के द्विपक्षीय सेवा व्यापार के साथ, सेवा क्षेत्र को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में बल दिया गया था।
- ◆ कैनेडियन पेंशन फंड ने संचयी रूप से भारत में लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और भारत को तेजी से निवेश के लिये एक अनुकूल गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।
- ◆ भारत में 600 से अधिक कनाडाई कंपनियों की उपस्थिति है और 1,000 से अधिक कंपनियाँ सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं।

- कनाडा में भारतीय कंपनियाँ सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, स्टील, प्राकृतिक संसाधनों और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
- ◆ भारत-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है।
 - भारत और कनाडा के बीच वर्ष 2023 में अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट (EPTA) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
- ◆ समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार के लिये तकनीकी बाधाओं तथा विवाद निपटान सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:**
 - ◆ भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) ने परमाणु सुरक्षा और नियामक मुद्दों के अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिये 16 सितंबर, 2015 को कनाडाई परमाणु सुरक्षा आयोग (CNSC) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
 - ◆ भारत-कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग मुख्य रूप से औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा है जिसमें नए IP, प्रक्रियाओं, प्रोटोटाइप या उत्पादों के विकास की क्षमता विस्तार की संभावना है।
 - नवंबर 2017 में नई दिल्ली में आयोजित प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में कनाडा भागीदार देश था।
 - ◆ पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा (डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस एंड पोलर कनाडा) ने शीत जलवायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान-प्रदान के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
 - ◆ "मिशन इनोवेशन" कार्यक्रम के तहत भारत सतत जैव ईंधन (IC4) के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों हेतु कनाडा के साथ सहयोग कर रहा है।
- **शिक्षा और संस्कृति:**
 - ◆ ISRO की वाणिज्यिक शाखा ANTRIX (एंट्रिक्स) ने कनाडा से कई नैनो उपग्रह प्रक्षेपित किये हैं।
 - 12 जनवरी, 2018 को लॉन्च किये गए अपने 100वें सैटेलाइट PSLV में ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के भारतीय स्पेसपोर्ट से कनाडा का पहला LEO उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया
 - ◆ शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट (SICI) वर्ष 1968 से भारत और कनाडा के बीच शिक्षा एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अनूठा द्वि-राष्ट्रीय संगठन है।
 - ◆ नवंबर 2017 में गोवा में आयोजित 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कनाडा को केंद्रीय देश के रूप में प्रदर्शित किया गया।
 - ◆ कनाडा पोस्ट और इंडिया पोस्ट ने वर्ष 2017 में दिवाली के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु सहयोग किया।
 - कनाडा पोस्ट ने वर्ष 2020 और 2021 में पुनः दिवाली टिकट जारी किये।
 - ◆ अक्टूबर 2020 में कनाडा ने प्राचीन अन्नपूर्णा प्रतिमा के स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की घोषणा की, जिसे एक कनाडाई कलेक्टर द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहीत किया गया था और रेजिना विश्वविद्यालय में रखा गया था।
 - इस मूर्ति को भारत को सौंप दिया गया है और नवंबर 2021 में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रखा गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) की एक प्रयोगशाला, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (Indian Institute of Petroleum- IIP) ने बोइंग, इंडिगो, स्पाइसजेट और तीन टाटा एयरलाइंस- एयर इंडिया, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया के साथ सतत् विमानन ईंधन के उत्पादन के लिये साझेदारी की है।

सतत् विमानन ईंधन/सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल:

- **परिचय:**
 - ◆ इसे बायो-जेट फ्यूल भी कहा जाता है, इसके उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर विकसित तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जिसमें खाना पकाने के तेल और उच्च तेल वाले पौधों के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है।
 - ◆ ASTM इंटरनेशनल द्वारा ASTM D4054 प्रमाणीकरण के लिये आवश्यक मानकों को पूरा करने हेतु संस्थानों द्वारा उत्पादित इस ईंधन के नमूनों का संयुक्त राष्ट्र फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन क्लीयरिंग हाउस में सख्त परीक्षण किया जा रहा है।
- **उत्पादन का स्रोत:**
 - ◆ CSIR-IIP ने गैर-खाद्य और खाद्य तेलों के साथ-साथ खाना पकाने के लिये उपयोग में लाए जाने वाले तेल जैसे विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके ईंधन तैयार किया है।
 - ◆ उन्होंने पाम स्टीयरिन, सैपियम ऑयल, पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट्स, शैवाल तेल, करंजा और जेट्रोफा सहित विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया।
- **भारत में सतत् विमानन ईंधन उत्पादन के लाभ:**
 - ◆ भारत में SAF के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने से GHG उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजित करने तथा संधारणीय विकास को बढ़ावा देने सहित कई लाभ मिल सकते हैं।
 - ◆ यह विमानन उद्योग को अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में योगदान करने में भी मदद कर सकता है।

- ◆ विमानन के लिये जैव ईंधन को नियमित जेट ईंधन के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक ईंधन की तुलना में इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है जो वायु प्रदूषण को कम कर सकता है और शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में योगदान दे सकता है।
- ◆ विमानन हेतु जैव ईंधन को नियमित जेट ईंधन के साथ मिलाकर एक साथ उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक ईंधन की तुलना में इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, जो वायु प्रदूषण को कम कर सकता है एवं नेट जीरो (शुद्ध शून्य) उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन कर सकता है।

ASTM प्रमाणन:

- ASTM इंटरनेशनल, जिसे पहले अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स के नाम से जाना जाता था, एक वैश्विक संगठन है जो उत्पादों, सामग्रियों एवं प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला हेतु तकनीकी मानकों को विकसित तथा प्रकाशित करता है।
- ASTM मानकों का उपयोग उद्योग, सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में गुणवत्ता, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है।
- ASTM प्रमाणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उत्पाद या सामग्री का परीक्षण और प्रासंगिक ASTM मानकों के खिलाफ मूल्यांकन किया जाता है।
- प्रमाणन का उपयोग यह प्रदर्शित करने हेतु किया जा सकता है कि कोई उत्पाद या सामग्री कुछ आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे- प्रदर्शन विनिर्देश, सुरक्षा मानक या पर्यावरण नियम आदि।

विश्व में SAF को बढ़ावा देने हेतु पहल:

- **CORSIA प्रोग्राम:** अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organization- ICAO) ने विमानन उत्सर्जन को उजागर करने हेतु कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) की स्थापना की है।
- ◆ CORSIA एयरलाइनों को वर्ष 2020 के स्तर से ऊपर किसी भी उत्सर्जन को ऑफसेट करने की आवश्यकता है और यह प्राथमिक रूप से उत्सर्जन को कम करने हेतु SAF के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल:** विश्व आर्थिक मंच ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य SAF के उत्पादन और उपयोग में तेजी लाना है।

- ◆ यह पहल SAF उत्पादन को विकसित करने और बढ़ाने में सहयोग करने हेतु विमानन, ईंधन एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाती है।
- **SAF सम्मिश्रण लक्ष्य:**
 - ◆ यूरोपीय संघ ने विमानन से GHG उत्सर्जन को कम करने हेतु स्थायी विमानन ईंधन हेतु सम्मिश्रण लक्ष्य स्थापित किये हैं जिसका उद्देश्य समय के साथ विमानन ईंधन में SAF के उपयोग को बढ़ाना है।
 - ◆ वर्ष 2025 से गैसोलीन और मिट्टी तेल से बने पारंपरिक जेट ईंधन के साथ SAF का सम्मिश्रण 2 प्रतिशत से शुरू होगा।
 - वर्ष 2050 में 63 प्रतिशत SAF सम्मिश्रण तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ सम्मिश्रण लक्ष्य प्रत्येक पाँच साल में बढ़ेगा।
- **सस्टेनेबल स्काइज़ एक्ट और SAF उत्पादन प्रोत्साहन:**
 - ◆ संयुक्त राज्य अमेरिका में सतत विमानन ईंधन (SAF) के उपयोग और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये अमेरिकी कॉन्ग्रेस ने मई 2021 में सस्टेनेबल स्काइज़ एक्ट पेश किया।
 - ◆ सस्टेनेबल स्काइज़ एक्ट अमेरिका में SAF-उत्पादक सुविधाओं की संख्या बढ़ाने के लिये पाँच वर्षों में 1 बिलियन डॉलर का अनुदान प्रदान करता है।
- **नोट:** ईंधन के कुछ अन्य स्थायी स्रोत जिन पर भारत काम कर रहा है, में शामिल हैं:
 - ◆ बायोडीज़ल
 - ◆ पारंपरिक ईंधन में इथेनॉल सम्मिश्रण
 - ◆ हाइड्रोजन ईंधन सेल

SAF से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **उच्च लागत:** SAF के उत्पादन की लागत वर्तमान में पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में अधिक है, जिससे एयरलाइनों के लिये SAF उत्पादन और उपयोग में निवेश करना आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य हो जाता है।
- **संसाधन उपलब्धता:** SAF के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिये सीमित बुनियादी ढाँचा है, जिससे SAF के उत्पादन एवं आपूर्ति को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।
- **फीडस्टॉक उपलब्धता:** SAF उत्पादन के लिये फीडस्टॉक की उपलब्धता सीमित है और खाद्य तथा कृषि क्षेत्रों जैसे अन्य उद्योगों के बीच संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा है।
- **प्रमाणन:** SAF के लिये प्रमाणन प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है तथा SAF उत्पादन के लिये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों की कमी है।

- **जन जागरूकता:** सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और SAF के लाभों की समझ बढ़ाने तथा नीति निर्माताओं एवं निवेशकों से अधिक समर्थन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **निवेश में वृद्धि:** सरकारों, एयरलाइंस और निवेशकों को लागत कम करने तथा उपलब्धता बढ़ाने के लिये SAF उत्पादन एवं बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसमें R&D के वित्तपोषण के साथ-साथ नई सुविधाओं का निर्माण करना और SAF के उत्पादन हेतु मौजूदा सुविधाओं को जारी रखना शामिल है।
- **समर्थन नीति और नियामक ढाँचे:** सरकारें SAF के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली नीति और नियामक ढाँचे को लागू कर सकती हैं, जैसे- कर प्रोत्साहन, सब्सिडी और SAF के एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने के लिये एयरलाइनों हेतु आदेश।
- **सहयोग को प्रोत्साहित करना:** एयरलाइंस, ईंधन उत्पादकों और अनुसंधान संस्थानों सहित हितधारकों के बीच सहयोग से अधिक एकीकृत और कुशल SAF आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद मिल सकती है।
- **जन जागरूकता को बढ़ावा देना:** यह SAF के लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और टिकाऊ विमानन की आवश्यकता की मांग बढ़ाने तथा नीति निर्माताओं एवं निवेशकों को अधिक समर्थन के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
- **नए फीडस्टॉक स्रोत विकसित करना:** SAF उत्पादन के लिये नए फीडस्टॉक स्रोत विकसित करने हेतु अनुसंधान में निवेश, जैसे- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट, फीडस्टॉक उपलब्धता बढ़ाने तथा अन्य उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा को कम करने में मदद कर सकता है।

टी फोर्टिफिकेशन

चर्चा में क्यों ?

फोलेट और विटामिन B12 के साथ फोर्टिफाइंग टी/चाय के प्रभाव का आकलन करने हेतु 43 महिलाओं पर महाराष्ट्र में हाल ही में किये गए एक अध्ययन में फोलेट एवं विटामिन B12 के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसने हीमोग्लोबिन के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला।

- हालाँकि अध्ययन अपने नमूने के आकार के कारण ज्यादातर गलत साबित हुआ है।

टी फोर्टिफिकेशन प्रभावकारी परिवर्तन/गेम-चेंजर:

- **एनीमिया और NTD से मुकाबला:** नए अध्ययन के अनुसार, फोलेट और विटामिन B12 के साथ फोर्टिफाइंग चाय भारतीय

महिलाओं में एनीमिया और NTD का मुकाबला करने में मदद कर सकती है क्योंकि चाय भारत में पिया जाने वाला सबसे आम पेय पदार्थ है।

- ◆ अधिकांश भारतीय महिलाओं द्वारा खराब आहार फोलेट और विटामिन B12 का सेवन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विटामिन की स्थिति लगातार कम होती है, जो एनीमिया को बढ़ाता है, यही कारण है कि भारत में फोलेट-उत्तरदायी न्यूरल-ट्यूब दोष (Neural-Tube Defects-NTD) की उच्च घटनाएँ होती हैं।

- शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन हेतु विटामिन B12 और फोलेट दोनों महत्वपूर्ण हैं।
- शरीर में फोलेट के उचित अवशोषण और उपयोग हेतु विटामिन B12 आवश्यक है क्योंकि फोलेट की कमी से गंभीर जन्म दोष (NTDs) हो सकते हैं।

नोट: न्यूरल ट्यूब की समस्या तब होती है जब भ्रूण के विकास के दौरान न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं होती है। न्यूरल ट्यूब अंततः मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और आसपास के ऊतकों का निर्माण करती है।

● टी फोर्टिफिकेशन संबंधी मुद्दे:

- ◆ सीमित खेती: चाय बड़े पैमाने पर केवल 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उगाई एवं संसाधित की जाती है।
- ◆ अवसरंचना की कमी: कई चाय उगाने वाले क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चाय के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिये पर्याप्त बुनियादी ढाँचे कमी है।
 - इसमें चाय के सम्मिश्रण और पैकेजिंग के साथ-साथ परिवहन और भंडारण के बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ शामिल हैं।
- ◆ आहार संबंधी बाधाएँ: लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है, जहाँ अनाज अधिक बार उगाया एवं साफ किया जाता है तथा स्थानीय स्तर पर खरीदा जाता है। सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जातीय मतभेदों व विश्वासों के अनुसार आहार प्रकृति काफी भिन्न होती है।

फूड फोर्टिफिकेशन:

● परिचय:

- ◆ चावल, दूध और नमक जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D जैसे प्रमुख विटामिन तथा खनिजों को शामिल करना फोर्टिफिकेशन है, ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके। प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्व भोजन में मूल रूप से मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।

● भारत में फूड फोर्टिफिकेशन की स्थिति:

- ◆ चावल: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) "चावल के फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसके वितरण पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना" चला रहा है।
 - योजना को तीन साल के पायलट अवधि के लिये वर्ष 2019-20 में शुरू किया गया था।
 - यह योजना वर्ष 2023 तक चलेगी और लाभार्थियों को 1 रुपए किलो की दर से चावल की आपूर्ति की जाएगी।
- ◆ गेहूँ: गेहूँ के फोर्टिफिकेशन पर निर्णय की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी और बच्चों, किशोरों, गर्भवती माताओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार के लिये भारत के प्रमुख पोषण अभियान के तहत 12 राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है।
- ◆ खाद्य तेल: वर्ष 2018 में FSSAI द्वारा देश भर में खाद्य तेल का फोर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया था।
- ◆ दूध: वर्ष 2017 में भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDDB) ने कंपनियों को विटामिन D मिलाने के लिये प्रोत्साहित करके दूध के फोर्टिफिकेशन की शुरुआत की।

● महत्त्व:

- ◆ व्यापक जनसंख्या स्वास्थ्य सुधार: चूँकि व्यापक रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का योग किया जाता है, यह आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य में एक साथ सुधार लाने का एक उत्कृष्ट तरीका है।
- ◆ सुरक्षित तरीका: फोर्टिफिकेशन लोगों के बीच पोषण में सुधार का एक सुरक्षित तरीका है।
 - यदि मिलाई गई मात्रा को निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से विनियमित किया जाता है तो पोषक तत्वों की अधिक मात्रा की संभावना नहीं होती है।
- ◆ खाने की आदतों पर कोई प्रभाव नहीं: इसे खाने की आदतों और लोगों के पैटर्न में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है और यह लोगों को पोषक तत्व प्रदान करने का एक सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीका है।
 - यह भोजन की विशेषताओं- स्वाद, स्पर्श, रूप में भी परिवर्तन नहीं करता है।
- ◆ लागत प्रभावी: यह विधि लागत प्रभावी है, विशेष रूप से यदि मौजूदा प्रौद्योगिकी और वितरण प्लेटफॉर्म का समुचित लाभ उठाया जाता है।
 - कोपेनहेगन सहमति (Copenhagen Consensus) का अनुमान है कि फूड फोर्टिफिकेशन पर व्यय किया गया प्रत्येक 1 रुपया अर्थव्यवस्था के लिये 9 रुपए का लाभ उत्पन्न करता है।

● चुनौतियाँ:

- ◆ भारत में केवल कुछ खाद्य पदार्थों (गेहूँ, चावल, नमक) के लिये खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, कई अन्य खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड नहीं किया जाता है, जिससे पोषक तत्वों का सेवन अपर्याप्त हो जाता है।
- ◆ सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे- फाइटोकेमिकल्स और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
- ◆ गर्भवती महिलाओं द्वारा अधिक आयरन का सेवन करने से भ्रूण के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जन्म के समय बच्चों में पुरानी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ सकता है।
- ◆ फोर्टिफिकेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये एक गारंटीकृत बाजार प्रदान कर सकता है, जो पूरे भारत में छोटे व्यवसायों की आजीविका को संभावित रूप से नुकसान पहुँचा सकता है।
- ◆ जोड़े गए विटामिन और खनिजों की अस्थिरता के कारण दूध एवं तेल जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

टी फोर्टिफिकेशन से संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक कदम:

- **सरकार का हस्तक्षेप:** चाय के पोषण में वृद्धि करने के लिये नीतियों और विनियमों को लागू करके सरकार टी फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- ◆ उदाहरण के लिये सरकार चाय निर्माताओं हेतु आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना अनिवार्य कर सकती है।
- **उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देना:** चाय निर्माता अनुसंधान एवं शोध में निवेश करके और बाजार में फोर्टिफाइड चाय उत्पादों को पेश करके चाय के फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं।
- ◆ वे फोर्टिफाइड चाय के लाभों को बढ़ावा देने के लिये सरकार और गैर-लाभकारी संगठनों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं।
- **उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना:** उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड चाय के लाभों के बारे में शिक्षित करने से इसकी खपत को बढ़ावा देने में काफी मदद मिल सकती है।
- ◆ यह विभिन्न माध्यमों जैसे विज्ञापन अभियान, सोशल मीडिया और स्कूलों एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **रसद में सुधार:** बड़े पैमाने पर चाय के फोर्टिफिकेशन को लागू करने के लिये एक मजबूत रसद प्रणाली का होना आवश्यक है।

- ◆ इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पोषण तत्वों के किसी भी नुकसान के बिना फोर्टिफाइड चाय लक्षित आबादी तक समय पर और कुशल तरीके से पहुँचे।

साइकेडेलिक पदार्थ

चर्चा में क्यों ?

हाल के वर्षों में मनोचिकित्सा (Psychiatry) के नैदानिक और अनुसंधान क्षेत्र में साइकेडेलिक्स पदार्थ के उपयोग को फिर से महत्व दिया जा रहा है।

- भारत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 साइकेडेलिक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।

साइकेडेलिक:

● परिचय:

- ◆ साइकेडेलिक्स दवाओं का एक समूह है जो धारणा, मनोदशा और विचार प्रक्रिया को बदल देता है, जबकि व्यक्ति स्पष्ट रूप से सचेत होता है। सामान्यतः व्यक्ति की सूझबूझ या दृष्टिकोण भी अक्षुण्ण रहती है।
- ◆ साइकेडेलिक्स जहरीले पदार्थों या नशे की लत नहीं हैं। अवैध दवाओं की तुलना में साइकेडेलिक्स बहुत कम हानिकारक हैं।
 - दो सबसे अधिक इस्तेमाल किये जाने वाले साइकेडेलिक्स डी-लिसैर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (LSD) और साइलोसाइबिन (psilocybin) हैं।
 - मेस्केलिन कम इस्तेमाल किये जाने वाले साइकेडेलिक्स में से है जो उत्तर अमेरिकी पियोट कैक्टस (लोफोफोरा विलियम्सी) में पाया जाता है और एन, एन-डाइमिथाइलट्रिप्टामाइन, दक्षिण अमेरिकी धार्मिक अनुष्ठान अयाहुस्का का एक प्रमुख घटक है।
- **उपभोग के बाद शरीर पर प्रभाव:** साइकेडेलिक पदार्थों का उपयोग करने वालों में सोचने, समझने के तरीके में बदलाव, मनोदशा में परिवर्तन तथा मतिभ्रम जैसे अनुभव देखने को मिलते हैं:
 - ◆ दृश्य क्षेत्र (Vision Domain) उन क्षेत्रों में से एक है जिसमें अवधारणात्मक बदलाव सबसे अधिक बार होता है।
 - संवेदी तौर-तरीके में बदलाव की विचित्र घटना देखी जा सकती है जिसे सिनेस्थेसिया कहा जाता है, इसमें एक व्यक्ति को आवाजें दिखाई दे सकती हैं और वह रंगों को सुन सकता है।
 - ◆ दैहिक अनुभवों में आंत्र संबंधी, स्पर्शनीय और इंटरओसेप्टिव (शरीर की आंतरिक स्थितियाँ) अनुभूतियाँ शामिल की जा सकती हैं।

इस्पात विनिर्माण का डीकार्बोनाइजेशन

चर्चा में क्यों ?


विश्व में विनिर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्रों को हरित बनाने के लिये हाइड्रोजन एक प्रमुख घटक है क्योंकि यह ऐसा ईंधन है जिसके उत्पादन एवं उपयोग में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम करने के लिये कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में कमी लाने वाले अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस्पात विनिर्माण में हाइड्रोजन डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस:

● प्रक्रिया:

- ◆ इस्पात बनाने में डायरेक्ट रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन (DR-H) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किये बिना आयरन ऑक्साइड (Fe₂O₃) से धात्विक आयरन (Fe) प्राप्त करने के लिये हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है।
- ◆ इस पद्धति को इस्पात उत्पादन के लिये "हरित मार्ग (Green Route)" के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पारंपरिक इस्पात विनिर्माण/उत्पादन प्रक्रियाओं से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर देती है।
- ◆ डायरेक्ट रिडक्शन प्रक्रिया में आमतौर पर 600 से 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक रिएक्टर वेसल में हाइड्रोजन गैस और लौह अयस्क के पेल्लेट्स को मिलाना शामिल होता है।
- ◆ हाइड्रोजन आयरन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लोहा और जलवाष्प बनाता है, जैसा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दिखाया गया है:



● महत्त्व:

- ◆ कम कार्बन उत्सर्जन: एक रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग उप-उत्पाद के रूप में केवल जल वाष्प उत्पन्न करता है जिससे यह कोयला/कोक के लिये एक अधिक स्वच्छ विकल्प बन जाता है।
- इस प्रक्रिया की सहायता से कार्बन उत्सर्जन को 97% तक कम किया जा सकता है।
- ◆ ऊर्जा दक्षता: यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी है क्योंकि इसमें ब्लास्ट फर्नेस में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क को गर्म करने और पिघलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- ◆ उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात: प्रत्यक्ष कठौती प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाले लोहे का उत्पादन करती है जो शुद्ध होता है और इसमें अशुद्धियों का स्तर कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात बनता है।

- ◆ उत्साह, चिंता और व्यामोह मनोदशा परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं।
- ◆ उत्साही अनुभवों में व्यक्ति को पारलौकिक आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकता है।

● मुद्दे:

- ◆ ओवरडोज के लिये कम उद्दीपन और आश्वस्त वातावरण में कार्डियक मॉनिटरिंग तथा सहायक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
- ◆ सिंथेटिक साइकेडेलिक्स (जैसे 25I-NBOMe) एक्यूट कार्डियक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लिम्ब इस्किमिया के साथ-साथ सेरोटोनिन सिंड्रोम से जुड़े हुए हैं।
 - सिंथेटिक साइकेडेलिक के उपयोग को सीधे तौर मौत के लिये जिम्मेदार ठहराए जाने की खबरें भी मिली हैं।

● अवसाद/डिप्रेशन का उपचार:

- ◆ नवंबर 2022 में साइलोसाइबिन चरण- II के परीक्षण के परिणाम न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुए थे। परीक्षण में पाया गया कि साइलोसाइबिन की 25 मिलीग्राम की एक एकल खुराक ने उपचार-प्रतिरोधी अवसाद वाले लोगों में तीन सप्ताह में अवसाद के स्तर को कम कर दिया।
- ◆ इन निष्कर्षों को हाल ही में एक चरण- IIB परीक्षण में दोहराया गया था, जिसमें पाया गया कि 25 मिलीग्राम साइलोसाइबिन की एक खुराक से अवसाद की गंभीरता, चिंता की स्थिति में सुधार देखा गया।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट 1985:

- यह 1985 में अधिनियमित किया गया था और देश में ड्रग्स और उनकी तस्करी से संबंधित है।
- ◆ वर्ष 1988, 2001 और 2014 के बाद अधिनियम में तीन बार संशोधन किये गए हैं।
- अधिनियम भाँग, हेरोइन, अफीम आदि सहित अनेक मादक दवाओं या मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन तथा उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- ◆ हालाँकि अधिनियम के तहत भाँग प्रतिबंधित नहीं है।
- NDPS अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिनियम में परिभाषित भाँग के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, आयात और अंतर-राज्य निर्यात के लिये दंड का प्रावधान है। निर्धारित सजा जब्त दवाओं की मात्रा पर आधारित है।
- यह कुछ मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान करती है जहाँ एक व्यक्ति बार-बार अपराध करता है।

- ◆ लचीलापन: हाइड्रोजन द्वारा डायरेक्ट रिडक्शन का उपयोग विभिन्न लौह अयस्कों (ऐसे भी जिनमें लौह सामग्री कम होती है) से इस्पात का उत्पादन करने के लिये किया जा सकता है।
- ◆ लागत-प्रभावशीलता: प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के चलते वर्तमान में पारंपरिक इस्पात विनिर्माण विधियों की तुलना में डायरेक्ट रिडक्शन प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी हो सकती है।

इस्पात विनिर्माण के अलावा अन्य उद्योगों में हाइड्रोजन का उपयोग:

- **ऊर्जा उत्पादन:** दहन या ईंधन सेल/बैटरी के माध्यम से हाइड्रोजन का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन के रूप में किया जा सकता है। वास्तव में हाइड्रोजन ईंधन सेल पहले से ही कुछ वाहनों में उपयोग किये जा रहे हैं और भवनों के लिये अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में पहचाने जा रहे हैं।
- **रासायनिक उत्पादन:** हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया, मथेनॉल और अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे रसायनों के उत्पादन के लिये फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है जो विभिन्न उद्योगों (कृषि, परिवहन और निर्माण) में उपयोग किये जाते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** हाइड्रोजन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, जैसे अर्द्धचालक और फ्लैट पैनल डिस्प्ले तथा प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) के उत्पादन में।
- **खाद्य प्रसंस्करण:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हाइड्रोजन का उपयोग खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और उपस्थिति को बनाए रखने के लिये काम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है।
- **चिकित्सा अनुप्रयोग:** अनुतेजक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ संभावित चिकित्सा गैस (Medical Gas) के रूप में हाइड्रोजन की जाँच की जा रही है। इसे मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में ट्रेसर गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

नोट:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है।
- देश में हाइड्रोजन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHEM) की घोषणा की गई थी।

भारत में इस्पात उत्पादन की स्थिति:

- **उत्पादन और खपत:** भारत वर्तमान में (2021 तक) कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और वर्ष 2021 में तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है (दोनों मामलों में चीन से आगे)।

- **भारत में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र:** भिलाई (छत्तीसगढ़), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बर्नपुर (पश्चिम बंगाल), जमशेदपुर (झारखंड), राउरकेला (ओडिशा) और बोकारो (झारखंड)।
- **निर्यात:** अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल सहित प्रमुख निर्यात स्थलों के साथ भारत इस्पात उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है।
- **सरकारी नीतियाँ:** राष्ट्रीय इस्पात नीति की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी जिसमें वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन (MT) कच्चे इस्पात की क्षमता निर्माण, 255 मीट्रिक टन का उत्पादन और 158 किलोग्राम मजबूत तैयार इस्पात प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान है।
- **इस्पात उद्योग और GHG उत्सर्जन:**
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, इस्पात उद्योग वैश्विक CO₂ उत्सर्जन के लगभग 7 प्रतिशत के लिये जिम्मेदार है, जो इसे ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े औद्योगिक उत्सर्जकों में से एक बनाता है।
- **इस्पात उद्योग के प्रदूषक:**
 - ◆ पार्टिकुलेट मैटर (PM_{2.5} और PM₁₀)
 - ◆ सल्फर के आक्साइड
 - ◆ नाइट्रोजन के आक्साइड
 - ◆ कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
 - ◆ कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
 - ◆ ठोस अपशिष्ट
- **हरित इस्पात/ग्रीन इस्पात:**
 - ◆ इस्पात मंत्रालय ग्रीन इस्पात (जीवाश्म ईंधन का उपयोग किये बिना इस्पात का निर्माण) को बढ़ावा देकर इस्पात उद्योगों में CO₂ को कम करना चाहता है।
 - यह कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन निर्माण के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या विद्युत जैसे निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है।
 - ◆ यह अंततः GHG उत्सर्जन को कम करता है, लागत में कटौती करता है और इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करता है।

इस्पात उत्पादन में हाइड्रोजन के उपयोग की चुनौतियाँ:

- **उच्च पूंजी लागत:** संयंत्र के निर्माण और संचालन की प्रारंभिक पूंजीगत लागत आमतौर पर पारंपरिक इस्पात बनाने के तरीकों से अधिक होती है। यह छोटे इस्पात उत्पादकों के प्रवेश हेतु बाधा बन सकती है।

- **हाइड्रोजन की उपलब्धता:** हाइड्रोजन की उपलब्धता और लागत एक चुनौती हो सकती है, विशेषकर यदि इसका उत्पादन जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके किया जाता है। इस प्रक्रिया को व्यापक रूप से अपनाने के लिये कम लागत वाली हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकों का विकास करना महत्वपूर्ण होगा।
- **स्केल-अप चुनौतियाँ:** स्केल-अप की प्रक्रिया को बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर तब जब बड़ी मात्रा में इस्पात का उत्पादन होता है क्योंकि इसके लिये रिएक्टर के सावधानीपूर्वक प्रबंधन और हाइड्रोजन गैस की आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
 - ◆ इसके अतिरिक्त लौह उत्पाद की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता एवं प्रक्रिया नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
- **अवसंरचना आवश्यकताएँ:** इस प्रक्रिया के लिये हाइड्रोजन गैस के भंडारण और संचालन सुविधाओं सहित विशेष बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है। इस बुनियादी ढाँचे का विकास महँगा एवं समय लेने वाला हो सकता है।

आगे की राह

- **बेहतर निवेश:** सरकारों और निजी क्षेत्र को लागत कम करने तथा हाइड्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिये हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना चाहिये।
- **सहयोग को बढ़ावा:** इस्पात उत्पादकों, हाइड्रोजन उत्पादकों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग से तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने तथा आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
- **नीतिगत समर्थन:** सरकारें इस तकनीक को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कर क्रेडिट, अनुदान एवं ऋण गारंटी जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से नीतिगत समर्थन प्रदान कर सकती हैं।
 - ◆ इसके अलावा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन/उपयोग हेतु मानक विकसित करने से उत्पाद की गुणवत्ता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने, लागत कम करने तथा बाजार स्वीकृति को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

दृष्टि
The Vision

जैव विविधता और पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन से निपटने में पेरिस समझौते की विफलता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता अपने एजेंडे को पूरा करने में अप्रभावी रहा है।

- पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर चल रही वैश्विक वार्ता का केंद्रीय बिंदु है, इस पर वर्ष 2015 में हस्ताक्षर किये गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते का प्रदर्शन:

- **जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता:**
 - ◆ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरांत पिछले आठ वर्ष (2015-2022) विश्व स्तर पर लगातार सबसे गर्म वर्ष रहे हैं।
 - यदि पिछले तीन वर्षों में ला नीना की घटना नहीं हुई होती, जिसका मौसम प्रणाली पर शीतलन प्रभाव पड़ता है, तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी।
 - ◆ अद्यतित 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य (जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका है) के संदर्भ में विश्व स्तर पर अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) संबंधी जानकारी स्पष्ट नहीं है।
 - ◆ जीवाश्म ईंधन जलवायु संकट के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक है, यह पेरिस समझौते के तहत इसके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रतिबद्धता में सफल नहीं रहा है।
 - ◆ जलवायु-प्रेरित चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिये न तो NDC और न ही आपदा जोखिम में कमी और जलवायु जोखिम प्रबंधन योजनाएँ कारगर रही हैं।
- **सुझाव:**
 - ◆ पेरिस समझौते के पूरक हेतु जीवाश्म ईंधन संधि के रूप में एक नया वैश्विक ढाँचा पेश किया जाना चाहिये।
 - ◆ अधिकांश औद्योगिक और उत्सर्जन उत्पादक देशों को पेरिस समझौते की शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य किया जाना चाहिये।
 - ◆ तीव्र और तेज कार्बन कटौती के साथ त्वरित जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि साधन, सूचना और समाधान मौजूद हैं।

- ◆ अनुकूलन और लचीलापन में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सबसे कमजोर देशों और समुदायों के लिये जिन्होंने संकट पैदा करने में कम-से-कम काम योगदान दिया है।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता:

- यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जिसे 2015 में अपनाया गया था। इसे UNFCCC COP21 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सामना करना और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 20C से नीचे तक सीमित करना है, साथ ही वार्मिंग को 1.50C तक सीमित करने का लक्ष्य है।
- इसने क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में प्रसिद्ध पूर्व जलवायु परिवर्तन समझौते का स्थान लिया है।
- पेरिस समझौता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने और जलवायु परिवर्तन को उजागर करने के अपने प्रयासों में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने हेतु एक साथ काम करने के लिये देशों के संदर्भ में रूपरेखा तैयार करता है।
- पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिये अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए उसे प्रत्येक 5 वर्ष में NDC को प्रस्तुत और अद्यतन करने की आवश्यकता होती है।
- ◆ NDC, देशों द्वारा अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने हेतु लिया गया एक वचनपत्र है।
- ◆ भारत के अद्यतन NDC:

लुधियाना गैस रिसाव त्रासदी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पंजाब के लुधियाना जिले में गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत की जाँच के लिये आठ सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है।

- NGT ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया।

लुधियाना में हुई त्रासदी:

● पृष्ठभूमि:

- ◆ लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में गैस रिसाव ने 11 लोगों की जान ले ली है।
- ◆ पुलिस को संदेह है कि इलाके में आंशिक रूप से खुले मैनहोल से जहरीली गैस निकली होगी और आस-पास की दुकानों तथा घरों में फैल गई।
 - गैस रिसाव के कारणों की जाँच की जा रही है।
- ◆ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौतें "इनहेलेशन पॉइजनिंग" के कारण हुई हैं।
 - फोरेंसिक विशेषज्ञों ने हाइड्रोजन सल्फाइड को त्रासदी के लिये जिम्मेदार होने का संदेह व्यक्त किया है जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक गैस है।
 - एक विशेषज्ञ के अनुसार, संभवतः कुछ अम्लीय अपशिष्ट सीवर में फेंके गए थे जिसने मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य सीवरेज गैसों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न की।

● न्यूरोटॉक्सिन:

- ◆ न्यूरोटॉक्सिन जहरीले पदार्थ होते हैं जो सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।
 - ये पदार्थ स्नायु या तंत्रिका कोशिकाओं, जो कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों में संकेतों को प्रसारित करने तथा संसाधित करने के लिये महत्वपूर्ण हैं, को बाधित या मार भी सकते हैं।
- ◆ न्यूरोटॉक्सिक गैसों:
 - मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आम न्यूरोटॉक्सिक गैसों हैं।
 - मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गंधहीन गैसों हैं, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड में तीखी गंध होती है जिसकी उच्च सांद्रता मनुष्यों हेतु घातक हो सकती है।
- ◆ हाइड्रोजन सल्फाइड इतनी जहरीली होती है कि इसमें साँस लेने से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है।

भारत में रासायनिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा उपाय:

- **पृष्ठभूमि:** भोपाल गैस त्रासदी से पहले IPC 1860 ऐसी आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र कानून था, हालाँकि त्रासदी के तुरंत बाद सरकार ने पर्यावरण को विनियमित करने एवं सुरक्षा उपायों तथा दंडों को निर्धारित करने व निर्दिष्ट करने वाले कई कानून बनाए। कुछ कानून निम्नलिखित हैं:
 - ◆ भोपाल गैस रिसाव (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985 ने केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े दावों को सुरक्षित करने की शक्तियाँ प्रदान कीं।

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे दावों को शीघ्रता और समान रूप से निपटाया जाता है।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environment Protection Act- EPA), 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण में सुधार के उपाय और मानक निर्धारित करने एवं औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने की शक्ति देता है।
- सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 खतरनाक पदार्थों को प्रबंधित करने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु एक बीमा है।
- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन और सीमा पार संचलन) नियम, 1989 के तहत उद्योगों को प्रमुख दुर्घटना खतरों की पहचान, निवारक उपाय करने एवं नामित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत आयातकों को संपूर्ण उत्पाद सुरक्षा जानकारी सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है, साथ ही संशोधित नियमों के अनुसार आयातित रसायनों का परिवहन करना आवश्यक है।
- रासायनिक दुर्घटनाएँ (आपातकाल, योजना निर्माण, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996 के तहत केंद्रीय सरकार को रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिये एक केंद्रीय आपदा समूह का गठन करना अनिवार्य है; साथ ही आपदा चेतावनी प्रणाली के रूप में जाने जानी वाली त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना भी इसी के अंतर्गत आता है।
- प्रत्येक राज्य को एक संकट समूह स्थापित करने और इसके कार्य के बारे में रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलिय प्राधिकरण अधिनियम, 1997: इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलिय प्राधिकरण विशिष्ट सुरक्षा उपायों के अधीन उन स्थानों पर EPA 1986 के प्रतिबंधों के बारे में अपील पर विचार कर सकता है जिसमें कुछ उद्योग, संचालन, प्रक्रियाएँ संचालित हो सकती हैं अथवा नहीं हो सकती हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal):

● परिचय:

- ◆ यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- ◆ NGT की स्थापना के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया, ऐसा करने वाला भारत पहला विकासशील देश है।

- ◆ NGT को प्राप्त आवेदनों अथवा अपीलों को दाखिल करने के 6 महीने के भीतर पूरी तरह से निपटान करना अनिवार्य है।
- ◆ अधिकरण की प्रधान बैठक नई दिल्ली में और अन्य चार बैठकें भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में होंगी।
- **शक्तियाँ:**
 - ◆ किसी भी पर्यावरणीय कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े सभी नागरिक मामले इस अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
 - ◆ यह पर्यावरणीय मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है।
 - ◆ आवेदन दाखिल करने पर मूल अधिकार क्षेत्र के अलावा NGT के पास न्यायालय (ट्रिब्यूनल) के रूप में अपील सुनने के लिये अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है।
 - ◆ NGT, CPC 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।
 - ◆ ट्रिब्यूनल का आदेश/निर्णय/अवार्ड सिविल कोर्ट की डिक्ली के रूप में निष्पादन योग्य है।
 - ◆ NGT द्वारा दिये गए आदेश/निर्णय/अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है।

नागरिक विमानन क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नागरिक विमानन मंत्रालय (MoCA) ने घोषणा की है कि भारत वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organisation-ICAO) की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) और लॉन्ग-टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोलस (LTAG) में भाग लेगा।

- CORSIA योजना की परिकल्पना 3 चरणों में की गई है: पायलट चरण (2021-2023), पहला चरण (2024-2026) जो कि स्वैच्छिक चरण है, जबकि दूसरा चरण (2027-2035) सभी सदस्य राज्यों के लिये अनिवार्य है।
- ◆ भारत ने CORSIA के स्वैच्छिक चरण में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है।

CORSIA और LTAG:

- **पृष्ठभूमि:**
 - ◆ ICAO को अपने प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का कार्य सौंपा गया है।

■ विमानन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिये वैश्विक निकाय ने कई प्रमुख आकांक्षात्मक लक्ष्यों को अपनाया है। उनमें शामिल हैं:

- ◆ वर्ष 2050 तक 2 प्रतिशत वार्षिक ईंधन दक्षता में सुधार
- ◆ कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ
- ◆ वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन
 - ICAO ने CORSIA और LTAG का गठन किया है।

● CORSIA:

- ◆ यह अंतर्राष्ट्रीय विमानन के कारण होने वाली CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि को संबोधित करने के लिये ICAO द्वारा स्थापित एक वैश्विक योजना है।
- ◆ CORSIA का उद्देश्य कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन क्रेडिट और सतत विमानन ईंधन सहित अनेक उपायों के संयोजन के माध्यम से वर्ष 2020 के स्तर के शुद्ध CO₂ उत्सर्जन को स्थिर करना है।
- ◆ यह ICAO सदस्य राज्यों की विशेष परिस्थितियों और संबंधित क्षमताओं का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन, बाजार विकृति को कम करने के लिये एक सुसंगत तरीका प्रदान करता है।
- ◆ CO₂ उत्सर्जन को संतुलित करने के लिये CORSIA पहले के उपायों के पूरक के रूप में कार्य करता है जिसे प्रौद्योगिकी प्रगति, परिचालन सुधार और कार्बन बाजार उत्सर्जन इकाइयों के साथ स्थायी विमानन ईंधन के उपयोग से कम नहीं किया जा सकता है।
- ◆ CORSIA केवल एक देश से दूसरे देश जाने वाली उड़ानों पर लागू होता है।
- दीर्घकालिक वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्य (Long-term Global Aspirational Goal- LTAG):
 - ◆ UNFCCC पेरिस समझौते के तापमान संबंधी लक्ष्य के समर्थन में 41वीं ICAO सभा ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन हेतु LTAG को अपनाया जिसमें वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना प्रस्तावित है।
 - ◆ LTAG राज्यों को उत्सर्जन में कटौती करने के लक्ष्यों के रूप में विशेष कर्तव्य अथवा ज़िम्मेदारियाँ नहीं सौंपता है। इसके बजाय यह प्रत्येक राज्य की अलग-अलग परिस्थितियों और क्षमताओं की पहचान करता है, जैसे कि विमानन बाजारों के वृद्धि और विकास का स्तर।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO):

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसे वर्ष 1944 में विश्व भर में सुरक्षित और कुशल हवाई परिवहन को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया था।
- ICAO विमानन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुशंसित तरीकों को विकसित करता है, जिसमें हवाई नेविगेशन, संचार और हवाई अड्डे के संचालन के नियम शामिल हैं।
- यह हवाई यातायात प्रबंधन, विमानन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक विमानन मुद्दों को उजागर करने का भी कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

ऐसी पहलों में शामिल होने के संभावित लाभ:

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना:** CORSIA में शामिल होने और LTAG हेतु प्रयास करने से अंतर्राष्ट्रीय विमानन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने एवं पर्यावरण की रक्षा के लिये आवश्यक है।
 - ◆ भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है।
 - ◆ भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- **धारणीयता में वृद्धि:** CORSIA और LTAG एयरलाइंस को अधिक टिकाऊ तकनीकियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि अधिक कुशल विमान का उपयोग करना, ईंधन की खपत को कम करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना।

विमानन क्षेत्र का जलवायु पर प्रभाव:

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** विमानन क्षेत्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विमान के इंजनों में जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं अन्य ग्रीनहाउस गैसों उत्पन्न होती हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं।
- **कॉन्ट्रिल्स:** कॉन्ट्रिल्स सफेद, लकीर वाली रेखाएँ होती हैं जिन्हें हवाई जहाज द्वारा आकाश में छोड़ा जाता है। वे बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं एवं तब बनते हैं जब विमान से निष्कासित जल वाष्प ठंडे, उच्च ऊँचाई वाले वातावरण में संघनित होता है। कॉन्ट्रिल्स पृथ्वी के वायुमंडल में ताप को रोककर ग्रह पर उष्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
- **पक्षाभ मेघ:** कॉन्ट्रिल्स के समान पक्षाभ मेघ भी विमान के उत्सर्जन से बनते हैं। इन बादलों का ग्रह पर गर्म प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को रोके रखते हैं।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु MoCA की प्रमुख पहलें:

- **हरित हवाई अड्डे:** हरित हवाई अड्डे के तहत पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिये स्थायी प्रथाओं को लागू किया गया है। हरित हवाई अड्डों का लक्ष्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, ऊर्जा और जल संसाधनों का संरक्षण करना तथा कचरा एवं उत्सर्जन को कम करना है।
- **राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) 2016:** इसमें एक टिकाऊ विमानन ढाँचा विकसित करने का लक्ष्य शामिल है जो वैकल्पिक ईंधन, ऊर्जा कुशल विमान और बुनियादी ढाँचे के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- **सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF):** सतत विकास और हवाई अड्डों पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये SAF के उपयोग को प्रोत्साहित करने की पहल की गई है।

डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप

चर्चा में क्यों ?

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जो सभी को प्रभावित करती है, लेकिन यह कुछ देशों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील देश अक्सर अपने लचीलेपन को दृढ़ करने के लिये आवश्यक निवेश को वहन करने में सबसे कम सक्षम होते हैं।

- यह इन देशों को लंबे समय तक वित्तीय संकट का सामना करने के खतरे में डालता है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहायता पर विश्वास करने के लिये मजबूर होना पड़ता है।
- डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप एक नवाचारी वित्तीय लिखत है जिसका उद्देश्य जलवायु निवेश के लिये राजकोषीय विस्तार के साथ इस मुद्दे को संबोधित करना है।

डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप:

- **परिचय:**
 - ◆ डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप ऋणी देशों को अपने ऋण बोझ को कम करते हुए जलवायु पर सार्थक कार्रवाई करने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।
 - ◆ इन स्वैपों में नीतिगत प्रतिबद्धताओं या कर्जदार देशों द्वारा किये गए व्यय के बदले ऋण को कम करना शामिल है।
 - आधिकारिक द्विपक्षीय देश और वाणिज्यिक ऋण दोनों डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप में शामिल हो सकते हैं।
 - द्विपक्षीय डेब्ट स्वैप में जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के वित्तपोषण के

लिये आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारों को पहले से प्रतिबद्ध ऋण सेवा भुगतानों को पुनर्निर्देशित करना शामिल है।

- पिछले एक दशक में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बीच डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप अपेक्षाकृत लोकप्रिय हुआ है।
- बहुपक्षीय विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) जैसे बहुपक्षीय संगठन ऋण-राहत उपाय के रूप में इस साधन की वकालत करते रहे हैं।

● इतिहास:

- ◆ डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप नेचर-फॉर-डेब्ट स्वैप का एक रूप है, जिसे पहली बार वर्ष 1980 के दशक में जैवविविधता के संरक्षण और ऋण राहत के बदले में उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिये प्रस्तावित किया गया था।
- ◆ पहली नेचर-फॉर-डेब्ट स्वैप वर्ष 1987 में बोलिविया और एक गैर-सरकारी संगठन कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बीच की गई थी।
- ◆ 2000 के दशक में डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप एक व्यापक अवधारणा के रूप में उभरा, जिसमें न केवल प्रकृति संरक्षण बल्कि जलवायु शमन और अनुकूलन भी शामिल है।
- ◆ जलवायु के बदले पहला ऋण वर्ष 2006 में जर्मनी और इंडोनेशिया के बीच लागू किया गया था, बाद में ऋण राहत के बदले में इसे वनों की कटाई और वन क्षरण से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने (Reduce Greenhouse gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) हेतु प्रतिबद्ध किया गया था।

● लाभ:

- ◆ लेनदारों हेतु:
 - जलवायु के बदले ऋण का आदान-प्रदान उनके विकास सहयोग और जलवायु वित्त उद्देश्यों को बढ़ा सकता है, उनकी ऋण वसूली की संभावनाओं में सुधार कर सकता है एवं ऋणी देशों के साथ उनके राजनयिक संबंधों को मजबूत कर सकता है।
- ◆ देनदारों हेतु:
 - जलवायु हेतु ऋण का आदान-प्रदान उनके बाहरी ऋण स्टॉक और सेवा को कम कर सकता है, अन्य विकास आवश्यकताओं हेतु वित्तीय संसाधनों को मुक्त कर सकता है, जलवायु कार्रवाई में उनके घरेलू निवेश को बढ़ा सकता है, साथ ही उनके पर्यावरण तथा सामाजिक परिणामों में सुधार कर सकता है।

◆ दोनों पक्षों हेतु:

- जलवायु के बदले ऋण का आदान-प्रदान आपसी विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, जो समाधान के साथ-साथ पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान कर सकता है।

● चुनौतियाँ:

- ◆ लेनदार देश मुख्यतः जलवायु के लिये ऋण का आदान-प्रदान करने से हिचकिचाते हैं जब तक कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिये तैयार नहीं किया जाता है कि जलवायु कार्रवाई के प्रति सार्वजनिक व्यय प्रतिबद्धता शेष ऋण सेवा के मूल्य से बेहतर है।
- हालाँकि सशर्त जलवायु अनुदानों को तैयार और संरचित किया जाता है ताकि उन्हें डायवर्ट करना असंभव हो जो केवल जलवायु निवेश के उद्देश्य हेतु लक्षित हैं।

ऋणदाता देशों की डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप में संलग्नता:

- लेनदार देशों को जलवायु हेतु डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप में संलग्न होना चाहिये क्योंकि पेरिस समझौते और ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस फॉर नेट जीरो (GFANZ), वित्तीय संस्थानों के एक वैश्विक गठबंधन के हस्ताक्षरकर्ताओं की प्रतिबद्धता स्वच्छ, जलवायु-लचीला भविष्य बनाने के लिये विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ◆ डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एक तरीका है।

डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप छोटे द्वीपीय देशों हेतु सहायक:

- छोटे द्वीप विकासशील राज्य (SIDS) दो चुनौतियों का सामना करने हेतु डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप पर नज़र रख रहे हैं: बढ़ते जलवायु जोखिम के अनुकूल होना एवं वित्तीय संकट से उबरना।
- ◆ जलवायु के लिये ऋण के आदान-प्रदान में भाग लेकर SIDS अपने बाहरी कर्ज को कम कर सकता है और जलवायु कार्रवाई सहित अन्य विकासात्मक जरूरतों के लिये वित्तीय संसाधनों को मुक्त कर सकता है। इससे उन्हें जलवायु कार्रवाई में अपने घरेलू निवेश को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

रिवर-सिटीज़ एलायंस वैश्विक संगोष्ठी

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga- NMCG) ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (National Institute of Urban Affairs- NIUA) के सहयोग से 'रिवर-सिटीज़ एलायंस (RCA) वैश्विक संगोष्ठी: अंतर्राष्ट्रीय नदी-संवेदनशील शहरों के निर्माण हेतु साझेदारी' का आयोजन किया।

- RCA वैश्विक संगोष्ठी का उद्देश्य शहरी नदियों के प्रबंधन हेतु बेहतर अभ्यासों पर चर्चा करने एवं सीखने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
- इससे पहले फरवरी 2023 में RCA - DHARA 2023 (ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर) की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहरी नदी प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों एवं उदाहरणों पर संगोष्ठी शामिल है।

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान:

- NIUA शहरी विकास और प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार हेतु एक संस्थान है। यह नई दिल्ली, भारत में स्थित है।
- इसे वर्ष 1976 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह संस्थान आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; राज्य सरकारों; शहरी एवं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों तथा शहरी मुद्दों से संबंधित अन्य एजेंसियों द्वारा समर्थित है।

RCA:

- **परिचय:**
 - ◆ RCA जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य नदी-शहरों को जोड़ना तथा सतत नदी केंद्रित विकास पर ध्यान आकृष्ट करना है।
 - ◆ यह एलायंस तीन व्यापक विषयों- नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है।
 - ◆ नवंबर 2021 में 30 सदस्य शहरों के साथ शुरू हुए इस एलायंस का विस्तार पूरे भारत में 110 नदी-शहरों और डेनमार्क के एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य शहर तक हो गया है।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ रिवर-सिटीज एलायंस का उद्देश्य शहरी नदी प्रबंधन के लिये नई प्रथाओं और दृष्टिकोणों को अपनाने के लिये भारतीय शहरों हेतु ज्ञान विनिमय (ऑनलाइन) की सुविधा प्रदान करना है।
 - ◆ यह अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिये भी भारतीय शहरों के अनुभवों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा, जो कि उनके संदर्भ में प्रासंगिक हो सकता है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga- NMCG)

- **परिचय:**
 - ◆ इसे गंगा नदी के जीर्णोद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहा जाता है।

- ◆ यह मिशन 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।
- ◆ इसने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया।
 - गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में संदर्भित) के गठन के परिणामस्वरूप 7 अक्टूबर, 2016 से NGRBA को विघटित कर दिया गया है।

उद्देश्य:

- ◆ NMCG का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और इसका कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
- ◆ इस मिशन में मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र को पूर्व अवस्था में लाना और अधिक सक्षम बनाना तथा सीवेज के प्रवाह की जाँच के लिये रिवरफ्रंट पर निकास बिंदुओं पर प्रदूषण को रोकने हेतु तत्काल अल्पकालिक कदम उठाना शामिल है।

संगठनात्मक संरचना:

- ◆ इस अधिनियम में गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी लाने के उपाय करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर पाँच संगठनात्मक संरचनाओं की परिकल्पना की गई है:
 - भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के तहत राष्ट्रीय गंगा परिषद।
 - केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त कृतक बल (Empowered Task Force- ETF)
 - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga- NMCG)
 - राज्य गंगा समितियाँ
 - राज्यों में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के निकटवर्ती प्रत्येक विशिष्ट जिले में जिला गंगा समितियाँ।

भारत में गंगा नदी के कायाकल्प के लिये अन्य पहलें:

- **नमामि गंगे कार्यक्रम:** यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
- **गंगा एक्शन प्लान:** यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो वर्ष 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य

जल अवरोधन, डायवर्जन व घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था।

- ◆ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा एक्शन प्लान का ही विस्तार है। इसका उद्देश्य गंगा एक्शन प्लान के फेज-2 के तहत गंगा नदी की सफाई करना है।
- **राष्ट्रीय जल मिशन (2010):** यह मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करता है, ताकि जल संरक्षण, जल के कम अपव्यय और समान वितरण के साथ बेहतर नीतियों का निर्माण हो सके।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):** यह गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन उपायों के लिये राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक पाँच-स्तरीय संरचना की परिकल्पना करता है।
 - ◆ वर्ष 2008 में गंगा को भारत की 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया गया था।
- **स्वच्छ गंगा कोष:** वर्ष 2014 में इसका गठन गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना तथा नदी की जैवविविधता के संरक्षण के लिये किया गया था।
- **भुवन-गंगा वेब एप:** यह गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध:** वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी में किसी भी प्रकार के कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम/प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (United Nations Environment Programme/Convention on Migratory Species- UNEP/CMS) के सहयोग से मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway- CAF) में प्रवासी पक्षियों एवं उनके आवासों के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने हेतु पक्षकार देशों की एक बैठक आयोजित की।

- बैठक में आर्मेनिया, बांग्लादेश, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, कुवैत सहित 11 देशों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने CAF के लिये एक संस्थागत ढाँचे और CMS/CAF कार्ययोजना को अद्यतन करने हेतु एक मसौदा रोडमैप पर सहमति व्यक्त की।

CMS:

● परिचय:

- ◆ यह UNEP के तहत एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।
- ◆ इस पर वर्ष 1979 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह 1983 से लागू है।
- ◆ CMS में 1 मार्च, 2022 तक 133 पक्षकार हैं।
 - भारत भी वर्ष 1983 से CMS का एक पक्षकार है।

● लक्ष्य:

- ◆ इसका उद्देश्य स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों को उनकी सीमा में संरक्षित करना है।
- ◆ यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिये कानूनी नींव रखता है।
 - CMS के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते और कम औपचारिक समझौता ज्ञापन भी कानूनी साधनों के रूप में संभव हैं।

● CMSके तहत दो परिशिष्ट:

- ◆ परिशिष्ट I 'संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों' को सूचीबद्ध करता है।
- ◆ परिशिष्ट II 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों' को सूचीबद्ध करता है।

● भारत और CMS:

- ◆ भारत ने साइबेरियन क्रेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008) और रैप्टर (2016) के संरक्षण एवं प्रबंधन पर CMS के साथ गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding- MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- ◆ भारत दुनिया के 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ ज्ञात वैश्विक जैवविविधता में लगभग 8% का योगदान देता है।
 - भारत कई प्रवासी प्रजातियों को अस्थायी आश्रय भी प्रदान करता है जिनमें अमूर फाल्कन, बार-हेडेड गीज, ब्लैक-नेकड क्रेन, समुद्री कछुए, डुगोंग, हंपबैक व्हेल आदि शामिल हैं।

● प्रवासी प्रजातियाँ:

- ◆ जंगली पशुओं की एक प्रजाति अथवा निचले श्रेणी के टैक्सोन, (जैविक वर्गीकरण के विज्ञान में प्रयुक्त इकाई) जिसकी पूरी आबादी अथवा आबादी का कोई भौगोलिक रूप से अलग हिस्सा चक्रीय रूप से और अनुमानित रूप से एक या एक से अधिक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के पार जा सकता है।

- ◆ "चक्रिय रूप से" पद किसी भी प्रकार के चक्र को संदर्भित करता है, जिसमें जलवायु, जैविक और खगोलीय (सर्कैडियन, वार्षिक आदि) चक्र शामिल हैं।
 - पद "अनुमानित रूप से" का तात्पर्य है कि एक घटना की कुछ प्रकार की स्थितियों के तहत पुनरावृत्ति होने की उम्मीद की जा सकती है, हालाँकि जरूरी नहीं कि यह समय-समय पर नियमित रूप से हो।


- ◆ भारतीय उपमहाद्वीप CAF का एक हिस्सा है जहाँ 182 प्रवासी जलपक्षी प्रजातियों (29 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों सहित) के कम-से-कम 279 आबादी भारत में पाई जाती है।
- ◆ भारत में प्रवासी पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें साइबेरियन क्रेन और लैसर वाइट फ्रंट गूज़ जैसे संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं।

फ्लाईवे:

- फ्लाईवे अपने वार्षिक चक्र के दौरान पक्षियों के एक समूह द्वारा उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र है जिसमें उनके प्रजनन क्षेत्र, ठहराव क्षेत्र और सर्दियों के क्षेत्र शामिल हैं।
- CMS सचिवालय ने पक्षियों के प्रवास के संबंध में वैश्विक स्तर पर नौ प्रमुख फ्लाईवे की पहचान की है।

मध्य एशियाई फ्लाईवे:

- मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) पक्षियों के लिये एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है, जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों तक फैला हुआ है।



प्रवासी प्रजातियों के लिये भारत द्वारा किये गए प्रयास:

- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (2018-2023): भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की है।
 - ◆ प्रवासी पक्षियों द्वारा सामना की जाने वाली वाली विभिन्न समस्याओं जैसे- निवास स्थान का नुकसान, निम्नीकरण और विखंडन, अवैध शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करके इन प्रजातियों के महत्वपूर्ण आवासों तथा प्रवासी मार्गों पर दबाव कम करने का प्रयास।

- ◆ प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी को रोकना और वर्ष 2027 तक इस परिदृश्य को संतुलित करना।
- ◆ आवासों और प्रवासी मार्गों के खतरों से बचाना और भावी पीढ़ियों के लिये उनकी स्थिरता सुनिश्चित करना।
- ◆ प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिये मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ-साथ विभिन्न देशों के बीच सीमा पार सहयोग का समर्थन करना।
- ◆ प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों पर डेटाबेस में सुधार करना ताकि उनके संरक्षण आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023

चर्चा में क्यों ?

जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन (COP28) की मेजबानी कर रहे हैं, ने 1-2 मई, 2023 को बर्लिन, जर्मनी में जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद आयोजित किया।

पीटर्सबर्ग संवाद:

- पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (United Nations Climate Change Conferences- COP) से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी।
- इस फोरम का उद्देश्य पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है।
- इसका केंद्रीय लक्ष्य बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं और राज्यों के बीच विश्वास को मजबूत करना है।
- यह संवाद जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त और नुकसान एवं क्षति से निपटने पर केंद्रित है।

प्रमुख बिंदु

- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता:**
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु "हमारी जीवाश्म ईंधन की आदत को छोड़ने और प्रत्येक क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन (Break our fossil fuel addiction and drive decarbonization in every sector)" की आवश्यकता पर बल दिया।
- **वैश्विक नवीकरणीय लक्ष्य:**
 - ◆ जर्मनी के विदेश मंत्री ने अगले जलवायु सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के संभावित वैश्विक लक्ष्य को लेकर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में त्वरित कटौती करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करना:**
 - ◆ COP28 के अध्यक्ष ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और उसके बाद वर्ष 2040 तक

● भारत के अन्य प्रयास:

- ◆ समुद्री कछुओं का संरक्षण: वर्ष 2020 तक समुद्री कछुआ नीति और समुद्री स्ट्रेडिंग प्रबंधन नीति की शुरुआत।
- ◆ माइक्रो प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण में कमी।
- ◆ बाघ, एशियाई हाथी, हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिये सीमा पार संरक्षित क्षेत्र।
- ◆ पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में अनुकूल विकास के लिये रैखिक अवसंरचना नीति दिशा-निर्देशों जैसे सतत बुनियादी ढाँचे का विकास।
- **प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (PSL):** PSL को हिम तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण के लिये एक समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था।
- **डुगोंग संरक्षण रिज़र्व:** भारत ने तमिलनाडु में अपना पहला डुगोंग संरक्षण रिज़र्व स्थापित किया है।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:**
 - ◆ प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिससे उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है।
 - ◆ इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
 - ◆ पक्षियों और उनके आवासों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के लिये इस अधिनियम के तहत प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- **अन्य पहलें:**
 - ◆ नगालैंड राज्य में अमूर फाल्कन्स, जो दक्षिणी अफ्रीका की ओर अपनी यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर भारत में प्रवास करते हैं, की सुरक्षा के लिये केंद्रित सुरक्षा उपाय किये गए हैं। इन उपायों में स्थानीय समुदायों द्वारा सहायता भी शामिल है।
 - ◆ भारत ने गिद्धों के संरक्षण के लिये कई कदम उठाए हैं जैसे- डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना आदि।
 - ◆ वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वन्यजीवों तथा उनके अंगों एवं उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिये की गई है।

दोगुना करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिभागी देशों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण में तेजी लाने तथा जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करते हुए व्यवहार्य एवं लागत प्रभावी शून्य-कार्बन विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

● जलवायु वित्त की स्थिति:

◆ विकसित देशों ने वर्ष 2009 में COP15 के दौरान वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का वादा किया था और वे ऐसा करते आए हैं।

■ हालाँकि हाल ही के एक अनुमान के मुताबिक, अकेले उभरते बाजारों के लिये वर्ष 2030 तक सालाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जलवायु वित्त की जरूरत है, इससे पता चलता है कि वित्तीय क्षतिपूर्ति की तत्काल आवश्यकता है।

● वैश्विक वित्तीय प्रणाली में तत्काल परिवर्तन आवश्यक:

◆ उपरोक्त संवाद में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया ताकि विश्व के सबसे जलवायु सुभेद्य देशों के लिये जलवायु वित्त का प्रबंधन किया जा सके।

■ वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का बोझ गरीब देशों पर नहीं डालना चाहिये क्योंकि वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा के लिये वे सबसे कम जिम्मेदार हैं।

● ग्लोबल स्टॉकटेक:

◆ वर्ष 2023 ग्लोबल स्टॉकटेक का वर्ष है, जिसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या मौजूदा प्रयास हमें पेरिस समझौते में निर्धारित उद्देश्यों तक पहुँचने में सक्षम बनाएंगे।

■ पिछले दो वर्षों से रिपोर्ट पर कार्य चल रहा है और इसके सितंबर 2023 में प्रकाशित होने का अनुमान है।

◆ केंद्रीय मंत्री भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि पहले ग्लोबल स्टॉकटेक के नतीजे इस बात पर केंद्रित होने चाहिये कि कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कार्वाई और प्रतिक्रियाएँ विकासशील देशों की विकासात्मक प्राथमिकताओं पर असर डालती हैं, जिसमें गरीबी उन्मूलन भी शामिल है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और उन्नत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अगले दौर को सूचित करने के लिये स्थायी जीवनशैली तथा टिकाऊ खपत पर एक संदेश देने की कोशिश करनी चाहिये।

जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा के लिये भारत की पहल:

● जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC):

◆ इसे वर्ष 2015 में भारत के विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने हेतु स्थापित किया गया था।

● राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष:

◆ यह कोष स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था और इसे उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर लगने वाले प्रारंभिक कार्बन कर के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

● यह एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित है जिसका अध्यक्ष वित्त सचिव होता है।

◆ इसका जनादेश जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास का वित्तपोषण करना है।

● राष्ट्रीय अनुकूलन कोष:

◆ इस निधि की स्थापना वर्ष 2014 में आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच के अंतर को कम करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ की गई थी।

◆ यह कोष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत संचालित है।

गोवा में वनाग्नि

चर्चा में क्यों ?

गोवा वन विभाग द्वारा मार्च 2023 में झाड़ियों में लगी आग की जाँच में पाया गया है कि यह आग बड़े पैमाने पर प्राकृतिक कारणों से लगी थी।

वन विभाग की जाँच के निष्कर्ष:

● अक्टूबर 2022 के बाद से गोवा में बहुत कम बारिश, ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति और न्यून आर्द्रता ने वनाग्नि के लिये उपयुक्त स्थिति उत्पन्न कर दी।

◆ वनाग्नि का कारण: रिपोर्ट बताती है कि वनाग्नि की घटना का कारण एक अनुकूल वातावरण और चरम मौसम की स्थिति, विगत मौसम में न्यूनतम वर्षा, असामान्य रूप से उच्च तापमान तथा कम नमी है।

● गोवा में वनाग्नि:

◆ भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा प्रकाशित इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR), 2021 में गोवा के 100% वन

आवरण को "न्यून अग्नि प्रवण" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- ◆ इसके अतिरिक्त गोवा में क्राउन फायर (पेड़ों के घर्षण के कारण) की घटना देखने को नहीं मिलती हैं, ऐसी घटनाएँ अधिकतर विदेशों में देखी जाती हैं।
 - गोवा के आर्द्र पर्णपाती वनों में सतह पर लगने वाली आग सामान्य हैं।
- ◆ मवेशियों के चरागाह वाली भूमि को साफ करने के लिये ग्रामीणों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्लेश-एंड-बर्न तकनीक में सामान्यतः वन क्षेत्र में भूमिगत और मृत कार्बनिक पदार्थों को जलाने हेतु सतही आग का प्रयोग किया जाता है।
 - काजू की खेती करने वाले किसान अक्सर खरपतवारों को साफ करने और उसे कम करने के लिये आग का कम प्रयोग करते हैं।

वनाग्नि:

परिचय:

- ◆ वनाग्नि अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन है जिसे ज्वलनशील वनस्पतियों की अधिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि वन, घासभूमि, क्षुपभूमि (Shrubland) में पौधों/वनस्पतियों के दहन के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

कारण:

- ◆ प्राकृतिक: तड़ित/आकाशीय बिजली (Lightning) के कारण भी वृक्षों में आग लग जाती है। हालाँकि इस तरह की वनाग्नि को वर्षा ही बुझा देती है तथा बहुत अधिक क्षति नहीं होती।
 - शुष्क वनस्पतियों के स्वतः दहन और ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण भी वनों में आग लगती है।
 - उच्च वायुमंडलीय तापमान और सूखा (कम आर्द्रता) वनाग्नि के लिये अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं।
- ◆ मानवजनित कारण: खुले में किसी प्रकार कि लौ जलाने, सिगरेट अथवा बीड़ी या विद्युतीय चिंगारी या प्रज्वलन के किसी स्रोत की ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आने पर भी वनों में आग लग सकती है।

प्रकार:

- ◆ शिखर अग्नि सबसे तीव्र एवं जोखिम पूर्ण वनाग्नि है वृक्षों के शिखर तक को अपनी चपेट में ले लेती है।
- ◆ सतही अग्नि केवल सतही स्तर पर वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियाँ, छोटी-छोटी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ इसकी चपेट में आती हैं। यह सबसे आसानी से बुझाई जा सकने योग्य वनाग्नि है जिस कारण इससे वनों को होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

- ◆ भूमिगत अग्नि (कभी-कभी भूमिगत अथवा उपसतह अग्नि कहा जाता है) कम तीव्रता की आग जो भूमि की सतह के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थों और वन भूमि की सतह पर मौजूद अपशिष्टों का उपयोग करती है।



लाभ:

- ◆ वनीय तल की सफाई
- ◆ आवास उपलब्धता
- ◆ रोगों का निवारण
- ◆ पोषक तत्व पुनर्चक्रण

हानि:

- ◆ अनपेक्षित वनस्पति की हानि
- ◆ कटाव और अवसादन का कारण बन सकती है
- ◆ पारितंत्र की क्षति
- ◆ मानवीय जीवन के लिये संकट उत्पन्न करती है

भारत में सुभेद्यता:


- ◆ भारत में वनाग्नि की घटनाएँ आमतौर पर नवंबर से जून मध्य तक होती हैं।
- ◆ ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) की एक रिपोर्ट में कहा गया है:
- ◆ पिछले दो दशकों में वनाग्नि की घटनाओं में दस गुना वृद्धि हुई है और यह रिपोर्ट बताती है कि 62% से अधिक भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाली वनाग्नि से ग्रसित हैं।

- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्य वनाग्नि के लिये सर्वाधिक संवेदनशील हैं।
- मिज़ोरम में पिछले दो दशकों में वनाग्नि की घटनाएँ सबसे अधिक देखी गई हैं और इसके 95% जिले वनाग्नि के हॉटस्पॉट हैं।
- ◆ भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2021 का अनुमान है कि देश के 36% से अधिक वन क्षेत्र में बार-बार आग लगने का

खतरा है, जबकि 6% 'अत्यधिक' अग्नि-प्रवण है और लगभग 4% 'अत्यंत' प्रवण क्षेत्र है।

- इसके अतिरिक्त भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में वनों के अंतर्गत लगभग 10.66% क्षेत्र 'अत्यंत' से 'अत्यधिक' अग्नि-प्रवण है।

More than 62% of Indian states are prone to high-intensity forest fire events (2000–19)



Source: Authors' analysis

Note: The base map shapefile is based on India's 2011 Census and, therefore, does not represent current states / UTs boundaries.

वनाग्नि के प्रबंधन से संबंधित भारत की पहलें:

- **वनाग्नि के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPFF):** इस कार्ययोजना को वर्ष 2018 में वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लक्ष्य के साथ जंगल के किनारे रह रहे समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाने तथा उन्हें राज्य वन विभागों से सहयोग के लिये प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था।
- **राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन (GIM):** इसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत लॉन्च किया गया है, GIM का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और क्षतिग्रस्त वनों को पुनर्स्थापित करना है।
- ◆ यह समुदाय आधारित वन प्रबंधन, जैवविविधता संरक्षण और सतत वन प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है, जो वनाग्नि को रोकने में योगदान करते हैं।

- **वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (FFPM):** FFPM को MoEF&CC के तहत FSI द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके वनाग्नि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है।
 - ◆ यह वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता हेतु समर्पित सरकार द्वारा प्रायोजित एकमात्र कार्यक्रम है।

वनाग्नि को कम करने हेतु उपाय:

- **फायर ब्रेक्स का निर्माण:** फायर ब्रेक्स ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पति को हटा दिया जाता है, जिससे एक खाई बन जाती है जो आग के प्रसार को धीमा कर सकती है या रोक सकती है।
- **वनों की निगरानी और प्रबंधन:** वनों की निगरानी और उनका उचित प्रबंधन आग को शुरू होने या फैलने से रोकने में मदद कर सकता है।
- **प्रारंभिक पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया:** प्रभावी शमन के लिये वनाग्नि का शीघ्र पता लगाना आवश्यक है।
 - ◆ भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का विश्लेषण तथा निवारण हेतु सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक (जैसे MODIS) का उपयोग कर रहा है।
- **ईंधन प्रबंधन:** विरलन और चयनात्मक लॉगिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से मृत वृक्षों, शुष्क वनस्पतियों और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों के संचय को कम करना।
- **आग लगने की घटना के अनुरूप अभ्यास:** वनों के आस-पास के क्षेत्रों जैसे- कारखानों, कोयले की खानों, तेल भंडारों, रासायनिक संयंत्रों और यहाँ तक कि घरेलू रसोई में भी सुरक्षित तौर-तरीकों को अपनाया जाना चाहिये।
- **नियंत्रित दहन:** नियंत्रित दहन के अंतर्गत नियंत्रित वातावरण में छोटे-छोटे हिस्सों में आग लगाना शामिल है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संघ (European Union- EU) ने घोषणा की है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM), जो गैर-हरित या पर्यावरणीय रूप से अस्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाएगा, को अक्टूबर 2023 से संक्रमणकालीन चरण में पेश किया जाएगा।

- CBAM 1 जनवरी, 2026 से यूरोपीय संघ में चुनिंदा आयातों पर 20-35% कर आरोपित करेगा।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र:

- **परिचय:**
 - ◆ CBAM "फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज" का एक घटक है, जो वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम-से-कम 55% की कटौती करके यूरोपीय जलवायु कानून का पालन करने की यूरोपीय संघ की रणनीति है।
 - ◆ CBAM नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हैं।
- **कार्यान्वयन:**
 - ◆ CBAM को वार्षिक आधार पर आयातकों को यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं की मात्रा के साथ-साथ उनके निहित ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की घोषणा करने पर लागू किया जाएगा।
 - ◆ इन उत्सर्जन को ऑफसेट करने हेतु आयातकों को CBAM प्रमाणपत्रों की एक समान संख्या को सरेंडर करने की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ETS) भत्ते के साप्ताहिक औसत नीलामी मूल्य प्रति टन यूरो CO2 उत्सर्जन पर आधारित होगी।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ CBAM यह सुनिश्चित करेगा कि इसके जलवायु लक्ष्य कार्बन-गहन आयात के संकट में न पड़ें और शेष विश्व में स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **महत्त्व:**
 - ◆ यह गैर-यूरोपीय संघ के देशों को और अधिक कड़े पर्यावरणीय नियमों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है जिससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है।
 - ◆ यह कंपनियों को पर्यावरण संबंधी कम सख्त नियमों वाले देशों में स्थानांतरित होने से रोक कर कार्बन उत्सर्जन को रोक सकता है।
 - ◆ CBAM से उत्पन्न राजस्व का उपयोग यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों का समर्थन करने के लिये किया जाएगा, इससे अन्य देश भी हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

भारत पर प्रभाव:


- **भारत के निर्यात पर प्रभाव:**
 - ◆ इसका भारत द्वारा यूरोपीय संघ को किये जाने वाले लौह, इस्पात और एल्युमीनियम जैसे उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इस प्रणाली के तहत इन्हें अतिरिक्त जाँच का सामना करना पड़ेगा।

- ◆ भारत द्वारा यूरोपीय संघ को लौह अयस्क और इस्पात का निर्यात किया जाता है, इन पर 19.8% से लेकर 52.7% तक कार्बन कर लगाए जाने से व्यापार पर काफी प्रभावित होने की संभावना है।
- ◆ 1 जनवरी, 2026 से यूरोपीय संघ इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और विद्युत की हर खेप पर कार्बन कर वसूलना शुरू कर देगा।
- **कार्बन तीव्रता और उच्च शुल्क:**
 - ◆ भारतीय उत्पादों की कार्बन तीव्रता यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है क्योंकि ऊर्जा खपत में कोयले का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है।
 - भारत में कोयले से उत्पन्न होने वाली विद्युत का अनुपात 75% के करीब है जो कि यूरोपीय संघ (15%) और वैश्विक औसत (36%) से काफी अधिक है।
- ◆ अतः लौह और इस्पात तथा एल्युमीनियम का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उत्सर्जन भारत के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि उच्च उत्सर्जन के कारण यूरोपीय संघ को उच्च कर का भुगतान करना पड़ेगा।
- **निर्यात प्रतिस्पर्द्धा के लिये खतरा:**
 - ◆ यह प्रारंभ में कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, लेकिन आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, जैविक रसायन, फार्मा दवाएँ और वस्त्र, जो यूरोपीय संघ द्वारा भारत से आयात किये जाने वाले शीर्ष 20 उत्पादों में शामिल हैं।
 - ◆ चूँकि भारत में कोई स्वदेशी कार्बन मूल्य निर्धारण योजना नहीं है, इससे प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ने का जोखिम होता है, क्योंकि कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली वाले अन्य देशों को न्यूनतम कार्बन कर का भुगतान करना पड़ सकता है अथवा उन्हें छूट भी मिल सकती है।

RISING TENSION

The proposed tax has raised concerns among Indian metal producers, who fear it will create a new trade barrier for exports to Europe.

Share (%) of CBAM products in India's exports



India's total exports of CBAM products to EU:

\$8.22 bn

Impact on sectors covered under CBAM

mint

↑ HIGH

	Number of tariff lines affected	EU's share (%) in India's exports of CBAM products
Iron ore, concentrates	16	19.9
Steel products	163	20
Iron and steel	473	31.4
Aluminium and products	85	27.7

↓ LOW

Cement	14	6.1
Fertilizer	24	0.7
Hydrogen	1	0
Electrical energy	1	0

CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism

Source: Global Trade Research Initiative (GTRI)

CBAM के प्रभाव को कम करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदम:

डीकार्बोनाइजेशन सिद्धांत:

- सरकार के पास राष्ट्रीय इस्पात नीति जैसी योजनाएँ हैं, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य भारत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, लेकिन वह कार्बन दक्षता ऐसी योजनाओं के उद्देश्यों से परे है।
- सरकार इन योजनाओं को डीकार्बोनाइजेशन सिद्धांत के साथ शामिल कर सकती है।
 - डीकार्बोनाइजेशन का तात्पर्य परिवहन, विद्युत उत्पादन, निर्माण और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया से है।

कर कटौती के लिये यूरोपीय संघ के साथ समझौता वार्ता:

- भारत अपने ऊर्जा करों को कार्बन मूल्य के समतुल्य मानने के लिये यूरोपीय संघ के साथ समझौता वार्ता कर सकता है, जो इसके निर्यात को CBAM के प्रति कम संवेदनशील बनाएगा।
- उदाहरण के लिये भारत यह तर्क दे सकता है कि कोयले पर उसका कर, कार्बन उत्सर्जन की आंतरिक लागत को निर्मित करने का एक उपाय है, जो कार्बन कर के समकक्ष है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण:

- भारत के उत्पादन क्षेत्र को अधिक कार्बन कुशल बनाने में सहायता के लिये भारत को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और वित्तपोषण तंत्र को स्थानांतरित करने हेतु यूरोपीय संघ के साथ समझौता वार्ता करनी चाहिये।
 - इसे वित्तपोषित करने का एक तरीका यह है कि भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने के लिये यूरोपीय संघ को अपने CBAM राजस्व का एक हिस्सा अलग रखने का प्रस्ताव दिया जाए।
 - साथ ही भारत को भी नई व्यवस्था के लिये उसी तरह तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिये जैसे चीन और रूस कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम स्थापित कर रहे हैं।

हरित उत्पादन को प्रोत्साहन:

- भारत तैयारी प्रारंभ करने के साथ-साथ स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करके उसे हरा-भरा और सतत बनाने का अवसर हासिल कर सकता है, जो भविष्य में अधिक कार्बन के प्रति जागरूक और प्रतिस्पर्धी दोनों रूप से भारत को लाभान्वित करेगा।

- अपने विकासात्मक लक्ष्यों एवं आर्थिक आकांक्षाओं से समझौता किये बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली और इसके शुद्ध शून्य लक्ष्य 2070 को प्राप्त करना है।

यूरोपीय संघ का टैक्स फ्रेमवर्क:

- भारत को G-20, 2023 के नेता के रूप में अन्य देशों की वकालत करने के लिये अपनी स्थिति का उपयोग करना चाहिये और उनसे यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स ढाँचे का विरोध करने का आग्रह करना चाहिये।
- भारत को न केवल अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये बल्कि इसके नकारात्मक प्रभाव पर भी विचार करना चाहिये क्योंकि CBAM का प्रभाव उन गरीब देशों पर पड़ेगा जो खनिज संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

निष्कर्ष:

- CBAM आयातित वस्तुओं से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक निष्पक्ष-व्यापार वातावरण बनाने की नीति है।
- यह अन्य देशों को सख्त पर्यावरणीय नियमों और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।

स्लज प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सीवेज उपचार संयंत्रों (STP) में पाया जाने वाला कीचड़ गंगा नदी के प्रदूषित जल के उपचार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कीचड़ के किये गए एक अध्ययन ने उर्वरक और संभावित जैव ईंधन के रूप में उपयोग की क्षमता का खुलासा किया।

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 'अर्थ गंगा' (गंगा से आर्थिक मूल्य) नामक एक उभरती पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना और गंगा नदी का कार्याकल्प करना है।
- इस पहल का उद्देश्य नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम से आजीविका के अवसर प्राप्त करना है और इसमें उपचारित अपशिष्ट जल तथा कीचड़ के मुद्रीकरण एवं पुनः उपयोग के उपाय शामिल हैं।

कीचड़/स्लज:

परिचय:

- कीचड़ मल-जल उपचार संयंत्रों में अपशिष्ट जल या सीवेज के उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाला गाढ़ा अवशेष है।
- यह अर्द्ध-ठोस सामग्री है जो सीवेज के तरल हिस्से को अलग करने और उपचारित करने के बाद बची रहती है।
- उपयोग किये गए स्रोत और उपचार प्रक्रियाओं के आधार पर कीचड़ की संरचना भिन्न हो सकती है।

- इसमें आमतौर पर कार्बनिक यौगिक, पोषक तत्व (जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस) और सूक्ष्मजीव होते हैं।
- हालाँकि कीचड़ में भारी धातु, औद्योगिक प्रदूषक और रोगजनकों जैसे संदूषक भी हो सकते हैं।
- ◆ कीचड़ के उपचार और प्रसंस्करण से जैविक खाद, ऊर्जा उत्पादन के लिये बायोगैस या निर्माण सामग्री प्राप्त हो सकती है।
- ◆ कीचड़ संदूषकों से जल निकायों और कृषि भूमि को नकारात्मक प्रभावों से बचाने हेतु सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

● उपचारित कीचड़/स्लज का वर्गीकरण:

- ◆ कीचड़ को संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के मानकों के अनुसार श्रेणी A या श्रेणी B के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
 - श्रेणी A कीचड़ खुले निपटान हेतु सुरक्षित है और जैविक खाद के रूप में कार्य करता है।
 - श्रेणी B कीचड़ का उपयोग प्रतिबंधित कृषि अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जिसमें फसलों के खाद्य भागों को कीचड़-मिश्रित मृदा के संपर्क में आने से बचाने एवं जानवरों तथा लोगों के साथ संपर्क को सीमित करने हेतु सावधानी बरती जाती है।
- ◆ भारत में कीचड़ को श्रेणी A या B के रूप में वर्गीकृत करने हेतु स्थापित मानक नहीं हैं।

● भारतीय STP में कीचड़ की स्थिति:

- ◆ नमामि गंगे मिशन के तहत ठेकेदारों को कीचड़ निस्तारण हेतु जमीन दी गई है।
 - हालाँकि इन ठेकेदारों द्वारा कीचड़ के अपर्याप्त उपचार के कारण वर्षा के दौरान इसे नदियों और स्थानीय जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है।
- ◆ कीचड़ के रासायनिक गुणों से संबंधित डेटा के माध्यम से निजी अभिकर्ताओं को कीचड़ के उपचार एवं निपटान हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- ◆ यह अध्ययन भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य कीचड़ निपटान के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उजागर करना है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

● प्रमुख बिंदु:

- ◆ अधिकांश सूखे गाद का विश्लेषण श्रेणी B में आता है।
- ◆ नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्तर भारत के उर्वरक मानकों से अधिक है, जबकि पोटेशियम का स्तर अनुशंसित से कम है।

- ◆ कुल कार्बनिक सामग्री अनुशंसित से अधिक है, लेकिन भारी धातु संदूषण एवं रोगजनक स्तर उर्वरक मानकों से अधिक हैं।
- ◆ गाद का कैलोरी मान 1,000-3,500 किलो कैलोरी/किग्रा. होता है, जो भारतीय कोयले से कम है।

● कीचड़ की गुणवत्ता में सुधार के लिये सिफारिशें:

- ◆ रोगजनकों को मारने के लिये कम-से-कम तीन महीने तक कीचड़ के भंडारण की सिफारिश की जाती है।
- ◆ मवेशी खाद, भूसी अथवा स्थानीय मृदा के साथ कीचड़ को मिलाने से भारी धातु की मात्रा कम हो सकती है।
 - हालाँकि इन उपाय के बावजूद अभी भी कीचड़ को वर्ग B के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- ◆ कीचड़ को श्रेणी A में बदलने के लिये अधिक व्यापक उपचार की आवश्यकता होगी।

अर्थ गंगा परियोजना:

● परिचय:

- ◆ 'अर्थ गंगा' का तात्पर्य गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ सतत् विकास मॉडल विकसित करना है।
- ◆ दिसंबर 2019 में संपन्न हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council- NGC) की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 'नमामि गंगे' परियोजना को 'अर्थ-गंगा' जैसे सतत् विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था।
- ◆ अर्थ गंगा के तहत सरकार छह कार्यक्षेत्रों पर काम कर रही है:
 - पहला जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, जिसमें नदी के दोनों ओर 10 किमी. तक रासायनिक मुक्त खेती और गोबर-धन योजना के माध्यम से खाद के रूप में गोबर को बढ़ावा देना शामिल है।
 - दूसरा कचरा और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण एवं पुनः उपयोग करना है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिये सिंचाई, उद्योगों तथा राजस्व सृजन हेतु उपचारित जल का पुनः उपयोग करना शामिल है।
 - अर्थ गंगा में हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर भी शामिल होंगे जहाँ लोग स्थानीय उत्पाद, औषधीय पौधे और आयुर्वेदिक उत्पाद बेच सकते हैं।
 - चौथा है नदी से जुड़े हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाकर जनभागीदारी बढ़ाना।
 - मॉडल नाव पर्यटन, साहसिक खेलों और योग गतिविधियों के माध्यम से गंगा एवं उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन को बढ़ावा देगा।

- मॉडल उचित जल प्रशासन के लिये स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत विकास को बढ़ावा देना।

एशिया-प्रशांत देशों में जलवायु परिवर्तन लचीलापन घाटा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक अध्ययन रिपोर्ट "द रेस टू नेट जीरो: एक्सेलेरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक" में एशिया एवं प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) ने खुलासा किया है कि एशिया एवं प्रशांत के अधिकांश देशों के पास चरम मौसमी घटनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न बढ़ते खतरों का प्रबंधन करने हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

- यह अध्ययन क्षेत्र में अनुकूलन और शमन प्रयासों का समर्थन करने के लिये आवश्यक डेटा और संसाधनों की कमी को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

● एशिया-प्रशांत में बढ़ती जलवायु चुनौतियाँ:

- ◆ इस क्षेत्र में पिछले 60 वर्षों में बढ़ते तापमान ने वैश्विक औसत को पार कर लिया है, जिससे तीव्र चरम मौसम की घटनाएँ एवं प्राकृतिक खतरे उत्पन्न हो गए हैं।
- ◆ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, गर्म हवाएँ, बाढ़ तथा सूखे के कारण जीवन की महत्वपूर्ण हानि, विस्थापन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई है।
- ◆ इस तरह की आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में से छह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं, जिससे खाद्य प्रणालियों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नुकसान हो रहा है।

● कमजोर समूहों पर विषम प्रभाव:

- ◆ जलवायु परिवर्तन और जलवायु-प्रेरित आपदाएँ महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों, प्रवासियों, स्वदेशी आबादी तथा कमजोर स्थितियों वाले युवा लोगों सहित कमजोर समूहों पर गंभीर रूप से बोझ डालती हैं।
- ◆ इन चुनौतियों के कारण गरीबी और सामाजिक असमानता जैसे अंतर्निहित कारकों के उभार में तेजी देखी जा रही है जो विकास की प्रगति में बाधा बन रहे हैं।

● ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में क्षेत्रों का योगदान:

- ◆ एशिया-प्रशांत क्षेत्र विश्व के आधे से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- यह क्षेत्र तीव्र विकास और विशाल आबादी के चलते वैश्विक जलवायु संकट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- ◆ इस क्षेत्र के भीतर विभिन्न निचले इलाके और कमजोर छोटे द्वीपीय देश स्थित हैं, जो इसे जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों के प्रति सुभेद्य बनाते हैं।

● जलवायु परिवर्तन की आर्थिक लागत:

- ◆ ESCAP का अनुमान है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खतरों से लगभग 780 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक औसत नुकसान हुआ है।
- मध्यम जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के अनुसार, इस नुकसान के 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सबसे खराब स्थिति में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- ◆ जलवायु कार्रवाई के लिये मौजूदा वित्तपोषण इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने तक सीमित है।

■ आवश्यक पहल:

- ◆ उत्सर्जन अंतराल को समाप्त करना:

● ऊर्जा क्षेत्र:

- राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालियों का पुनर्गठन और नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में निवेश करना।
- जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण।
- नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु सीमा पार विद्युत ग्रिड को बढ़ावा देना।
- स्थानीय समाधानों और विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन पर जोर देना।

● परिवहन क्षेत्र:

- निम्न-कार्बन वाले परिवहन मार्गों में स्थानांतरण।
- एकीकृत भूमि उपयोग योजना के माध्यम से परिवहन दूरी को कम करना।
- कम कार्बन या शुद्ध-शून्य उत्सर्जन वाले टिकाऊ परिवहन साधनों को प्रोत्साहित करना।
- वाहन और ईंधन दक्षता में सुधार।

● अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश:

- क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करना।
- जलवायु-स्मार्ट व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- निजी क्षेत्र को निम्न-कार्बन मार्गों और धारणीयता प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- स्थिरता रिपोर्टिंग और ग्रीनहाउस गैस लेखांकन के माध्यम से पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना।

UNESCAP:

- **परिचय:** UNESCAP एशिया-प्रशांत क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा है।
- ◆ इसमें भारत सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 53 सदस्य देश और 9 सहयोगी सदस्य हैं।
- **स्थापना:** 1947
- **मुख्यालय:** बैंकॉक, थाईलैंड
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों को परिणामोन्मुख परियोजनाएँ, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करके इस क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों पर नियंत्रण प्राप्त करना।

वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को समाप्त करना**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में COP-28 के नामित अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर ने तेल और गैस उद्योग से वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को समाप्त करने एवं वर्ष 2050 तक या उससे पहले व्यापक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन योजनाओं के साथ सरेखित करने का आह्वान किया है क्योंकि मीथेन जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में गंभीर चिंता के रूप में उभरी है।

- जलवायु कार्यवाही और ऊर्जा संक्रमण में विकासशील देशों की समावेशिता एवं सक्रिय भागीदारी के महत्त्व के साथ-साथ जलवायु शमन के लिये प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर दिया गया।
- COP-28 या 28वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला है।

मीथेन:

- **परिचय:**
 - ◆ मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु (CH₄) होते हैं।
 - यह ज्वलनशील है और इसे विश्व भर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - ◆ मीथेन शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
 - ◆ वातावरण में अपने जीवन के पहले 20 वर्षों में मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तापन शक्ति 80 गुना से अधिक होती है।
 - ◆ कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण में इसका जीवनकाल कम होता है।
 - ◆ मीथेन के सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली, कृषि गतिविधियाँ, कोयला खनन और अपशिष्ट हैं।

● प्रभाव:

- ◆ अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता:
 - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के अनुसार, जीवाश्म ईंधन संचालन सभी मानव गतिविधियों से एक-तिहाई से अधिक मीथेन उत्पन्न करता है।
 - यह ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 80-85 गुना अधिक शक्तिशाली है।
- ◆ यह अन्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिये एक साथ काम करते हुए ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक तेजी से कम करने हेतु एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करती है।
 - मीथेन औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% की वृद्धि के लिये जिम्मेदार है।
- ◆ क्षोभमंडलीय ओजोन के उत्पादन को बढ़ावा:
 - इसके बढ़ते उत्सर्जन के कारण क्षोभमंडलीय ओजोन वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण सालाना दस लाख से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु होती है।

मीथेन से ऊर्जा संक्रमण में हाइड्रोकार्बन की भूमिका:**● संक्रमण में भूमिका:**

- ◆ हाइड्रोकार्बन ऊर्जा का एक विश्वसनीय और आसानी से उपलब्ध स्रोत प्रदान करके नई ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव के दौरान एक संक्रमणकालीन भूमिका निभा सकते हैं।

● सेतु ईंधन की भूमिका:

- ◆ ये कार्बन उत्सर्जन को कम कर ऊर्जा की मांग को पूरा करने में मदद करते हुए उच्च कार्बन जीवाश्म ईंधन एवं स्वच्छ विकल्पों के बीच एक सेतु ईंधन के रूप में काम कर सकते हैं।

● ऊर्जा प्रणाली की स्थिरता:

- ◆ हाइड्रोकार्बन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के प्रारंभिक चरणों के दौरान ऊर्जा प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में योगदान करते हैं।

● मौजूदा बुनियादी ढाँचा:

- ◆ हाइड्रोकार्बन निकालने, संसाधित करने और वितरित करने हेतु बुनियादी ढाँचा पहले से ही स्थापित है, जिससे नई ऊर्जा प्रणालियों में सहज संक्रमण हो सकता है।

● कार्बन तीव्रता में कमी:

- ◆ उत्पादन और खपत प्रक्रियाओं के दौरान स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को लागू करके हाइड्रोकार्बन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

विकासशील देशों को ऊर्जा संक्रमण में शामिल करने के प्रयास:

- **वित्तीय सहायता बढ़ाना:**
 - ◆ विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु पर्याप्त जलवायु वित्त प्रदान करना।
- **तकनीकी हस्तांतरण:**
 - ◆ किफायती और कुशल समाधानों तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए विकसित देशों से विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
- **क्षमता निर्माण:**
 - ◆ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने और प्रबंधित करने में विकासशील देशों की क्षमता का निर्माण करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं ज्ञान-साझाकरण पहलों में निवेश करना।
- **नीतिगत समर्थन:**
 - ◆ अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा-कुशल प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने वाली सहायक नीतियों एवं विनियमों को विकसित करने तथा लागू करने में विकासशील देशों की सहायता करना।
- **सार्वजनिक-निजी साझेदारी:**
 - ◆ विकासशील देशों के ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने में संसाधनों, विशेषज्ञता और नवाचार का लाभ उठाने हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

जलवायु शमन में जलवायु प्रौद्योगिकियों की भूमिका:

- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ:**
 - ◆ जलवायु प्रौद्योगिकियाँ सौर, पवन, जल और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करती हैं।
 - ◆ ये प्रौद्योगिकियाँ स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को सक्षम बनाती हैं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करती हैं।
- **ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियाँ:**
 - ◆ इमारतों, परिवहन और उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना जलवायु प्रौद्योगिकी के केंद्र में है।
 - ◆ ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार करने वाले स्मार्ट मीटर, ऊर्जा-कुशल उपकरण और इन्सुलेशन जैसी प्रौद्योगिकियों का निर्माण।
 - बैटरी और ऊर्जा भंडारण परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करना संभव बनाता है तथा विश्वसनीय एवं सुरक्षित ग्रिड संचालन के लिये बैकअप ऊर्जा प्रदान करता है।

■ इन प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य ऊर्जा की खपत और अपव्यय को कम करना है, इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।

● कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और संग्रहण (CCUS):

- ◆ CCUS प्रौद्योगिकियाँ विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक ईकाइयों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती हैं तथा उन्हें वातावरण में निष्काशित होने से रोकती हैं।
 - कैप्चर किये गए कार्बन को भूमिगत रूप से संग्रहीत किया जाता है अथवा अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, यह प्रभावी रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।

● सतत् परिवहन प्रौद्योगिकियाँ:

- ◆ जलवायु प्रौद्योगिकियाँ इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन ईंधन बैटरियों और उन्नत जैव ईंधन जैसे कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन संबंधी समाधानों के विकास एवं उन्हें अपनाने को प्रोत्साहित करती हैं।
- ◆ ये प्रौद्योगिकियाँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं।

● चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकियाँ:

- ◆ यह संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करती हैं और पुनः उपयोग, मरम्मत, पुनर्नवीनीकरण किये जाने योग्य उत्पादों तथा प्रणालियों को डिजाइन करके अपशिष्ट को कम करती हैं।

मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिये पहल:

- **भारतीय:**
 - ◆ 'हरित धारा': भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट 'हरित धारा' विकसित की है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17-20% तक कम कर सकती है और इसके परिणामस्वरूप उच्च दूध उत्पादन भी हो सकता है।
 - ◆ भारत ग्रीनहाउस गैस कार्यक्रम: विश्व संसाधन संस्थान (WRI) भारत (गैर-लाभकारी संगठन), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के नेतृत्व में भारत GHG कार्यक्रम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने व प्रबंधित करने के लिये उद्योग-आधारित एक स्वैच्छिक ढाँचा है।
 - यह कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने और भारत में अधिक लाभदायक, प्रतिस्पर्द्धी व टिकाऊ व्यवसायों एवं संगठनों को चलाने के लिये व्यापक माप तथा प्रबंधन रणनीतियों का निर्माण करता है।
 - ◆ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC): NAPCC को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था जिसका

उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों एवं इसका मुकाबला करने के लिये जागरूकता पैदा करना है।

- ◆ भारत स्टेज-VI मानदंड: भारत स्टेज-IV (BS-IV) के बाद भारत स्टेज-VI (BS-VI) नवीनतम उत्सर्जन संबंधी मानदंड है।

● वैश्विक:

- ◆ मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम (MARS):
 - MARS बड़ी मात्रा में मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा एकीकृत करेगा, जो दुनिया में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने की क्षमता रखता है तथा संबंधित हितधारकों को इस पर कार्रवाई करने के लिये सूचनाएँ भेजता है।
- ◆ वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा:
 - वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन, CoP26 में लगभग 100 देश स्वैच्छिक प्रतिज्ञा में एक साथ आए थे, जिसे वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के रूप में संदर्भित किया गया था, इसका उद्देश्य वर्ष 2020 के स्तर से वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में कम-से-कम 30% की कमी करना है।
- ◆ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव:
 - GMI एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन के उपयोग के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को कम करने पर बल देती है।

वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम

चर्चा में क्यों ?

8-12 मई, 2023 तक न्यूयॉर्क में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 18वें संस्करण (United Nations Forum on Forests- UNFF18) में सतत वन प्रबंधन (Sustainable Forest Management- SFM), ऊर्जा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDG) के बीच संबंधों पर चर्चा करने के लिये विश्व भर के प्रतिनिधि एकजुट हुए।

UNFF18 के प्रमुख बिंदु:

- **उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सतत वन प्रबंधन (SFM):**
 - ◆ हालिया विकास पर विशेषज्ञों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में SFM के अभ्यास के महत्त्व को रेखांकित किया है। वर्ष 2013 के बाद से बायो एनर्जी के उपयोग में बढ़ोतरी के कारण उष्णकटिबंधीय लकड़ी की सतत उपलब्धता की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे वनों पर दबाव बढ़ रहा है।

- विश्व भर में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती आवश्यकता के कारण जैव ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से उष्णकटिबंधीय वनों पर दबाव बढ़ा दिया है। ईंधन स्रोत के रूप में लकड़ी के चिप्स और पेल्लेट्स जैसे बायोमास पर बायो एनर्जी की निर्भरता के परिणामस्वरूप इमारती लकड़ी की आवश्यकता बढ़ गई है। इससे सामान्यतः इन क्षेत्रों की स्थिरता, जैवविविधता और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों को संभावित नुकसान संबंधी चिंता बढ़ गई है।

- ◆ सेलेक्टिव लॉगिंग अभ्यास और वनीकरण जैसी स्थायी प्रथाओं को लागू करके इन वनों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की रक्षा की जा सकती है।

● वन पारिस्थितिकी तंत्र और ऊर्जा:

- ◆ खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के वानिकी निदेशक ने नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये वन पारिस्थितिक तंत्र के महत्त्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला।

- विश्व भर में पाँच अरब से अधिक लोग गैर-लकड़ी वन उत्पादों से लाभान्वित होते हैं, और वन विश्व की नवीकरणीय ऊर्जा की मांग के 55% को पूरा करते हैं।

● वन और जलवायु परिवर्तन शमन:

- ◆ उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के निष्कर्ष वनों की विशाल जलवायु शमन क्षमता को रेखांकित करते हैं। कार्बन पृथक्करण/सीक्वैस्ट्रेशन (Carbon Sequestration) जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वातावरण से पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहीत करते हैं।

- वनों को संरक्षित और स्थायी रूप से प्रबंधित करके राष्ट्र इस प्राकृतिक क्षमता का लाभ उठाकर उत्सर्जन अंतर को पाटने तथा जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

- ◆ वनों में 5 गीगाटन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है।

● चुनौतियाँ और देशों का परिदृश्य:

- ◆ भारत: भारत ने दीर्घकालिक SFM पर UNFF में देश के नेतृत्व वाली पहल का मामला पेश किया तथा वनाग्नि और वर्तमान वन प्रमाणन योजनाओं की सीमाओं के बारे में चिंता व्यक्त की।

- ◆ सऊदी अरब: सऊदी अरब ने वनाग्नि और शहरी विस्तार के लिये वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण रोकने के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

- ◆ सूरीनाम: सबसे अधिक वनाच्छादित और कार्बन-नकारात्मक देश होने का दावा करने वाले सूरीनाम ने अपने हरित आवरण और पर्यावरण नीतियों को प्रभावित करने वाले आर्थिक दबावों के अपने अनुभव साझा किये।
 - देश वर्ष 2025 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी शुद्ध ऊर्जा का 23% प्राप्त करने और वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- ◆ कांगो और डोमिनिकन गणराज्य: इन देशों ने वन संरक्षण उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और जलाऊ लकड़ी पर भारी निर्भरता को देखते हुए आजीविका में सुधार करते हुए प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने के लिये रणनीतियों का आह्वान किया।
- ◆ ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया ने उल्लेख किया कि कुछ प्रजातियाँ अंकुरण के लिये आग पर निर्भर करती हैं और उसने यांत्रिक ईंधन भार में कमी हेतु किये गए परीक्षणों पर जानकारी साझा की। देश ने लकड़ी के अवशेष बाजारों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- ◆ अन्य दृष्टिकोण: झिम्बे और सतकुरु जैसे देशों ने ब्रिकेट और छरों का उत्पादन करने हेतु कॉम्पैक्ट बाँस या चूरा के अवशेषों के साथ प्लास्टिक की छड़ियों को बदलने का सुझाव दिया, जो ऊर्जा उत्पादन के लिये स्थायी विकल्प प्रदान करता है।

वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम:

● परिचय:

- ◆ UNFF एक अंतर-सरकारी नीति मंच है, यह "सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत् विकास को बढ़ावा देता है तथा इसके लिये दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- ◆ UNFF की स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। फोरम की सार्वभौमिक सदस्यता है और यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों से बना है।

● प्रमुख संबंधित घटनाएँ:

- ◆ वर्ष 1992- पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने "वन सिद्धांतों के साथ एजेंडा 21 को अपनाया"।
- ◆ वर्ष 1995/1997- वर्ष 1995 से 2000 तक वन सिद्धांतों को लागू करने के लिये वनों पर अंतर-सरकारी पैनल (1995) और वनों पर अंतर-सरकारी फोरम (1997) की स्थापना की गई।
- ◆ वर्ष 2000- UNFF को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक कार्यात्मक आयोग के रूप में स्थापित किया गया।
- ◆ वर्ष 2006- UNFF वनों पर चार वैश्विक उद्देश्यों पर सहमत हुआ।

● वनों पर चार वैश्विक उद्देश्य:

- ◆ स्थायी वन प्रबंधन (SFM) के माध्यम से विश्व भर में वन आवरण को हो रहे नुकसान को परिवर्तित करना।
- ◆ वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना।
- ◆ स्थायी रूप से प्रबंधित वन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि।
- ◆ SFM के लिये आधिकारिक विकास सहायता में गिरावट की स्थिति में बदलाव लाना।
- ◆ SFM के कार्यान्वयन के लिये वित्तीय संसाधनों में वृद्धि।
- ◆ वर्ष 2007- UNFF ने सभी प्रकार के वनों (वन साधन) पर संयुक्त राष्ट्र के गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन को अपनाया।
- ◆ वर्ष 2009- UNFF ने स्थायी वन प्रबंधन के लिये वित्तपोषण पर निर्णय लिया, जो वन वित्तपोषण में 20 साल की गिरावट की स्थिति को बदलने में देशों की सहायता करने के लिये एक सुविधाजनक प्रक्रिया के निर्माण की मांग करता है।
- ◆ सुविधा प्रक्रिया का प्रारंभिक ध्यान छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) और कम वन आवरण वाले देशों (LFCC) पर केंद्रित है।
- ◆ वर्ष 2011- अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, "लोगों के लिये वन"।

भूगोल

भारत का जलवायु और मौसम प्रतिरूप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2023 काफी गर्म और शुष्क रहेगा।

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मानसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणी की है, लेकिन अल नीनो की घटनाओं में वृद्धि होने से मानसूनी वर्षा में कमी आ सकती है।
- इसके अतिरिक्त IMD ने पहली बार चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाली मौतों पर डेटा जारी किया है।

भारत की वर्तमान स्थिति:

- **अनियमित वर्षाजल वितरण:**
 - ◆ हालिया बूँदा-बाँदी के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में पर्याप्त बारिश हुई है।
 - ◆ महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय मौसम की विभिन्न घटनाओं के कारण उम्मीद से 15 गुना अधिक बारिश हुई है।
- **अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग:**
 - ◆ IMD ने सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है लेकिन अल नीनो में वृद्धि भारत में वर्षा को प्रभावित कर सकती है।
 - ◆ विश्व स्तर पर अल नीनो की घटनाओं में तेजी से वृद्धि, जिसका समग्र ग्रह पर वार्मिंग प्रभाव पड़ता है, के कारण वर्ष 2023 के चार सबसे गर्म वर्षों में से एक होने की संभावना है।
- **भारत में वार्मिंग पैटर्न:**
 - ◆ वर्ष 2022 पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा है, भारत के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति वैश्विक औसत से थोड़ी कम है।
 - ◆ भारत में उष्ण सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं है। हिमाचल प्रदेश, गोवा और केरल जैसे कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक गर्मी देखी गई है, जबकि बिहार, झारखंड एवं ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में सबसे कम गर्मी का अनुभव हुआ है।
 - ◆ उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान वर्ष 1950 और 2015 के बीच लगभग एक डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है।

आगामी अल नीनो के प्रभाव के संदर्भ में जलवायु मॉडल का अनुमान:

- **भारत में कमजोर मानसून:** मई/जून 2023 में अल नीनो की घटना में वृद्धि से दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम कमजोर हो सकता है, जो भारत को प्राप्त होने वाली कुल वर्षा का लगभग 70% है, साथ ही इस पर देश के अधिकांश किसान निर्भर हैं।
- ◆ हालाँकि मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) और कम दबाव प्रणाली जैसे उप-मौसमी कारक कुछ क्षेत्रों में वर्षा को अस्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं जैसा कि वर्ष 2015 में देखा गया था।
- **उच्च तापमान:** यह भारत और विश्व भर के अन्य क्षेत्रों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीप समूह में हीटवेव तथा सूखे का कारण बन सकता है।
- **पश्चिमी देशों में भारी वर्षा:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया जैसे अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और प्रवाल भित्तियों के विरंजन एवं मृत्यु का कारण बन सकता है।
- **बढ़ता वैश्विक औसत तापमान:**
 - ◆ अल नीनो के कारण वर्ष 2023 और 2024 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो सकता है।
 - ◆ महासागरों का गर्म होना भी अल नीनो घटना के प्रमुख प्रभावों में से एक है।
 - ◆ यह तब है जब विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) के अनुसार, समुद्र की गर्मी पहले से ही उच्च स्तर पर है।

किस मौसम की घटना के कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं ?

- भारत में किसी भी अन्य मौसम की घटना की तुलना में बिजली गिरने से अधिक मौतें हुईं।
- ◆ वर्ष 2022 में भारत में मौसम संबंधी घटनाओं के चलते 60% मौतें (2,657 दर्ज मौतों में से 1,608) बिजली गिरने के कारण हुईं।
- बाढ़ और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं से 937 लोगों की जान चली गई।
- मरने वालों की वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि IMD और राज्य सरकारें सूची तैयार करने के लिये मीडिया रिपोर्टों पर निर्भर थीं।

DEATHS CAUSED BY EXTREME WEATHER EVENTS

Lightning	1,608
Floods and Heavy Rains	917
Cyclones	6
Snowfall	33
Gale	8
Heat Wave	30
Cold Wave	1
Dust Storm	22
Thunderstorm	32

**Total
2,657**

Based on data from 29 states

भारत की जलवायु परिवर्तन शमन पहल क्या हैं ?

● जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC):

- ◆ भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिये इसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया।
- ◆ इसका उद्देश्य भारत द्वारा कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास सुनिश्चित करना है।
- ◆ NAPCC के मूल में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बहु-आयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं-
 - राष्ट्रीय सौर मिशन
 - उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन

- सतत् आवास पर राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय जल मिशन
- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय मिशन
- हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन
- सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन
- जलवायु परिवर्तन के लिये सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

● राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC):

- ◆ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये भारत की प्रतिबद्धता।
- ◆ वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली उत्पन्न करने का संकल्प।
- ◆ अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प।

● जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC):

- ◆ इसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलन परियोजनाओं को लागू कर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 में स्थापित किया गया।

● जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना (SAPCC):

- ◆ यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी विशिष्ट जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर अपने स्वयं के SAPCC तैयार करने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- ◆ SAPCC उप-राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिये रणनीतियों और कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है।
- ◆ यह NAPCC और NDC के उद्देश्यों के साथ संरेखित है।

कृषि

भारत का नवीनतम कृषि निर्यात डेटा


चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अनंतिम आँकड़ों से पता चला है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत के कृषि निर्यात और आयात दोनों ने नई उँचाई हासिल की है।

- आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कृषि निर्यात 53.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 35.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो इनके पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को पार कर गया।
- परिणामी कृषि व्यापार अधिशेष 17.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मामूली रूप से घटकर 17.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

CHART

INDIA'S AGRICULTURAL TRADE



निर्यात में वृद्धि के पीछे मुख्य कारक:

- वर्ष 2013-14 और 2015-16 के बीच मुख्य रूप से वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण भारत का कृषि निर्यात 43.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 32.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जैसा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI) में परिलक्षित होता है।
- ◆ हालाँकि आयात में वृद्धि जारी रही जिससे कृषि व्यापार अधिशेष में गिरावट आई।
- हाल के वर्षों में FFPI में सुधार हुआ है जिसने भारत की कृषि वस्तुओं को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है, इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-2023 के दौरान निर्यात में वृद्धि हुई है।

FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक:

- FFPI खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक उपाय है। यह अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी के लिये परिवर्तनों को मापता है।
- **आधार अवधि:** 2014-16
- FFPI तब बढ़ता है जब अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतें बढ़ती हैं।

प्रमुख निर्यात योगदानकर्ता:

- हाल के दिनों में समुद्री उत्पाद, चावल और चीनी भारत के कृषि निर्यात के लिये प्रेरक शक्ति के रूप में शामिल रहे हैं।
- ◆ समुद्री उत्पाद: समुद्री उत्पाद का निर्यात वर्ष 2013-14 के 5.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 8.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- ◆ चावल: इस अवधि के दौरान चावल का निर्यात भी 7.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 11.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
 - यह गैर-बासमती चावल द्वारा संचालित है जो कि दोगुने से अधिक हो गया है। दूसरी ओर, प्रीमियम कीमत वाले बासमती चावल में गिरावट देखी गई है।
 - बासमती चावल का निर्यात मुख्य रूप से फारस की खाड़ी के देशों और कुछ हद तक अमेरिका एवं ब्रिटेन को किया जाता है। गैर-बासमती चावल का निर्यात अधिक विविध है।
 - गैर-बासमती चावल के कारण भारत अब थाईलैंड को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है।
- ◆ चीनी: तीसरा सबसे बड़ा कारक चीनी निर्यात में हालिया वृद्धि है, जो वर्ष 2017-18 के 810.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 5.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है।
 - इस प्रक्रिया में भारत, ब्राजील के बाद दुनिया के नंबर 2 निर्यातक के रूप में उभरा है।

निर्यात साधनों में अन्य पिछड़े और घाटे की वस्तुओं का व्यापार:

- **मसाले:** मसाला निर्यात जिसमें वर्ष 2013-2021 के दौरान वृद्धि देखी गई थी, हालाँकि यह तब से स्थिर है।
- **भैंस:** भैंस के मांस के निर्यात में भी गिरावट आई है जो वर्ष 2014-15 में 4.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने चरम निर्यात को दोबारा नहीं प्राप्त कर सका।

- **तेल खली, कच्ची कपास और ग्वार गम:** तेल खली, कच्ची कपास और ग्वार गम में कमी उल्लेखनीय रूप से अधिक देखी गई। हालाँकि वर्ष 2022-2023 में तीनों का निर्यात वर्ष 2011-12 के अपने शिखर से बहुत दूर था।
- ◆ अनुवंशिक रूप से संशोधित BT कपास की खेती और उच्च वैश्विक कीमतों ने भारत को प्राकृतिक फाइबर का विश्व का शीर्ष उत्पादक (चीन से आगे) एवं नंबर 2 निर्यातक (अमेरिका के बाद) बनने में सक्षम बनाया है।
 - क्योंकि BT कपास की उपज में सुधार कम हो रहा है और नियामक प्रणाली नई जीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर रोक लगाती है, जिससे देश कपास के शुद्ध निर्यातक से आयातक बन गया है।
- ◆ वर्ष 2003-2004 से 2013-2014 तक वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि से ग्वार-गम (शेल तेल और गैस उत्पादन में इस्तेमाल किया जाने वाला गाढ़ा एजेंट) तथा ऑयल मील/तेल खली के निर्यात में लाभ हुआ।
 - हाल के कोविड महामारी के उपरांत की वृद्धि नहीं देखी गई क्योंकि आंशिक रूप से घरेलू फसल की कमी के कारण विशेष रूप से कपास एवं सोयाबीन में निर्यात हेतु पर्याप्त अधिशेष का उत्पादन नहीं हुआ है।

India's top Agri Export items in \$ million

	2020-21	2021-22	2022-23
Marine products	5962.39	7772.36	8077.97
Non-basmati rice	4810.8	6133.63	6355.75
Sugar	2789.91	4602.65	5770.64
Basmati rice	4018.41	3537.49	4787.5
Spices	3983.98	3896.03	3787.08
Buffalo meat	3171.13	3303.78	3193.69
Raw cotton	1897.21	2816.24	781.43
Fruits & vegetables	1492.51	1692.48	1788.65
Oilmeals	1585.04	1031.94	1600.9
Wheat	567.93	2122.13	1519.69
Processed F&V	1120.26	1190.59	1417.08
Oilseeds	1235.67	1113.65	1337.95
Castor oil	917.24	1175.5	1265.64
Tobacco	876.71	923.57	1213.37
Other cereals	705.38	1087.39	1193.47
Coffee	719.66	1020.74	1146.17

आयात साधनों में प्रमुख योगदानकर्ता:

- भारत की आयातित कृषि उपज के साधनों/टोकरी में इसके निर्यात की तुलना में कृषि उत्पादों का प्रभुत्व कम है।
- ◆ इन आयातों में सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति तेल है, जिसका आयात वर्ष 2019-20 और 2022-23 के बीच मूल्य के संदर्भ में दोगुने से भी अधिक हो गया है।
- आयात भारत की वनस्पति तेल आवश्यकताओं का लगभग 60% को पूरा करता है, जबकि दालों के आयात पर निर्भरता अब मुश्किल से 10% ही है।
- ◆ दालों के आयात का मूल्य भी घटकर आधा हो गया है, यह वर्ष 2016-17 के 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2022-23 में 1.9 अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- मसालों, काजू और कपास का आयात, जिसका भारत पारंपरिक रूप से एक शुद्ध निर्यातक रहा है, में वृद्धि देखी गई है।
- ◆ मसालों के आयात में बढ़ोतरी कीमतों में कम प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है, जबकि स्थिर अथवा घरेलू उत्पादन में गिरावट के परिणामस्वरूप कपास का आयात बढ़ा है।

India's top Agri Import items in \$ million

	2020-21	2021-22	2022-23
Vegetable oils	11,089.12	18,991.62	20
Fresh fruits	2131.21	2460.33	2483.95
Pulses	1611.72	2228.95	1943.89
Cashew	1006.2	1255.46	1805.67
Spices	1090.03	1299.38	1336.61
Natural rubber	624.35	1032.71	937.6
Raw cotton	385.89	559.55	1438.69

व्यापार क्षेत्र में जोखिम:

- **अंतर्राष्ट्रीय कीमते:** अप्रैल 2023 के नवीनतम FFPI आँकड़े मार्च 2022 और वर्ष 2022-23 के औसत से नीचे हैं। खाद्य कीमतों में कमी से निर्यात आय में कमी आ सकती है, विशेष रूप से उन उत्पादों के लिये जो अधिक मूल्य संवेदनशील हैं।
- **घरेलू मुद्रास्फीति:** वर्ष 2024 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले खाद्य उत्पादों में मुद्रास्फीति की संभावना है, जो सामान्य रूप से निर्यात-आयात व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
 - ◆ घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा किये गए उपाय जैसे कि गेहूँ और टूटे दाने वाले चावल के निर्यात पर प्रतिबंध तथा सभी नॉन हुए गैर-बासमती चावल शिपमेंट पर 20% शुल्क लगाने से कृषि व्यापार पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
 - ◆ यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है तो निर्यात में और अधिक अंकुश लगाए जाने की उम्मीद है, यदि मानसून के मौसम में असामान्य वर्षा होती है तो आयात में और उदारीकरण होने की संभावना है।

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा किये गए उपाय:

- **कृषि निर्यात नीति (2018):** इसका उद्देश्य भारत को कृषि क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करना है।

- **'निर्यात हब के रूप में ज़िला' पहल:** इस पहल का लक्ष्य सभी जिलों में निर्यात उत्पादों और सेवाओं को चिह्नित करना और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये एक प्रणाली की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य विदेशी निर्यात बाजारों तक पहुँचने में लघु व्यवसायों, किसानों और MSME की सहायता करना है।
- **निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिये परिवहन और विपणन सहायता:** यह कृषि उत्पादों के निर्यात के लिये माल ढुलाई के नुकसान को कम करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है।
- **निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES):** इसका उद्देश्य निर्यात अवसंरचना में अंतर को कम करके देश की निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि करना है।
- **मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स (MAI) योजना:** इस योजना का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के लिये बाजार विकास गतिविधियों का समर्थन करके भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। यह योजना निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **APEDA की निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ:** APEDA ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता, बाजार पहुँच आदि जैसी कई योजनाएँ शुरू की हैं।

सामाजिक न्याय

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि PCPNDT के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques- PCPNDT) अधिनियम के कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्देश PCPNDT अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

PCPNDT अधिनियम:

- **परिचय:**
 - ◆ गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है जिसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने, प्रसवपूर्व लिंग चयन को प्रतिबंधित करने लिये अधिनियमित किया गया था।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान से पहले अथवा बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग-चयनात्मक गर्भपात के लिये प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है।
- **प्रावधान:**
 - ◆ यह अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे- प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के उपयोग को विनियमित करता है और इस प्रकार की मशीनों को केवल आनुवंशिक असामान्यताओं, चयापचय संबंधी विकार, क्रोमोसोमल असामान्यताओं, कुछ जन्मजात विकृतियों, हीमोग्लोबिनोपैथी तथा लिंग संबंधी विकार का पता लगाने के लिये उपयोग में लाने की अनुमति देता है।
 - ◆ भ्रूण के लिंग का पता लगाने के उद्देश्य से प्रयोगशाला या केंद्र अथवा क्लिनिक अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण किया जाना निषिद्ध है।
 - ◆ अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के प्रयोग से व्यक्ति द्वारा गर्भवती महिला अथवा उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों अथवा किसी अन्य तरीके से भ्रूण के लिंग की जानकारी देना निषिद्ध है।

- ◆ कोई भी व्यक्ति जो नोटिस, सर्कुलर, लेबल अथवा किसी दस्तावेज के रूप में प्रसवपूर्व और गर्भधारण पूर्व लिंग चयन संबंधी सुविधाओं का विज्ञापन देता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट रूप में अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापित करता है, ऐसे व्यक्ति, संस्थान या केंद्र के संचालक को तीन वर्ष तक की कैद हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

● इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराध:

- ◆ इस अधिनियम के तहत अपंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का उपयोग करना एक अपराध है।
- ◆ इस अधिनियम के तहत लिंग चयन निषिद्ध है।
- ◆ इस अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रसवपूर्व निदान तकनीक का इस्तेमाल करना अपराध है।
- ◆ इस अधिनियम के तहत किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन अथवा भ्रूण लिंग का पता लगाने में सक्षम किसी भी अन्य उपकरण की बिक्री, वितरण, आपूर्ति, किराए पर लेना आदि निषिद्ध है।

लिंग-चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ पहल:

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:**
 - ◆ यह अभियान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना है।
- **बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2016:**
 - ◆ यह बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिये प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में लिंग-पक्षपाती लिंग चयन के उन्मूलन की दिशा में कार्य करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की चिंता का विषय:

- **छापे और बरामदगी में पुलिस की भागीदारी की व्यावहारिकता:**
 - ◆ न्यायालय ने कहा कि हालाँकि PCPNDT नियमों में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि “जहाँ तक संभव हो” पुलिस छापेमारी, जब्ती आदि में शामिल न हो, लेकिन इस पहलू की व्यावहारिकता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी कार्रवाई सुविधा केंद्रों/क्लीनिकों पर छापे मारने के लिये CrPC के अनुसार होनी चाहिये”।

● जाँच और गिरफ्तारी की शक्तियाँ:

- ◆ न्यायालय ने पाया कि यद्यपि उपयुक्त प्राधिकारी को PCPNDT अधिनियम का उल्लंघन करने वाले चिकित्सा केंद्रों और सुविधाओं के पंजीकरण की जाँच करने तथा छापेमारी, रद्द या निलंबित करने की शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन उसके पास इस अधिनियम के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है।
 - इस अधिनियम के तहत अपराधों को 'संज्ञेय' बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है।
 - हालाँकि न्यायालय ने अधिनियम को लागू करने में उपयुक्त प्राधिकरण की भूमिका की प्रभावशीलता के बारे में चिंता जताई क्योंकि उसके पास गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है।
- सज़ा की कम दर:
 - ◆ कम दोष सिद्धि दर उन मामलों के प्रतिशत को संदर्भित करती है जिनमें अभियुक्त दोषी पाए जाते हैं और उस अपराध हेतु दोषी पाए जाते हैं जिसके लिये उन्हें आरोपित किया गया था।
 - ◆ PCPNDT अधिनियम के संदर्भ में इसका मतलब है कि वास्तव में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या बहुत कम है।
 - यह अपराधियों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने और लिंग-चयन गर्भपात के अवैध अभ्यास को रोकने के लिये न्याय प्रणाली की विफलता को इंगित करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी के निहितार्थ:

- पुलिस की जाँच और गिरफ्तारी की शक्तियों पर स्पष्टता:
 - ◆ न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं ने अधिनियम को लागू करने में पुलिस की भूमिका के साथ-साथ उपयुक्त प्राधिकारियों में निहित जाँच और गिरफ्तारी की शक्तियों पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- दोषसिद्धि दर में वृद्धि:
 - ◆ PCPNDT अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की कम दर एक सतत् चुनौती रही है और अदालत की टिप्पणी लिंग-चयनात्मक गर्भपात से संबंधित मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने में मदद कर सकती है।


प्रसवपूर्व निदान और लिंग-चयनात्मक गर्भपात से जुड़े नैतिक मुद्दे :

- अधिकारों और मानवीय गरिमा का उल्लंघन: लिंग-चयनात्मक गर्भपात लैंगिक भेदभाव एवं महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक रूप है जो उनके जीवन, सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
 - ◆ यह मानव जीवन के मूल्य और गरिमा तथा मानव समाज की विविधता को भी कमजोर करता है।
- सामाजिक समस्याओं में वृद्धि: समाज पर इसके प्रतिकूल परिणाम देखे जाते हैं जैसे- विषम लिंगानुपात, बढ़ती तस्करी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पुरुषों के लिये विवाह की संभावनाएँ कम होना आदि।
 - ◆ यह गैर-चिकित्सा उद्देश्यों के लिये प्रसवपूर्व निदान के उपयोग और अजन्मे बच्चे के प्रति माता-पिता और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की जिम्मेदारी को लेकर नैतिक प्रश्न भी उठाता है।
- हेल्थकेयर तक पहुँच: प्रसवपूर्व निदान और लिंग-चयनात्मक गर्भपात मौजूदा स्वास्थ्य असमानता और अन्य असमानताओं को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले उन समुदायों के लिये जिनकी स्वास्थ्य सेवा और जानकारी तक सीमित पहुँच हो सकती है।

हू इज़ टिपिंग द स्केल रिपोर्ट: IPES

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल पैनेल ऑफ़ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (IPES) द्वारा "हू इज़ टिपिंग द स्केल" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे वैश्विक खाद्य प्रशासन पर कॉर्पोरेट वर्चस्व बढ़ता जा रहा है एवं यह ब्लूवाशिंग के बारे में चिंताएँ बढ़ा रहा है।



ब्लूवाशिंग:

- ब्लूवाशिंग उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिये गलत सूचना का उपयोग कर रहा है कि एक कंपनी वास्तव में डिजिटल रूप से अधिक नैतिक एवं सुरक्षित है।
 - ◆ यह बिल्कुल ग्रीनवाशिंग की तरह है लेकिन यह पर्यावरण के बजाय सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
 - ◆ ग्रीनवाशिंग भ्रामक विपणन का एक रूप है जिसमें एक कंपनी झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद, नीतियाँ या कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल या लाभकारी हैं, जबकि ये व्यवहार में पर्यावरण की सहायता हेतु बहुत कम या कुछ भी नहीं करते हैं।
- 'ब्लूवाशिंग' शब्द का इस्तेमाल पहली बार उन कंपनियों हेतु किया गया था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट एवं इसके सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किये थे लेकिन कोई वास्तविक नीतिगत सुधार नहीं किया था।
- यह कार्य प्रायः कंपनियों द्वारा अपने डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में अस्पष्ट या निराधार दावा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रक्षा एवं सुरक्षा के बारे में दावा कर किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- **खाद्य प्रशासन पर निगम का प्रभाव:**
 - ◆ प्रशासन के क्षेत्र में वैध अभिनेता होने का दावा करने वाली फर्मों की संख्या में वृद्धि हुई है।
 - ◆ हाल के दशकों में निगम सरकारों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं कि खाद्य प्रणालियों के भविष्य पर होने वाली किसी भी चर्चा में उनकी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिये।
 - ◆ निगम भागीदारी ने निर्णय लेने पर अधिक प्रभाव वाले वैश्विक खाद्य प्रशासन संस्थानों और निगमों हेतु धन का एक प्रमुख स्रोत प्रदान किया है।
- **खाद्य प्रशासन में कॉर्पोरेट भूमिका का सामान्यीकरण:**
 - ◆ सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बहु-हितधारक गोलमेज (राउंडटेबल्स) द्वारा खाद्य प्रशासन एवं निर्णय लेने में निजी निगमों की भूमिका को सामान्य कर दिया गया है, जबकि सार्वजनिक प्रशासन की पहल निजी वित्तपोषण पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है।
 - संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, 2021 को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में कॉर्पोरेट प्रभाव के महत्त्व पर प्रकाश डालने हेतु एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में वर्णित किया गया था।

● कॉर्पोरेट प्रभाव पर चिंता:

- ◆ नागरिक सामाजिक संगठनों, खाद्य वैज्ञानिकों ने यह चिंता व्यक्त की है कि खाद्य प्रशासन में निगमों की बढ़ती भागीदारी से जनता की भलाई और लोगों तथा समुदायों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है।

● प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कॉर्पोरेट प्रभाव:

- ◆ निगमों ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक खाद्य प्रशासन को प्रभावित किया है।
- ◆ बेहतर पोषण हेतु वैश्विक गठबंधन, खाद्य एवं भूमि उपयोग गठबंधन और पोषण गतिविधियों में वृद्धि करने से वैश्विक खाद्य प्रणालियों के प्लेटफॉर्म में कॉर्पोरेट प्रभाव देखा जा सकता है।
- ◆ निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा राजनैतिक और संस्थागत अनुदान, व्यापार और निवेश नियमों एवं अनुसंधान रणनीतियों का नियमन और वैश्विक खाद्य प्रणालियों के विविध संरचनात्मक पहलू अन्य न्यून प्रभावी तरीके थे जिनमें खाद्य प्रणाली शासन में कॉर्पोरेट प्रभाव देखा गया था।

● कॉर्पोरेट भागीदारी बढ़ने का कारण:

- ◆ कोविड-19 महामारी, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और खाद्य मुद्रास्फीति ने मिलकर कॉर्पोरेट भागीदारी के मुद्दे को बढ़ावा दिया।
- ◆ इन संकटों के बाद सरकारों और बहुपक्षीय एजेंसियों को निवेश की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

● कॉर्पोरेट भागीदारी की घटनाएँ:

- ◆ अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह (CGIAR) खाद्य उद्योग से जुड़े निजी फर्मों और निजी परोपकारी संस्थानों के वित्तपोषण पर निर्भर था।
- ◆ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो वर्ष 2020 में CGIAR का दूसरा सबसे बड़ा दानकर्ता था, ने लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सरकारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिये गए योगदान से कहीं अधिक था।
- ◆ FAO को अपने पूरे इतिहास में उद्योग साझेदारी के माध्यम से निगमों के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के लिये भी जाना जाता है। हालाँकि इन योगदानों के बारे में विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं थे।

वैश्विक खाद्य प्रशासन में अत्यधिक कॉर्पोरेट भागीदारी से संबंधित चुनौतियाँ ?

● सीमित जवाबदेही:

- ◆ खाद्य प्रणाली में निजी अभिकर्ता जनता या नियामक निकायों के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थिरता को लेकर अपर्याप्त निगरानी की आशंका उत्पन्न हो सकती है।
- ◆ निजी अभिकर्ता भी सार्वजनिक भलाई पर अपने मुनाफे को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे हितों का टकराव हो सकता है जो खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थिरता से समझौता कर सकता है।

● हाइपर नजिंग:

- ◆ अत्यधिक कॉर्पोरेट भागीदारी से दैनिक लेन-देन डेटा (स्वचालित खाद्य सेवाओं के लिये डिजिटल वॉलेट) को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वे लोगों की खाने की आदतों में हेर-फेर करने हेतु इसे ऑनलाइन प्राप्त जानकारी के साथ जोड़ सकते हैं।

● लाभों का असमान वितरण:

- ◆ निजी अभिकर्ता लघु किसानों और उपभोक्ताओं की बजाय बड़े पैमाने पर उत्पादनकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को प्राथमिकता प्रदान कर सकते हैं जिससे खाद्य प्रणाली से होने वाले लाभ का वितरण असमान हो सकता है।

● सीमित पारदर्शिता:

- ◆ निजी अभिकर्ताओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले तरीकों, उत्पादों और नीतियों को स्पष्ट रूप से उजागर नहीं किये जाने से हितधारकों को उनके द्वारा उठाए गए कदमों का खाद्य प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना कठिन हो सकता है।

● खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति:

- ◆ खाद्य प्रणाली का नियंत्रण बिग डेटा टेक्नोलॉजीज और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हाथों में चले जाने से इससे खाद्य असुरक्षा की स्थिति और गंभीर हो सकती है, साथ ही पर्यावरणीय क्षरण में भी वृद्धि हो सकती है।
- ◆ कृत्रिम बुद्धिमत्ता खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्संरचना करने की दिशा में अग्रसर है, डिजिटल अवसंरचना के रूप में रोबोटिक ट्रेक्टर और ट्रॉन्स के आगमन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग शहरी क्षेत्रों की ओर जाने हेतु बाध्य हो जाएंगे।

सुझाव:

- मानवाधिकारों पर आधारित एक ठोस शिकायत नीति और नए कार्यतंत्र की स्थापना की जानी चाहिये जो जन संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और अन्य नागरिक समाज अभिकर्ताओं को अपनी शर्तों पर खाद्य प्रशासन में भाग लेने की अनुमति प्रदान करता हो।
- जन संगठनों और सामाजिक आंदोलनों के दावों एवं प्रस्तावों के लिये स्वायत्त प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाना चाहिये, विशेष रूप से उनके लिये जो हाशिये के समुदायों के लिये एजेंसी का निर्माण करते हैं।

नौकरियों में स्थानीय आरक्षण**चर्चा में क्यों ?**

पिछले वर्षों की तुलना में नौकरियों में स्थानीय आरक्षण कानून के परिणामस्वरूप राज्य को नई निवेश परियोजनाएँ कम प्राप्त हुई हैं, जिसकी वजह से राष्ट्र में नई निवेश परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 3% से घटकर 2022-23 में 1.06% हो गई, जो छह वर्षों में सबसे कम है।

- हरियाणा ने वर्ष 2022 की शुरुआत में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2022 को लागू किया था, जिसमें 30,000 रुपए तक मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में से 75% स्थानीय लोगों हेतु आरक्षित हैं।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2022:

- **परिचय:**
 - ◆ इसके तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों को 30,000 रुपए प्रतिमाह वाली सभी नौकरियों में से 75% राज्य के अधिवासी उम्मीदवारों के लिये आरक्षित करने की आवश्यकता है।
 - ◆ इन सभी नियोक्ताओं के लिये श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपए से अधिक वेतन नहीं पाने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
- **अन्य राज्यों में किये गए इसी प्रकार के प्रयास:**
 - ◆ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी निवासियों के लिये रोजगार आरक्षण विधेयक अथवा कानूनों की घोषणा की गई है।
 - ◆ रोजगार कोटा विधेयक के तहत आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिये तीन-चौथाई निजी नौकरियाँ आरक्षित हैं, जिसे वर्ष 2019 में राज्य की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

नौकरियों में स्थानीय आरक्षण के लाभ एवं नुकसान:

- **लाभ:**
 - ◆ संवैधानिक रूप से मान्य: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत अधिवास और निवास के आधार पर आरक्षण पर प्रतिबंध नहीं है। यह स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों को पहले अवसर प्रदान करने के लिये संवैधानिक रूप से मान्य प्रतीत होता है क्योंकि प्राथमिक तौर पर यही लोग नौकरी सृजन करने वाली कंपनियों के कारण पड़ने वाले सभी प्रतिकूल प्रभावों को सहन करते हैं।
 - ◆ समानता: स्थानीय नौकरियों में आरक्षण समाज के सबसे कमजोर वर्ग को समानता प्रदान करता है, क्योंकि आरक्षण केवल निम्न स्तर की नौकरियों तक ही सीमित है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समान संरक्षण की भावना के अनुसार है।
 - ◆ बेरोजगारी के लिये उपयुक्त समाधान: बेरोजगारी और स्थिर रोजगार सृजन की समस्या को देखते हुए स्थानीय नौकरियों में आरक्षण एक उपयुक्त समाधान है।
 - ◆ भारत के संविधान में अनुच्छेद 371D और E के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिये उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए नौकरियों और शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान हैं। अतः बेरोजगारी की स्थिति में स्थानीय नौकरियों में आरक्षण उचित और भारत के संविधान के विशेष प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्रतीत होता है।
 - ◆ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: जब कंपनियाँ स्थानीय लोगों को काम पर रखती हैं, तो वे अपनी कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था में खर्च करती हैं, जो रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास में मदद कर सकता है।
 - स्थानीय लोगों को काम पर रखने का मतलब है कि कंपनियों को कर्मचारियों के स्थानांतरण का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। यह उनकी परिचालन लागत को कम करने में मदद कर सकता है, जिसे कम कीमतों के रूप में ग्राहकों पर डाला जा सकता है।
 - ◆ उत्पादकता में सुधार: स्थानीय कर्मचारियों की स्थानीय भाषा, संस्कृति और कारोबारी माहौल से परिचित होने की अधिक संभावना है, जो उनकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- **चिंताएँ:**
 - ◆ निवेशकों के पलायन में वृद्धि: यह ऑटो, आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़े घरेलू और बहुराष्ट्रीय निवेशकों के पलायन को गति प्रदान कर सकता है जो अत्यधिक कुशल जनशक्ति पर निर्भर हैं।

■ हरियाणा के मामले में वर्ष 2022 में किया गया निवेश लगभग 56,000 करोड़ रुपए से 30% गिरकर 39,000-करोड़ रुपए हो गया, स्थानीय आरक्षण कानून के कारण यह वर्ष 2022-23 में नई निवेश परियोजनाओं के मामले में नौवें सर्वश्रेष्ठ राज्य से 13वें स्थान पर पहुँच गया।

◆ मौजूदा उद्योगों को प्रभावित करना: राज्य के अन्य क्षेत्रों से राज्य में जनशक्ति संसाधनों की मुक्त आवाजाही को रोकने एवं स्थायी निवासियों के मुद्दे उठाने से राज्य में मौजूदा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

■ यह तकनीकी दिग्गजों और अन्य उद्योगों को अपना आधार हरियाणा से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने तथा राज्य के मौद्रिक संसाधनों को कम करने में भूमिका निभा सकता है।

◆ कुशल प्रतिभा की कमी उत्पन्न कर सकता है: गिग और प्लेटफॉर्म कंपनियों पर आरक्षण लागू करने से प्रतिभा की कमी हो सकती है।

◆ संविधान के विरुद्ध: भारत का संविधान अनेक प्रावधानों के माध्यम से देश में कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता और रोजगार की गारंटी देता है।

■ अनुच्छेद 14 जन्म स्थान पर ध्यान दिये बिना कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है।

■ अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है।

■ अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में जन्मस्थान आधारित भेदभाव की गारंटी नहीं देता है।

■ अनुच्छेद 19 सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं।

आगे की राह

- आरक्षण नीति को इस तरह से लागू किया जा सकता है जिससे देश में जनशक्ति संसाधनों के मुक्त आवागमन में बाधा न आए।
- राज्य में अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लिया गया कोई भी नीतिगत निर्णय भारत के संविधान के अनुपालन में है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
- स्थानीय लोगों के लिये नौकरी (JRFL) हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना है और कौशल प्रशिक्षण तथा उचित शिक्षा के साथ युवाओं के लिये पर्याप्त नौकरी के अवसर प्रदान करना है, जो मुख्य क्षेत्रों के रूप में जनता को मुफ्त बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाता है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि वर्ष 2015 के बाद से प्रत्येक वर्ष गर्भावस्था, प्रसव या जन्म के पहले सप्ताह के दौरान मरने वाली महिलाओं और शिशुओं की संख्या में आ रही कमी में बाधा उत्पन्न हुई है।

प्रमुख बिंदु

● वैश्विक मातृ और नवजात स्वास्थ्य चुनौतियाँ:

◆ रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत मातृ मृत्यु, स्टिलबर्थ/मृत जन्म और नवजात मृत्यु के वैश्विक बोझ में सबसे आगे है, जो कुल मृत्यु का 17% है।

■ भारत के बाद वर्ष 2020 में सबसे अधिक निरपेक्ष मातृ और नवजात मृत्यु तथा मृत जन्म वाले देश नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान एवं तंजानिया हैं।

◆ रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि वर्ष 2000 और 2010 के बीच हुए सुधार वर्ष 2010 के बाद के वर्षों की तुलना में तेज थे, साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अगले दशक में यह कैसा होना चाहिये।

● प्रवृत्ति:

◆ मातृ मृत्यु दर अनुपात (Maternal Mortality Ratio- MMR):

■ MMR में वर्ष 2000 और 2009 के बीच 2.8% की दर से वार्षिक कमी देखी गई, जो वर्ष 2010 एवं 2020 के बीच घटकर 1.3% हो गई है।

◆ मातृ मृत्यु अनुपात किसी दी गई जनसंख्या या क्षेत्र में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है।

◆ यह गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण का महत्वपूर्ण संकेतक है।

■ प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 70 मौतों के MMR के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अगले दशक में इस सूचक को 11.9% तक कम करने हेतु सुधार की आवश्यकता है।

◆ स्टिलबर्थ रेट (SBR):

■ SBR वर्ष 2000 और 2009 के बीच 2.3% एवं वर्ष 2010 और 2021 के बीच 1.8% कम हो गया था।

- ◆ प्रति 1,000 जन्मों पर ऐसे बच्चों का जन्म जिनके विषय में गर्भावस्था के 28 सप्ताह अथवा उसके बाद के समय में भी बच्चे के विषय में कोई संकेत नहीं मिल रहे होते हैं, SBR कहा जाता है।
 - वर्ष 2022 और 2030 के बीच प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 12 से कम मृत जन्मों के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिये 5.2% की दर से इस प्रकार की मौतों में कमी लाने की आवश्यकता है।
- ◆ नवजात मृत्यु दर (Neonatal Mortality Rate-NMR):
 - NMR में समान पैटर्न दर्ज किया गया है; वर्ष 2000 और 2009 के बीच 3.2% की कमी, वर्ष 2010 और 2021 के बीच 2.2% की कमी।
- ◆ प्रति 1,000 जीवित जन्मों के बाद जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर शिशुओं की मृत्यु की संख्या को नवजात मृत्यु दर कहा जाता है।
 - नवजात मृत्यु दर को पूरी तरह नियंत्रित करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिये वर्ष 2022 और 2030 के बीच NMR को और 7.2% कम करने की आवश्यकता है।
- **सुझाए गए उपाय:**
 - ◆ मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने के तीन तरीके हैं: प्रसव-पूर्व देखभाल हेतु कम-से-कम चार बार चिकित्सीय सलाह लेना, जन्म के समय कुशल परिचारक की उपलब्धता और जन्म के बाद पहले दो दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल।
 - प्रसव-पूर्व देखभाल कवरेज वर्ष 2010 के 61% से बढ़कर वर्ष 2022 में 68% हो गया है, जिसमें वर्ष 2025 तक 69% की वृद्धि अनुमानित है।
 - वर्ष 2010 और 2022 के बीच जन्म के समय कुशल परिचर (attendant) की सुविधा कवरेज 75% से बढ़कर 86% हो गया है तथा वर्ष 2025 तक 88% तक पहुँचने की उम्मीद है।
 - प्रसवोत्तर देखभाल कवरेज में उच्चतम सुधार देखा गया है, वर्ष 2010 और 2022 के बीच 54% से 66% तक की वृद्धि के साथ वर्ष 2025 तक यह कवरेज 69% तक पहुँचने का अनुमान है।
- **शिशु मृत्यु:**
 - ◆ उच्च रक्तचाप विकार (प्री-एक्लेमप्सिया और एक्लेमप्सिया): इन स्थितियों के परिणामस्वरूप अंग विफलता, दौरा पड़ना और यहाँ तक कि मातृ मृत्यु भी हो सकती है।
 - ◆ असुरक्षित गर्भपात: ऐसे क्षेत्र जहाँ सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुँच सीमित है, महिलाएँ असुरक्षित प्रक्रियाओं का सहारा लेती हैं जिससे कई जटिलताएँ और मातृ मृत्यु हो सकती है।
 - ◆ अन्य कारक: मोटे तौर पर एक-तिहाई महिलाएँ अनुशंसित आठ प्रसव-पूर्व जाँचों में से चार भी नहीं करवाती हैं या फिर उन्हें आवश्यक प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त नहीं होती है, लगभग 270 मिलियन महिलाओं की आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुँच नहीं है।
- **शिशु मृत्यु:**
 - ◆ जन्म के समय वजन कम होना: अतिशीघ्र (समय से पूर्व/प्रीटर्म) या जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उनमें मृत्यु दर का खतरा अधिक होता है।
 - ◆ बर्थ एस्फिक्सिया (जन्म के समय दम घुटना): जब बच्चे को प्रसव के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसका परिणाम बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, यदि तुरंत उपचार नहीं किया जाता है तो मस्तिष्क क्षति या मृत्यु हो सकती है।
 - ◆ आकस्मिक शिशु मृत्यु सिंड्रोम (SIDS): SIDS एक वर्ष से कम उम्र के शिशु की आकस्मिक, अस्पष्टीकृत मृत्यु को संदर्भित करता है, यह सामान्यतः नींद के दौरान होती है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी पहलें:

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK):** भारत सरकार ने 1 जून, 2011 को यह योजना शुरू की है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव कराने का अधिकार देती है।
 - ◆ यह पहल निःशुल्क दवाओं, निदान, रक्त और आहार के अतिरिक्त घर से संस्था तक निःशुल्क परिवहन जैसे- घर से ले जाने और वापस छोड़ने की सुविधाएँ निर्धारित करती है। वर्ष 2013 में इसे बीमार शिशुओं और प्रसव-पूर्व एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं तक विस्तारित किया गया था।
 - ◆ जन्म के 30 दिन बाद तक इलाज के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुँचने वाले सभी बीमार नवजातों को इसी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है
 - ◆ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): इसे वर्ष 2016 में प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं में गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल और उच्च जोखिम गर्भावस्था का पता लगाने हेतु प्रारंभ किया गया था।

मातृ एवं शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण:

- **मातृ मृत्यु:**
 - ◆ अधिक रक्तस्राव: यह मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो अक्सर बच्चे के जन्म के दौरान अथवा तत्काल प्रसवोत्तर अवधि में होता है।

मानवाधिकार रक्षकों और अनुचित व्यावसायिक अभ्यास पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर (BHRC) ने "मानवाधिकार रक्षक और वर्ष 2022 में व्यवसाय: हमारे ग्रह की रक्षा के लिये कॉर्पोरेट शक्ति को चुनौती देने वाले लोग" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें गैर-जिम्मेदार व्यावसायिक अभ्यासों के कारण "मानव समुदायों, पर्यावरण और आजीविका" पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने वाले कार्यकर्ताओं पर हमलों की जाँच करने का आह्वान किया गया है।

● बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर ब्रिटेन स्थित एक केंद्र है जो व्यापार में मानवाधिकारों को मजबूत करने और शोषण को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- **वैश्विक:**
 - ◆ कुल हमले:
 - जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2023 तक हानिकारक व्यावसायिक अभ्यास के बारे में चिंता जताने वाले मानवाधिकार रक्षकों पर लगभग 4,700 हमले हुए हैं।
 - उनमें से 555 लोगों पर वर्ष 2022 में हमले हुए थे, "यह खुलासा करते हुए कि गैर-जिम्मेदार व्यावसायिक गतिविधि के बारे में वैध चिंता जताने के लिये हर सप्ताह औसतन 10 से अधिक रक्षकों पर हमला किया गया था।
 - ◆ खनन क्षेत्र:
 - मानवाधिकार रक्षकों के लिये खनन क्षेत्र सबसे खतरनाक है, वर्ष 2022 में हुए कुल हमलों में से 30% इस क्षेत्र से संबंधित हैं।
 - स्वदेशी रक्षकों के लिये यह क्षेत्र और भी खतरनाक है, वर्ष 2022 में स्वदेशी लोगों पर हुए 41% हमले खनन से संबंधित थे।
 - ◆ गैर-घातक हमलों को लेकर कोई जाँच नहीं:
 - निगमों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को कई हमलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से 86% गैर-घातक हमले थे। हालाँकि ये हमले गंभीर हिंसा की स्थिति को बढ़ावा दे सकते हैं।
 - गैर-घातक हमलों की अक्सर जाँच और मुकदमा नहीं चलाया जाता है, जो रक्षकों को उनके महत्वपूर्ण कार्य करने से हतोत्साहित कर सकता है और गंभीर अपराधिक हिंसा के वातावरण को बढ़ावा दे सकता है।

◆ लक्ष्य: आने वाले वर्षों में MMR (मातृ मृत्यु दर) में और गिरावट लाने के लिये सरकार ने 'लक्ष्य-लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव' लॉन्च किया है।

◆ लक्ष्य कार्यक्रम लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर से संबंधित प्रमुख प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिये एक केंद्रित और लक्षित दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य जन्म के समय देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार की विधियाँ:

- **सामाजिक-आर्थिक कारकों को संबोधित करना:** गरीबी, शिक्षा और लैंगिक असमानता जैसे स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को पहचानने और संबोधित करने की आवश्यकता है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
- **गर्भ रक्षा हेल्पलाइन बनाना:** विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में माताओं और शिशुओं के लिये गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान को बढ़ाने हेतु, चिकित्सा कर्मियों के सहयोग से जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करना अनिवार्य है।
- ◆ ये टास्क फोर्स स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा वितरण और परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। इसमें गर्भ रक्षा हेल्पलाइन नंबर और एम्बुलेंस तथा मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ शामिल हो सकती हैं।
- ◆ उदाहरण के लिये दिल्ली में महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली पिंक एम्बुलेंस महिला रोगियों के लिये महिलाओं द्वारा प्रबंधित है, यह कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी।
- **पोषण और खाद्य सुरक्षा:** मातृ और शिशु पोषण में सुधार के लिये नवीन दृष्टिकोणों को लागू करना जैसे कि सामुदायिक उद्यान, पोषक खाद्य कार्यक्रम और मोबाइल एप्लीकेशन जो व्यक्तिगत आहार अनुशासण प्रदान करते हैं। खाद्य बैंक एवं वाउचर प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से खाद्य असुरक्षा को संबोधित करना भी बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान कर सकता है।
- **स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता:** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये माताओं, परिवारों तथा समुदायों को लक्षित करने वाले अभिनव शैक्षिक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।
- ◆ आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी देने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन एवं इंटरैक्टिव मीडिया का उपयोग करना भी उपयोगी होगा।
- ◆ साथ ही नियमित प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य जाँच को शामिल करने की आवश्यकता है।

◆ प्रमुख हमले:

- न्यायिक उत्पीड़न, जिसमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, अनुचित सुनवाई और सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमे शामिल हैं, दुनिया भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हमले का सबसे आम रूप था।

- संगठन द्वारा ट्रैक किये गए हमलों के लगभग आधे मामले इसी प्रकृति के थे।

- न्यायिक उत्पीड़न मानव अधिकारों की वकालत करने वालों को नुकसान पहुँचाकर परेशान कर सकता है, उनको बेरोज़गार बनाने के साथ ही उनके संसाधनों को सीमित कर सकता है।

- इसका एक भयानक प्रभाव हो सकता है, दूसरों को दुरुपयोग के खिलाफ बोलने से रोक सकता है।

◆ महिलाओं पर हमले:

- लगभग एक-चौथाई हमले महिलाओं के खिलाफ थे, जिन्होंने "कॉर्पोरेट शक्ति और पितृसत्तात्मक लिंग मानदंड दोनों" को चुनौती दी थी।
- इनमें से कई हमले ऑनलाइन धमकी और मिथ्या थे जिससे उन्हें दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक नुकसान हुआ।
- यह रणनीति महिला रक्षकों को बदनाम करने, अलग-थलग करने और चुप कराने के लिये अपनाई गई।

■ भारत:

- ◆ भारत ने 2022 में हानिकारक व्यावसायिक प्रथाओं का विरोध करने वाले रक्षकों पर हमलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की। भारत ने हमलों (जिसने एक या अधिक व्यक्तियों को प्रभावित किया) की ऐसी 54 घटनाएँ देखीं।
- 63 ऐसी घटनाओं के साथ भारत से खराब प्रदर्शन करने वाला एकमात्र देश ब्राजील था।
- मेक्सिको, कंबोडिया और फिलीपींस में क्रमशः 44, 40 और 32 हमले किये गए।
- ◆ भारत में हमलों से जुड़ी कंपनियों की सबसे बड़ी संख्या थी।
 - सिफारिश:
 - ◆ राज्यों को मानवाधिकारों, सतत् विकास और एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने तथा हमलों के लिये शून्य-सहिष्णुता के प्रति वचनबद्धता, अधिकारों की रक्षा के अधिकार एवं व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने वाले कानून को पारित और कार्यान्वित करना चाहिये।
 - ◆ अधिक प्रभावी सुरक्षा तंत्रों को सूचित करने के लिये गैर-घातक और घातक हमलों का डेटा एकत्र कर रिपोर्ट की जानी चाहिये। कंपनियों द्वारा रक्षकों को चुप कराने से रोकने के लिये SLAPP (सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमा) कानून पारित करना चाहिये।

- ◆ उल्लंघन की स्थिति में प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना, जिसमें रक्षकों के खिलाफ प्रतिशोध के कृत्यों हेतु व्यवसायों को जवाबदेह बनाने के लिये न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करना और हमलों के लिये जिम्मेदार लोगों की जाँच तथा अभियोजन में सक्रिय रूप से भाग लेना शामिल है।

- ◆ व्यापार और मानवाधिकारों पर एक बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र संधि का समर्थन करने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह स्पष्ट रूप से उन सभी जोखिमों की पहचान करता है जिसके लिये मानवाधिकारों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

व्यवसायों में मानव अधिकारों का उल्लंघन:

- श्रम अधिकारों का उल्लंघन: व्यवसाय जबरन श्रम, बाल श्रम, लिंग आधारित भेदभाव, और संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के उल्लंघन जैसी प्रथाओं में संलग्न होकर अपने श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।
- पर्यावरणीय प्रभाव: व्यवसाय प्रदूषण, वनों की कटाई और अन्य गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरणीय नुकसान में योगदान दे सकते हैं जो स्थानीय समुदायों एवं स्वच्छ हवा, जल और स्वस्थ वातावरण के अधिकारों को नुकसान पहुँचा सकता है।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में मानवाधिकारों का हनन: कंपनियाँ अपने उत्पादों या सेवाओं को उन आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर सकती हैं जो मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि मानव तस्करी या शोषण आदि।
- भूमि अधिकारों का उल्लंघन: वे व्यवसायिक भूमि अधिग्रहण या विकास परियोजनाओं में शामिल होने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को विस्थापित करते हैं, भूमि अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, या उनकी आजीविका को नुकसान पहुँचाते हैं।
- भ्रष्टाचार: वे रिश्वतखोरी, जबरन वसूली या धन शोधन जैसे भ्रष्ट आचरणों में लिप्त हो सकते हैं, जो वैधानिक शासन और नागरिकों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है।

मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा संबंधी प्रयास:

- **मानवाधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा:**
 - ◆ यह घोषणा वर्ष 1998 में मानवाधिकार रक्षकों के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आम सहमति से अपनाई गई थी।
 - इसमें यह कहा गया है, मानवाधिकार रक्षक वे लोग या समूह हैं जो शांतिपूर्वक मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिये कार्य करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि उन अधिकारों का पालन किया जा रहा है या नहीं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों में उल्लिखित हैं।

- इस घोषणा को "सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के लिये व्यक्तियों, समूहों एवं समाज के अंगों के अधिकार और उत्तरदायित्व पर घोषणा" कहा जाता है।
- यह कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे सिद्धांत और अधिकार शामिल हैं जो कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधनों में निहित मानवाधिकार मानकों पर आधारित हैं।
- नोट: भारत में मानवाधिकार रक्षकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये कोई विशिष्ट कानून नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के अपने जनादेश को अक्षरशः पूर्ण करने के लिये मानवाधिकार रक्षकों के साथ मिलकर कार्य करता है।

भारत में बहुविवाह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार "विधायी कार्रवाई" के माध्यम से बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु कदम उठाएगी और इस मुद्दे की जाँच के लिये "विशेषज्ञ समिति" का गठन किया जाएगा।

बहुविवाह (Polygamy):

- **परिचय:**
 - ◆ बहुविवाह (Polygamy) दो शब्दों से बना है: 'बहु' जिसका अर्थ है 'बहुत' और 'गामोस' जिसका अर्थ है 'विवाह'। नतीजतन बहुविवाह उन विवाहों से संबंधित है जिसमें व्यक्ति द्वारा एक से अधिक विवाह किये जाते हैं।
- इस प्रकार बहुविवाह में किसी भी महिला या पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक वैवाहिक साथी हो सकते हैं।
 - ◆ भारत में परंपरागत तौर पर बहुविवाह के तहत मुख्यतः एक से अधिक पत्नियों वाले पुरुष की स्थिति व्यापक रूप से प्रचलित थी। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया।
 - ◆ विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act-SMA), 1954 व्यक्तियों को अंतर-धार्मिक विवाह करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें बहुविवाह की मनाही है। अधिनियम का उपयोग कई मुस्लिम महिलाओं द्वारा बहुविवाह प्रथा को रोकने में मदद हेतु किया गया है।

- **प्रकार:**
 - ◆ बहुपत्नीत्व (Polygyny):
 - यह एक वैवाहिक संरचना है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियाँ होती हैं। इस रूप में बहुविवाह अधिक सामान्य अथवा व्यापक है।
 - माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजाओं और सम्राटों की कई पत्नियाँ होती थीं।
 - ◆ बहुपतित्व प्रथा (Polyandry):
 - यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें एक महिला के कई पति होते हैं।
 - ऐसी घटनाएँ अत्यंत असामान्य हैं।
 - ◆ द्विविवाह (Bigamy):
 - जब कोई व्यक्ति पहले से ही मान्य रूप से विवाहित होते हुए भी किसी और के साथ विवाह करता है, इसे द्विविवाह के रूप में जाना जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को द्विविवाही कहा जाएगा।
 - इसे भारत सहित कई देशों में एक अपराध माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह किसी व्यक्ति के साथ मान्य विवाह में होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने की क्रिया है।
- **भारत में प्रचलन:**
 - ◆ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (वर्ष 2019-20) में पाया गया है कि बहुविवाह का प्रचलन ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, हिंदुओं में 1.3% और अन्य धार्मिक समूहों में 1.6% था।
 - ◆ आँकड़ों से पता चला है कि बहुपत्नीत्व विवाहों का सबसे अधिक प्रसार जनजातीय आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों में था।
 - ◆ उच्चतम बहुपत्नीत्व दर वाले 40 जिलों की सूची में उच्च जनजातीय आबादी वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी।

भारत में विवाह से संबंधित विभिन्न धार्मिक कानून:

- **हिंदू:**
 - ◆ वर्ष 1955 में लागू हुए हिंदू विवाह अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदू बहुविवाह को समाप्त कर दिया जाएगा और इसे अपराध बना दिया जाएगा।
 - ◆ अधिनियम 1955 की धारा 11 में बहुविवाह को अमान्य घोषित किया गया है, अर्थात् अधिनियम एकल विवाह को मान्यता प्रदान करता है।
 - ◆ ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 17 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 और 495 के तहत दंडित किया जाता है।
- क्योंकि बौद्ध, जैन और सिख सभी हिंदू माने जाते हैं और उनके अपने कानून नहीं हैं, इसलिये हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान इन तीनों धार्मिक संप्रदायों पर भी लागू होते हैं।

● पारसी:

- ◆ पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 ने पहले ही द्विविवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया था।
- ◆ कोई भी पारसी, व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवनकाल में इस अधिनियम या किसी किसी अन्य विधि के अधीन तब तक विवाह नहीं करेगा जब तक कि उसने अपनी पत्नी या पति से विधिपूर्ण तलाक नहीं ले लेता। पत्नी या पति द्वारा कानूनी रूप से तलाक दिये बिना या उसकी पिछली शादी को अमान्य या भंग घोषित किये बिना भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदान किये गए दंड के अधीन है।

● मुस्लिम:

- ◆ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम [The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act] 1937 के तहत अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रदत्त खंड भारत में मुसलमानों पर लागू होते हैं।
- ◆ बहुविवाह मुस्लिम कानून में निषिद्ध नहीं है क्योंकि इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिये वे इस प्रथा को संरक्षित और स्वीकार करते हैं।
- ◆ फिर भी यह स्पष्ट है कि यदि यह तरीका संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इसे बदला जा सकता है।
- जब भारतीय दंड संहिता और व्यक्तिगत कानूनों के बीच असहमति होती है, तो व्यक्तिगत कानूनों को लागू किया जाता है क्योंकि यह एक कानूनी सिद्धांत है कि एक विशिष्ट कानून सामान्य कानून का स्थान लेता है।

बहुविवाह से संबंधित न्यायिक दृष्टिकोण:

● परयांकंडियाल बनाम के. देवी और अन्य (1996):

- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक विवाह वाले रिश्ते हिंदू समाज के मानक और विचारधारा थे, जो दूसरे विवाह की निंदा और उसका तिरस्कार करते थे।
- ◆ धर्म के प्रभाव के कारण बहुविवाह को हिंदू संस्कृति का अंग नहीं बनने दिया गया।

● बॉम्बे राज्य बनाम नरसु अप्पा माली (1951):

- ◆ बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि बॉम्बे (हिंदू द्विविवाह रोकथाम) अधिनियम, 1946 भेदभावपूर्ण नहीं था।
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि एक राज्य विधायिका के पास लोक कल्याण और सुधार उपायों को लागू करने का अधिकार है, भले ही वह हिंदू धर्म या रीति-रिवाजों का उल्लंघन करता हो।

● जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003):

- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव, गरिमा और कल्याण अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आते हैं।
- ◆ मुस्लिम कानून चार महिलाओं से विवाह की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
- ◆ यह चार महिलाओं से शादी नहीं करने के लिये धार्मिक प्रथा का उल्लंघन नहीं होगा।

भारतीय समाज और संवैधानिक दृष्टिकोण में बहुविवाह:

- बहुविवाह का भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसकी वैधता के लिये विशेष रूप से इस्लाम और हिंदू जैसे- धर्मों के संबंध में संवैधानिक दृष्टिकोण से परिचर्चा की गई है।
- भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ किसी भी धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ या अधीनस्थ नहीं माना जाता है, प्रत्येक धर्म को विधि के तहत समान माना जाता है।
- भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुनिश्चितता प्रदान करता है, इन अधिकारों के विपरीत किसी भी कानून को असंवैधानिक माना जाता है।
- संविधान का अनुच्छेद 13 निर्दिष्ट करता है कि संविधान के भाग III का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य होगा।
- ◆ आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण के घटक और राज्य का हस्तक्षेप, सुरक्षा की गंभीरता प्रकट करते हैं जो कि एक वंचित समूह के लिये संवैधानिक रूप से असंगत हो सकता है, जिसका उद्देश्य साधारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है।

■ संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के राज्यक्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के तहत समान उपचार और सुरक्षा की गारंटी देता है।

■ अनुच्छेद 15(1) के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

इन देशों में बहुविवाह वैध है:

- भारत, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में बहुविवाह विशेष रूप से केवल मुसलमानों के लिये अनुमत तथा वैध है।
- वर्तमान में अल्जीरिया, मिस्र तथा कैमरून जैसे देशों में बहुविवाह मान्यता प्राप्त और प्रचलित है। केवल ये ही विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुविवाह वैध है।

निष्कर्ष:

- यह सच है कि भारतीय समाज में बहुविवाह लंबे समय से अस्तित्व में है और वर्तमान समय में अवैध होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में इसका प्रचलन है।
- बहुविवाह की प्रथा केवल किसी एक धर्म या संस्कृति से संबंधित नहीं है बल्कि अतीत में इसे विभिन्न कारणों से उचित ठहराया गया है।
- हालाँकि समाज के विकास के साथ बहुविवाह का कोई औचित्य नहीं रह गया है और इस प्रथा का त्याग कर दिया जाना चाहिये।



प्रिलिम्स फ़ैक्ट्स

कदन्न अनुभव केंद्र

भारत सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) के सहयोग से अपनी तरह का पहला कदन्न अनुभव केंद्र (MEC) लॉन्च किया है।

- यह पहल UNGA द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष (IYM 2023) के रूप में घोषित किये जाने से प्रकाश में आई है।
- मोटे अनाज (मिलेट) को केंद्रीय बजट 2023-24 में 'श्री अन्न' कहा गया है।

मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर (MEC)/कदन्न अनुभव केंद्र (MEC):

- **परिचय:**
 - ◆ MEC एक अनूठी अवधारणा है जो बाजरे को एक बहुमुखी, स्वस्थ अनाज के रूप में बढ़ावा देगी और इसके आहार लाभों को प्रदर्शित करेगी तथा ग्राहकों को एक अनूठा भोजन अनुभव प्रदान करेगी।

- ◆ ग्राहक स्थानीय कदन्न स्टार्ट-अप केंद्र से विभिन्न प्रकार के रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक उत्पाद खरीद सकते हैं।
- ◆ MEC उन उपभोक्ताओं के लिये योजना को व्यापक करने में मदद करेगा जो सक्रिय रूप से स्वस्थ विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।
- **महत्त्व:**
 - ◆ MEC की स्थापना कदन्न के लिये "ग्लोबल हब" बनने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।
 - ◆ MEC न केवल प्राचीन अनाज के आहार संबंधी लाभों को बढ़ावा देगा बल्कि कदन्न को लोकप्रिय बनाने के लिये कदन्न डोसा और कदन्न पास्ता जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को पकाने हेतु एक पोषण शक्ति केंद्र के रूप में भी लोकप्रिय करेगा।
 - ◆ यह पहल भारत के मजबूत कदन्न-आधारित स्टार्ट-अप समुदाय के लिये नए मार्ग प्रशस्त करेगी और बहुमुखी एवं स्वस्थ अनाज के रूप में कदन्न की अपार क्षमता को पहचानने में मदद करेगी।




MILLET MAP OF INDIA





कदन्न (MILLETS)

कदन्न/ मिलेट्स/ मोटा अनाज:

- छोटे-बीज वाली फसलों को मिलेट्स के रूप में जाना जाता है
- अक्सर इन्हें "सुपरफूड" के रूप में भी जाना जाता है
- इन अनाजों के प्रयोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए और ये धोजन के लिये उगाए गए पहले पौधों में से थे।

जलवायु संबंधी स्थिति:

- भारत में मुख्य रूप से खरीफ की फसल
- तापमान: 27°C-32°C
- वर्षा: लगभग 50-100 सेमी
- मिट्टी का प्रकार: अम्ल जलोढ़ या चोपट मिट्टी

भारत और कदन्न:

- विश्व का सबसे बड़ा कदन्न उत्पादक:
 - वैश्विक उत्पादन का 20%, एशिया के उत्पादन का 80%
- सामान्य कदन्न:
 - रागी (Finger millet), ज्वार (Sorghum), सभ (Little millet), खजूर (Pearl millet), और चना/पुन्ना (Proso millet)
 - स्वदेशी किस्में (छोटे बीज)-कोरो, कूटकी, चेंच और सौंभ
- प्रीम कदन्न उत्पादक राज्य:
 - राजस्थान > कर्नाटक > महाराष्ट्र > मध्य प्रदेश > उत्तर प्रदेश
- सरकार की पहलें:
 - "मदन कदन्न संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल" (INSIMP)
 - इंडियाज वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ
 - मिलेट्स स्टार्टअप इनिशिएशिये चैलेंज
 - कदन्न के लिये समसूची में वृद्धि
 - कृषि मंत्रालय ने 2018 में कदन्न को "पोषक अनाज" के रूप में घोषित किया

अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष वर्ष 2023

भारत द्वारा प्रस्तावित, UNGA द्वारा घोषित

महत्त्व

- कम मूद्य, पोषण की दृष्टि से बेहतर
- उच्च प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स
- जीवनीली की समस्याओं और स्वास्थ्य (मोटापा, मधुमेह आदि) से निपटने में मददगार
- फोटो-असिडेनशील, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला, जल गहन

अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (IYM) 2023:

- **परिचय:**
 - ◆ वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा अनुमोदित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है।
 - ◆ इसे संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया और इसका नेतृत्व भारत ने किया तथा 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ खाद्य सुरक्षा और पोषण में कदन्न के योगदान के बारे में जागरूकता।
 - ◆ कदन्न के सतत् उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिये हितधारकों को प्रेरित करना।
 - ◆ अन्य दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अनुसंधान और विकास तथा विस्तार सेवाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना।

कदन्न को मुख्यधारा में लाने के लिये अन्य सरकारी पहल:

- गहन कदन्न संबर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा के लिये पहल (INSIMP)
- राष्ट्रीय कदन्न मिशन (NMM)
- मूल्य समर्थन योजना (PSS)
- PDS में कदन्न को बढ़ावा देना
- कदन्न का MSP बढ़ाया जाना
- कदन्न की जैविक खेती को बढ़ावा देना
- मूल्यवर्द्धित कदन्न आधारित उत्पादों का विकास करना

अफ्रीकन स्वाइन फीवर और पिग्मी हॉग

जर्नल साइंस (Science) में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, अफ्रीकी स्वाइन फीवर विश्व के सबसे दुर्लभ एवं छोटे सूअर पिग्मी हॉग की आबादी को घातक रूप से प्रभावित कर सकता है।

- वर्ष 2018 में चीन में आगमन के बाद से ही इस बीमारी ने पूरे एशिया में पॉर्सिन (सूअरों से संबंधित) आबादी को पहले ही खत्म कर दिया है।

African swine fever (ASF)

The virus is highly resistant to low temperatures and can survive for extended periods of time in the blood, feces and tissue of infected animals.

ASF is a **highly contagious**, transboundary viral disease (Asfarviridae family; Asfivirus genus).

African swine fever can be transmitted through **direct contact** between sick and healthy animals. It can also be transmitted **indirectly** through feed containing meat from infected animals (the virus can remain infectious for 3 to 6 months in uncooked pork products); **biological vectors** such as ticks of the genus *Ornithodoros*, and contaminated **inanimate objects** (fomites) that can transmit the virus.

Global alarms went off in August 2018, when an ASF outbreak was first reported in **China**. The disease swept through the entire Asian country and spread to **Mongolia, Vietnam, Cambodia and Hong Kong**.

It can affect both domestic and wild pigs (wild boars and peccaries). **It is harmless to humans.**

According to the OIE, **24%** of its member countries (48 out of 200) **have reported the disease** as present since 2016.

According to official data for this period, more than **2.5 million domestic pigs** have died or been killed— **67.6%** of them in Asia over the past 10 months.

Between 2016 and May 2019, there were a total of **10,211 outbreaks in Africa, Europe and Asia**.

Typical clinical signs of ASF are similar to those of classical swine fever (which is endemic in several countries of the Americas); therefore, a **laboratory test** is required to distinguish them.

The **peracute** form of the virus causes sudden death with few signs.

Symptoms include **fever, loss of appetite**, low energy, abortion, internal hemorrhages, visible hemorrhages, and even death.

नोट:

- यह पहली बार वर्ष 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था; यह बीमारी पूरे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के घरेलू एवं जंगली दोनों प्रकार के सूअरों में दर्ज की गई है।
- इसके कारण होने वाली मृत्यु दर लगभग 95% से 100% है और चूँकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है ऐसे में इसके प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका पशुओं को मार देना (Culling) है।
- ASF विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के स्थलीय पशु स्वास्थ्य कोड (Terrestrial Animal Health Code) में सूचीबद्ध एक बीमारी है।

पिग्मी हॉग की विशेषताएँ

- **वैज्ञानिक नाम:**
 - ◆ पोर्कुला साल्वेनिया (Porcula Salvania)
- **विशेषताएँ:**
 - ◆ यह उन गिने-चुने स्तनधारियों में से एक है जो एक 'छत' के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं।
 - ◆ यह एक संकेतक प्रजाति भी है। इनकी उपस्थिति इसके प्राथमिक आवास, क्षेत्र, गीले घास के मैदानों के स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है।
- **आवास:**
 - ◆ ये आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं।
 - ◆ पूर्व में हिमालय की तलहटी- नेपाल के तराई क्षेत्रों और बंगाल के दुअर क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश से असम तक- में लंबे और गीले घास के मैदानों की एक संकीर्ण पट्टी में पाए जाते थे।
 - वर्तमान में ये केवल भारत (असम) में पाए जाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Endangered)
 - ◆ वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I (Appendix I)
 - ◆ भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I (Schedule I)
- **खतरा:**
 - ◆ पर्यावास (घास का मैदान) का नष्ट होना
 - ◆ अवैध शिकार

● संरक्षण प्रयास - पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम 1995:

- ◆ विलुप्त माने जाने के बाद वर्ष 1971 में इसे फिर से खोजा गया। वर्ष 1995 में यूनाइटेड किंगडम के ड्यूरेल वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, IUCN, असम वन विभाग एवं MoEF&CC ने पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने हेतु संयुक्त प्रयास किया।
- यह वर्तमान में गैर सरकारी संगठनों आरण्यक और इकोसिस्टम्स इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ◆ वर्ष 2008 और 2022 के बीच, 152 को पिग्मी हॉग्स का असम के चार संरक्षित क्षेत्रों में पुनःप्रवेश कराया गया, जिसमें हाल ही में 36 पिग्मी हॉग्स का हाल ही में छोड़ा जाना भी शामिल है।
- वर्ष 2011 और 2015 के बीच जानवरों को ओरंग नेशनल पार्क में फिर से लाया गया।
- वर्ष 2025 तक PHCP मानस नेशनल पार्क में 60 पिग्मी हॉग्स को छोड़ने की योजना बना रहा है।

ब्लैक टाइगर

हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ ब्लैक टाइगर की मौत की सूचना मिली है।

- सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में विश्व में ब्लैक टाइगर देखे जाने की दर सबसे ज्यादा है।

नोट:

- इस प्रकार की मौत का बाघों की आबादी पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ब्लैक टाइगर की आबादी काफी सीमित है और नर बाघ की मौत से क्षेत्र में बाघों के प्रजनन पर असर पड़ेगा।

ब्लैक टाइगर:

- **परिचय:**
 - ◆ ब्लैक टाइगर, बंगाल टाइगर की ही दुर्लभ रंग-रूप की प्रजाति है और यह कोई विशिष्ट प्रजाति या भौगोलिक उप-प्रजाति नहीं है।
 - ◆ ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू (टैकपेप) जीन में एकल उत्परिवर्तन ऊपरी खाल के रंग और स्वरूप हेतु होता है जो जंगली बिल्लियों को उनका काला रंग प्रदान करता है।
- **स्यूडो मेलानिस्टिक:**
 - ◆ ऐसे बाघों के असामान्य रूप से गहरे या काले रंग को सूडो मेलानिस्टिक या छद्म रंग कहा जाता है।
 - मेलानिस्टिक से तात्पर्य वर्णक के सामान्य स्तर से अधिक होने के कारण त्वचा/बालों का बहुत गहरा होना है (पदार्थ जो त्वचा/बालों को रंजकता देता है उसे मेलैनिन कहा जाता है)।

- ◆ इस बात की बहुत अधिक संभावना (लगभग 60%) है कि सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व से यादृच्छिक रूप से चुने गए बाघ में उत्परिवर्तित जीन होगा।



(Project Tiger) के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिज़र्व (Biosphere Reserve) क्षेत्र घोषित किया।

- यह बायोस्फीयर रिज़र्व वर्ष 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व (UNESCO World Network of Biosphere Reserve) का हिस्सा है।

- ◆ यह सिमलीपाल-कुलडीहा-हदगढ़ हाथी रिज़र्व (Similipal-Kuldiha-Hadgarh Elephant Reserve) का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलीफेंट रिज़र्व (Mayurbhanj Elephant Reserve) के नाम से जाना जाता है।

● काले रंग का कारण:

- ◆ सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व के बाघ पूर्वी भारत में एक अलग आबादी है और उनके एवं अन्य बाघ आबादी के बीच जीन प्रवाह बहुत प्रतिबंधित है।
- ◆ भौगोलिक अलगाव के कारण आनुवंशिक रूप से संबंधित प्रजातियाँ कई पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ मिलन करते आ रहे हैं, जिससे अंतर्जनन होता है।
 - बाघ संरक्षण में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है क्योंकि इस तरह की अलग-थलग और जन्मजात आबादी के कम समय में ही विलुप्त होने का खतरा है।

सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व के प्रमुख बिंदु:

● परिचय:

- ◆ टाइगर रिज़र्व के लिये इसका चयन आधिकारिक रूप से वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर

● अवस्थिति:


- ◆ यह ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के उत्तरी भाग में स्थित है जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है।

● वन्यजीव:

- ◆ सिमलीपाल बाघों और हाथियों सहित जंगली जानवरों की एक विस्तृत शृंखला का घर है, इसके अतिरिक्त यहाँ पक्षियों की 304 प्रजातियाँ, उभयचरों की 20 प्रजातियाँ और सरीसृपों की 62 प्रजातियाँ हैं।

● ओडिशा में अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र:

- ◆ भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
- ◆ चिलिका (नलबाना द्वीप) वन्यजीव अभयारण्य
- ◆ बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य
- ◆ नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य
- ◆ गहिरमाथा (समुद्री) अभयारण्य



भारत में बाघ संरक्षण के प्रयास:


- **प्रोजेक्ट टाइगर (1973)**: प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)**: यह MoEFCC के तहत एक वैधानिक निकाय है और वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। NTCA का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 L (1) के तहत किया गया है।

- **संरक्षण का आश्वासन/बाघ मानक**: CA/TS मापदंड का एक समूह है जो बाघ स्थलों को यह जाँचने की अनुमति देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघ संरक्षण सफल होगा।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day- WPDFD) प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया।

- 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत 161वें स्थान पर है, वर्ष 2022 में भारत का रैंक 150 था।



विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस:

- **परिचय:**
 - ◆ वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा वर्ष 1991 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद की गई थी।
 - ◆ यह दिवस वर्ष 1991 के विंडहोक घोषणा (यूनेस्को द्वारा अपनाया गया) को भी चिह्नित करता है।
 - ◆ प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्र, मुक्त मीडिया को प्रोत्साहित करने के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता रहा है।
- **वर्ष 2023 की थीम:**
 - ◆ 'शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स: फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज़ अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स' ('Shaping a Future of Rights: Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights')।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के प्रमुख बिंदु:

- **रैंकिंग:**
 - ◆ शीर्ष तथा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश:
 - नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 देश हैं।
 - इस सूची में वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर रहे।
 - ◆ भारत के पड़ोसी:
 - श्रीलंका ने भी 2022 के 146वें की तुलना में इस वर्ष सूचकांक रैंकिंग में 135वें स्थान पर महत्वपूर्ण सुधार किया।
 - पाकिस्तान 150वें स्थान पर है।
 - तीन अन्य देशों- ताजिकिस्तान (1 स्थान नीचे 153वें पर), भारत (11 स्थान नीचे 161वें पर) और तुर्की (16 स्थान नीचे 165वें पर) में स्थिति 'समस्याप्रद' से 'काफी खराब' हो गई है।
- **भारत का प्रदर्शन विश्लेषण:**
 - ◆ सूचकांक में भारत की स्थिति में वर्ष 2016 (जब यह 133वें स्थान पर था) के बाद से लगातार गिरावट आ रही है।
 - ◆ इस गिरावट का कारण पत्रकारों और राजनीतिक रूप से पक्षपाती मीडिया के खिलाफ बढ़ती हिंसा है।
 - ◆ दूसरी घटना जो सूचना के मुक्त प्रवाह को खतरनाक रूप से प्रतिबंधित करती है, वह है कुलीन वर्गों द्वारा मीडिया आउटलेट्स का अधिग्रहण, जो राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं।
 - ◆ संगठन का दावा है कि भारत में कई पत्रकार अत्यधिक दबाव के कारण खुद को सेंसर करने के लिये मजबूर हैं।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक:

- **परिचय:**
 - ◆ यह वर्ष 2002 से 'रिपोर्टर्स सेन्स फ्रंटियर्स' (RSF) या 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है।
 - पेरिस में स्थित RSF संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisation of the Francophonie- OIF) के परामर्शी स्थिति के साथ एक स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन है।
 - ◆ OIF, 54 फ्रेंच भाषी राष्ट्रों का एक समूह है।

- ◆ सेंसरशिप, मीडिया स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में 180 देशों को उनके प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है। हालाँकि यह पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है।

● स्कोरिंग मानदंड:

- ◆ सूचकांक की रैंकिंग 0 से 100 तक के स्कोर पर आधारित होती है जो प्रत्येक देश या क्षेत्र को प्रदान की जाती है, जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ संभव स्कोर (प्रेस स्वतंत्रता का उच्चतम संभव स्तर) और 0 सबसे खराब स्तर को प्रदर्शित करता है।

● मूल्यांकन मानदंड:

- ◆ प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन पाँच प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है, जिनमें राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढाँचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा शामिल है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में:

- संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो 'भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण' से संबंधित है।
- अनुच्छेद 19 (1) (a): बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है- "सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"।
- वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है।
- हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है। यह अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ प्रतिबंधों का सामना करती है, जो इस प्रकार हैं-
 - ◆ भारत की संप्रभुता और अखंडता के महत्त्व से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिये उकसाने के संबंध में।

पशुपालन व डेयरी किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड राष्ट्रव्यापी अभियान

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आज्ञादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के लिये पशुपालन और डेयरी किसानों (Animal Husbandry, Dairying, and Fisheries- ADHF) हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) राष्ट्रव्यापी अभियान का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। यह अभियान 1 मई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक चलेगा।

पशुपालन व डेयरी किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड राष्ट्रव्यापी अभियान:

● परिचय:

- ◆ इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड के लाभों का विस्तार करना है।
- ◆ इस अभियान से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी गतिविधियों में लगे सभी छोटे व सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

● पिछले अभियानों के परिणाम:

- ◆ जून 2020 से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी पात्र पशुपालन एवं मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिये विभिन्न अभियान चलाए हैं।
- ◆ इन अभियानों के दौरान पशुपालन और मत्स्यपालन से जुड़े किसानों को 27 लाख से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए।

● मौजूदा अभियान:

- ◆ वर्तमान अभियान के दौरान राज्य पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों से प्राप्त आवेदनों की मौके पर जाँच हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक (Lead District Manager- LDM) द्वारा समन्वित KCC समन्वय समिति प्रत्येक सप्ताह जिला स्तरीय KCC शिविर आयोजित करेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड:

● परिचय:

- ◆ किसानों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी।
- ◆ यह खेती, कृषि आदानों की खरीद और अन्य जरूरतों हेतु ऋण प्रदान करती है।

◆ वर्ष 2004 में किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता को कवर करने हेतु इस योजना का विस्तार किया गया था।

◆ यह सुविधा वर्ष 2018-19 में मत्स्य और पशुपालन में संलग्न किसानों हेतु बढ़ा दी गई थी।

● उद्देश्य:

◆ इस योजना का उद्देश्य फसल की खेती, फसल के बाद के खर्चों, विपणन ऋण, उपभोग आवश्यकताओं और कृषि संपत्तियों के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी हेतु किसानों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है।

◆ यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये निवेश ऋण भी प्रदान करती है।

● विशेषताएँ:

◆ KCC योजना एक ATM-सक्षम RuPay डेबिट कार्ड और लचीली/सरलीकृत सुविधा प्रदान करती है।

◆ ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिये आधार सीडिंग अनिवार्य है।

◆ यह सुविधा मत्स्यपालन और पशुपालन किसानों को उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।

● कार्यान्वयन एजेंसियाँ:

- ◆ वाणिज्यिक बैंक
- ◆ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)
- ◆ लघु वित्त बैंक
- ◆ सहकारिता

● हाल की उपलब्धियाँ:

- ◆ 25 फरवरी, 2022 तक 3.20 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 2.92 करोड़ KCC जारी किये गए हैं।
- ◆ सरकार 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर किसानों को 2% का ब्याज सबवेंशन और 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस

अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस (3 मई, 2023) पर केप तेंदुआ ट्रस्ट (CLT), एक सक्रिय शिकारी संरक्षण कार्यकारी समूह ने तेंदुओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिये एक नया पोर्टल लॉन्च किया।

- पोर्टल को वैश्विक तेंदुआ सम्मलेन (ग्लोबल लेपर्ड कॉन्फ्रेंस) में लॉन्च किया गया।

तेंदुए की विशेषताएँ:



● वैज्ञानिक नाम:

- ◆ पैथेरा पार्डस

● परिचय:

- ◆ तेंदुआ पकड़ में न आने वाला और रात्रि में विचरण करने वाला जानवर है जिसका आकार तथा रंग उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है। वह बेहतरीन पर्वतारोही होता है जो पेड़ों में छिपकर अपना शिकार करता है।

● भौगोलिक विस्तार:

- ◆ बिल्ली परिवार के सदस्य तेंदुए एशिया, उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिणी रूस और भारतीय उप-महाद्वीप में पाए जाते हैं।
 - भारतीय तेंदुआ (पैथेरा पार्डस फुस्का) भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जानेवाला एक तेंदुआ है।

● प्राकृतिक आवास:

- ◆ अन्य बड़े मांसाहारियों की तुलना में तेंदुए के निवास स्थान और भोजन की आवश्यकताओं के संबंध में ये क्षेत्र काफी अनुकूल होते हैं:
 - ग्रामीण-कृषि क्षेत्र
 - वन क्षेत्र
 - मानव आवास के पास (ग्रामीण एवं शहरी दोनों)

● भारत में आबादी :

- ◆ MoEF&CC द्वारा जारी रिपोर्ट 'भारत में तेंदुओं की स्थिति, 2018' के अनुसार, "2014 के अनुमानों के आधार पर भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है"।
 - वर्ष 2014 के अनुमान के अनुसार, तेंदुओं की आबादी लगभग 8,000 थी जो अब बढ़कर 12,852 हो गई है।
- ◆ मध्य प्रदेश (3,421) में तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या का अनुमान लगाया गया है, उसके बाद कर्नाटक (1,783) और महाराष्ट्र (1,690) का स्थान है।

- **खतरा:**
 - ◆ प्राकृतिक निवास स्थान का नुकसान
 - ◆ अवैध शिकार
 - ◆ मानव-वन्यजीव संघर्ष
- सुरक्षा की स्थिति:
 - ◆ IUCN की रेड लिस्ट: असुरक्षित/लुप्तप्राय
 - ◆ CITES: परिशिष्ट I
 - ◆ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची I
- **मानव-तेंदुआ संघर्ष:**
 - ◆ जिन क्षेत्रों में अक्सर मानव-तेंदुआ संघर्ष देखे जाते हैं, उनमें कश्मीर घाटी में श्रीनगर, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिणी तमिलनाडु में कलक्कड़-मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

BizAmp-पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यवसायों का संबर्द्धन

हाल ही में लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (NVCFL) के सहयोग से नगालैंड के दीमापुर में अपने आत्मनिर्भर भारत (SRI) फंड के तहत BizAmp नामक एक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया गया।

BizAmp क्या है ?

- BizAmp देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला आउटरीच प्रोग्राम है जो NVCFL के SRI फंड के माध्यम से पूंजीगत लाभों को अधिकतम करने पर केंद्रित है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सशक्त बनाना और SRI फंड के तहत लाभों का उपयोग करके उनके व्यवसायों को बढ़ाना है।
- इस आयोजन में लाभार्थी MSME के लिये अपनी स्टोरी प्रस्तुत करने और अन्य MSME को प्रेरित करने के लिये एक समर्पित फोरम शामिल था।
 - ◆ इस कार्यक्रम ने विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के उद्योग सचिवों की उपस्थिति के साथ राज्य और केंद्र सरकार के ठोस प्रयासों को प्रदर्शित किया, जिन्होंने MSME के विकास में सहायता के लिये तैयार की गई विभिन्न नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान की।

SRI फंड के बारे में:

- **परिचय:**
 - ◆ यह फंड भारत को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार का प्रमुख कार्यक्रम 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।

- **उद्देश्य:**
 - ◆ फंड का उद्देश्य विकास में मदद करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनना तथा प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
- **SRI फंड की संरचना:**
 - ◆ SRI फंड एक रणनीतिक निवेश है जो फंड ऑफ फंड्स के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कंपनियों के बजाय अन्य फंडों में निवेश किया जाता है। SRI फंड की संरचना इस प्रकार है:
 - निधि, मदर फंड और डॉटर फंड संरचना के माध्यम से संचालित होती है।
 - एंकर निवेशक के रूप में भारत सरकार के साथ SRI फंड (मदर फंड) की कुल राशि/कॉर्पस 10,006 करोड़ रुपए है।
 - डॉटर फंड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) - पंजीकृत श्रेणी I तथा श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि (Alternate Investment Funds-AIF) हैं।
 - डॉटर फंड अधिकांशतः वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड हैं।
 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आने वाले MSME में डॉटर फंड निवेश करते हैं।
 - **प्रबंध प्राधिकरण:**
 - ◆ SRI फंड का प्रबंधन NVCFL द्वारा किया जा रहा है।
 - NVCFL सेबी (AIF) विनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत श्रेणी II AIF के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है।
 - **MSMEs पर प्रभाव:**
 - ◆ SRI फंड इक्विटी/अर्द्ध-इक्विटी जैसे संरचित साधनों के माध्यम से MSME को विकास पूंजी प्रदान करता है।

पूर्वोत्तर भारत में MSME को सशक्त बनाने का क्या महत्त्व है ?

- MSME क्षेत्र का पोषण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- पूर्वोत्तर भारत में MSME को सशक्त बनाना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लिये महत्त्वपूर्ण है। MSME रोजगार सृजित कर सकते हैं, निर्यात तथा, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और ग्रामीण विकास का समर्थन कर सकते हैं।

- क्षेत्र में MSME को सशक्त बनाने से स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को लाभ होता है।


पूर्वोत्तर भारत में MSME को सशक्त बनाने के लिये भारत की पहल

- पूर्वोत्तर MSME कॉन्क्लेव का आयोजन गुवाहाटी में उद्यमिता और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिये किया गया था, जिसमें बुनियादी संरचना के निर्माण, बाजार लिंक प्रदान करने, MSME पार्क और टूल रूम स्थापित करने तथा विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिये एक नीति पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

बृहस्पति के आकार के ग्रह को निगलने वाला तारा

हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ZTF SLRN-2020 नामक सूर्य जैसे एक विशाल तारे द्वारा बृहस्पति के आकार के ग्रह को निगले जाने अथवा अपने अंदर समेटने का दावा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप तारे द्वारा काफी ऊर्जात्मक वेग के साथ कुछ मलबा अंतरिक्ष में निष्काशित हुआ।

- शोधकर्ताओं द्वारा कैलटेक के पालोमर ऑब्ज़र्वेटरी में स्थित ज़िक्वी ट्रांज़िएंट फैसिलिटी (ZTF) का इस्तेमाल कर यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि तारा कैसे इतनी तेज़ी से 100 गुना अधिक प्रकाशमान हो गया।



अध्ययन के निष्कर्ष:

- **ZTF SLRN-2020 तारा:**
 - ◆ यह तारा आकार और संरचना में सूर्य के समान है तथा हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में पृथ्वी से लगभग 12,000 प्रकाश वर्ष दूर अक्विला (Aquila) नक्षत्र की दिशा में स्थित है।
 - एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसमें प्रकाश एक वर्ष में 5.9 ट्रिलियन मील (9.5 ट्रिलियन किमी.) तय करता है।
 - यह तारा लगभग 10 अरब वर्ष और सूर्य से दोगुना पुराना है।

- अक्विला नक्षत्र, द ईगल उत्तरी गोलार्द्ध में जुलाई से अक्टूबर तक दिखाई देता है। यह एक मध्य आकार का तारामंडल है, जो आकाश के 652 वर्ग अंश में फैला है।

- ◆ यह लाल विशालकाय तारा अपने शुरुआती चरण में है, जिसका अर्थ है कि यह पहले फूला हुआ था और इसके केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन की कमी के कारण इसके परिमाण/आकार का विस्तार हो गया था।

- लाल विशालकाय तारे अपने मूल व्यास से सौ गुना तक फूले हुए हो सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ग्रह को निगल सकते हैं।

- चूँकि आने वाले लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य भी अपने लाल विशालकाय तारे के चरण को प्राप्त कर लेगा, तब हमारे सौरमंडल के तीन अंतरतम ग्रह, बुध, शुक्र और पृथ्वी, अंततः ऐसे ही समाप्त हो जाएँगे।


● तारे द्वारा ग्रह को निगला जाना:

- ◆ जैसे-जैसे तारे के आकार में वृद्धि हुई, ग्रह की कक्षा इस तारे के बहुत करीब होती गई और तारे के वातावरण की ओर खिंचती गई। जैसे-जैसे कक्षा तारे के करीब आती गई उतनी ही तेज़ी से अंदर की ओर खिंचती चली गई जिस कारण यह अचानक तारे से टकरा गई और इससे काफी मात्रा में विकिरण निष्काशित हुआ।

एक तारे का जीवन चक्र:

- **उत्पत्ति:** तारे का जीवन चक्र एक नेबुला से शुरू होता है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचकर एक प्रोटोस्टार बनाता है।
 - ◆ नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक बादल है।
- **मुख्य अनुक्रम चरण:** जब कोर पर्याप्त रूप से गर्म हो जाता है तो परमाणु संलयन शुरू हो जाता है और तारा मुख्य अनुक्रम चरण में प्रवेश करता है।
 - ◆ मुख्य अनुक्रम चरण के दौरान तारा अपने कोर में हाइड्रोजन को जलाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तारे को स्थिर और चमकदार बनाए रखती है।
 - ◆ छोटे तारे ईंधन को धीरे-धीरे जलाते हैं और अरबों वर्षों तक चमक सकते हैं, जबकि बड़े तारे तेज़ी से ईंधन को जलाते हैं और सैकड़ों-हजारों वर्षों तक ही चमक सकते हैं।
- **तारे की वृद्धावस्था और मृत्यु:** जैसे ही किसी तारे का हाइड्रोजन खत्म होता है, वह फैलता है और ठंडा होकर लाल दानव बन जाता है। छोटे तारे एक ग्रह निहारिका (नेबुला) में बदल जाते हैं, फिर एक सफेद बौने तारे और अंत में एक काले बौने तारे में परिवर्तित हो जाते हैं।

- ◆ अधिक विशाल तारे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं जिस कारण तारे की सामग्री अंतरिक्ष में बिखर जाती है और एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है।



सीमा सड़क संगठन का 64वाँ स्थापना दिवस

सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation-BRO) ने 07 मई, 2023 को देश भर की सभी टुकड़ियों में अपना 64वाँ स्थापना दिवस मनाया।

प्रमुख बिंदु

- स्थापना दिवस के अवसर पर BRO तकनीकी प्रशिक्षण परिसर और एक ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया।
- ◆ इन सुविधाओं से BRO कर्मियों के प्रशिक्षण मानकों में वृद्धि होगी और उन्हें विभिन्न चुनौतियों के लिये बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद मिलेगी।
- इस अवसर पर 'डिजिटल इंडिया' पहल के भाग के रूप में विकसित BRO-केंद्रित सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया।
- ◆ इन सॉफ्टवेयरों को भर्ती प्रबंधन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक मापन पुस्तक और कार्य प्रबंधन प्रणाली को सुचारु एवं त्वरित आउटपुट तथा पारदर्शिता बढ़ाने व BRO के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को स्वचालित करने हेतु विकसित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त स्वदेशी क्लास 70R डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज के निर्माण के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। ये ब्रिज सशस्त्र बलों की परिचालन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे।

- ◆ क्लास 70R डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज प्री-इंजीनियर स्टील ब्रिज हैं जिसे दो लेन पर वाहनों के आवागमन के लिये अभिकल्पित किया गया है।

- इस कार्यक्रम में 10 अप्रैल, 2023 को शुरू हुए मल्टी-मॉडल अभियान 'एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान' को भी हरी झंडी दिखाई गई।

एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान:

- इसे 64वें BRO दिवस समारोह के एक भाग के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपने कर्मयोगियों के बलिदान और योगदान को याद करने के लिये लॉन्च किया गया।
- सीमा सड़क के महानिदेशक ने मोटर साइकिल और कार रैली दलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान दल में मोटर साइकिल और मोटर कार शामिल हैं।
- मोटर-साइकिल और चार-पहिया वाहन के साथ इस अभियान में विभिन्न सीमावर्ती राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की टीमों द्वारा मृदा, नदियों/झीलों/जलाशयों के जल के नमूने एकत्र किये गए।
- ◆ इस अभियान का मोटरसाइकिल चरण 14 अप्रैल, 2023 को किबिथू अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ।
- अठारह परियोजनाओं के अभियान सदस्यों ने 108 दूरस्थ सीमावर्ती स्थानों से मृदा, जल और पौधे एकत्र किये। इन पौधों का रोपण सीमा सड़क संगठन की मातृ संस्था पुणे स्थित सीमा सड़क संगठन स्कूल और केंद्र में किया जाएगा।

सीमा सड़क संगठन:

- **परिचय:**
 - ◆ BRO की परिकल्पना और स्थापना वर्ष 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी से विकास के समन्वय के लिये की गई थी।
 - ◆ यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
 - ◆ इसने निर्माण एवं विकास कार्यों के स्तर में व्यापक विविधता ला दी है, जिसमें हवाई क्षेत्र, निर्माण परियोजनाएँ, रक्षा कार्य और सुरंग बनाना शामिल है तथा जनता के प्रति काफी लोकप्रिय है।
- **अब तक की उपलब्धियाँ:**
 - ◆ BRO ने छह दशकों से अधिक समय में भारत की सीमाओं के साथ-साथ भूटान, म्याँमार, अफगानिस्तान तथा ताजिकिस्तान सहित मित्र देशों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 61,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 900 से अधिक पुलों, चार सुरंगों एवं 19 हवाई क्षेत्रों का निर्माण किया है।
 - ◆ BRO ने वर्ष 2022-23 में 103 बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा किया, जो संगठन द्वारा एक वर्ष में किये गए सबसे अधिक कार्य हैं।
 - इनमें पूर्वी लद्दाख में श्योक ब्रिज का निर्माण और अरुणाचल प्रदेश में अलॉन्ग-यिंकिओनग रोड पर लोड क्लास 70 का स्टील आर्क सियोम ब्रिज शामिल है।

36वाँ मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एक विशेष परियोजना के तहत 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (Chief Information Security Officers- CISO) विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित इस अभ्यास सत्र में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत आयोजित कार्यशालाओं की शृंखला का एक हिस्सा है।

साइबर सुरक्षित भारत पहल:

- साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) एवं अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के साथ की गई थी।

- इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) द्वारा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) तथा भारत में विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से लॉन्च किया गया था।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- **परिचय:**
 - ◆ यह प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघों के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ साइबर खतरों के उभरते परिदृश्य को लेकर जागरूकता उत्पन्न करना।
 - ◆ साइबर संबंधित समाधानों की गहन समझ प्रदान करना।
 - ◆ साइबर सुरक्षा से संबंधित रूपरेखा, दिशा-निर्देश और नीतियों का निर्माण करना।
 - ◆ सफलता और असफलताओं से सीखने के लिये सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना।
 - ◆ साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर उनके संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने के लिये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना।
- **प्रतिभागी:**
 - ◆ यह कार्यक्रम मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के अग्रिम पंक्ति के IT अधिकारियों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों सहित अन्य के लिये आयोजित किया जाता है।
- **प्रशिक्षण:**
 - ◆ नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु रसद सहायता प्रदान करता है, जबकि उद्योग संघ प्रशिक्षण के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
 - ◆ उद्योग के प्रशिक्षण भागीदार माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, पालो अल्टो नेटवर्क्स, E&Y और डेल-EMC, NIC, CERT-In तथा CDAC सरकार की ओर से भागीदार हैं।

साइबर सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित अन्य पहलें:

- **वैश्विक:**
 - ◆ साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट अभिसमय
 - ◆ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF)

● भारत-विशिष्ट:

- ◆ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020
- ◆ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
- ◆ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- ◆ साइबर अपराधों का सामना करने के लिये नई सुविधा
- ◆ कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल- भारत (CERT-In)
- ◆ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022
- ◆ रक्षा साइबर एजेंसी (DCyA)
- ◆ डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023
- ◆ साइबर स्वच्छता केंद्र: यह प्लेटफॉर्म वर्ष 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर और वायरस को हटाकर अपने कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साफ करने में मदद करने के लिये पेश किया गया था।


लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023

हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई। यह पुरस्कार वर्ष 2020 के बाद पहली बार पेरिस में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

● परिचय:

- ◆ ये पुरस्कार प्रतिवर्ष, वर्ष की सबसे बड़ी और प्रेरणादायक खेल जीत का सम्मान करने हेतु प्रदान किये जाते हैं, साथ ही लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड के काम को प्रदर्शित करते हैं।
- ◆ पहला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 25 मई, 2000 को हुआ था।
 - अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के पहले विजेता थे।
- ◆ इसे प्रायः खेलों का ऑस्कर कहा जाता है।



● पुरस्कार श्रेणियाँ:

- ◆ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर
 - वर्ष 2023 का विजेता: लियोनेल मेस्सी (अर्जेन्टीना)
 - लियोनेल मेसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर (2020 में) से सम्मानित होने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं
- ◆ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर
 - वर्ष 2023 का विजेता: शैली-एन फ्रेजर-प्रिस (जमैका)
- ◆ लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर
 - वर्ष 2023 का विजेता: अर्जेन्टीना पुरुष फुटबॉल टीम
- ◆ लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर
 - वर्ष 2023 का विजेता: कालॉस अल्कराज (स्पेन)
- ◆ लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर
 - वर्ष 2023 का विजेता: क्रिश्चियन एरिक्सन (डेनमार्क)
- ◆ लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर
 - वर्ष 2023 का विजेता: एलीन गु (चीन)
- ◆ लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड
 - वर्ष 2023 का विजेता: टीमअप (वैश्विक)
- ◆ टीमअप (TeamUp) वॉर चाइल्ड, सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ नीदरलैंड द्वारा विकसित एक मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समर्थन हस्तक्षेप है, जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों के तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है।
- ◆ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी
 - वर्ष 2023 की विजेता: कैथरीन डेब्रूनर (स्विट्ज़रलैंड)
 - दिव्यांगता वाले विश्व एथलीट ऑफ द ईयर की शॉर्टलिस्ट अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

● महत्त्वपूर्ण पुरस्कार विजेता:

- ◆ सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड रोज़र फेडरर के नाम है। स्विस् टेनिस खिलाड़ी ने छह पुरस्कार जीते हैं जिनमें पाँच स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और एक कमबैक ऑफ द ईयर के लिये है।
- ◆ सबसे अधिक महिला पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड सेरेना विलियम्स के नाम है।
- ◆ लियोनेल मेसी, जिन्होंने वर्ष 2022 में अर्जेन्टीना को विश्व कप तक पहुँचाया, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले एथलीट बने और वर्ष 2023 में उन्होंने लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता।

● पुरस्कारों की अन्य श्रेणियाँ:

- ◆ इन नियमित सात पुरस्कारों के अतिरिक्त कुछ और पुरस्कार हैं जिन्हें सम्मानित किया गया जो कि विवेकाधीन पुरस्कार हैं। इसमें शामिल है:

- लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
- स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड
- स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट अवार्ड
- असाधारण उपलब्धि पुरस्कार
- खेल प्रेरणा पुरस्कार

ऑरोरा

एक महत्त्वपूर्ण भू-चुंबकीय तूफान से यह अनुमान लगाया गया है कि मजबूत सौर झंझावात की परिघटनाओं में ऑरोरा को "सुपरचार्ज" करने की क्षमता होती है, जो रात्रि के समय आकाश में एक शानदार दृश्य का प्रदर्शन करती है।

ऑरोरा:

● परिचय:

- ◆ ऑरोरा एक चमकदार परिघटना है जो उत्तरी ध्रुवों (ऑरोरा बोरियलिस) और दक्षिणी ध्रुवों (ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस) के नज़दीक देखी जाती है।
- ◆ ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सूर्य से आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होती हैं।



● बनावट और रंग:

- ◆ ऑरोरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैसों और कणों से मिलकर बनती है।
- ◆ इन कणों के वायुमंडल से टकराने से प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है।
- ◆ ऑरोरा में देखे गए रंग गैस के प्रकार और उसके टकराव की ऊँचाई पर निर्भर करते हैं।

● भू-चुंबकीय तूफान और ऑरोरा:

- ◆ भू-चुंबकीय तूफान, कोरोनल मास इजेक्शन (CME) और सौर फ्लेयर्स जैसी सौर परिघटनाओं से उत्पन्न होते हैं, जो ऑरोरा की गतिविधियों में वृद्धि करते हैं।

- CME, सूर्य से उत्सर्जित प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है, जबकि सौर ज्वालाएँ ऊर्जा का विस्फोट हैं।
- CME अक्सर सौर ज्वालाओं के साथ होते हैं, ये विस्फोट सूर्य की सतह पर होते हैं, हालाँकि वे स्वतंत्र रूप से घटित होने के लिये भी जाने जाते हैं।

● सौर तूफान और ज्योति/ऑरोरा तीव्रता:

- ◆ मजबूत सौर तूफानों के परिणामस्वरूप सौर गतिविधि में वृद्धि होती है, जिससे अधिक स्पष्ट ज्योति तीव्रता प्रदर्शित होती है।
- ◆ इन तूफानों के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचने वाले आवेशित कणों की संख्या ऑरोरा को तीव्र कर देती है।
- ◆ सौर तूफान की शक्ति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संरक्षण से ऑरोरा की दृश्यता एवं जीवंतता प्रभावित होती है।

● सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्त्व:

- ◆ ऑरोरा दुनिया भर के विभिन्न स्वदेशी समुदायों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व रखते हैं।
- ◆ ऑरोरा पर वैज्ञानिक शोध से हमें पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर, सौर-स्थलीय संपर्क और अंतरिक्ष मौसम को समझने में मदद मिलती है।

भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storm) :

● परिचय:

- ◆ भू-चुंबकीय तूफान सौर उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान को संदर्भित करता है।

● कारण:

- ◆ इन स्थितियों से उत्पन्न होने वाले सबसे बड़े तूफान सौर कोरोनल मास इजेक्शन (CME) से जुड़े हैं। कोरोनल मास इजेक्शन (CME) या उच्च गति वाली सौर पवन पृथ्वी ग्रह पर आते ही मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाती है।

- पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर इसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्मित है और यह सामान्यतः सूर्य द्वारा उत्सर्जित कणों से हमारी रक्षा करता है।

- ◆ एक CME या उच्च गति वाला सौर तूफान जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में प्रवेश करता है। नतीजतन अत्यधिक ऊर्जावान सौर पवन के कण नीचे प्रवाहित हो सकते हैं एवं ध्रुवों के ऊपर हमारे वातावरण से टकरा सकते हैं।

- **परिस्थितियाँ:** भू-चुंबकीय तूफान पैदा करने के लिये प्रभावी सौर तूफान स्थितियाँ निम्नलिखित हैं:

- ◆ लंबे समय तक चलने वाली उच्च गति के सौर तूफान (कई घंटों तक)।

- ◆ दक्षिण की ओर निर्देशित सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र (पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के विपरीत)।

● प्रभाव:

- ◆ इस प्रकार के सौर मौसम की घटनाएँ ऑरोरा को सुपरचार्ज कर सकती हैं, और ये ऑरोरा कभी-कभी उन जगहों पर दिखाई देते हैं जहाँ वे अन्यथा नहीं होते।
- ◆ वे नेविगेशन सिस्टम को भी बाधित कर सकते हैं और पावर ग्रिड तथा पाइपलाइनों में हानिकारक भू-चुंबकीय प्रेरित धाराओं का निर्माण कर सकते हैं।

वीरता पुरस्कार

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के 37 कर्मियों को कर्तव्य निर्वहन में उनकी बहादुरी एवं साहस के लिये वीरता पुरस्कार प्रदान किया। आठ कर्मियों को कीर्ति चक्र तथा 29 कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

भारत में वीरता पुरस्कार:

- स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को प्रारंभिक तीन वीरता पुरस्कार- परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किये गए थे, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।
- इसके बाद वर्ष 1952 में अन्य तीन वीरता पुरस्कार- 'अशोक चक्र वर्ग-I', 'अशोक चक्र वर्ग-II' और 'अशोक चक्र वर्ग-III' स्थापित किये गए, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।
- ◆ जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया।
- इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम है- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र।



- वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है - पहले, गणतंत्र दिवस के अवसर पर और फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।

कीर्ति चक्र

● परिचय:

- ◆ यह महावीर चक्र के समान दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है।

- ◆ अद्भुत वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण का प्रदर्शन करने या युद्ध के मैदान से दूर आत्म-बलिदान करने वालों को इससे सम्मानित किया जाता है।



भारत में उपचुनाव

हाल ही में पंजाब राज्य में एक लोकसभा सीट एवं उत्तर प्रदेश, मेघालय और ओडिशा में चार विधानसभा सीटों में उपचुनाव किये गए।

उपचुनाव:

- **परिचय:**
 - ◆ उपचुनाव, जिसे विशेष चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने के लिये आयोजित चुनावों को संदर्भित करता है।
 - ◆ यह व्यापक चुनावी चक्र के भीतर एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है और अप्रत्याशित रिक्तियों को संबोधित करके नियमित चुनावों को पूर्ण करता है।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ उपचुनावों का प्राथमिक उद्देश्य रिक्त सीटों की समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करना है, जिससे विधायी निकाय में प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र या जिले का प्रतिनिधित्व हो सके।
- **परिस्थिति:**
 - ◆ उपचुनाव तब आयोजित किये जाते हैं जब विधायिका में कोई सीट निलंबन, इस्तीफे, अयोग्यता या मौजूदा सदस्य के निष्कासन जैसे कारणों से खाली हो जाती है।
- **निर्धारित समय-सीमा:**
 - ◆ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A निर्वाचनआयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों के माध्यम से भरने हेतु अधिदेशित करती है, बशर्ते कि कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।
- इसलिये यदि लोक सभा की शेष अवधि सीट खाली होने की तारीख से एक वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।



शौर्य चक्र

- **परिचय:**
 - ◆ यह दुश्मन के खिलाफ असाधारण वीरता, साहसी कार्य या आत्म-बलिदान के लिये दिया जाने वाला एकमात्र भारतीय सैन्य अलंकरण है।
 - ◆ यह बहादुरी, वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना रखने वालों को दिया जाता है।
- **योग्यता एवं स्वरूप:**
 - ◆ इसे मरणोपरांत सम्मान के अतिरिक्त नागरिकों और सैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है।
 - ◆ इसके केंद्र में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र की प्रतिकृति के साथ गोलाकार कांस्य पदक बना हुआ है।
 - ◆ इसमें अशोक चक्र के चारों ओर एक कमल की माला बनी हुई है।
 - ◆ इसमें तीन ऊर्ध्वाधर रेखाओं के साथ हरे रंग का रिबन लगा होता है।

● प्रभाव:

- ◆ राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव: उपचुनाव अक्सर राजनीतिक दलों और उनकी लोकप्रियता के लिये एक लिटमस टेस्ट के रूप में काम करते हैं।
- ◆ वे पार्टियों को जनता की भावनाओं का सम्मान करने और उनके समर्थन के आधार का आकलन करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- ◆ सरकार के बहुमत पर प्रभाव: उपचुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ सरकार के बहुमत को प्रभावित कर सकते हैं।
- ◆ यदि सत्तारूढ़ दल उपचुनावों में महत्वपूर्ण संख्या में सीटें खो देता है, तो इससे विधायी निकाय में बहुमत का नुकसान हो सकता है जो सरकार की स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
- ◆ चुनावी रणनीतियों का परीक्षण: उपचुनाव राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीतियों का परीक्षण करने और अपने अभियान के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिये एक अवसर प्रदान करते हैं।
- पार्टियाँ उपचुनावों के दौरान उम्मीदवारों के चयन, अभियान के विषयों और संदेश के साथ उचित प्रयोग कर सकती हैं, जो बाद के चुनावों में उनकी रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है।

सक्षम- LMIS

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (LMIS), सक्षम (स्ट्रैटिजिक एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट) की शुभारंभ की है।

सक्षम (SAKSHAM):

● परिचय:

- ◆ सक्षम देश भर के सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिये एक व्यापक डिजिटल शिक्षा मंच के रूप में कार्य करता है।

● विकास:

- ◆ यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (National Institute of Health & Family Welfare- NIHFWS) द्वारा विकसित किया गया है।

● उद्देश्य:

- ◆ इस मंच का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वालों से लेकर महानगरों के तृतीयक देखभाल एवं कॉर्पोरेट अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है।

● कवरेज:

- ◆ वर्तमान में सक्षम (SAKSHAM) ऑनलाइन मोड के माध्यम से सुलभ 200 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और 100 नैदानिक पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है।

● संभावना:

- ◆ सक्षम को प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री के लिये एक केंद्रीकृत संसाधन भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा।
- यह देश में प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों के केंद्रीय डेटाबेस के रूप में भी कार्य करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान:

- **स्थापना:** NIHFWS की स्थापना 9 मार्च, 1977 को स्वायत्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत की गई थी।
- **शासनादेश:** NIHFWS का प्राथमिक उद्देश्य देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है।
- ◆ यह स्वास्थ्य पेशेवरों, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) और अन्य केंद्रीय एवं राज्य अधिकारियों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु प्रमुख संगठन भी है।

Mpox अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं:

WHO

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने घोषणा की है कि Mpox, जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था, अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है।

- इसके अतिरिक्त WHO ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 अब "वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल" का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

निर्णय का कारण:

- Mpox हेतु आपातकालीन समिति ने सिफारिश की कि प्रकोप अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का विषय नहीं रहा।
- समिति की सिफारिश रिपोर्ट किये गए मामलों में कमी और वायरस से प्रभावित देशों की मजबूत प्रतिक्रिया पर आधारित थी।

Mpox:

● परिचय:

- ◆ Mpox एक वायरल जूनोटिक रोग है जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं, हालाँकि इसमें नैदानिक गंभीरता कम होती है।
- ◆ शोध के लिये रखे गए बंदरों के समूहों में चेचक जैसी बीमारी के दो प्रकोपों के बाद पहली बार वर्ष 1958 में इस संक्रमण का पता चला था, जिस कारण इसका नाम 'मंकीपॉक्स' पड़ा।

● लक्षण:

- ◆ संक्रमित लोगों की त्वचा पर दाने निकल आते हैं जो चेचक की तरह दिखते हैं लेकिन मंकीपॉक्स से होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में अधिक गंभीर होता है।
- ◆ इस रोग के प्रारंभिक चरण में मंकीपॉक्स चेचक से भिन्न होता है क्योंकि मंकीपॉक्स में लसीका ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है।

● प्रसार/फैलाव :

- ◆ प्राथमिक संक्रमण संक्रमित पशु के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ, या त्वचीय या श्लैष्मिक घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। संक्रमित पशुओं का अपर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी एक जोखिम कारक है।

● स्थिति:

- ◆ मंकीपॉक्स के 111 देशों से 87,000 से अधिक मामले और 140 मौतें दर्ज हुई हैं।
- ◆ पिछले तीन महीनों की तुलना में पिछले तीन महीनों में लगभग 90% कम मामले सामने आए हैं।

● उपचार और टीका:

- ◆ मंकीपॉक्स का उपचार सहायक देखभाल के साथ किया जाता है। चेचक के लिये विकसित और कुछ देशों में उपयोग के लिये स्वीकृत टीकों एवं चिकित्सीय दवाओं का उपयोग कुछ परिस्थितियों में मंकीपॉक्स के उपचार में किया जा सकता है।

● वर्तमान चुनौतियाँ:

- ◆ वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को हटाए जाने के बावजूद मंकीपॉक्स सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण चुनौती है।

- Mpox के प्रभाव को दूर करने और भविष्य के प्रकोप से बचने के लिये एक मजबूत, सक्रिय और स्थायी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

- अधिक जरूरत वाले लोगों के लिये परीक्षण, टीके और उपचार तक पहुँच सुनिश्चित करना, इस प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है।

टारगेट ओलंपिक पोटियम स्कीम

ओलंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता तीरंदाज अतनु दास को टारगेट ओलंपिक पोटियम स्कीम (TOPS) में फिर से शामिल किया गया है।

- TOPS में शामिल होने वाले अन्य बड़े नामों में शामिल हैं- राइफल शूटर मेहुली घोष और 15 वर्षीय तिलोत्तमा सेन, जिन्होंने मिस्त्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्द्धा में कांस्य पदक जीता था।
- TOPS कोर और डेवलपमेंट लिस्ट में कुल 27 नए नाम शामिल किये गए, जिससे अब TOPS एथलीटों की कुल संख्या 270 (कोर में 101, डेवलपमेंट में 169) हो गई है।

टारगेट ओलंपिक पोटियम स्कीम (TOPS):

● परिचय:

- ◆ ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के बेहतर प्रदर्शन के लिये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS) ने सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोटियम स्कीम (TOPS) की शुरुआत की।

- TOPS के एथलीटों को प्रबंधन और समग्र समर्थन प्रदान करने के लिये तकनीकी सहायता टीम स्थापित करने की दृष्टि से अप्रैल 2018 में इसे नया रूप दिया गया था।

● उच्च प्राथमिकता वाले खेल:

- ◆ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 'उच्च प्राथमिकता' वाले खेलों (तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, निशानेबाजी और कुश्ती) में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ TOPS के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उत्तरदायी है।

● हाल की सफलता:

- ◆ TOPS प्रायोजित एथलीटों ने वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक और वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में अपेक्षित सफलता प्राप्त की।

- पी वी सिंधु और साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में बैडमिंटन एवं कुश्ती में क्रमशः रजत तथा कांस्य पदक जीता।

- वर्ष 2016 के पैरालंपिक खेलों में TOPS एथलीटों ने योजना की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीते।

- ◆ राष्ट्रमंडल खेलों में जिन 70 एथलीटों ने पदक जीते, उनमें से 47 को टॉप योजना के तहत पुरस्कृत किया गया था।

● मिशन ओलंपिक सेल:

- ◆ मिशन ओलंपिक सेल (MOC) एक समर्पित निकाय है जो उन एथलीटों की सहायता के लिये बनाया गया है जिन्हें TOPS के तहत चुना गया है।

- मिशन ओलंपिक सेल महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण (DG, SAI) की अध्यक्षता में कार्य करता है।
- **राष्ट्रीय खेल विकास निधि (NSDF):**
 - ◆ राष्ट्रीय खेल विकास निधि (NSDF) की स्थापना नवंबर, 1998 में पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के तहत देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
 - ◆ NSDF सभी खेलों में TOPS के कार्य में महत्वपूर्ण रहा है।
- **आगामी ओलंपिक कार्यक्रम:**
 - ◆ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024: पेरिस, फ्रांस
 - ◆ शीतकालीन ओलंपिक 2026: मिलान-कोर्टिना डी एम्पेजो, इटली
 - ◆ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028: लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
 - ◆ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032: ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया

खेलों के प्रसार को बढ़ावा देने में सरकार की पहल:

- समग्र शिक्षा अभियान
- फिट इंडिया मूवमेंट
- खेलो इंडिया
- SAI प्रशिक्षण केंद्र योजना
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना
- राष्ट्रीय युवा महोत्सव

इरेटमोप्टेरा मर्फी

ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे (BAS) के एक अध्ययन के अनुसार, इरेटमोप्टेरा मर्फी (Eretmoptera murphyi) नामक छोटा फ्लाइटलेस मिज (छोटा बग या कीट) अंटार्कटिक के सिग्नी द्वीप की मृदा की संरचना को बदल रहा है।

- यह अंटार्कटिक के सिग्नी द्वीप पर एक आक्रामक प्रजाति है।

इरेटमोप्टेरा मर्फी:

- **परिचय:**
 - ◆ यह दक्षिण जॉर्जिया, उप-अंटार्कटिक द्वीप का स्थानिक है और 1960 के दशक में वनस्पति प्रयोग के दौरान अनायास ही सिग्नी द्वीप में लाया गया था। 1980 के दशक में इसके प्रचलन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
 - ◆ इरेटमोप्टेरा मर्फी मृत कार्बनिक पदार्थों को खाता है, जिससे पौधों का तेजी से अपघटन एवं द्वीप के उन क्षेत्रों की तुलना में तीन से पाँच गुना अधिक मृदा नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है जहाँ मिज (छोटे काटने वाले कीड़े) अनुपस्थित हैं तथा केवल स्थानीय अकशेरुकीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

■ नाइट्रेट का उच्च स्तर अन्य पौधों की प्रजातियों हेतु विषैला हो सकता है और यह भू-जल को भी दूषित कर सकता है। जल में नाइट्रेट के उच्च स्तर से शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जो ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकता है एवं जलीय जीवन को नुकसान पहुँचा सकता है।

इसके फैलने का कारण:

- ◆ विशेषज्ञों के अनुसार, अंटार्कटिक में मर्फी मिज के प्रसार में वृद्धि का कारण इंसानों के जूतों के साथ यहाँ आए कीड़ों को माना जा रहा है।

चुनौतियाँ:

- ◆ मिज जल में भी जीवित रह सकता है, जो चिंता का विषय है, यह अन्य द्वीपों में भी फैल सकता है।
- ◆ यह छोटा बग बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया है और इसकी संख्या बढ़ रही है, इसलिये यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है।
- ◆ अंटार्कटिका में अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो आक्रामक प्रजातियों हेतु संवेदनशील है, अर्थात् मिज कीट का आक्रमण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कठोर परिस्थितियाँ भी अब इस क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकती हैं।
- ◆ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में तेजी लाने के अलावा मिज कीट की गतिविधियाँ अन्य आक्रामक प्रजातियों की स्थापना या उत्पत्ति को भी बढ़ावा दे सकती हैं।

Y20 परामर्श कार्यक्रम

हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के एक भाग के रूप में यूथ20 (Y20) समूह का Y20 परामर्श कार्यक्रम कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, इसमें देश के बेहतर भविष्य के लिये युवाओं ने विचारों का आदान-प्रदान किया और 'जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम में कमी: स्थिरता को जीवन जीने का एक तरीका बनाने' पर एक्शन प्लान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

FVOLGTKOY20 परामर्श कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ:

● पृष्ठभूमि:

- ◆ भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को 1 वर्ष की अवधि के लिये यानी 30 नवंबर, 2023 तक G20 की अध्यक्षता ग्रहण की हैं। अध्यक्षता के लिये भारत की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम' (जो महा उपनिषद् के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है) की सभ्यतागत मूल्य प्रणाली में निहित है। अतः हमारी थीम है- 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'।

■ G20 अध्यक्षता के ढाँचे के तहत युवा मामलों के विभाग को यूथ 20 समिट- 2023 आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- ◆ यूथ20 जो कि G20 के आधिकारिक रूप से शामिल समूहों में से एक है, युवाओं को G20 की प्राथमिकताओं पर अपने दृष्टिकोण एवं विचारों को व्यक्त करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- **पाँच थीम:**
 - ◆ जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम में कमी: स्थिरता को जीवन जीने का एक तरीका बनाना
 - ◆ कार्य का भविष्य: उद्योग 4.0, नवाचार, और 21वीं सदी के कौशल
 - ◆ शांति निर्माण और सुलह: युद्ध रहित युग की शुरुआत
 - ◆ साझा भविष्य: लोकतंत्र और शासन में युवा
 - ◆ स्वास्थ्य, कल्याण और खेल: युवाओं हेतु एजेंडा
- **सहभागिता:**
 - ◆ इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्किये, रूस, जापान, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे G20 देशों के 17 युवा प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।
 - ◆ कश्मीर विश्वविद्यालय और जम्मू-कश्मीर के आसपास के विद्यालयों के छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- **चर्चा के क्षेत्र:**
 - ◆ इसमें निम्नलिखित चार प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई:
 - जैवविविधता और मानव कल्याण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
 - सुरक्षित भविष्य के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण
 - हरित ऊर्जा- नवाचार और अवसर
 - जल संसाधन- चुनौतियाँ और संभावनाएँ



दृष्टि

The Vision

रैपिड फ़ायर

पारसी लेडी

औपनिवेशिक काल के दौरान पारंपरिक भारतीय कला में क्रांति लाने वाले महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा की एक अधूरी पेंटिंग जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। वर्ष 1906 में अपनी मृत्यु से पहले रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 'पारसी लेडी' नाम की पेंटिंग उनकी आखिरी कृति है। यह पेंटिंग अद्वितीय है क्योंकि यह दादा साहेब फाल्के के साथ रवि वर्मा के जुड़ाव की एक झलक प्रदर्शित करती है, जिन्होंने उस समय उनके लिये काम किया था। रवि वर्मा ने फाल्के को एक बड़ी राशि दी, जिन्होंने बाद में पहली गहन भारतीय फीचर फिल्म, राजा हरिश्चंद्र बनाकर हेतु ख्याति प्राप्त की। किलिमनूर पैलेस ट्रस्ट पेंटिंग का मालिक है एवं उसने रवि वर्मा की 175वीं जयंती के अवसर पर एक अन्य पेंटिंग के साथ इसका अनावरण करने का फैसला किया है जिसे अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस पैलेस ने एक कला पुनर्स्थापक एस. माधन की मदद से पेंटिंग को उसके मूल रूप में बहाल किया है, इन्होंने पेंटिंग पर जमा हुई पुरानी वार्निश की परतों तथा गंदगी को हटाने का काम किया। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल, 1848 को हुआ, जो एक भारतीय चित्रकार थे, जिन्हें हिंदू देवी-देवताओं के पश्चिमी, शास्त्रीय प्रतिनिधित्व हेतु जाना जाता था। उन्होंने शाही चित्रकार रामास्वामी नायडू से जलरंगों का प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं अपने जीवनकाल में लगभग 7,000 चित्र बनाए। वर्मा की लिथोग्राफिक प्रेस की महारत ने उनके काम को दूर-दूर तक विस्तारित करने में मदद की, साथ ही उन्हें वर्ष 1904 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर उनके सम्मान में नामित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच पर प्रथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को हेट स्पीच की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किये बिना अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनश्य को बढ़ावा देना), 153B (आरोप, राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल दावे), 505 (सार्वजनिक अनिष्ट), 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जान-बूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) सहित विशिष्ट दंड प्रावधानों के तहत हेट स्पीच के अपराधियों की पहचान करने एवं कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने अक्टूबर 2022 में इसी तरह का एक आदेश पारित किया था। हालाँकि यह तर्क दिया गया था कि हेट स्पीच से निपटने की आड़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला नहीं घोंटा जाना चाहिये और न्यायालय का मानना है संविधान भारत को एक

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखता है जिसमें व्यक्ति की गरिमा एवं एकता तथा देश की अखंडता भी सुनिश्चित होनी चाहिये।

वाटर फिक्स्चर के लिये स्टार रेटिंग सिस्टम

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) तथा अमृत 2.0 के मिशन निदेशक ने प्लंबेक्स इंडिया 2023 में घोषणा की कि भारत सरकार जल दक्षता को बढ़ावा देने के लिये वाटर फिक्स्चर एक स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया में है। बिजली के उपकरणों की तरह, भारत टैप की छत्रछाया में इन वाटर फिक्स्चर को उनकी दक्षता के आधार पर 3, 4 या 5 स्टार की रेटिंग दी जाएगी।

इन मानकों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिये इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन (IPA) और निर्माताओं को शामिल किया गया है। पहल में पहले ही देखा गया है कि औसतन 30% से अधिक जल बचाया जा सकता है। IPA ने इस वर्ष अकेले 10,000 करोड़ लीटर जल बचाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है, सरकार से भविष्य में निविदाएँ देते समय कम प्रवाह वाले फिक्स्चर को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है।


भारत के मुख्य क्षेत्र का धीमा विकास

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में मार्च 2023 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो पाँच महीनों में सबसे कम है। उच्च मुद्रास्फीति, उधार प्रभाव, बढ़ती ब्याज और बढ़ी हुई आर्थिक अनिश्चितता के साथ-साथ मांग में कमी जैसे कारकों ने घरेलू मांग को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप विकास दर धीमी हुई है। भारत में मुख्य क्षेत्रों में आठ उद्योग शामिल हैं जिनका समग्र आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव है। इसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट एवं बिजली शामिल हैं। इन उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में संयुक्त भार 40.27 प्रतिशत है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है। मुख्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था के पूंजी आधार और बुनियादी ढाँचे का प्रतिनिधित्व करता है। इन उद्योगों का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फ्लैश फ्लड

मानवीय मामलों के समन्वय के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- UN-OCHA) और केन्या रेड क्रॉस जैसे संगठनों की रिपोर्ट केन्या, तंजानिया एवं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड के गंभीर मामलों को दर्शाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देश शामिल हैं। यहाँ ऐसे समय में

बाढ़ आई है जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश डायरिया, हैजा और खसरा सहित जलवायु संबंधी बीमारियों के प्रकोप से प्रभावित हैं।



तीव्र तथा भारी वर्षा जब मृदा और जल निकासी प्रणालियों की जल अवशोषित करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो पलैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न होती है। पलैश फ्लड बुनियादी ढाँचे, फसलों, पशुधन तथा मानव जीवन को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुँचा सकती है। इन घटनाओं की एक चरम सीमा होती है जो सामान्यतः वर्षण के छह घंटे के भीतर होती है। वर्षा की तीव्रता एवं वितरण, भूमि उपयोग, स्थलाकृति, वनस्पति, मृदा के प्रकार तथा जल की मात्रा आदि सभी पलैश फ्लड की गति व स्थान को प्रभावित करते हैं। पलैश फ्लड के प्रभाव को कम करने हेतु घाटियों में रहने के बजाय मजबूत धरातल वाले ढलान के क्षेत्रों में रहना आवश्यक है।

भूमिगत आयुध भंडार ढाँचा

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (Centre of Fire, Explosive and Environment Safety) ने एक भूमिगत आयुध भंडारण ढाँचे का डिजाइन विकसित किया है। यह विस्फोट के उपरी प्रभाव का लोप करने की क्षमता रखता है जिसके परिणामस्वरूप आस-पास के ढाँचे पर विस्फोट का प्रभाव कम पड़ता है। इस भूमिगत आयुध भंडारण ढाँचे के डिजाइन के वैधीकरण के लिये 30 अप्रैल, 2023 को सफल परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण सशस्त्र सेनाओं की उपस्थिति में भूमिगत भंडारण ढाँचे के एक चैंबर में 5,000 किलोग्राम TNT का विस्फोट कर किया गया। जब आयुध भंडारण भूमिगत होता है तो सुरक्षा के लिहाज से जो दूरी रखनी होती है वह काफी कम हो जाती है। यांत्रिक परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर सुरक्षा दूरी को 120 मीट्रिक टन (40 मीट्रिक टन शुद्ध विस्फोटक पदार्थ) प्रति चैंबर आयुध भंडारण सुनिश्चित किया गया है। आयुध भंडारण के इस विशिष्ट डिजाइन की एक खूबी यह भी है कि इसमें सुरक्षा के लिहाज से दूरी कम होने के

साथ ही लागत भी मौजूदा डिजाइनों के मुकाबले 50 प्रतिशत कम आती है। इस डिजाइन से भंडार में रखे गोला-बारूद को किसी भी तरह के हवाई हमले अथवा क्षति पहुँचाने जैसी गतिविधियों से उच्च सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। नई भंडारण सुविधा का सशस्त्र सेनाएँ सभी तरह के आयुध भंडारण के लिये व्यापक तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं।

एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण

भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 150 किलोग्राम की पेलोड क्षमता वाले एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया है, कंटेनर को IL 38SD विमान से गिराया गया था। परीक्षण का उद्देश्य तट से 2,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तैनात जहाजों के लिये महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग स्टोर की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करके नौसैनिक परिचालन रसद क्षमताओं में सुधार करना था। इसका उद्देश्य पुर्जों को इकट्ठा और स्टोर करने के लिये जहाजों के लिये तट के करीब आने की आवश्यकता को कम करना भी है।

कंटेनर का विकास विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (NSTL), आगरा में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ADRDE) तथा बंगलूरु में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) सहित तीन DRDO प्रयोगशालाओं का एक सहयोगी प्रयास था। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे तट से दूर तैनात जहाजों को महत्वपूर्ण आपूर्ति तेजी से प्रदान करना आसान हो जाएगा।

भारत की पहली अंतःसमुद्रीय सुरंग

बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा मुंबई तटीय सड़क परियोजना पर दो वर्ष से अधिक के कार्य के पश्चात भारत की पहली अंतःसमुद्रीय जुड़वां सुरंगें मुंबई में खुलने वाली हैं। ये सुरंगें 10.58 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा हैं जो मरीन ड्राइव को बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जोड़ती हैं। 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंगें समुद्र तल से 17-20 मीटर नीचे स्थित हैं, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे है। परियोजना का लक्ष्य पीक आवर्स के दौरान यात्रा के समय को 45 मिनट से घटाकर सिर्फ 10 मिनट करना है। सुरंगों में छह क्रॉस मार्ग प्रदान किए जाएंगे, जिसमें चार पैदल चलने वालों के लिये और दो मोटर चालकों के लिये, प्रत्येक सुरंग में तीन लेन होंगे। सुरंगों को सबसे बड़ी टनल-बोरिंग मशीन (TBM) की मदद से बनाया गया था।

स्टारबेरी-सेंस का सफल परीक्षण लॉन्च

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO/इसरो) ने हाल ही में PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (POEM) पर लगे स्टारबेरी-सेंस (StarBerrySense) नामक कम लागत वाले स्टार सेंसर को लॉन्च किया, जिसने अपने पहले अंतरिक्ष परीक्षण के दौरान

अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टारबेरी-सेंस एक कम लागत वाला सेंसर है जिसे किसी अंतरिक्षयान के दृश्य क्षेत्र में तारों की पहचान करके उसके उन्मुखीकरण की त्वरित गणना करने हेतु डिजाइन किया गया है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics- IIA) में स्पेस पेलोड्स ग्रुप द्वारा विकसित StarBerrySense रास्पबेरी पाई मिनीकंप्यूटर के तहत बनाया गया है, जो लागत प्रभावी एवं निर्माण में सरल है। POEM इसरो की एक अद्वितीय पहल है जो वैज्ञानिक प्रयोगों हेतु PSLV के चौथे चरण का उपयोग कक्षीय मंच के रूप में करता है। स्टारबेरी-सेंस परीक्षण के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि यह अंतरिक्ष में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपेक्षित रूप से कार्य कर रहा है, जो निर्दिष्ट दिशा का सटीक आकलन करने में सक्षम इमेजिंग उपकरण तथा ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा है।

युगांडा ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया

युगांडा की संसद ने विश्व के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी विधेयकों में से एक पारित कर दिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद सबसे कठोर उपायों को बरकरार रखा गया है। इस कानून में तथाकथित "गंभीर समलैंगिकता" के लिये मौत की सजा और समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिये 20 वर्षों की सजा के प्रावधान शामिल हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कानून के अनुसार LGBTQ नागरिक समुदायों की वकालत करना भी अपराध माना जा सकता है। विधेयक में समलैंगिक लोगों के "पुनर्वास" के उपाय भी शामिल हैं। इस कानून में संशोधन किया गया ताकि लोगों को समलैंगिक गतिविधि के विषय में तभी सूचित करने की आवश्यकता है जब इसमें कोई अल्पव्यस्क शामिल हो, केवल LGBTQ समुदाय के सदस्य के रूप में पहचान किया जाना अवैध नहीं है। हालाँकि कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन को "बेकार" कहकर खारिज कर दिया है। इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना शेष है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) वर्ष 2021-22 के अनुसार, कर्नाटक भारत में सबसे नवीन राज्य के रूप में उभरा है। सर्वेक्षण में पाया गया कि तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में नवोन्मेषी व्यवसायों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी,

जबकि ओडिशा, बिहार और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे कम थी। सर्वेक्षण ने विनिर्माण व्यवसायों में नवाचार प्रक्रियाओं, परिणामों एवं बाधाओं की जाँच की तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का भी अध्ययन किया जो इन व्यवसायों में नवाचार परिणामों को प्रभावित करता है। अध्ययन से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग तीन-चौथाई व्यवसायों ने वित्तीय वर्ष 2017-2020 की सर्वेक्षण अवधि के दौरान कोई नवीन उत्पाद या व्यवसाय प्रक्रिया हेतु नवाचार नहीं किया। नवाचार के लिये सबसे बड़ी बाधाएँ आंतरिक धन की कमी, उच्च नवाचार लागत और बाहरी स्रोतों से वित्तपोषण की कमी थी।

बिहान मेला

बिहान मेला ओडिशा में कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बीज उत्सव है। किसानों द्वारा खरीफ फसलों, जिसमें धान, बाजरा, मक्का और ज्वार की संकर तथा देशी किस्में शामिल हैं, की कटाई के साथ ही इस उत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। महिलाएँ इस त्योहार का संचालन करती हैं एवं सावधानी पूर्वक स्वदेशी किस्मों के बीजों को इकट्ठा कर उन्हें मिट्टी के बर्तनों में जमा करती हैं। इसके बाद दिसंबर में एक निर्दिष्ट दिन वे इन बर्तनों को लाल और सफेद रूपांकनों से सजाकर एक बाँस की टोकरी में रखती हैं तथा इसे सिर पर रखकर उस गाँव में ले जाती हैं जहाँ मेले का आयोजन किया जाना है। इस दौरान ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए पुरुष भी शामिल होते हैं।

हरित क्रांति के बाद क्षेत्र के किसानों ने देशी फसलों और किस्मों को उगाना छोड़ दिया है जो स्वाभाविक रूप से कीटों के लिये प्रतिरोधी हैं तथा क्षेत्र की जलवायु के लिये अनुकूल हैं, इस प्रकार किसानों को मिश्रित फसल जैसी खेती के अपने पारंपरिक तरीकों पर लौटने में मदद करने हेतु बीज उत्सव की शुरुआत की गई थी। स्वदेशी बीजों तक पहुँच को आसान बनाने के लिये एक बीज बैंक की भी स्थापना की गई है जो एक साधारण सिद्धांत पर काम करता है: कोंध जनजातीय गाँवों से स्वदेशी बीजों को इकट्ठा और संरक्षित करना तथा उन्हें किसानों को उधार स्वरूप उपलब्ध कराना। यह बैंक सभी कोंध किसानों को सेवा प्रदान करता है। कोंध (अनुसूचित जनजाति) ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यह समूह प्रकृति के साथ सद्भाव पर केंद्रित अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहसी मार्शल परंपराओं और स्वदेशी मूल्यों के लिये जाना जाता है। कोंध लोग कुई भाषा (Kui Language) बोलते हैं, यह उड़िया लिपि में लिखी जाती है।



समलैंगिक जोड़ों के जीवन को आसान बनाएगी सरकार

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह बैंकिंग, बीमा आदि जैसे क्षेत्रों में अपने दैनिक जीवन में समलैंगिक जोड़ों द्वारा सामना की जाने वाली "वास्तविक, मानवीय चिंताओं" का निदान करने हेतु प्रशासनिक उपायों पर विचार करने के लिये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने को तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि समलैंगिक जोड़े इसे ऑल-ऑर-नॉन दृष्टिकोण के बजाय भविष्य में सुधार की नींव के रूप में देखें। हालाँकि याचिकाकर्ता कानूनी रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने हेतु न्यायालय से न्यायिक घोषणा की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि विवाह एक रिश्ते को अर्थ, उद्देश्य और पहचान देता है। न्यायालय ने कहा कि भले ही यह समलैंगिक विवाह को मान्यता दे, इन संबंधों से उत्पन्न होने वाली मानवीय चिंताओं को दूर करने हेतु प्रशासनिक एवं विधायी परिवर्तनों की अभी भी आवश्यकता होगी। सरकार इन मानवीय चिंताओं को दूर करने हेतु तैयार है लेकिन समलैंगिक संबंधों को विवाह का दर्जा देने के लिये अनिच्छुक है।

अंग दान और प्रत्यारोपण निर्देश पुस्तिका

भारत में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organisation-NOTTO) अस्पतालों में अंग दान और प्रत्यारोपण कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिये प्रत्यारोपण समन्वयकों के प्रशिक्षण के लिये एक प्रत्यारोपण मैनुअल/निर्देश पुस्तिका तथा मानक प्रक्रिया

विकसित कर रहा है। NOTTO ने समन्वय, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन/लेखा के लिये वर्टिकल भी बनाए हैं। भारत सरकार ने अंगदान करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कल्याणकारी उपाय के रूप में 42 दिनों तक का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या वर्ष 2013 में 5,000 से बढ़कर वर्ष 2022 में 15,000 से अधिक हो गई है, इसका प्रमुख कारण राष्ट्रीय, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से बेहतर समन्वय है। वर्ष 2016 में 930 मृतक दाताओं से प्राप्त 2,265 अंगों का प्रत्यारोपण हेतु उपयोग किया गया था, जबकि वर्ष 2022 में 904 मृत दाताओं से प्राप्त 2,765 अंगों का उपयोग किया गया।

RVNL को नवरत्न का दर्जा

RVNL को नवरत्न का दर्जा प्रदान कर इसे अधिक परिचालन स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान किया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इस कंपनी को वर्ष 2003 में नवरत्न की सूची में शामिल किया गया था, जिसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने और विशेष प्रयोजन वाहनों (SPV) के लिये अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिये स्थापित किया गया था। RVNL ने 2005 में परिचालन शुरू किया और वर्ष 2013 में इसे मिनी-रत्न का दर्जा दिया गया। RVNL रेल परियोजना के

विकास एवं कार्यों के निष्पादन, परियोजना विशिष्ट SPV बनाने तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को पूरी की गई रेलवे परियोजनाओं को सौंपने के लिये जिम्मेदार है। RVNL को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने से इसे अधिक परिचालन स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान किया गया है। नवरत्न का दर्जा भारत सरकार द्वारा चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) को दी गई एक मान्यता है, जिनके पास वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता है। यह स्थिति PSEs को केंद्र सरकार से बिना किसी अनुमोदन के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे निर्णय लेने, कार्मिक प्रबंधन और संयुक्त उपक्रमों में अधिक लचीलापन ला सकें।


मेटावैलेंट बॉन्डिंग

जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलूरु के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ठोस पदार्थों में एक नए प्रकार के रासायनिक बंधन की खोज की है जिसे मेटावैलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। इसमें धातुओं में मौजूद बॉन्डिंग और ग्लास में पाए जाने वाले बॉन्डिंग दोनों के गुण होते हैं, जो रसायन विज्ञान में शास्त्रीय ऑक्टेड नियम की अवहेलना करता है। मेटावैलेंट बॉन्डिंग का उपयोग क्वांटम सामग्री में थर्मोइलेक्ट्रिक प्रदर्शन को अनुकूलित करने और अपशिष्ट गर्मी को कुशलता से बिजली में बदलने के लिये किया जा सकता है। उन्होंने जाँच के लिये एक प्रसिद्ध टोपोलॉजिकल इंसुलेटर $TiBiSe_2$ को चुना तथा उत्कृष्ट विद्युत गुणों वाली सामग्रियों की खोज ने उन्हें क्वांटम सामग्रियों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि $TiBiSe_2$ मेटावैलेंट बॉन्डिंग को प्रदर्शित करता है, जो जालीय कतरनी (lattice shearing) के माध्यम से

आंतरिक रूप से बिखरने वाले फोनॉस के एक नए तरीके की सुविधा प्रदान करता है। तर्कसंगत रासायनिक डिजाइनिंग द्वारा उन्होंने क्वांटम सामग्री में दिलचस्प उभरते गुणों को महसूस किया है, जो हरित ऊर्जा उत्पादन के लिये उत्कृष्ट संभावनाएँ दर्शाता है और भारत के नए लॉन्च किये गए क्वांटम मिशन को एक नई दिशा प्रशस्त कर सकता है।

3D प्रिंटिंग का उपयोग

तीन-आयामी (3D) प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग द्वारा सर्जरी के दौरान तंत्रिका नली बनाने हेतु स्मार्ट जेल शीट ट्यूब में स्वतः रोल हो सकती है, जिससे सर्जरी की जटिलता कम हो जाती है एवं शीघ्र तंत्रिका रिकवरी सुनिश्चित होती है। 3D प्रिंटिंग में आभासी मॉडल खंड को डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निर्मित किया जाता है और खंड को सामग्री के परत-दर-परत निक्षेपण द्वारा 3D प्रिंटर का उपयोग करके बनाया जाता है। निर्माण के बाद सक्रियण आधारित मांग पर 3D मुद्रित भागों को आकार परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है। ऐसी प्रौद्योगिकियों को अब व्यापक रूप से चार विमीय (4D) प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है, जहाँ समय (Time) अतिरिक्त आयाम है। इस तरह के 4D-प्रिंटिंग भागों का उपयोग अभी तक चिकित्सा में नहीं किया गया है। इस तरह की उभरती प्रौद्योगिकियाँ चिकित्सा उपकरणों की एक नई पीढ़ी हेतु मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, इनका उपयोग सर्जन आने वाले वर्षों में नसों और कई अन्य ऊतकों को ठीक करने के लिये सर्जरी के दौरान कर सकते हैं। वे सर्जरी की कम जटिलता, न्यूनतम-इनवेसिव प्रक्रियाओं और त्वरित उपचार जैसे लाभ प्रदान कर सकते हैं।



एकथा हार्बर

हाल ही में भारत और मालदीव ने उथुरु थिला फाल्हु (UTF) एटोल (माले से कुछ मील दूर उत्तर-पश्चिम में) के सिफवारु में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के तटरक्षक बल के लिये एक बंदरगाह- 'एकथा हार्बर' का निर्माण शुरू कर अपने बढ़ते रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम उठाया है। तटरक्षक बल का विकास भारत की सबसे बड़ी अनुदान

सहायता परियोजनाओं में से एक है। UTF हार्बर प्रोजेक्ट की घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और नई दिल्ली IOR में अपने प्रभाव का विस्तार करने के चीन के प्रयासों के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित माले के साथ संबंधों का विस्तार करने की मांग कर रहा है।



आसियान-भारत समुद्री अभ्यास 2023

भारत-आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) सैन्य सहयोग का विस्तार करने के लिये पहला आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023) आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का बंदरगाह चरण 02 से 04 मई, 2023 तक सिंगापुर में हुआ और दक्षिण चीन सागर में समुद्री चरण 07 से 08 मई, 2023 तक आयोजित किया जाएगा। AIME 2023 भारतीय नौसेना एवं आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने तथा समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करेगा। INS दिल्ली, भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और INS सतपुड़ा, एक स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं। दोनों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (IMDEX-23) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन (IMSC) में भी भाग लेंगे जो सिंगापुर द्वारा होस्ट किया जाएगा।



वाशिंगटन घोषणा

दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। ह्वासोंग-8 टोस-ईधन अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) के उत्तर कोरिया के सफल प्रक्षेपण को देखते हुए इस समझौते में कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने, एक परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण करने और दक्षिण कोरिया के परमाणु क्षेत्र में हो रही प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करने की रूपरेखा दी गई है। हालाँकि दक्षिण कोरिया ने अप्रसार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है कि वह अपनी परमाणु क्षमताओं को विस्तारित करने का उपक्रम नहीं करेगा। वैश्विक परमाणु हथियारों के उत्पादन को सीमित करने की चिंता को लेकर अमेरिका दक्षिण कोरिया को अपना परमाणु शस्त्रागार बनाने की अनुमति देने में अनिच्छुक रहा है। हालाँकि यह वादा

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़

जेल में बंद तीन महिला पत्रकारों- ईरान की निलोफर हमीदी, इलाहेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को सच्चाई एवं जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिये यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्व भर के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का जनादेश है। विश्व स्तर पर महिला पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को बढ़ते हमलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वास्तविक जीवन में हो या ऑनलाइन, जिसमें पत्रकारों को कर्लकित करना, अभद्र भाषा, ट्रोलिंग, शारीरिक हमला, बलात्कार तथा यहाँ तक कि हत्या भी शामिल है। एजेंसी उनकी सुरक्षा की हिमायती है और उनके द्वारा किये गए अच्छे प्रयासों की पहचान करने एवं इन हमलों का सामना करने के उद्देश्य से सिफारिशों को साझा करने के लिये भागीदारों के साथ सहयोग करती है। यूनेस्को/गिलमों कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। यह प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।



कि अमेरिका और उसके परमाणु हथियार अपने साथी देशों की रक्षा करेंगे, अप्रसार के बड़े उद्देश्य के अनुरूप है। चीन और उत्तर कोरिया ने समझौते की आलोचना की है, अधिकांश दक्षिण कोरियाई अपने स्वयं के परमाणु शस्त्रागार को एक निवारक के रूप में विकसित करना चाहते हैं। दक्षिण कोरियाई जनता को अमेरिकी सहायता पर संदेह है।

विश्व फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप दिवस

विश्व फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप दिवस (World Pulmonary Hypertension Day) 5 मई को मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन (PH) के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने और इस स्थिति से पीड़ित लोगों को सहयोग करने हेतु मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2012 में मैड्रिड, स्पेन में हुई थी, जहाँ रोगी संघों, रोग संगठनों एवं वैज्ञानिक समुदायों को एक साथ लाने हेतु एक कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। 5 मई को इसलिये चुना गया क्योंकि यह जहरीले रेपसीड तेल के कारण होने वाले फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप से स्पेन में मरने वाले पहले बच्चे की याद दिलाता है। इस वर्ष विश्व फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप दिवस 2023 की थीम "दुगुदर वी आर स्ट्रॉंगर" है, जो जागरूकता बढ़ाने, रोगियों एवं उनके परिवारों का सहयोग करने तथा देखभाल और उपचार तक पहुँच बढ़ाने का समर्थन करने हेतु एक-साथ आने के महत्त्व पर जोर देती है। PH एक प्रकार का उच्च रक्तचाप है जो फेफड़ों तथा हृदय के दाहिने हिस्से की धमनियों को प्रभावित करता है। PH विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें आनुवंशिकी, कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना शामिल है। PH के लक्षणों में साँस की तकलीफ, थकान, सीने में दर्द एवं बेहोशी शामिल हो सकते हैं।

मोचा चक्रवात

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक चेतावनी जारी की है कि 6 मई, 2023 के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की संभावना है। मौसम के प्रारूप के आधार पर IMD के प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार, चक्रवात संभावित रूप से 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल सकता है। यह इस वर्ष बनने वाला पहला चक्रवात होगा और लाल सागर तट पर स्थित येमिनी शहर मोचा (मोखा) के आधार पर यमन द्वारा प्रस्तावित चक्रवात को मोचा नाम दिया जाएगा। इस चक्रवात का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार किया गया था, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक चक्रवात का नाम ऐसे उदाहरणों में भ्रम से बचने के लिये रखा जाना चाहिये जहाँ एक स्थान पर कई प्रणालियाँ संचालित होती हैं। चक्रवात एक मौसमी परिघटना है जो निम्न दाब केंद्र और इसके चारों ओर परिसंचरण वाली तेज पवनों की विशेषता है। यह बाढ़, तूफान और भूस्खलन का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है। स्थान और मौसम की

स्थिति के आधार पर चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अत्यधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ध्रुवीय निम्नदाब पेटियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।



विश्व बैंक का नया अध्यक्ष

विश्व बैंक ने घोषणा की है कि 2 जून, 2023 से शुरू होने वाले पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये अजय बंगा को संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के लिये चयन प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता आधारित है, जिससे किसी को भी पद के लिये प्रस्तावित की जाने वाली बैंक की राष्ट्रीय सदस्यता की अनुमति मिलती है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त बंगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) के कार्यकारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) एवं निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की प्रशासनिक परिषद (ICSID) के निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे।

उन्नत हल्का हेलीकाप्टर ध्रुव

8 मार्च, 2023 को नौसेना के ALH-MkIII के समुद्र में खो जाने के बाद एक तटरक्षक ALH के साथ घटना के बाद तीनों रक्षा सेवाओं एवं तटरक्षक बल ने अपने ALH बेड़े को रोक दिया। उन्नत हल्का हेलीकाप्टर (Advanced Light Helicopter-ALH) ध्रुव एक मल्टी-रोल, ट्विन-इंजन, यूटिलिटी और उन्नत हल्का हेलीकाप्टर है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। ALH ध्रुव के प्रमुख संस्करण हैं:

- Mk-I
- MK-II & Mk-III
- MK-III समुद्री भूमिका (नौसेना/तट रक्षक)
- MK-IV सशस्त्र संस्करण

ध्रुव MkIII आधुनिक निगरानी रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल उपकरणों से युक्त है, जो उन्हें दिन एवं रात दोनों समय में लंबी दूरी की खोज तथा बचाव करने के अलावा समुद्री टोही की भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। विशेष अभियान क्षमताओं के अलावा ALH MK

III में कांस्टेबुलरी मिशनों को पूरा करने हेतु भारी मशीन गन भी लगाया गया है।

परमाणु ऊर्जा में विदेशी निवेश

नीति आयोग द्वारा स्थापित एक सरकारी पैनल ने सिफारिश की है कि भारत को परमाणु ऊर्जा उद्योग में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटा देना चाहिये और घरेलू निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ानी चाहिये। भारत के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत सरकार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को विकसित करने और चलाने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। घरेलू निजी कंपनियों को घटकों की आपूर्ति करके और उन्हें बनाने में मदद करके "जूनियर इक्विटी पार्टनर्स" के रूप में भाग लेने की अनुमति है। वर्तमान में भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देता है और राज्य द्वारा संचालित न्यूक्लियर पावर कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) तथा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम भारत में केवल दो परमाणु ऊर्जा जनरेटर हैं। पैनल ने अधिनियम और भारत की विदेशी निवेश नीतियों में बदलाव की सिफारिश की है ताकि घरेलू तथा विदेशी दोनों निजी कंपनियाँ सार्वजनिक कंपनियों द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का पूरक बन सकें। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है एवं परमाणु ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना है क्योंकि यह सौर ऊर्जा के विपरीत 24/7 ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत है, जबकि कोयले का हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत है। भारत परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि निजी कंपनियाँ मानकों का पालन करें।

मालचा महल

दिल्ली पर्यटन विभाग ने अपनी बहुप्रतीक्षित 'हॉन्टेड वॉक' शुरू किया है, जिसके लिये यात्रा हेतु पहले गंतव्य के रूप में मालचा महल को चुना गया। मालचा महल या विलाहट महल तुगलक युग का एक शिकार लॉज है, जिसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक जंगल के अंदर, मुख्य सड़क से 1.5 किमी. दूर स्थित है। इसका नाम मालचा मार्ग के नाम पर रखा गया है, जिसमें राजनयिकों, व्यापारियों और लेखकों सहित शहर के अभिजात वर्ग रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का दिल्ली का एक सुल्तान था, ने 1351 से 1388 तक शासन किया था। वह वास्तुशिल्प आकार की इमारतों की शुरुआत करने हेतु अधिक प्रसिद्ध है, जिन्हें उसके युग के दौरान अपरंपरागत के रूप में देखा गया था। देश के एक बड़े हिस्से में नहरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के लिये नदियों को चैनलाइज करने हेतु उन्हें अंग्रेजों द्वारा भारत में सिंचाई प्रणाली का जनक भी माना जाता था।

भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र

भारत के रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में देश के पहले भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में 17,000 वर्ग

फुट में फैले इस केंद्र में पाँच पुराने विमान हैं, जिनमें पहला IAF-निर्मित पेटेंट विमान, वायु सेना का 'कानपुर-1 विंटेज प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट' शामिल है। विरासत केंद्र पर्यटकों को कॉकपिट एक्सपोजर एवं फ्लाइट सिमुलेटर का अनुभव भी प्रदान करता है। यह केंद्र ऐतिहासिक महत्त्व के साथ पूरे देश में भारतीय वायुसेना द्वारा किये जा रहे विभिन्न बचाव कार्यों तथा वायु सेना परिवार कल्याण संघ द्वारा वायु योद्धाओं के परिवारों के लाभ हेतु की गई पहलों को भी प्रदर्शित करेगा।

पारलाखेमुंडी रेलवे स्टेशन

इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) ने ओडिशा के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक पारलाखेमुंडी (हेरिटेज स्टेशन) को रेल मंत्रालय द्वारा ध्वस्त कर नए तरीके से निर्माण करने के फैसले का विरोध किया है, इसे वर्ष 1899 में तत्कालीन राजघरानों द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन के पुनर्विकास और नई इमारत के निर्माण से मौजूदा विरासत संरचना के महत्त्व में कमी आ सकती है। INTACH ने पुराने स्टेशन को हेरिटेज टैग देने और इसे यथावत संरक्षित रखने का अनुरोध किया है। INTACH भारत में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। यह संगठन भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने, ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों तथा पुरातात्विक महत्त्व वाले स्थलों की रक्षा एवं संरक्षण तथा पारंपरिक कला रूपों एवं शिल्प का समर्थन करता है।

MoHUA व MoR ने प्रोजेक्ट SMART हेतु JICA के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के सहयोग से 'मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन क्षेत्र विकास' (प्रोजेक्ट-SMART) के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेलवे (HSR) स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना है ताकि यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिये पहुँच तथा सुविधा में सुधार हो सके एवं स्टेशन क्षेत्रों के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। यह परियोजना MAHSR स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों की योजना, विकास और प्रबंधन के लिये राज्य सरकारों, नगर निगमों तथा शहरी विकास प्राधिकरणों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाएगी। समझौता ज्ञापन में चार HSR शामिल हैं: साबरमती, सूरत, विरार व ठाणे ग्रीनफील्ड विकास की श्रेणी में आते हैं, जबकि साबरमती ब्राउनफील्ड विकास की श्रेणी में आता है। MoHUA, गुजरात, महाराष्ट्र और JICA सेमिनार तथा फील्ड विजिट आयोजित कर रहे हैं। इसका लक्ष्य स्टेशन क्षेत्र विकास योजना एवं पारगमन उन्मुख विकास के लिये एक

मॉडल हैंडबुक तैयार करना है। हैंडबुक में जापान, भारत और अन्य देशों में अपनाई गई कार्यप्रणालियाँ शामिल होंगी।

FY23 में भारत के कोयला आयात में 30% की वृद्धि

एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कोयला आयात वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के 124.99 मीट्रिक टन से 30% बढ़कर 162.46 मिलियन टन हो गया है। कोकिंग कोल का आयात, जो इस्पात उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख कच्चा माल है, वित्त वर्ष 2022 में 5.44% बढ़कर 54.46 मीट्रिक टन हो गया, जो कि 51.65 मीट्रिक टन था। मार्च में गैर-कोकिंग कोयले का आयात 13.88 मीट्रिक टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। हालाँकि मार्च 2022 में आयातित 4.76 मीट्रिक टन के मुकाबले कोकिंग कोल का आयात घटकर 3.96 मीट्रिक टन हो गया। यद्यपि भारत विश्व स्तर पर शीर्ष कोयला उत्पादकों में से एक है, देश विशेष रूप से कोकिंग कोल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत में भाप कोयले (Steam Coal) की बढ़ती मांग और समुद्री परिवहन कीमतों में गिरावट के कारण मार्च में आयात में वृद्धि हुई, जो आने वाले महीनों में जारी रहने की संभावना है। कोयले के अलावा एन्थ्रेससाइट, चूर्णित कोयला इंजेक्शन (PCI कोयला), मेट कोक और पेट कोक का आयात वित्त वर्ष 2023 में 24% बढ़कर 249.06 मीट्रिक टन हो गया।

रवींद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले

प्रधानमंत्री ने 9 मई को रवींद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक असाधारण साहित्यकार और बहुज्ञ थे, जिन्हें बंगाली साहित्य एवं संगीत में योगदान के लिये जाना जाता है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार, 'रवींद्रनाथ टैगोर जयंती' बंगाली माह बैशाख के 25वें दिन मनाई जाती है और यह 9 मई, 2023 को मनाई गई। टैगोर द्वारा 2000 से अधिक गीतों की रचना की गई, जिसे "रवींद्र संगीत" कहा जाता है तथा गीतांजलि जैसी उनकी प्रसिद्ध रचनाओं ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। वर्ष 1913 में साहित्य में पहले गैर-यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में वे कलात्मक उत्कृष्टता के प्रतीक बन गए। टैगोर के दर्शन और विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है।

9 मई, 1540 को राजस्थान के कुम्भलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे। उन्हें वर्ष 1576 में मुगल सेना के विरुद्ध लड़े गए हल्दीघाटी के युद्ध में उनकी बहादुरी के लिये जाना जाता है। हालाँकि वह लड़ाई में हार गए थे परंतु उनकी बहादुरी को आज भी याद किया जाता है। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक को युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने के लिये याद किया जाता है। हार के बावजूद महाराणा प्रताप ने बाद में मेवाड़ के कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त किया और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19 जनवरी, 1597 को उनका निधन हो गया, वे अपने पीछे साहस की विरासत छोड़ गए।

प्रमुख समाज सुधारक और शिक्षाविद् गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई, 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। गोखले ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये सामाजिक सशक्तीकरण, शिक्षा और शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी समूह से जुड़े थे तथा उन्होंने वर्ष 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सर्वेक्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, विभिन्न प्रकाशनों पर काम किया और महात्मा गांधी को सलाह दी, जो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।

सित्वे बंदरगाह

हाल ही में भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में सित्वे बंदरगाह का लोकार्पण किया, जो राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। बंदरगाह के आरंभ होने से अधिक कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को बल मिलने की उम्मीद है। परियोजना का उद्देश्य म्यांमार में कलादान नदी के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों के साथ मिज़ोरम के लिये एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग प्रदान करना है। इसमें हल्दिया से सित्वे बंदरगाह तक जहाजरानी, कलादान नदी के माध्यम से सित्वे से पलेटवा तक अंतर्देशीय जल परिवहन, पलेटवा से भारत-म्यांमार सीमा तक सड़क परिवहन और भारत में NH 54 के लिये सड़क परिवहन जैसे खंड शामिल हैं। सित्वे बंदरगाह भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो भारत के पूर्वी तट को जलमार्ग और सड़कों के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



उर्वरक उड़नदस्ते

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers- DoF) ने भ्रष्टाचार से निपटने और भारत में किसानों हेतु गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कई उपायों को लागू किया है। इन पहलों ने देश भर में उर्वरकों के डायवर्जन एवं कालाबाजारी को सफलतापूर्वक रोका है। उर्वरक उड़नदस्ते (Fertilizer Flying Squads- FFS) नामक विशेष टीमों का गठन सख्त निगरानी रखने तथा डायवर्जन, कालाबाजारी, जमाखोरी एवं घटिया उर्वरकों की आपूर्ति जैसी गतिविधियों पर नकेल कसने हेतु किया गया है। साथ ही कड़ी कार्रवाई हेतु राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में औचक निरीक्षण किये गए तथा संदिग्ध यूरिया बैग जब्त किये गए। इसके अतिरिक्त गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये यूरिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु नमूना परीक्षण तेज कर दिया गया है। पिछले एक वर्ष में यूरिया के डायवर्जन एवं कालाबाजारी के मामले में पहली बार 11 लोगों को कालाबाजारी रोकथाम और आपूर्ति रख-रखाव अधिनियम 1980 के तहत जेल भेजा गया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत कई अन्य कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाहियाँ भी की जा चुकी हैं। इन उपायों से न केवल किसानों को लाभ हुआ है बल्कि भारतीय उर्वरकों हेतु देश भर में मांग भी पैदा हुई है। सीमा पार यूरिया की तस्करी रुकने से पड़ोसी देशों ने यूरिया आयात हेतु भारत से संपर्क किया है। उर्वरक गुणवत्ता के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु DoF ने एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (Integrated Fertilizer Management System- IFMS) जैसी नवीन प्रथाओं को भी प्रोत्साहित किया है।

IBM और NASA ने मिलकर बनाया भू-स्थानिक मॉडल

हाल ही में नासा और IBM ने उपग्रह डेटा को बाढ़, आग और अन्य परिदृश्य में होने वाले बदलावों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रों में बदलने के लिये एक नया भू-स्थानिक मॉडल पेश किया है ताकि हमारे ग्रह के इतिहास और भविष्य के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद मिल सके। इस सहयोग का उद्देश्य इस वर्ष की दूसरी छमाही में भू-स्थानिक मंच का पूर्वावलोकन प्रदान करना है, जिसमें संभावित अनुप्रयोगों में जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन करना, कार्बन-ऑफसेट पहल के लिये वनों की निगरानी करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भविष्योन्मुखी जानकारी प्रदान करने वाला मॉडल विकसित करना है। यह इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के आधार मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता को व्यवहार्य बनाने की मापनीयता, सामर्थ्य और दक्षता में वृद्धि करता है। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System- GIS), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System- GPS) और रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण वस्तुओं, घटनाओं और परिघटनाओं (पृथ्वी पर उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अनुक्रमित जियोटैग) के बारे में स्थानिक जानकारी प्रदान करते हैं। किसी स्थान का डेटा स्थिर (Static) या गतिशील (Dynamic) हो सकता है। किसी स्थान के स्थिर डेटा/स्टैटिक लोकेशन डेटा (Static Location Data) में सड़क की स्थिति, भूकंप की घटना या किसी विशेष क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण की स्थिति के बारे में जानकारी शामिल होती है, जबकि

किसी स्थान के गतिशील डेटा /डायनेमिक लोकेशन डेटा (Dynamic Location Data) में संचालित वाहन या पैदल यात्री, संक्रामक बीमारी के प्रसार आदि से संबंधित डेटा शामिल होता है। बड़ी मात्रा में डेटा में स्थानिक प्रतिरूप की पहचान के लिये इंटेलिजेंस मैप्स (Intelligent Maps) निर्मित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी दुर्लभ संसाधनों के महत्व और उनकी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने में मददगार हो सकती है।

शांति निकेतन

शांतिनिकेतन, जिसकी स्थापना देबेंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1863 में की गई थी और बाद में उनके बेटे नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्र नाथ टैगोर द्वारा इसका विस्तार किया गया था, जो कि विश्व-भारती विश्वविद्यालय स्थल भी है, को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई एक फाइल के आधार पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS) द्वारा की गई। ICOMOS एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक निकाय है जिसका मुख्यालय फ्रांस में है, यह वैश्विक वास्तुकला एवं विरासत परिदृश्य के संरक्षण व प्रचार हेतु समर्पित है। यह सिफारिश रवींद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती (9 मई, 2023) के अवसर पर की गई है जो भारत के लिये अत्यधिक गर्व की बात है। नामांकन की औपचारिक घोषणा सितंबर 2023 में रियाद, सऊदी अरब में विश्व विरासत समिति की बैठक में होगी। यदि शांतिनिकेतन का नामांकन स्वीकार कर लिया जाता है तो यह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (1999) और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (1987) के बाद भारत का 41वाँ विश्व धरोहर स्थल एवं बंगाल का तीसरा स्थान बन जाएगा।

अप्रैल 2023: वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म अप्रैल

यूरोपीय संघ के पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) के हालिया विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2023 का अप्रैल महीना विश्व स्तर पर चौथे सबसे गर्म अप्रैल के रूप में चिह्नित किया गया है। वर्ष 1991-2020 के औसत तापमान विचलन की तुलना में इस महीने में 0.32 डिग्री सेल्सियस तापमान विचलन देखा गया, जो यूरोपीय वायु तापमान में एक उल्लेखनीय विपरीतता को प्रदर्शित करता है। showcasing a notable contrast in European air temperatures. C3S ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भूमध्यरेखीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में औसत से अधिक तापमान पाया गया, जो अल नीनो स्थितियों की ओर संभावित बदलाव का संकेत देता है, जो आमतौर पर वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान देता है। हालाँकि वर्ष 2023 का अप्रैल महीना वर्ष 2016 के रिकॉर्ड गर्म अप्रैल की तुलना में थोड़ा ठंडा था, इस वर्ष का अप्रैल 2017 और 2018 के तापमान के समान था। इस विश्लेषण में क्षेत्रीय विविधताओं का भी पता चला, कुछ क्षेत्रों में औसत से अधिक ठंड का अनुभव हुआ, जबकि अन्य को असामान्य सूखा

अथवा भारी बारिश का सामना करना पड़ा। स्पेन और पुर्तगाल में अब तक का उच्चतम तापमान वाला अप्रैल रहा, जबकि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। अधिकांश समुद्री सतह का भी तापमान औसत से अधिक पाया गया, विशेष रूप से वेडेल सागर, उत्तरी प्रशांत और भूमध्यरेखीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में हम्बोल्ट करंट क्षेत्र उल्लेखनीय है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन रणनीतियों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिये C3S का डेटा एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण- II

भारत ने अपने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, यहाँ देश के 50% गाँवों ने मिशन के दूसरे चरण-II में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF प्लस गाँवों ने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करते हुए खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखा है। 2.96 लाख से अधिक गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है, जो वर्ष 2024-25 तक SBM-G चरण II के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ODF प्लस गाँवों के मामले में अग्रणी राज्यों में बड़े राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश एवं छोटे राज्य गोवा और सिक्किम शामिल हैं। SBM-G के तहत अपशिष्ट प्रबंधन को संबोधित करने और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार के लिये विभिन्न पहलों की गई हैं। सड़क निर्माण और ईंधन के उपयोग के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ और अपशिष्ट संग्रह शोध स्थापित किये गए हैं। जैव-गैस/CBG संयंत्र और सामुदायिक कंपोस्ट पिट जैविक अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने और स्वच्छ एवं हरित गाँव का निर्माण करने के लिये स्थापित किये गए हैं। गोबरधन पहल अपशिष्ट को बायोगैस और बायो-स्लरी जैसे संसाधनों में परिवर्तित करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ग्रे जल प्रबंधन को सोक पिट्स और लीच पिट्स के निर्माण के माध्यम से संबोधित किया गया है, जबकि मल कीचड़ प्रबंधन में स्वच्छता प्रणालियों की सफाई एवं उपचार इकाइयों की स्थापना शामिल है। इन व्यापक प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वच्छता में सुधार हुआ है, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आई है और स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ हुआ है।

पर्सोना नॉन ग्राटा

कनाडा और चीन के बीच राजनयिक तनाव बढ़ता जा रहा है, इसके चलते राजनयिकों का निष्कासन किया गया है, कनाडा ने एक चीनी राजनयिक को निष्कासित कर दिया तो चीन ने कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है। पर्सोना नॉन ग्राटा की अवधारणा की जड़ें राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय में पाई जाती हैं, जो वर्ष

1961 में हस्ताक्षरित एक संधि है, यह देशों के बीच राजनयिक संबंधों को नियंत्रित करती है। संधि के अनुच्छेद 9 के अनुसार, किसी देश को "किसी भी समय और अपने निर्णय की व्याख्या किये बिना" राजनयिक स्टाफ के किसी भी सदस्य को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने का अधिकार है। यह पदनाम राजनयिक महत्त्व रखता है और यह दर्शाता है कि वह अवांछित व्यक्ति है जिसकी देश में उपस्थिति प्रतिबंधित है। पर्सोना नॉन ग्राटा का उपयोग केवल राजनयिकों तक ही सीमित नहीं है। यह उन विदेशी व्यक्तियों पर भी लागू किया जा सकता है जो राजनयिक मिशनों का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जिनका देश में प्रवेश या उपस्थिति अवांछनीय मानी जाती है। वियना अभिसमय किसी देश को अन्य देशों के कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त करने के साधन के रूप में इस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। जबकि अभिसमय किसी व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने के लिये विशिष्ट मानदंड स्थापित नहीं करता है, ऐतिहासिक तौर पर इसका उपयोग राजनयिक स्वीकृति या प्रतिशोध के रूप में किया जाता है। शीत युद्ध के दौरान इसे अकसर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच "जैसे को तैसा" उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, दोनों पक्षों ने कथित उकसावे की घटना के जवाब में एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। कूटनीति के दायरे से बाहर भी मनोरंजन उद्योग के व्यक्तियों, जैसे कि हॉलीवुड अभिनेता ब्रैंड पिट को राजनीतिक रूप से संवेदनशील समझी जाने वाली परियोजनाओं में उनकी भागीदारी के कारण कुछ देशों में इस पदनाम का सामना करना पड़ा है।

शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023

हाल ही में भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization- SCO) स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया। इस आयोजन ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तीसरे संस्करण को चिह्नित किया जिसका उद्देश्य SCO सदस्य राज्यों के बीच स्टार्टअप इंटरैक्शन का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार उत्पन्न करना एवं युवा प्रतिभाओं को अभिनव समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। यह आयोजन सहयोग तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने, सामान्य मंच बनाने व SCO देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित था। 'स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव की भूमिका' पर कार्यशाला का उद्देश्य इन देशों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। SCO वर्ष 2001 में स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य यूरेशियन क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। SCO में नौ सदस्य देश हैं तथा इसे नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। इसकी आधिकारिक भाषाएँ रूसी एवं चीनी हैं। SCO की उत्पत्ति वर्ष 1996 में कजाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के साथ गठित शंघाई फाइव में देखी जा सकती है। वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के शामिल

होने के बाद यह SCO के रूप में स्थापित हुआ। भारत तथा पाकिस्तान वर्ष 2017 में शामिल हुए, इसके अलावा ईरान वर्ष 2023 में स्थायी सदस्य बनने हेतु तैयार है।

एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु आयुष मंत्रालय और ICMR के बीच सहयोग

आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने भारत में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं। यह सहयोग आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हुए साक्ष्य सृजन हेतु प्रभावी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये स्वास्थ्य देखभाल में राष्ट्रीय महत्त्व के चिह्नित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समझौता ज्ञापन आयुष शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान क्षमता को भी सुदृढ़ बनाएगा। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण सरकार की प्राथमिकता है तथा इसे सहयोग को दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के संयुक्त सह-वित्तपोषण के साथ सभी एम्स में समेकित स्वास्थ्य हेतु आयुष- ICMR उन्नत अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त वे सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर कार्य करने की संभावना तलाशेंगे, राष्ट्रीय गंभीर रोगों को दूर करने के लिये पहल करेंगे, राष्ट्रीय महत्त्व के चिह्नित क्षेत्रों/रोग स्थितियों पर संयुक्त रूप से उच्च गुणवत्तापूर्ण नैदानिक परीक्षण का संचालन करने की संभावनाओं की खोज करेंगे। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की है जो सहयोग हेतु आगे की संभावनाओं की खोज तथा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने के लिये संयुक्त पर्यवेक्षण की अनुमति देगा।

गंगा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य भारत की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक, 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे (NH-334) को तय समय से एक वर्ष पूर्व दिसंबर 2024 तक पूर्ण करना है। इसे शीघ्र समाप्त करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनवरी, 2025 में प्रयागराज में होने वाले अगले महाकुंभ मेले से पूर्व यह एक्सप्रेसवे जनता के लिये खुल जाए। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे, भारत में एक महत्त्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण अडानी एंटरप्राइजेज और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के रूप में किया जा रहा है। चार खंडों में विभाजित यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होते हुए मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। जिस पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। समय से पूर्व परियोजना को पूर्ण करने के लिये विकासकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और परिवहन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

पुरुषों की विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप

भारत के प्रधानमंत्री ने ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप में दीपक भोरिया, हुसामुद्दीन और निशांत देव को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये बधाई दी है। इन खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तीन पदक सुनिश्चित करके इतिहास रच दिया है। दीपक भोरिया (51 किग्रा.) ने रजत, हुसामुद्दीन (57 किग्रा.) और निशांत देव (71 किग्रा.) ने सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीते। पुरुषों की विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप, उज़्बेकिस्तान में (30 अप्रैल से 14 मई, 2023 तक) आयोजित की जा रही है। यह एक प्रमुख आयोजन है जिसमें जीत और सम्मान का दावा करने के लिये विश्व भर के 400 से अधिक मुक्केबाज़ 13 भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (IBA) और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान द्वारा उज़्बेकिस्तान सरकार के सहयोग से आयोजित यह टूर्नामेंट न केवल शीर्ष-स्तरीय मुक्केबाज़ी कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि जीवंत संस्कृति और आतिथ्य का उत्सव मनाने के लिये एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के साथ ही 11 से 14 मई, 2023 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह भी प्रारंभ हुए। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश में 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें लेज़र इंटरफेरोमीटर प्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी- इंडिया (लिगो-

इंडिया), हिंगोली; होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, जटनी, ओडिशा; टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 11 मई भारत के इतिहास के सर्वाधिक प्रतिष्ठित दिनों में से एक है क्योंकि यह वह दिन है जब भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण के रूप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्कृष्टता के लिये iDEX का उल्लेख किया। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में नए सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत एक वैश्विक गेम चेंजर के रूप में उभर रहा है। उन्होंने SSLV तथा PSLV कक्षीय प्लेटफॉर्मों जैसी प्रौद्योगिकियों और युवाओं एवं नए स्टार्टअप्स के लिये संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2023 अभियान

हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन (NWM), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR), जल शक्ति मंत्रालय ने जनपथ, नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कार्यशाला-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह उन केंद्रीय नोडल अधिकारियों (CNO) और तकनीकी अधिकारियों (TO) के लिये था, जो 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन- 2023 (JSA: CTR) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये जल की कमी से जूझ रहे 150 जिलों का दौरा करेंगे। JSA: CTR - 2023 वर्ष 2019 से शुरू किये गए जल शक्ति अभियान शृंखला की चौथी कड़ी है और इसका उद्देश्य पूरे भारत के 150 जिलों में जल तनाव या 'वाटर स्ट्रेस' (Water Stress) को दूर करना है तथा जल संरक्षण, जल निकायों के नवीनीकरण, बोर वेल रिचार्ज, वाटरशेड विकास और वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। वर्ष 2023 का यह अभियान 4 मार्च, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में चलाया जा रहा है। इसका विषय 'पेयजल के लिये स्थिर स्रोत' है। कार्यशाला का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये GIS प्रौद्योगिकी, डेटा अपलोडिंग और अन्य उपायों के उपयोग पर भी चर्चा की गई।

ISSF विश्व कप, बाकू

सरबजोत सिंह और टीएस दिव्या ने अज़रबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने सर्बिया के दामिर माइकेक और जोराना अरुणोविक को हराकर यह पदक प्राप्त किया। ISSF विश्व कप, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज़ी खेल महासंघ (ISSF) द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज़ी खेल प्रतियोगिता है। ISSF, ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स द्वारा शासित निकाय है, जो वैश्विक स्तर पर निशानेबाज़ी खेल की देख-रेख के लिये उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय MSME परिषद की बैठक

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने

नई दिल्ली में राष्ट्रीय MSME परिषद की उद्घाटन बैठक आयोजित की। परिषद को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय की निगरानी करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने तथा MSME क्षेत्र में सुधारों की प्रगति की निगरानी करने हेतु एक प्रशासनिक और कार्यात्मक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज (RAMP) करने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है। जून 2022 में शुरू किये गए RAMP कार्यक्रम का उद्देश्य MSME के लिये बाजार पहुँच, ऋण उपलब्धता, शासन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना है।

मोरक्कन टिड्डे का प्रकोप

अफगानिस्तान के गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों में मोरक्कन टिड्डे का प्रकोप देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था हेतु गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह प्रकोप आठ प्रांतों को प्रभावित कर सकता है, साथ ही यह वार्षिक फसल के एक-चौथाई के बराबर यानी 700,000-1.2 मिलियन टन गेहूँ को नष्ट कर सकता है। यदि इसका निदान किये बिना छोड़ दिया जाता है, तो टिड्डियों की आबादी अगले वर्ष सौ गुना बढ़ सकती है, जिससे अफगानिस्तान एवं पड़ोसी देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर संकट बढ़ सकता है। मोरक्कन टिड्डे को विश्व भर में पौधों के लिये सबसे अधिक हानिकारक कीटों के रूप में जाना जाता है। इसका प्रभाव गेहूँ की फसल से परे तक फैला हुआ है, क्योंकि मोरक्कन टिड्डे पौधों की 150 से अधिक प्रजातियों का उपभोग करते हैं, जिनमें वृक्ष फसलें, चरागाह तथा अफगानिस्तान में उगाई जाने वाली विभिन्न खाद्य फसलें शामिल हैं। मोरक्कन टिड्डे, वैज्ञानिक रूप से 'डोसियोस्टोरस मारोकेनस (Dociostaurus maroccanus)' के रूप में जाने जाते हैं। वे एक्रीडिडी (Acrididae) समूह से संबंधित हैं, जिसमें टिड्डे और टिड्डियाँ शामिल हैं। इन टिड्डियों को झुंड बनाने की उनकी क्षमता हेतु जाना जाता है, जिससे वे प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर कृषि क्षति का कारण बनते हैं। वे मध्यम से बड़े आकार के कीट हैं, सामान्यतः वयस्कों की लंबाई लगभग 4-5 सेंटीमीटर होती है। इन कीटों का शरीर मजबूत, सिर पर छोटे एंटीना होते हैं और शक्तिशाली पिछले पैर इन्हें कूदने में मदद करते हैं। उनके शरीर का भिन्न रंग जैसे हरे-भूरे से लेकर लाल-भूरे तक हो सकता है।



भोपाल, SDG प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर



भोपाल ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को स्थानीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। SDG हासिल करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता प्रदर्शित करने हेतु स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा (Voluntary Local Reviews-VLR) को अपनाने वाला यह भारत का पहला शहर बन गया है। सतत विकास के वैश्विक एजेंडे के लिये वर्ष 2030 एजेंडा को व्यावहारिक स्थानीय रणनीतियों में स्थानीयकृत किये जाने से निर्दिष्ट लक्ष्यों की समग्र प्राप्ति में मदद मिलने की संभावना है। भोपाल का स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा (VLR) भोपाल नगर निगम, यूएन-हैबिटेट और विभिन्न स्थानीय हितधारकों के बीच सहयोग का परिणाम है, जिसका उद्देश्य स्थायी तथा समावेशी शहरी परिवर्तन की दिशा में शहर के प्रयासों को प्रदर्शित करना है। इस समीक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण शामिल हैं, जिसमें 56 विकास परियोजनाओं के गुणात्मक मानचित्रण शामिल हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने एजेंडा 2030 को अपनाया, जिसमें 17 SDG और 169 प्रयोजन शामिल हैं।

सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) को प्रस्तुत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाओं (VNRs) के माध्यम से इन लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति की रिपोर्ट करते हैं। स्थानीय एवं क्षेत्रीय जुड़ाव के महत्त्व को स्वीकार करते हुए शहरों तथा क्षेत्रों ने तेजी से अपनी उप-राष्ट्रीय समीक्षाएँ की हैं जिन्हें VLR के रूप में जाना जाता है। हालाँकि 2030 एजेंडा अथवा अन्य अंतर-सरकारी समझौते आधिकारिक तौर पर VLR का समर्थन नहीं करते हैं, फिर भी VLR स्थानीय कार्रवाई को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर वर्ष 2018 में HLPF को अपना VLR प्रस्तुत करने वाला पहला शहर था और वर्ष 2021 तक 33 देशों ने 114 VLR या फिर इसी तरह के समीक्षा दस्तावेज़ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए थे।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (WMBD) 13 मई, 2023 को “जल और प्रवासी पक्षी के लिये इसका महत्त्व” विषय के साथ मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मिशन LiFE कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में लोगों के बीच व्यापक स्तर पर कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इन आयोजनों का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल प्रवृत्ति के महत्त्व को रेखांकित करना है। प्रतिभागियों ने स्थायी प्रथाओं को अपनाने तथा उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये LiFE कार्यक्रम की प्रतिज्ञा ली। WMBD एक द्वि-वार्षिक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और उनके आवासों के संरक्षण के महत्त्व पर ध्यान देना है। यह प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह अभियान दो संयुक्त राष्ट्र संधियों, जंगली पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन (CMS) और अफ्रीकी-यूरोशियन प्रवासी वाटरबर्ड समझौते (AEWA) के बीच एक सहयोगी साझेदारी के माध्यम से आयोजित किया जाता है। इसमें अमेरिका के गैर-लाभकारी पर्यावरण संगठन (EFTA) भी शामिल होते हैं।

समुद्र शक्ति- 23

भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति- 23 का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित होना निर्धारित है। इस अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिये INS कवारत्ती इंडोनेशिया के बाटम गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता, संयुक्तता तथा आपसी सहयोग को बढ़ाना है। INS कवारत्ती के साथ एक भारतीय नौसेना डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान एवं चेतक हेलीकॉप्टर भी भाग ले रहा है। इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व KRI सुल्तान इस्कंदर मुदा, CN 235 समुद्री गश्ती विमान व AS565 पैंथर हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति है, जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत-इंडोनेशिया CORPAT भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच एक समन्वित गश्त है, जिसका उद्देश्य अंडमान सागर एवं मलक्का जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा तथा सहयोग को बढ़ाना है।

